

**DUE DATE SLIP**

**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

**KOTA (Raj.)**

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

# भारतीय आयकर के सरल सिद्धान्त

[ ELEMENTS OF INDIAN INCOME-TAX ]

द्वितीय संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण

[ आयकर अधिनियम, १९६१ तथा वित्त ( न० २ ) अधिनियम,  
१९६२ पर आधारित ]

बी. कॉम. परीक्षा के लिए इलाहाबाद, विक्रम तथा अन्य कई विश्वविद्यालयों  
तथा कालेजों द्वारा स्वीकृत

लेखक

रामनिवास लखोटिया

एम. कॉम., एलएल. वी., एफ. आर. ई. एस. [ लंदन ]

[ भूत पूर्व प्रीफेसर, वाणिज्य विभाग, दयानन्द कॉलेज तथा गवर्नरमेन्ट कॉलेज,  
बंगलुरु ; लेखक : ऐलीमेन्ट्स ऑफ इडियन इनकम टैक्स, प्रैक्टीकल  
प्रॉविलम्स ऑफ इनकम टैक्स, टैगोर एज ए ह्यूमॉरिस्ट ;  
सम्पादक : ह्यूमर एवरी हैबर, ह्यूमर इन  
मैरिड लाइफ इत्यादि ]



आशा पब्लिशिंग हाउस

प्रकाशक :  
आशारानी,  
प्रोप्राइटर,  
आशा प्रिलिंग हाउस,  
१६४, एम्हार्ट स्ट्रीट,  
कलकत्ता ৭।

रु० ४—८० न० पैसे ]

[ १६६२

सर्वाधिकार सुरक्षित है।

मुद्रक :  
मुराना प्रिलिंग वर्स्स,  
४०२, अपर चिरपुर रोड,  
कलकत्ता-३

## द्वितीय संस्करण की भूमिका

पाठकों के समक्ष यह द्वितीय संस्करण प्रस्तुत करते हुए मुझे हार्दिक प्रश়ংসন बा अनुभव हो रहा है। पिछले सुंस्करण तथा वर्तमान संस्करण में एक विशेष महत्वपूर्ण अन्तर है। पिछला संस्करण भारतीय आयकर अधिनियम १९२२ पर आधारित था जब कि यह संस्करण नवीन आयकर अधिनियम, १९६१, जो कि भारत में १-४-१९६२ से लागू कर दिया गया है, पर आधारित है। यद्यपि सन् १९२२ वाले अधिनियम को रद्द कर दिया गया है तथापि उसके मूल ढाँचे में परिवर्तन नहीं किया गया है। नये अधिनियम में प्रत्येक विषय से सम्बन्धित धाराओं को एक ही जगह रखा गया है। वड़ी धाराओं के दुर्बल कर दर उन्हें छोटी-छोटी धाराओं में विभाजित कर दिया गया है। भाषा को सरल बनाने का भी प्रयत्न किया गया है। नये अधिनियम में जो परिवर्तन बिए गये हैं वे मुख्यतया दो भागों में बोटे जा सकते हैं:—

- (अ) मूल सिद्धान्तों में परिवर्तन ; तथा
- (ब) केवल आकार में परिवर्तन।

२०. इस पुस्तक के अध्याय १ से २२ तक आयकर अधिनियम १९६१ के उपबन्धों का विस्तुत विवरण किया गया है। उन मुख्य विषयों का जिनमें कि नवीन अधिनियम द्वारा परिवर्तन बिये गये हैं तथा इस पुस्तक के सभी अध्याय की संस्था जहाँ इसके बारे में विवेचन किया गया है, नीचे दिये जाते हैं:—

- (१) कर-निर्धारण वर्ष, वरदाता, लाभांश, आय, व्यक्ति, गत वर्ष इत्यादि ( अध्याय १ तथा ६ ) ;
- (२) निवास—स्थान के हिसाब से वरदाताओं का घर्गीकरण तथा वर भार इत्यादि ( अध्याय ३ ) ;
- (३) निजी कर्मचारियों की मिलने वाली ग्रेन्यूटी की कर मुक्ति तथा धार्मिक एवं पुण्यार्थ संस्थाओं और ट्रस्टों की आय की वर से मुक्ति इत्यादि ( अध्याय ४ ) ;
- (४) 'केरन' शीर्पंक के अन्दर्गंठ आने वाली आय की देय तथा प्राप्ति सिद्धान्त से गणना ( अध्याय ५ ) ;
- (५) 'प्रतिभूतियों के व्याज' के दायित्व में 'प्राप्ति' सिद्धान्त की जगह 'देय' सिद्धान्त का लागू होना ( अध्याय ६ ) ;
- (६) विकास छूट, छवत खाते, इत्यादि ( अध्याय ८ ) ;

- (७) 'पूँजी लाभ' में विभिन्न तिथियों की जगह एक तिथि अर्थात् १-१-५४ का रखना तथा लघुकालीन एवं दीर्घकालीन परिसम्पत्त के पूँजीगत लाभों में अन्तर करना ( अध्याय ६ ) ;
- (८) एक व्यक्ति की आय में भर्ती या भार्या की आय का जोड़ा जाना ( अध्याय ११ ) ;
- (९) नकद उधार तथा अस्पष्ट निवेप ( अध्याय १२ ) ;
- (१०) वेतन इत्यादि की अग्रिम प्राप्ति पर सहायता ( अध्याय ४ ) ;
- (११) पुरानी धारा २३ए कम्पनियाँ ( अध्याय १५ ) ;
- (१२) बच्चे निवासी पर अनिवासी जैसे कर लगना ( अध्याय १६ ) ;
- (१३) नवशे भरने के लिए सार्वजनिक सूचना के उपबन्ध को हटाना तथा निर्धारित तिथियों तक आय के नवशे को भरना और देरी से भरे गये नवशे या पत्रक पर ब्याज का लगाना इत्यादि ( अध्याय १८ ) ;
- (१४) १६ वर्ष की उस सीमा का निर्धारित होना जिसके पहले के किसी भी कर-निर्धारण वर्ष के बारे में कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती ( अध्याय १८ ) ;
- (१५) पजीयन को पुनः कराने के लिए प्रतिवर्ष आवेदन फरने की आवश्यकता को हटाना ( अध्याय १४ ) ;
- (१६) हिन्दू अविभक्त परिवारों के आशिक विभाजन की मान्यता ( अध्याय १३ ) ;
- (१७) कर के अग्रिम भुगतान की तिथियों में १५ दिन की कमी करना तथा अनुमान में भूल के लिए २५% की छूट देना ( अध्याय २० ) ;
- (१८) देरी से कर वापसी पर देन्द्रीय सरकार द्वारा ब्याज का दिया जाना ( अध्याय २१ ) ;
- (१९) दण्ड के लिए न्यूनतम तथा उच्चतम सीमाओं का निर्धारित करना तथा इसप्रैक्टिक असिस्टेंट कमिशनर की पूर्वानुमति से दण्ड के लगाने की विधि की समाप्ति ( अध्याय १६ ) ; तथा
- (२०) अधिकृत प्रतिनिधि की योग्यताओं तथा अयोग्यताओं का विवरण ( अध्याय १ ) ।

३. प्रथम सम्बरण में माधिन प्रश्नों की संख्या २१ की जगह इस संस्करण में ७५ बार दी गई है। इसके बलावा आगरा तथा राजपूताना विश्वविद्यालयों के प्रश्नपत्रों के बलावा अन्य विश्वविद्यालयों के प्रश्नपत्र ( उत्तर सहित ) मी दे दिए गए हैं। वायकर नियम १६६२ के आवश्यक नियमों तथा वित्त

अधिनियम १९६२ के उपबन्धों का समावेश भी इस पुस्तक में यथास्थान पर कर दिया गया है। पुस्तक के अन्त में एक रालिका दी गई है जिसमें सन् १९२२ के पुराने अधिनियम तथा सन् १९६१ के नवीन अधिनियम की मुख्य धाराओं को तुलनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। मुझे विश्वास है इन सदके कारण पुस्तक की उपयोगिता में पहले से बहुत अधिक वृद्धि हुई है जिससे यह विद्यार्थी समाज के अलावा वकीलों, करदाताओं तथा सामान्य अध्येताओं के लिए भी पूर्णरूप से लाभप्रद सिद्ध होगी।

४. मैं उन सब व्यक्तियों तथा पत्रिकाओं का आभारी हूँ जिन्होंने इस पुस्तक की प्रशंसात्मक व्यालोचना की है। जिन विश्वविद्यालयों के प्रश्न पत्र इस पुस्तक में दिये गए हैं उनके प्रति मैं बपना आभार प्रदर्शन करता हूँ। विक्रम, इलाहाबाद तथा अन्य विश्वविद्यालयों जिन्होंने इस पुस्तक को बी० कॉम० परीक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक के रूप में स्वीकृत किया है उनका मैं हृदय से आभारी है। अन्त में मैं उन सब व्यक्तियों को अन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे इस सस्करण को निकालने में मदद की है।

कलकत्ता,  
सितम्बर १५, १९६२

रामनिवास लखोटिया

## प्रथम संस्करण से उद्धरण

### दो शब्द

गरु कुछ वर्षों में आयकर कानून बहुत कठिन हो गया है। नये नये सशोधनों से यह कानून पेचीदेपन तथा आकार में और भी अधिक बढ़ गया है। यह सच है कि भारतीय विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी गण तथा आयकर-दाता इस समझने में बहुत कठिनाई का अनुभव करते हैं। प्रस्तुत पुस्तक में मैंने इस बात का पूरा प्रयत्न किया है कि कानून वी इस कठिन शाखा का सरल भाषा में, साधित प्रश्नों की सहायता से, विश्लेषण किया जाय। वित्त अधिनियम १९५८ के सभी मुख्य प्रबन्धों का समावेश भी इस पुस्तक में कर लिया गया है। इसके अलावा आगरा तथा राजपूताना विश्वविद्यालयों के पाँच वर्षे के पचों के प्रश्न तथा उत्तर तथा अनुमानिका इस पुस्तक के अन्त में दिए गये हैं जिनसे इस पुस्तक की उपयोगिता और भी अधिक बढ़ गई है।

मुख्यतः यह पुस्तक भारतीय विश्वविद्यालय के वी कॉम. तथा एलएल.वी छानों के लिए पाठ्य-पुस्तक के रूप में लिखी गई है। परन्तु यह पुस्तक गाधारण कर-दाता एवं आयकर की अन्य परीक्षाओं के विद्यार्थी समाज के लिये भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है.. .

आर. एन. लखोटिया

# विषय सूची (CONTENTS)

## अध्याय

द्वितीय संस्करण की भूमिका	३
प्रथम संस्करण की भूमिका से उद्धरण	६
विषय सूची	७

पृष्ठ

३

६

७

## प्रथम भाग (Part I)

### प्रारम्भिक (PRELIMINARY)

१. विषय प्रवेश तथा आयकर अधिनियम की प्रमुख परिभाषाएँ (Introduction & definitions)	४
२. आयकर अधिकारी तथा अपिलेट ट्रिब्युनल (Income-tax Authorities & Appellate Tribunal)	२२
३. कर दाताओं का निवास-स्थान (Residence of Assessee)	२६
४. कर-मुक्ति, छूट तथा सहायताएँ (Exemptions, rebates & reliefs)	३४

## दूसरा भाग (Part II)

### कुल आय की संगणना (COMPUTATION OF TOTAL INCOME)

५. वेतन (Salaries)	५३
६. प्रतिमूलियों का ब्याज (Interest on Securities)	६५
७. मकान-जायदाद की आय (Income from house property)	६६
८. व्यापार अयवा देशों के साम तथा मुनाफे (Profits & gains of business or profession)	७८
९. पूँजीगत लाभ (Capital gains)	८८
१०. अन्य साधनों से आय (Income from other Sources)	१०४
११. आय का समूहीकरण तथा हानियों का प्रतिसादन एवं अग्रेनेन्यन (Aggregation of Income and set-off and carry forward of Losses)	११२

### तीसरा भाग ( Part III )

#### विभिन्न करदाताओं का करनिधारण

#### (ASSESSMENT OF DIFFERENT ASSEESSES)

१२.	व्यक्तियों का करनिधारण ( Assessment of Individuals )	११८
१३.	हिन्दू अविभक्त परिवार का कर-निधारण ( Assessment of Hindu undivided families )	१२६
१४.	फर्म तथा अन्य जन मंडलों का कर-निधारण ( Assessment of firms & other Association of persons )	१३०
१५.	कम्पनियों का कर-निधारण ( Assessment of Companies )	१४६
१६.	ब्रिनिवासियों का कर-निधारण ( Assessment of Non-Residents )	१५८
१७.	विशेष दशाओं में कर-निधारण ( Assessment in Special Cases )	१६५

### चौथा भाग ( Part IV )

#### करनिधारण एवं अपील पद्धति

#### (ASSESSMENT & APPELLATE PROCEDURE)

१८.	कर-निधारण पद्धति ( Procedure for Assessment )	१७१
१९.	दण्ड, अभियोग तथा अभियोजन ( Penalties, Offences & Prosecutions )	१८३
२०.	कर सम्प्रह एवं वसूली ( Collection & Recovery of Tax )	१८८
२१.	कर वापसी ( Refunds )	१९८
२२.	अपील तथा पुनरीक्षण ( Appeals & Revision )	२०२
	<b>परिशिष्ट—(क)—कर की संगणना ( Computation of Tax )</b>	<b>२०५</b>
	(ख)—विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रश्न एवं उत्तर सहित ( Questions of different universities fully solved )	२२१
	(ग)—पुराने व्यविधियम (१९२२) तथा नए व्यविधियम (१९६१) की मुख्य मुख्य धाराओं की तुलना ( Comparison of the important sections of the old Act of 1922 & the new Act of 1961 )	२३२
	(घ)—अनुक्रमणिका ( Index )	२३५

## प्रथम भाग

### प्रारम्भिक

#### अध्याय १

# विषयप्रवेश तथा आयकर अधिनियम की प्रमुख परिभाषाएँ

## १. आयकरका इतिहास :

आयकर भारतवर्प की बेन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के लिए व्यामदनी का एक प्रमुख साधन है। योजना के इस आधुनिक युग में इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में स्थित व्यार्थिक विषयमता को दूर करने के लिए भी यह एक सर्वश्रेष्ठ साधन माना जाने लगा है। ऐसी वाश्चा की जाती है कि भावो भारत के व्यार्थिक विकास के लिए विशाल व्याय प्राप्त करने में यह और भी सहयोगी सिद्ध होगा। इसलिए कर-दाताओं तथा विद्यार्थी-समाज के लिए ही नहीं वरन् समस्त जनता के लिए यह जानना निवार्त आवश्यक हो जाता है कि आयकर अधिनियम क्या है। प्रस्तुत पुस्तक इस उद्देश्य को लेकर लिखी गई है कि प्रत्येक भारतीय को आयकर के मूल सिद्धान्तों का सरल मापा में परिचय कराया जाय।

भारतीय आयकर विधान का इतिहास बड़ा रोचक है। भारत में आयकर का सूक्ष्मात् सर्वप्रथम सन् १८६० में हुआ। उस समय यह एक साधारण कानून था। कुछ अन्य छोटे-छोटे कानूनों के पश्चात् सन् १८८६ में एक नया कानून बना जो सन् १८०३ तक चलता रहा। इस वर्प आयकर लगानेवाली न्यूनतम सीमा को ५०० रुपये से बढ़ाकर १,००० रुपये कर दिया गया। सन् १८१८ में एक नया आयकर अधिनियम बनाया गया जिसके द्वारा न्यूनतम आयकर सीमा बढ़ाकर २,००० रुपये कर दी गई। तत्पश्चात् सन् १८२२ में पास हुआ भारतीय आयकर—अधिनियम। परन्तु इसमें मी समय-समय पर अनेक परिवर्तन होते रहे। विशेषकर यह कानून सन् १८३८, १८४४, १८४६, १८५१, १८५३, १८५४, १८५५, १८५६, १८५७, १८५८, १८५९, १८६० तथा १८६१ में आयकर संशोधन अधिनियमों सभा विच अधिनियमों द्वारा परिवर्तित किया गया। मूल अधिनियम में इतने संशोधनोंके कारण आयकर

कानून पेचीदा हो गया। इसलिए लौ कमीशन तथा त्यागी कमेटी के सुझाव पर आधारित नया आयकर अधिनियम, १९६१ भारतीय संसद ने पास किया। यह अधिनियम १-४-१९६२ से लागू हो गया है। इस पुस्तक में जहाँ कहीं आयकर धाराओं का उल्लेख किया गया है, उनका सम्बन्ध आयकर अधिनियम, १९६१ से ही है।

भारत में आयकर सम्बन्धी दो सुख्य अधिनियम हैं :—

- (१) आयकर अधिनियम, १९६१—यह सुख्य कानून है। इसने १९२२ के कानून को रद्द कर दिया है।
- (२) वित्त अधिनियम —जो कि प्रतिवर्ष भारतीय संसद द्वारा पास किया जाता है। इस अधिनियम द्वारा आयकर की विभिन्न दरों निर्धारित होती हैं। पिछले कुछ वर्षों में इसके द्वारा मूल अधिनियम में परिवर्तन तथा सशोधन करने का कार्य भी किया गया है।

## २. भारतीय अधिनियम १९२२ का भविष्य में लागू होना :

१९६१ के अधिनियम द्वारा भारतीय आयकर अधिनियम, १९२२ रद्द कर दिया गया है।

किन्तु जैसा कि धारा २६७ में वर्णित है किन्हीं दशाओं में १-४-१९६२ के पश्चात् भी पुराना कानून अर्थात् भारतीय आयकर अधिनियम, १९२२ भी लागू होगा। ऐसी दशाओं का वर्णन नीचे किया जाता है :—

- (१) कर-निर्धारण वर्ष १९६१-६२ या इससे पूर्व किसी भी कर-निर्धारण वर्ष के लिए दिया गया आय का नवशा यदि वह १-४-६२ के पहले दिया गया हो तो।
- (२) १-४-१९६२ के पश्चात् दिया गया आय का नवशा यदि कर-निर्धारण वर्ष १९६१-६२ या इससे पूर्व किसी अन्य वर्ष के लिए हो तो भी मूल प्रमन्य पुराने अधिनियम के ही लागू होगे। हालाँकि जो पद्धति ऐसे नवशो (Recursos) के बारे में अपनाई जायगी वह १९६१ अधिनियम के अनुसार ही होगी।
- (३) १-४-१९६२ के दिन वरील, पुनरीक्षण अथवा निर्देश (Appeal, Revision or Reference) सम्बन्धित कोई भी वाकी कार्य वाही।
- (४) १-४-१९६२ से पूर्व जारी किए नोटिंग से सम्बन्धित पुनः कर-निर्धारणात्मी कार्य वाही।

- (५) १९६१-६२ या इससे पूर्व किसी आयकर-निर्धारण वर्ग के लिए पुरानी धारा २३ए की कार्यवाही ।  
 (६) १-४-६२ से पूर्व समात हुए किसी भी कर-निर्धारण से सम्बन्धित कोई भी दण्ड ( Penalty ) की कार्यवाही ।

### ३. आयकर के अन्तर्गत विभिन्न कर :

भारतीय आयकर के अन्तर्गत निम्नलिखित चार प्रकार के कर शामिल हैं:-

- (१) आयकर [ Income-tax proper ] ;
- (२) अतिरिक्त कर [ Super-tax ] ;
- (३) विभास कर [ Corporation tax ]—तथा प्रमंडलोपर लगाया गया अतिरिक्त कर ; तथा
- (४) वृद्धि कर [ Surcharges on items (1) and (2) ] [ (१) तथा (२) पर ] ।

### ४. कर-दाता कौन है ?—[ धारा २ (३१) तथा ४ ] :

केवल निम्नलिखित ही कर-दाता हैः—

- (१) व्यक्ति ( Individual ) ;
- (२) अविभक्त हिन्दू परिवार ( Hindu Undivided Family ) ;
- (३) प्रमंडल व्यवसा कंपनी ( Company ) ;
- (४) साझेदारी फर्म ( Partnership firm ) ;
- (५) अन्य जन-मंडल ( Any other association of persons ) ;
- (६) स्थानीय सत्ता ( Local authority ) ;
- (७) कोई भी कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति जैसे देवी-देवता इत्यादि ।

### ५. आयके शीर्षक—[ धारा १४ ] :

केवल निम्नलिखित आय के शीर्षकों के अन्तर्गत आनेवाली आय पर ही आयकर लगता हैः—

- (१) वैतन—धारा एँ १५ से १७ ;
- (२) प्रति भूस्तियों से व्यतर—धरा एँ १८ से २१ ;
- (३) मकानात की आय—धारा एँ २२ से २७ ;
- (४) व्यापार या पेशा का लाभ—धारा एँ २८ से ४४ ;
- (५) पूँजी गत लाभ—धारा एँ ४५ से ५५ तथा
- (६) अन्य साधनों से आय—धारा एँ ५६ से ५८ ।

## ६. आयकर दायित्व ( Income-tax Liability ) :

एक व्यक्ति, अनरजिस्टर्ड फर्म, रजिस्टर्ड फर्म के साक्षीदार या अन्य जन-मंडल के आयकर दायित्व का प्रश्न तब उठता है जबकि उसकी गतवर्ष की आय ३,००० रु० से अधिक हो, अन्यथा नहीं। एक अविभक्त हिन्दू परिवार ( जिसके दो सदस्य बेटवारे के हकदार हो ) का आयकर दायित्व कुछ भी नहीं है यदि गतवर्ष में उसकी कुल आय ६,००० रु० या उससे कम है। एक कंपनी अपना स्थानीय संस्था को अपनी कुल आय पर एक ही दर से आयकर देना पड़ता है, चाहे वह कितनी ही कम या अधिक क्यों न हो। एक रजिस्टर्ड फर्म का कर-दायित्व कुछ भी नहीं है यदि उसकी गत-वर्ष की आय २५,००० रु० या उससे कम है। अतिरिक्त बर तथा वृद्धि वरों के बारे में विस्तृत विवरण के लिए देखिए परिशिष्ट—“क”।

## ७. साधारणतया कर कैसे दिया जाता है ?

कोई भी कर दाता जिसकी गतवर्ष की आय कर मुक सीमा से अधिक हो उसे एक आयका विवरण पत्र जो कि आयकर विभाग से मुफ्त में ही प्राप्त किया जा सकता है, भरकर अपने आयकर वक्सर के दफ्तर में भेजना चाहिये। आयकर वक्सर उसपर कर-निर्धारित करेगा। आयकर विभाग से माँग की सूचना आने पर उसे बर की सारी रकम जमा करानी पड़ेगी। इस विषय में विस्तृत विवरण के लिए माग चतुर्थ में पढ़िए।

## ८. आयकरकी प्रमुख परिभाषाएँ :

### गतवर्ष ( Previous year )—धारा ३ :

आयकर व्यधिनियम में कई परिभाषिक पदों एवं शब्दोंका प्रयोग किया गया है। आयकर व्यधिनियम को पूर्णतया समझने के लिए यह निवान्त आवश्यक है कि इन पदों के शब्दों की ठीक-ठीक व्याख्या की जाय। इन पदों में से मध्यसे महत्वपूर्ण पद है “गतवर्ष”।

आयकर व्यधिनियममें अन्तर्गत बर प्रत्येक आर्थिक वर्ष—जो कि एक वर्ष की पहली अप्रैल से लेकर दूसरे अप्रैली ३१ मार्च तक होता है—में लगाया जाता है। जैसे वर्तमान आर्थिक वर्ष ( Financial year ) रान् १९६२-६३ ( १५६२ में ३१-३-६३ ) हुआ। इसे इनकम टैक्स वर्ष, राजकीयी वर्ष व्यष्टि कर निर्धारण वर्ष ( Assessment year ) भी कहते हैं। इस वर्षमें जो भी बर लगाया जाता है वह व्यक्तियों की गतवर्ष की आयपर होता

है। इसका तात्पर्य हुआ कि आमदनी पहले वर्ष होती है और उस पर कर अगले वर्ष देना पड़ता है। गतवर्ष के सम्बन्ध में हमें निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है :—

- (१) साधारणतः गतवर्ष या पिछले वर्ष की आय पर ही उसके अगले आर्थिक वर्षमें कर देना पड़ता है।
- (२) गत वर्ष से तात्पर्य है, उन १२ महीनों का जो कि किसी भी वर्ष की ३१ मार्च को समाप्त होते हैं। यह १२ मास की अवधि किसी भी आर्थिक वर्ष के विलक्षण पहले बाला समय है। जैसे १९६२-६३ आर्थिक वर्ष के लिए १९६१-६२ गत वर्ष हुआ।
- (३) एक गत वर्ष ऊपर बताए गये १२ महिनों काले समय में किसी भी समय समाप्त हो सकता है। केमे किसी व्यक्ति का व्यापारिक हिसाबी साल १ जनवरी १९६१ से ३१ दिसम्बर १९६१ है तो यह साल भी १९६२-६३ के लिए गत वर्ष हुआ क्योंकि यह समय १९६१-६२ वर्ष में समाप्त होता है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि गत वर्षकी समाप्ति पूर्व वित्तीय वर्षके अन्दर ही अथवा इसके साथ ही अवश्य हो जानी चाहिए।
- (४) आय के विभिन्न साधनों के लिए मिन्न भिन्न गत वर्ष रखे जा सकते हैं।
- (५) सामेदारी फर्म की आय के लिये गत वर्ष वही होगा जो कि फर्म का गत वर्ष है।
- (६) नया व्यापार स्थापित करने वालों के लिए गत वर्ष व्यापार आरम्भ करनेकी तिथि से बानेवाली ३१ मार्च तक या उसके व्यापार की हिसाबी तिथि (Accounting date) तक (यदि उसने १२ महीनों तक के हिसाब बन्द किये हो) माना जा सकता है।
- (७) एक बार अपना गत वर्ष निश्चय कर लेने के पश्चात् उसे अगले वर्षों के लिए बदला नहीं जा सकता, जब तक कि ऐसा करनेके लिए इनकमटैक्स अफसर की मंजूरी न मिल जावे।
- (८) साधारणतया गत वर्ष १३ मास से अधिक और ११ मास से कम नहीं हो सकता।

उदाहरणार्थ १९६२-६३ आर्थिक वर्ष में कर देने के लिए नीचे दिये हुए

वर्षों में से कोई भी गत-वर्ष ( अर्थात् वह वर्ष जिसकी आमदनी पर कर दिया जाता है ) हो सकता है :—

- (अ) १-४-१९६१ से ३१-३-६२ : या
- (ब) १ १-१९६१ से ३१-१२-१९६१ : या
- (स) १-७-१९६० से ३०-६-१९६१ : या
- (द) कोई भी सबत्, दिवाली या दशहरा वर्ष जो कि १९६१-६२ वित्तीय वर्षमें समाप्त होता हो ।

### इस नियमके अपवाद ( Exceptions to the Rule ) :—

निम्न दशाओं में कर गतवर्ष की आमदनी पर न लगाया जाकर उसी वर्ष की आमदनी पर उसी वर्ष लगाया जाता है :—

- (i) आकस्मिक जलायातायात व्यवसाय द्वारा किसी अनियासी की आय—धारा १७२ ।
- (ii) जब कि कोई व्यक्ति नर्वदा के लिए भारत छोड़कर जाने वाला हो—धारा १७४ ।
- (iii) आयकर को वचाने के अभिप्राय से अपनी संपत्ति को हस्तांतरित करने वाले व्यक्तियोंकी आय—धारा १७५ ।
- (iv) जब कि कोई व्यापार, व्यवसाय या धधा बद कर दिया गया हो—धारा १७६ ।
- (v) लेखन-कला सबभित प्राप्त रौयल्टी आदि की आय—धारा १८० ।

### प्रश्न संख्या १

श्री अ ने १-८-१९६१ से एक कपड़े का नया व्यापार प्रारम्भ किया । १९६२-६३ कर-निधारण वर्ष तक उसने अपने वही खाते बन्द नहीं किए ।

- (अ) यदि उसका कर-निधारण जून १९६२ में किया जाये और वह यह अनुरोध करे कि अपने व्यापार के वही खाते वह ३१ जुलाई १९६२ को बन्द करेगा, तो क्या आप उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे, और अगर हाँ तो क्यों ?
- (ब) यदि उसका वर-निधारण सितम्बर १९६२ में किया जाये और वह कहे कि वह अपने वही-खाते ३१ अगस्त ६२ की तारीख तक बंद करेगा, तो क्या आप उसकी प्रार्थना मान लेंगे, और यदि हाँ तो क्यों ?

**उत्तर :**

(अ) अपने कपड़े के नये व्यापार के लिए वह व्यापार के प्रारम्भकी तारीख से लेकर १२ महीने का कोई भी समय अपने गत-वर्ष के लिए रख सकता है, यदि उसने हिसाब-किताब १२ महीने की वज्रधि तक के किसी भी समय के लिए बन्द कर लिया हो तो।

यहाँ पर कर-दाता अपने नये व्यापार के हिसाब-किताब १२ मासके समयके अन्दर के लिए रखना चाहता है इसलिए उसकी बार माननी होगी। इस हालत में सन् १९६२-६३ के लिए कोई गत-वर्ष नहीं होगा और १-८-६१ से ३१-७-६२ तक की आमदनी सन् १९६३-६४ में करदेय होगी।

(ब) चूंकि कर दाता ने अपने नये व्यापार के वही खाते १२ महीने के समय तक नहीं बन्द किए हैं इसलिए कर दाता की प्रार्थना नहीं मानी जायगी। कपड़े के नये व्यापार की १८६१ से ३१-३-६२ तक की आमदनी कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ में करदेय होगी।

## प्रश्न संख्या २

श्री मदनके कई तरह के व्यापार हैं जिनके हिसाबी साल निम्नलिखित हैं—

- (१) सूती कपड़ा व्यापार—दिवाली वर्ष ( नवम्बर से अक्टूबर/नवम्बर )
- (२) लेन-देन व्यवसाय—वित्तीय वर्ष ( अप्रैल से मार्च )
- (३) तेल की फेकट्री—साधारण वर्ष ( जनवरी से दिसम्बर )
- (४) पुस्तक व्यवसाय—जुलाई से जून ।

कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए कौन से वही-खातों को सैट ठीक रहेगा ?

**उत्तर :—**

कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए निम्न व्यापारों के लिए निम्न वही-खातों का सैट ठीक होगा :—

- (१) सूती कपड़ा व्यापार—नवम्बर १९६० से नवम्बर १९६१ ।
- (२) लेन-देन व्यवसाय—१ अप्रैल १९६१ से ३१ मार्च १९६२ ।
- (३) तेल की फेकट्री—१ जनवरी १९६२ से ३१ दिसम्बर १९६२ ।
- (४) पुस्तक व्यवसाय—१ जुलाई १९६० से ३० जून १९६१ ।

#### ६. आयकर-दाता ( Assessee )—धारा २ (७) :

आयकर दाता वह व्यक्ति है जिसके द्वारा आयकर अधिनियम के अनुसार सरकार को आयकर या अतिरिक्त कर की कोई रकम देनी होती है या दी जाती है। इसके अलावा निम्नप्रकार के व्यक्ति भी आयकर-दाता माने जाते हैं :—

(क) कोई भी व्यक्ति जिस पर उसकी स्वयं की आमदनी या अन्य किसी दूसरे व्यक्ति की आमदनी ( जिस पर कि कानूनी तौर से उसे कर देना पड़ता हो ) या हानि के कर-निर्धारण की या कर-चापसी की कार्यवाही जारी की गई हो ।

(ख) कोई भी व्यक्ति जो कि आयकर अधिनियम के अन्तर्गत आयकर-दाता मनोनीत किया हो ( deemed to be an assessee )। जैसे, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के उपरान्त उसके वैधानिक प्रतिनिधि भी आयकर दाता समझे जाते हैं या धारा १६० के अन्तर्गत प्रतिनिधि आयकर-दाता ( Representative Assessee ) भी आयकर दाता माने जाते हैं ।

(ग) कोई भी व्यक्ति जो कि इस अधिनियम को किसी धारा के अन्तर्गत कस्तूरवार कर-दाता ( Assessee in default ) समझे जाते हैं, जैसे धारा २१८ के अन्तर्गत ठीक समय पर अग्रिम कर की अदायगी नहीं करनेवाला कस्तूरवार या अपराधी व्यक्ति भी आयकर-दाता माना जाता है ।

#### १०. आय ( Income )—धारा २ (२४) :

आयकर से तात्पर्य है उस कर से जो आय पर दण्डता हो । आयकर अधिनियम का मुख्य तात्पर्य आय पर कर-निर्धारण करना तथा बसूल करना है। किन्तु आश्चर्य की वात यह है कि 'आय' शब्द की पूर्ण व्याख्या इस अधिनियम में नहीं की गई है। 'आय' से तात्पर्य है उस राशि से जो निश्चित् साधनों द्वारा निश्चित् रूप से समय समय पर द्रव्य या द्रव्य के मूल्य के रूप में प्राप्त की जाती है। साधारणतया हम कह सकते हैं कि 'पूँजीगत आय' आय के अन्तर्गत नहीं वाती। धारा २ (२४) के द्वारा निम्नप्रकार की वस्तुएँ भी आय के अन्तर्गत ही समझी जाती हैं :—

( i ) व्यापारिक नफा या लाभ ।

( ii ) लाभाशा ( Dividends ) ।

- (iii) प्रतिफल ( Perquisites ) या बेतन के स्थान पर लाभ ( Profits in lieu of Salary ) जिस पर कि धारा १७ (२) तथा (३) के अन्तर्गत कर लगता है।
- (iv) किसी भी डायरेक्टर या ऐसे व्यक्ति जिसका कपनी में प्रचुर हित ( Substantial interest ) हो या उनके किसी भी रिस्टेदार द्वारा एक कपनी से प्राप्त किसी लाभ, प्रतिफल इत्यादि का मूल्य।
- (v) पारा २८ ( i ) तथा ( iii ), ४१ अथवा ५६ के अन्तर्गत कोई भी रकम जिस पर कि उन धाराओं के अन्तर्गत कर लगता हो। इनका विस्तृत विवरण अगले अध्यायों में किया गया है।
- (vi) पूँजीगत लाभ जिन पर धारा ४५ के अन्तर्गत कर लगता है।
- (vii) पारस्परिक बीमा कपनी अथवा सहकारी बीमा समिति द्वारा बीमा की वह आवंजी कि आवकर अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित की गई है।

## ११. कृषि-आय ( Agricultural Income )—धारा २ (१) :

आवकर अधिनियम के अन्तर्गत सभी प्रकार की आय पर कर नहीं लगता। कुछ ऐसी भी आय है जो सर्वथा कर-मुक्त है। कृषि-आय भी ऐसी ही एक आय है। इसलिए इसकी परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि आय से तात्पर्य इन तमाम आय से है जो निम्न शर्तों को पूरा करती है :—

- (१) कि वह आय भारत में स्थित किसी भूमि से है;
- (२) कि वह भूमि किसी कृषि-कार्यमें प्रयोग की गई है; तथा
- (३) कि वह भूमि ऐसी है जिस पर सरकार को लगान अथवा किसी स्थानीय सत्ता को स्थानीय कर ( Local rate ) दिया गया है।

कोई भी आय जो इन तमाम शर्तों को पूरा नहीं करती वह कृषि आय नहीं हो सकती। जैसे, निम्न प्रकार की आय कृषि आय नहीं है :—

- (१) हाट-याजारों, घाट अथवा मछली ज़ेत्रों से होनेवाली आय।
  - (२) सिंचाई के लिए पानी देने से आय।
  - (३) पत्थरों की खानों से होनेवाली आय।
  - (४) खानों से प्राप्त होनेवाली रॉयल्टी से आय, इत्यादि।
- निम्न रूपों में होनेवाली आय कुछ अशों में कृषि आय है तथा कुछ अशों में अकृषि-आय है :—
- (अ) भारत में चाय पैदा करके बेचनेवालों की आय ( ६०% आय कृषि आय है। ) तथा

(व) किसी शक्ति कारखाना कम्पनी की आय जिसके अपने निजी कृपि कार्म है तथा जो कारखाने के लिए अपनी ही ईख पैदा करती है।

कृपि-आय निम्न प्रकार की हो सकती है :—

- (१) जमीनदार द्वारा वसूल किया हुआ लगान या किराया।
- (२) पैदावार से कृपक की आय या लगान लेने वाले व्यक्ति की कृपि पैदावार से आय।
- (३) कृपक या लगान लेने वाले की पैदावार को बिनी योग्य बना देने की विधि से आय।
- (४) कृपि पैदावार को वेचने से होने वाली आय।
- (५) उस जापदाद की आय जो कृपि के काम में आती है।

## १२. आकस्मिक आय ( Casual Income )—धारा १० (३) :

आकस्मिक आय वह आय है जिसका स्वरूप अकस्मिक है तथा जो किसी व्यापार से या किसी व्यवसाय, पेशे यथा व्यव्य काम करने से उदय न हो तथा जो पूँजीगत लाभ यथा कर्मचारी की आय में अतिरिक्त वृद्धि के रूप में न हो। ऐसी आय कर-मुक्त है। लॉटरी में मिलने वाला इनाम, धुड़दोड़ में हार-जीत पर लाभ इत्यादि आय आकस्मिक हैं।

## १३. कुल आय तथा कुल विश्वआय ( Total Income & Total World Income )—धारा २ (४५) तथा (४६) :

कर-दाताकी कुल आय से आशय उसकी आय की उस कुल रकम से है, जिस पर उसको निवाम स्थानानुगार कर लगता है तथा जो आय-कर अधिनियम द्वारा निर्धारित तरीके से मालूम की गई है जैसा कि अध्याय ३ में वर्णन किया गया है। धारा ५ में वर्णित आय कर-दाता की कुल आय होती है।

कर दाता की कुल विश्व आय से अभिग्राय उसकी समस्त आय से है, भले ही वह विश्व में कहीं भी उत्पन्न हुई हो। कुल विश्व आय में सम्पूर्णतया कर-मुक्त आय शामिल नहीं होती।

कुल विश्व आयका निकालना केवल अनिवासीके लिए ही जरूरी होता है।

## १४. कर-मुक्तिवाली आय ( Exempted Income ) :

एक व्यक्ति का कर दायित्व मालूम करने के लिए उसकी कर-मुक्त आयको भी ध्यान में रखना पड़ता है। कुछ आय पूर्णतया कर-मुक्त हैं तो इच्छा व्यांशिक रूप में। व्यांशिक कर-मुक्त आयपर एक प्रकार की कटौती दी जाती है। कर योग्य आय पर लगने वाले कर में से इस प्रकार की करमुक्त आय की कटौती (Rebate) की रकम कम की जाती है।

## १५. आयानुसार बनाम विभागानुसार कर-पद्धतियाँ (Step system versus slab system of Taxation) :

कर लगने वाली आय पर आयकर की संगणना दो पद्धतियों से की जा सकती है:—आयानुसार और विभागानुसार। आयानुसार पद्धति (step system) में कुछ आयकी पूरी रकम पर एक ही दर के अनुसार जो कुल आय पर लागू होती हो, आयकर चुकाना पड़ता है। यदि आय की विभिन्न रकमों के लिए आय ऊँची है, तो उसके लिए दर भी ऊँची है। यह पद्धति १९३८ से बन्द कर दी गई; क्योंकि यह अन्यायपूर्ण थी। इस पद्धति के अनुसार जो कठोरता बनाय, और असमान फॉल होते थे, उन्हें दूर करने के लिए १९४१९३८ से एक नई और अधिक न्यायोन्नित करारोपण की पद्धति जिसे विभागानुसार करारोपण (Slab system) कहते हैं, प्रचलित हुई। इसके अनुसार आय को विभिन्न विभागों में बांटा जाता है। प्रत्येक व्यगते विभाग के लिए बढ़ती हुई आयकर की दर लगाई जाती है। जैसे १९६२ के वित्त अधिनियम के अनुसार निर्धारित दरं इसी पद्धति के अनुसार है। उदाहरण के लिये देखिये परिशिष्ट (क)।

## १६. करदाताका प्रतिनिधित्व ( Representation of an Associate )—धारा २८८ :

सिवाय उस समय के जबकि कर-दाता को आयकर विभाग में स्वयं उपस्थित होना पड़ता है, वह सर्वदा निम्न प्रकार के व्यक्तियों द्वारा जिन्हे लिखित अनुमति द्वारा यह अधिकार प्रदान कर दिया गया हो, उपना प्रतिनिधित्व करा सकता है—

- (१) किसी रिटेलर ; अथवा
- (२) किसी कर्मचारी ; अथवा

- (३) किसी अनुसूचित बैंक ( Scheduled Bank ) के अफसर द्वारा वहाँ कि कर दाता चालू खाता रखता हो या जिस बैंक के साथ वह साधारणतया लेन-देन रखता हो ; अथवा
- (४) किसी बकील ; अथवा
- (५) किसी चार्टर्ड बैंकाउन्टेन्ट ; अथवा
- (६) सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेबन्यू द्वारा मान्य हिसाबी ( एकाउन्टेन्सी ) परीक्षा पास कोई व्यक्ति ; अथवा
- (७) कोई व्यक्ति जिसने की बोर्ड द्वारा उल्लेखित शिक्षा योग्यता प्राप्त की हो ; अथवा
- (८) १-४ दृष्टि से पूर्व आय कर प्रतिनिधि (Income-tax practitioner) के रूप में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति ।

**अयोग्यता ( Disqualifications ) :**—निम्न दण्डों में नीचे लिखे व्यक्ति कर दाता का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते :—

- (i) कोई भी व्यक्ति जिसने कि कम से कम ३ वर्ष तक आय कर अधिकारी ( आय कर अफसर के पद से नीचे नहीं ) के रूप में कार्य किया है, अपने इस्तीफा या रिटायरमेंट की अवधि से दो वर्ष तक किसी भी कर-दाता का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता ।
- (ii) १४-१६ इट के पश्चात् कोई व्यक्ति जो सरकारी नौकरी से निकाला गया हो हमेशा के लिए कर दाता का प्रतिनिधित्व करने से वंचित हो जाता है ।
- (iii) आय कर से सम्बन्धित किती कार्यवाही के बारे में यदि किसी व्यक्ति को सजा हुई हो या उस पर आय-कर की ओरी इत्यादि के सिलसिले में कोई दड लगाया गया हो, तो वह व्यक्ति उस समय तक किसी कर-दाता का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता जो कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स निर्धारित करे ।
- (iv) दिवालिया रहने के अवधि में कोई व्यक्ति किसी कर-दाता का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता ।
- (v) कोई भी बकील, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट आदि किसी कर-दाता का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता यदि वह अपनी व्यवसायी संस्था द्वारा अयोग्य करार कर दिया गया हो ।

(vi) उपरोक्त व्यक्तियों के अलावा यदि कोई वन्य व्यक्ति किसी निर्दिष्ट अधिकारी ( Prescribed authority ) द्वारा किसी दुश्चरित के लिए अवोग्य घोषित कर दिया गया हो ।

### प्रश्न

प्रश्न १. “कृपि आय” पर एक छोटा सा निवध लिखिए ।

उत्तर : देखो अनुच्छेद ( Paragraph ) ११ ।

प्रश्न २. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए :—

- (१) गत वर्ष ; (२) कुल आय तथा कुल विश्व आय ; (३) आकस्मिक आय ; (४) आयानुसार वनाम विभागानुसार कर पद्धतियाँ ; (५) कर दाता का प्रतिनिधित्व ; (६) कर-निधारण वर्ष ; (७) करदाता ।

उत्तर : देखो—(१) अनुच्छेद ८ ; (२) अनु० १३ ; (३) अनु० १२ ; (४) अनु० १५ ; (५) अनु० १६ ; (६) अनु० ८ ; (७) अनु० ६ ।

प्रश्न ३. किन बिन परिस्थितियों में भारतीय आयकर अधिनियम १६२२, १-४-१६६२ के पश्चात् भी लागू रहेगा ?

उत्तर : देखो अनुच्छेद २ ।

## अध्याय २

### आयकर अधिकारी तथा अपिलेट ट्रिब्यूनल ( INCOME-TAX AUTHORITIES & THE APPELLATE TRIBUNAL )

#### (I) आयकर अधिकारी धारा ११६ से १३८ :

१. आयकर व्यवस्था के शासन-सम्बन्धी तथा न्याय सम्बन्धी कार्यों को करने के लिए निम्नलिखित आयकर अधिकारी नियुक्त किये गये हैं :—

- (i) दी सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (The Central Board of Revenue)।
- (ii) डायरेक्टर्स ऑफ इन्स्पेक्शन ( Directors of Inspection )।
- (iii) कमिशनर्स ऑफ इनकम टैक्स ( Commissioners of Income-Tax )।

(iv) असिस्टेन्ट कमिशनर्स ऑफ इनकम टैक्स ( Assistant Commissioners of Income-Tax ) :

- (i) अपिलेट असिस्टेन्ट कमिशनर्स ऑफ इनकम टैक्स ( Appellate Assistant Commissioners of Income-tax ) ; तथा
  - (ii) इन्स्पेक्टर असिस्टेन्ट कमिशनर्स ऑफ इनकम टैक्स ( Inspecting Assistant Commissioners of Income-tax )।
  - (v) इनकम टैक्स ऑफिसर्स ( Income-tax Officers )।
  - (vi) इन्स्पेक्टर्स ऑफ इनकम टैक्स ( Inspectors of Income-tax )।
- इनका विस्तृत विवरण नीचे दिया जाता है—

#### २. दी सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू :

यह सर्वोच्च प्रबन्धक सत्रा है जिसका निर्माण सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अधिनियम १९२४ के अन्तर्गत हुआ है। इस बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। इसके सदस्यों में से एक सदस्य सम्पूर्ण भारत के आयकर विभाग का नियन्त्रण करता है। इसका संक्षिप्त नाम 'बोर्ड' है। यह आयकर व्यवस्था के लिए उपनियम भी बनाती है।

### ३. डायरेक्टर्स और इंसपेक्शन :

केन्द्रीय सरकार जितने चाहे डायरेक्टर नियुक्त कर सकती है। किसी भी अन्य व्याकरण के लिए भी कार्य जो 'बोर्ड' इनको प्रदान करे, वे कर सकते हैं। साधारणतया वे व्याकरण सम्बन्धित सोज-वीन, परीक्षा सचालन, व्याकरण शासन के कार्य निरीक्षण इत्यादि का काम करते हैं।

### ४. कमिशनर्स और इनकम-टैक्स :

इनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार दरती है। ये किसी राज्य, निश्चित ज़ेब, व्यक्तियों इत्यादि के व्याकरण सम्बन्धित मामलों के, जैसा कि 'बोर्ड' निर्धारित करे, अध्यक्ष होते हैं। साधारणतया एक व्याकरण कमिशनर एक ज़ेब का अधिकारी होता है जैसे कि कमिशनर और इनकम-टैक्स परिचय वक्ताल इत्यादि। ये डायरेक्टरों के वर्षीन नहीं होते। शासन-सम्बन्धी कार्यों के बलाका ये कुछ न्याय-सम्बन्धी कार्य भी करते हैं जैसे धारा २६३ तथा २६४ के अन्तर्गत पुनः निरीक्षण ( Revision ) सम्बन्धी कार्य।

### ५. अपिलेट असिटेन्ट कमिशनर्स और इनकम-टैक्स :

केन्द्रीय सरकार चाहे उन्होंने ८० वर्ष कमिशनर नियुक्त कर सकती है। ये 'बोर्ड' के सीधे नियन्त्रण में कार्य करते हैं। इनका मुख्य कार्य व्याकरण अफ-सरों की व्याजाओं के विद्वद अपील सुनना है। इनके कार्यों के बारे में विस्तृत विवरण के लिए कृपया देखिए अध्याय २२।

### ६. इंसपेक्शन असिटेन्ट कमिशनर्स और इनकम टैक्स :

इनकी नियुक्ति भी केन्द्रीय सरकार दरती है। ये कमिशनर के वर्षीन होते हैं तथा उनकी देस्क-रेख में कार्य करते हैं। इनका मुहूर कार्य व्याकरण के समस्त इनकम-टैक्स अफसरों के कार्य का निरीक्षण करना है। व्याकरण की चोरी के लिए जहाँ न्यूनतम दण्ड १०००) लगता हो वहाँ दण्ड की व्याजा जारी करने का अधिकार इन्हीं को ही है।

### ७. इनकम-टैक्स अफसर :

इनकम-टैक्स अफसर दो प्रकार के होते हैं—प्रथम वर्ग ( Class I ) तथा द्वितीय वर्ग ( Class II )। प्रथम वर्ग के इनकम-टैक्स अफसरों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार के नियमानुसार इनकम-टैक्स कमिशनर द्वारा की जाती है। करदाताओं

के साथ सीधा सम्बन्ध होने के हेतु इनकम-टैक्स अफसर ही उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण अफसर है। आयकर लगाकर उसे वसूल करनेवाला यही अफसर है। यही सूचनाएँ जारी करता है, साक्षी लेता है, कर-निर्धारण करता है तथा उसे वसूल करता है। वास्तव में आयकर शासन की आधार-शिला आयकर अफसर ही है।

### (C) इन्सपेक्टर्स आव इनकम-टैक्स—

इनकी नियुक्ति कमिश्नर करता है। ये ऐसे सब काम करते हैं जो इनको इनकम-टैक्स अफसर या कोई अन्य उच्च अधिकारी करने के लिए कहे।

### (II). अपिलेट ट्रिब्यूनल (Appellate Tribunal)—घारा २५२।

Q. यह “बोर्ड” के अधीन नहीं है।

यह भारत सरकार द्वारा नियुक्त की जाती है। इसके सदस्यों की संख्या सरकार की इच्छा पर निर्भर रहती है। इसकी स्थापना २५ जनवरी १९४१ को की गई थी। इसके सदस्य दो प्रकार के होते हैं :—

(अ) न्यायिक सदस्य (Judicial Member)।

(ब) लेखापाल सदस्य (Accountant Member)।

सभापति साधारणतः न्यायिक सदस्य ही होता है। न्यायिक सदस्य वही व्यक्ति वह सकता है जो कम से कम १० वर्ष तक किसी नागरिक न्यायिक औद्योगिक पर रहा हो या एड्वोकेट तरीके कार्य करता रहा हो अथवा कम से कम ३ वर्ष तक सेन्ट्रल लीगल सरविल का सदस्य रहा हो। लेखापाल सदस्य वही व्यक्ति वह सकता है जो कम से कम १० वर्ष तक चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट के रूप में व्यवसाय करता रहा हो अथवा जो कम से कम तीन वर्ष तक असिटेन्ट कमिश्नर और इनकम-टैक्स के रूप में कार्य करता रहा हो। ट्रिब्यूनल कई वेचों में विभक्त होता है। प्रत्येक वेच देश के पृथक-पृथक मागों की अपीलें सुनती है। प्रत्येक वेच के दो सदस्य होते हैं—एक न्यायिक तथा दूसरा लेखापाल। दोनों सदस्यों में मतभेद होनेकी अवस्था में सभापति बोट दे सकता है। ऐसी दशा में बहुमत का निर्णय मान्य होता है। ट्रिब्यूनल का मुख्य काम अपिलेट अस्टेन्ट कमिश्नर की आज्ञाओं तथा निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनता है। तथ्य सम्बन्धी प्रश्नों (Questions of Fact) में इसका निर्णय अनितम होता है। कानूनी प्रश्नों के सम्बन्ध में हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक आगे अशील हो सकती है।

### (III) ज्ञापन प्रकाश ( Disclosure of Information ) —धारा एँ १३७ तथा १३८ :

१०. आयकर कर-निर्धारण तथा कर वसूली कार्यवाही गोपनीय ( Confidential ) रही जाती है। किसी भी रूप में आयकर विभाग के किसी भी कर्मचारी को आयकर से सम्बन्धित किसी भी विवरण को प्रकाश करने की इजाजत नहीं है। यिवाय किन्हीं विशेष परिस्थितियों के जिनका विवरण धारा १३७ में विस्तृत रूप से किया गया है, कोई भी अदालत किसी भी सरकारी कर्मचारी ( Public Servant ) को आयकर सम्बन्धित गोपनीय ज्ञापन को प्रकाश करने के लिए वाध्य नहीं कर सकता। यदि कोई सरकारी कर्मचारी गोपनीय सूचनाओं का प्रकाश करे तो फेन्ड्रीय सरकार की अनुमति लेकर उसे इसी तक की सजा हो सकती है तथा उस पर छुर्माना भी हो सकता है। लेकिन किसी कर दाता ने किसी रूप से दिया है यह समाचार काई भी व्यक्ति कमिश्नर द्वारा, कुछ निर्दिष्ट फीस जमा करा कर, प्राप्त कर सकता है।

#### प्रश्न

प्रश्न १. “आयकर अधिकारी” पर एक छोटा सा निवंध लिखो।

उत्तर : देखो अनुच्छेद १ से ८।

प्रश्न २. अपिलेट टिब्यूनल पर एक छोटी सी टिप्पणी लिखो।

उत्तर : देखो अनुच्छेद ६।



## अध्याय ३

### कर-दाताओं का निवास-स्थान

(अ) कर-दाताओं का निवास-स्थान के अनुसार वर्गीकरण (Classification of Assesses on the basis of their residence)—धारा ६ :

१. कर-दाता का दायित्व मुख्यतः उसके निवास-स्थान पर निर्भर रहता है। निवास-स्थान के हिसाब से कर-दाता निम्न तीन श्रेणियों में विभक्त किये जा सकते हैं :—

- (क) कच्चा निवासी ( Resident but not ordinarily resident ) ;
- (ख) पक्का निवासी ( Resident and ordinarily resident ) ; तथा
- (ग) अनिवासी ( Non resident ) ;

यही नहीं भिन्न-भिन्न कर दाता भिन्न-भिन्न दशाओं में भिन्न-भिन्न प्रकार के निवासी होते हैं। इसका विवृत विवरण नीचे किया जाता है।

२. (i) व्यक्ति ( Individual ) :—

(क) कच्चा निवासी :—आपकर अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति गतवर्ष में भारत का कच्चा निवासी तभी समझा जाता है जब कि वह निम्न तीन शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरी करता हो :—

- (१) उस गत वर्ष में वह भारत में १८२ दिन या इससे अधिक दिनों तक रहा हो , या
- (२) उसने उस गत वर्ष में भारत में १८२ या इससे अधिक दिनों तक कोई रहने का मकान रखा हो और उस वर्ष में वह भारत में कम-से कम ३० दिन तक रहा हो ; या
- (३) वह गत चार वर्षों में कुल मिलाकर भारत में ३६५ दिन या इससे अधिक दिन रहा हो थौर उस वर्ष में कम से कम ६० दिन तक भारत में रहा हो ।

(ख) पक्का निवासी :—यदि कोई व्यक्ति किसी गत वर्ष के लिए निम्नलिखित तीनों शर्तें पूरी करता है। वह उस गत वर्ष के लिए पक्का निवासी समझा जावेगा :—

- (१) वह ऊपर बताए हुए नियमों के अनुसार कच्चा निवासी हो ; तथा

(२) यह गत १० वर्षों में कम-से-कम ६ वर्ष तक भारत का कच्चा निवासी रहा हो ; तथा

(३) वह गत ७ वर्षों में कम से कम ७३० दिन या अधिक समय तक भारत में रहा हो ।

(ग) अनिवासी :—कच्चे निवासी होने के लिए ऊपर लिखी ३ शर्तों में से यदि कोई व्यक्ति एक भी शर्व पूरी नहीं करता हो तो वह अनिवासी माना जायगा ।

### ३. (ii) अन्य करदाता ( Other Assessee ) :

(१) हिन्दू अविभक्त परिवार :—इसका निवास-स्थान निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित नियम लागू होते हैं :—

(क) यदि किसी ऐसे परिवार का प्रबन्ध और नियन्त्रण पूर्णतया भारत से बाहर हो तो ऐसा परिवार अनिवासी माना जाएगा ।

(ख) यदि किसी परिवार के प्रबन्ध एवं नियन्त्रण का कोई भी बंश भारत में हो तो ऐसा परिवार कच्चा-निवासी माना जाएगा ।

(ग) परिवार के पक्षा निवासी माना जाने के लिए यह आवश्यक है कि उसका कर्ता भारत का पक्षा निवासी हो ।

(२) फर्म या अन्य जन-प्रणाली ( Firm or other Association of persons ) :—

यदि गत वर्ष में उसका तमस्त प्रबन्ध या नियन्त्रण भारत के बाहर न हो तो उस वर्ष के लिए 'कच्चा निवासी' माना जाता है ।

ऐसे 'कच्चे निवासी' स्वरूप ही 'पक्षे निवासी' मान लिये जाते हैं ।

(३) प्रमण्डल ( Company ) :—

एक कमनी भारत में गत वर्ष के लिए तब निवासी समझी जाएगी जबकि निम्न २ शर्तों में से वह कोई भी एक शर्व पूरी करे :—

(क) उसका प्रबन्ध या सञ्चालन पूर्ण रूप से भारत में रहा हो ; या

(ख) वह भारतीय प्रमण्डल हो ।

कोई कपनी यदि 'निवासी' है तो वह 'पक्षा निवासी' भी समझी जाएगी ।

(४) प्रत्येक अन्य व्यक्ति भारत का निवासी समझा जाता है यदि उसके बारे का नियन्त्रण संपूर्णतया भारत के बाहर नहीं है ।

### प्रश्न संख्या ३ :

कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए निम्न दशाओं में निम्नलिखित व्यक्ति किस प्रकार के निवासी समझे जायेंगे, उसका विस्तृत विवरण लिखो :—

- ( १ ) श्री सुरेश अमेरिका से प्रथम बार भारत में ३० जून १९५५ को आये। भारत में ३ वर्ष ठहरने के पश्चात् वे १-७-५८ को जापान के लिए रवाना हो गये। १-४-५९ को वे वापस भारत लौट आये तथा ३१-७-६० तक भारत में रहे। इसके पश्चात् वे फिर अमेरिका चले गये। ३१ जनवरी १९६२ को वे फिर एक अमेरिकन कम्पनी में भेनेजर होकर भारतवर्ष में आये। उनका गत वर्ष ३१ मार्च १९६२ को समाप्त होता है।
- (ii) श्री सुभाष जो कलकत्ता के निवासी है १-८-५८ को भारत से विद्याध्ययन के लिए इङ्ग्लैण्ड के लिए रवाना हुए। जब तक वे विदेश में रहे उन्होंने अपना मकान कलकत्ते ही में रखा। शीतकालीन छुट्टियों में वे दो बार भारत आएः पहली बार २०-१२-५९ में तथा दूसरी बार २०-१२-१९६० में तथा कलकत्ते में ही रहे। गत वर्ष १९६१-६२ में एक बार भी भारत नहीं आए।
- (iii) श्री शरद एण्ड कम्पनी लिमिटेड जो एक भारतीय कम्पनी है, अज-मेर तथा न्यूयार्क में व्यापार करती है। उसके कार्य का नियन्त्रण भारत तथा न्यूयार्क दोनों जगह से होता है।

खड़ (ii) में यदि श्री सुभाष गत वर्ष में ३० दिन के लिए भारत आये होते तो वराइये कि उनकी स्थिति ( Status ) में क्या अन्तर हो जाता ?

उत्तर—(i) प्रश्न में दिए गये विवरण से ज्ञात होता है कि श्री सुरेश गत वर्ष से पूर्व ४ वर्षों में ६४४ दिन तक ( ३६५ दिन से बहुत अधिक दिन तक ) रहे, जैसा कि नीचे दी गई तूलिका से विदित हो जाता है तथा वे ३१-१-६२ से ३१-३-६२ तक ( ६० दिन ) भारत में रहे—

१ ४-५७ से ३१-३-५८ गतवर्ष में ३६५ दिन			
१-४-५८ ,	३१-३-५९ ,	६१ ,	
१-४-५९ ,	३१-३-६० ,	६६६ ,	
१-४-६० ,	३१-३-६१ ,	६२२ ,	
			कुल ६४४ ,

इस प्रकार वे कच्चे निवासी ( Resident ) हो गये । चूंकि श्री सुरेश मारत में प्रथम बार १९५४ में आये थे इसलिये यह स्पष्ट है कि वे गत १० वर्षों में ह वर्ष तक कच्चे निवासी नहीं रहे । इसलिये १९६२-६३ कर-निधारण वर्ष के लिए श्री सुरेश कच्चे निवासी गिने जाएँगे ।

(ii) श्री सुमाप वनिवासी ( Non resident ) सनके जाएँगे क्योंकि गतवर्ष में एक दिन के लिए भी मारत में नहीं आए ।

यदि गतवर्ष में श्री सुमाप ३० दिन के लिए भी मारत में रहे होते तो उनके निवास-स्थिति में अन्तर हो जाता । ऐसी दशा में वे पक्के निवासी हो जाते क्योंकि—

- (अ) गतवर्ष में उन्होंने १८२ दिन से अधिक मकान रखा होता रहा भारत में ३० दिन तक रहे होते ;
- (ब) गत १० वर्षों में ह वर्ष तक वे कच्चे निवासी रहे थे ; तथा
- (स) गत ७ वर्षों में ७३० दिन से अधिक भारत में रहे थे ।

(iii) यद्यपि इस कमनी का नियन्त्रण संपूर्णतया भारत में स्थित नहीं है तो भी यह कंपनी भारत में निवासी समझी जायेगी क्योंकि यह मारतीय कंपनी है । चूंकि वह निवासी है इसलिये पक्का निवासी भी समझी जायेगी ।

(द) निवास-स्थान के अनुसार कर-भार ( Incidence of Taxation on the basis of residence ) :—

(१) भिन्न भिन्न कर-दाताओं को उनके निवास-स्थान के अनुसार भिन्न भिन्न वाय पर भिन्न भिन्न कर देना पड़ता है । प्रत्येक कर-दाता का उसके निवास-स्थान के अनुसार जो आय-कर दायित्व है वह निम्न वालिका से स्पष्ट हो जाता है :—

## कर का भार ( Incidence fo Tax )

(क) प्रवासी (Ordinary Resident) (१)	(ख) कद्दचा निवासी (Resident) (२)	(ग) अनिवासी (Non-resident) (३)
<b>I भारतीय आय :</b> -		
(१) वह समस्त आय जो भारत में प्राप्त हुई है, अथवा जिसका प्राप्त होना या उत्पन्न होना भारत में समझा गया है।	(१) वही जो खाने (१) में है।	(१) वही जो खाने (१) में है।
(२) वह समस्त आय जो भारत में उपार्जित (accrued) या पैदा की गई है अथवा जिसका उपर्युक्त वा पैदा होना भारत में माना गया है।	(२) वही जो खाने (१) में है।	(२) वही जो खाने (१) में है।
<b>II विदेशी आय :—</b>		
(३) वह समस्त आय जो करदाता भारत के बाहर विदेशी में गत वर्ष में उपार्जित हुई है।	(३) वह समस्त आय जो करदाता ने भारत के बाहर विदेशी में गतवर्ष में भारत से संचालित व्यापार या पेशे से उत्पन्न की है।	
<b>नोट — विदेशी प्रेषक(Foreign Remittances) पर अब किसी भी रूप में कर नहीं लगाया जाता।</b>		

५. प्राप्त समझी गई आय (Income deemed to be received)—  
धारा ७ :

निम्नलिखित आय गत वर्ष में प्राप्त हुई समझी जाती है :—

(i) किसी वर्मचारी के स्वीकृत प्रोविडेंट फड़ में निम्न प्रकार की वापिक वृद्धि :—

(ब) मालिक द्वारा वर्मचारी के वेतन के १०% से अधिक दिया गया जन्मदा ; तथा ।

(ब) वर्मचारी की प्रोविडेंट फड़ की जमा राशि पर वेतन के ते भाग से अधिक या ६% से अधिक दर से दिया गया व्याज ।

(ii) आयकर नियमानुसार स्वीकृत प्रोविडेंट फड़में हस्ताचरित कोई रकम ।

६. भारत में उपार्जित अथवा पैदा हुई समझी जानेवाली आय (Income deemed to accrue or arise in India)—  
धारा ६ :

निम्नलिखित आय भारत में उपार्जित अथवा पैदा हुई समझी जाती है :—

(i) भारत में हुए व्यापारिक सम्बन्ध या भारत में स्थित कोई जायदाद या भारत में स्थित किसी सम्पत्ति या आमदनी के साधन इत्यादि के द्वारा होनेवाली आय ।

(ii) 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत जानेवाली आय यदि वह भारत में उपार्जित ( Earned ) की गई है ।

(iii) 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत जानेवाली आय जो कि सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को विदेश में नौकरी करने के लिए दी गई हो ।

(iv) भारतीय कम्पनी द्वारा भारत के बाहर दिया हुआ लाभांश ।

प्रश्न संख्या ४ :

एक करदाता जिसका कि गत वर्ष ३१ मई १९६१ को समाप्त होता है, की आय निम्न प्रकार है :—

भारतीय आय :

(१) वेतन ११,५०० रु ।

(२) कर-मुक सरकारी प्रतिभूतियों से व्याज ५०० रु तथा अन्य सरकारी प्रतिभूतियों से व्याज १,००० रु ( सकल ) ।

(३) मकान से १,००० रु का नुकसान ।

(४) एक अनरजिस्टर्ड फर्म से लाभ का हिस्सा १५,००० रु ।

(५) लाभांश (सकल) ६०० रु तथा वैक से प्राप्त व्याज ४०० रु ।

(६) अविभक्त हिन्दू परिवार से अपने हिस्से की आय ३,००० रु ।

### विदेशी आय :

- (१) इस वर्ष की अफ्रीका से भारत मेजी गई आमदनी ५,००० रु० ।
- (२) ईरान में किये गये व्यापार द्वारा आय ( व्यापार भारत से संचालित है ) १०,००० रु० तथा मकान से आय २,००० रु० ।

गत वर्ष में वह अफ्रीका से १६५२ में विना-कर लगी हुई आमदनी में से १०,००० रु० भारत में लाया ।

कर-निर्धारण वर्ष १६६२ द३ के लिए उसकी कुल आय तथा कुल विश्व-आय की गणना करो अगर — (अ) वह पक्का निवासी है, (ब) कच्चा निवासी है, या (स) अनिवासी है ।

### उत्तर :

#### भारतीय आय :

	अ. रु०	ब. रु०	स. रु०
१. वेतन	११,५००	११,५००	११,५००
२. प्रतिभूतियों का व्याज : कर देय कर-मुक्त	१,००० ५००	१,००० ५००	१,००० ५००
३. मकान से हानि (-)	१,०००	१,०००	१,०००
४. अनरजिस्टर्ड फर्म का हिस्सा	१५,०००	१५,०००	१५,०००
५. अन्य साधनों से आय : लाभाश (सकल) बैंक से प्राप्त व्याज	६०० ४००	६०० ४००	४०० ६००
	२८,०००	२८,०००	२८,०००

#### विदेशी आय :

१. पिछली कर नहीं दी हुई आय जो अफ्रीका से भारत में इस वर्ष लाई गई है पूर्णतया करमुक्त है ।	५,०००	५,०००	
२ इस वर्षकी अफ्रीका की आमदनी जो भारत में लाई गई है	१२,०००	१०,०००*	
३. ईरान में होनेवाली आय जो भारत में नहीं लाई गई है कुल आय	४५,०००	४३,०००	२८,०००
* ( वेवल भारत से संचालित व्यापार की आय ही )			
विदेशी आय			१७,०००
कुल विश्व आय		८०	४५,०००

### प्रश्न

प्र. १. आयकर कानून १९६१ ने कर-दाताओं को तीन श्रेणियों में विभक्त किया है :—(१) पक्का निवासी, (२) कच्चा निवासी, तथा (३) अनिवासी या विदेशी ।

ब्यक्ति, फर्म ( साकेदारी संस्था ), अविभक्त हिन्दू परिवार तथा कम्पनी के बारे में उपरोक्त श्रेणियों को निश्चय करने की विधि बताइये ।

उ : अनुच्छेद १ से ३ तक देखिये ।

प्र. २. निम्नलिखित विवरण से एक ब्यक्ति की कर निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए कुल आय तथा विश्व आय निकालिए जब कि वह (१) पक्का निवासी है, (२) कच्चा निवासी है, अथवा (३) अनिवासी है ।

वेतन ₹,००० रु०, प्रतिमूलियों का व्याज ₹,००० रु०, व्यापार से लाभ ₹,०००, लाभांश (सकल) ₹,००० रु०, मकान से हानि ₹,००० रु० ।

भारत में लाई गई इस वर्ष की विदेशी आय ₹२,००० रु०, भारत में नहीं लाई गई विदेशी आय—भारत से सचालित व्यापार से ₹,००० तथा मकान से ₹,००० ।

उ : कुल आय : (१) ₹७,००० रु० (२) ₹५,००० रु०, (३) ₹५,००० रु० । कुल विश्व आय : ₹७,००० रु० ।

प्र. ३. सचित्र टिप्पणी लिखो :—

- (i) प्राप्त सभकी गई आय ;
- (ii) भारत में उपार्जित या पैदा सभकी गई आय ।

उ : देखो अनुच्छेद ५ तथा ६ ।

## अध्याय ४

### कर-मुक्ति, छूट तथा सहायताएँ

#### ( EXEMPTIONS, REBATES AND RELIEFS )

१. बहुधा यह सुनने में आता है कि आयकर अधिनियम एक बड़ा ही कठोर कानून है तथा इसका उद्देश्य कर दाताओं से अधिकतम कर बसूनी है। परन्तु यह कथन निराधार है। आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कई ऐसी भी आय हैं जो सर्वथा कर-मुक्त हैं तथा कुछ ऐसी भी आय हैं जो आंशिक रूप में कर-मुक्त हैं। यह कथन निम्न शब्दों में व्यक्त किया जाता है :—

‘आयकर अधिनियम के अनुसार कुछ आय पूर्णतया कर-मुक्त हैं तथा कुछकेवल आयकर की दर निकालने के लिए जोड़ी जाती हैं।’

इस अध्याय में विभिन्न प्रकार की कर मुक्ति, छूट तथा सहायताओं का वर्णन निम्न दो भागों में विभक्त किया गया है :—

( i ) कर-मुक्त आय ( Exempted Income ) ; तथा

( ii ) कर-छूट तथा सहायताएँ ( Rebates & Reliefs ) ।

इनका विस्तृत रूप से वर्णन नीचे दिया जाता है।

( i ) कर-मुक्त आय ( Exempted Income ) :

२. इस खण्ड में निम्न प्रकार की कर-मुक्त आय का वर्णन है :—

( अ ) पूर्णतया कर-मुक्त आय ( Fully Exempted Income )  
अर्थात् वह आय जो कि आयकर तथा अतिरिक्त कर से पूर्णतया  
मुक्त है तथा जो कुल आय में दर निकालने के लिए भी नहीं  
जोड़ी जाती ।

( ब ) आंशिक कर-मुक्त आय ( Partially Exempted Income )  
अर्थात् वह आय जो कि कुल आय में कर व्या दर निकालने के  
लिए जोड़ी जाती है परन्तु स्वयं आयकर तथा/अथवा अति-  
रिक्त कर से मुक्त है ।

(अ) पूर्णतया कर-मुक्त आय—धारा १० से १३ :

(i) धार्मिक तथा पुण्यार्थ दूस्ट तथा संस्थाओं की आय—धारा ११ से १३ :

२. धार्मिक तथा पुण्यार्थ संस्थाओं की निम्न प्रकार की आय पूर्णतया कर-मुक्त है :—

(१) उस जायदाद की आय जो किसी दूस्ट के अन्तर्गत भारत में विद्ये जानेवाले पूर्णतया धर्मार्थ या पुण्यार्थ कार्यों के लिए रखी जाती है। यदि किसी वर्ष की आय उस वर्ष खर्च नहीं की जाकर अगले वर्षों के लिए सचित्र की जाती है तो भी ऐसी आय कर-मुक्त समझी जायगी यदि सचित्र आय उस वर्ष की आमदनी से २५% या १०,०००) जो भी अधिक राशि हो, अधिक नहीं है। कोई भी दूस्ट आयवर अफसर को विनाश करना देकर तथा उसकी आड़ा लेकर उपरोक्त राशि से भी अधिक राशि उस वर्ष खर्च न करके अगले १० वर्षों तक के लिए सचित्र कर सकता है।

(२) १-४-१६६२ के पूर्व बने हुए दूस्टों की जिनकी कुछ आय आंशिक रूप में पुण्यार्थ वयवा धार्मिक कार्यों के लिए है तथा कुछ आय आंशिक रूप में अन्य कार्यों के लिए है तो ऐसे दूस्टों की वह आंशिक आय जो धर्मार्थ वयवा पुण्यार्थ कार्यों के लिए भारत ही में लगाई जाये कर-मुक्त है।

(३) १-४-५२ या इसके पश्चात् पुण्यार्थ कार्यों के लिए बने हुए उन दूस्टों की जिनका सहदेश्य अन्तर्देशीय मलाई जिसमें भारत का हित हो, ऐसी आय जो भारत के बाहर खर्च की गई हो भी कर-मुक्त है।

(४) १-४-५२ के पूर्व बने हुए धर्मार्थ तथा पुण्यार्थ कार्यों के लिए बने हुए दूस्टों की आय यदि ऐसी आय जो भारत के बाहर भी खर्च हो तो भी कर-मुक्त है।

(५) किसी धार्मिक वयवा पुण्यार्थ दूस्ट या संस्था में स्वेच्छा से दिया हुआ चन्दा यदि वह चन्दा पूर्णतया उन्हीं धार्मिक या पुण्यार्थ कार्यों में खर्च किया जाव।

**नोट :—**(ब) उपरोक्त उप-अनुच्छेद (१) तथा (२) के लिए आय के २५% की गणना के लिए गठ वर्ष के एक वर्ष पूर्व की आय भी ली जा सकती है यदि ऐसी आय गठ वर्ष की आय से अधिक हो।

- (व) उपरोक्त उप-अनुच्छेद (१) तथा (२) के लिए उप-अनुच्छेद (५) में वर्णित चन्दे की आय भी जायदाद से प्राप्त आय मानी जाती है।
- (स) जायदाद की आय के अन्तर्गत व्यापार की आय भी सम्मिलित है यदि वह व्यापार ट्रस्ट के मूलभूत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही किया जाय।
- (द) पुण्यार्थ अथवा धार्मिक ट्रस्ट या संस्था की आय कर-मुक्त नहीं होगी यदि ऐसी आय साधारण जनता की भलाइ के लिए नहीं है अथवा ऐसी आय किसी विशेष सम्बद्धाय या जाति के हित के लिए है अथवा ट्रस्ट के बनानेवाले या संस्था के संस्थापक को या उनके किसी दिव्येदार को किसी भी रूप में उस आय से कोई लाभ पहुँचता हो।

#### प्रश्न संख्या ५ :

“मोहन पुण्यार्थ संस्थान” एक धार्मिक संस्था है जो जायकर अधिनियम की धारा ११ के अन्तर्गत कर-मुक्त है। गत वर्ष १७-६१ से ३०-६-६२ के लिए उसकी जायदाद से आय ३०,००० है। उसी वर्ष उसे एक दूसरी कर-मुक्त पुण्यार्थ संस्था से ५०,०००) चन्दा मिला। बताइये ‘मोहन पुण्यार्थ संस्थान’ अपनी आय का कितना रूप या सचित कर सकता है।

#### उत्तर :

‘मोहन पुण्यार्थ संस्थान’ अपनी आय की २५% रकम सचित कर सकता है जो कि २०,०००) [ २५% × ( ३०००००+५०,००० ) ] के बराबर हुई।

#### (ii) अन्य पूर्णतया कर-मुक्त आय—धारा १० :

४. निम्न प्रकार की वह अन्य आय है जो पूर्णतया कर-मुक्त है तथा कुल आय में दर निश्चित करने के लिए भी नहीं जोड़ी जाती :—
१. कृषि आय—विस्तृत विवरण के लिए देखिए अध्याय १, अनुच्छेद ११।
२. अविभक्त हिन्दू परिवार से प्राप्त रकम—किसी अविभक्त हिन्दू परिवार के सदस्य द्वारा परिवार की आय में से अथवा अविभाजित सम्पत्ति में से आमदनी का प्राप्त हिस्सा।
३. आकस्मिक आय—विस्तृत विवरण के लिए देखिए अध्याय १, अनुच्छेद १२।

४. अनिवासी की कुछ आय—किसी ऐसे शृण-पञ्च का ब्याज या उसके सुगतान पर दिया गया प्रीमियम जो केन्द्रीय सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय बैंक अथवा अमेरिका के डबलपमेंट लोन फण्ड के साथ हुए समझौते के अन्तर्गत जारी किए हो अथवा उन्होंने समझौतों के अन्तर्गत बिही औद्योगिक संस्था अथवा भारतीय वित्तीय निगम द्वारा दिया गया ब्याज जिसकी गारंटी केन्द्रीय सरकार ने दी हो ।
५. यात्रा-सुविधा का मूल्य—किसी भारतीय नागरिक को अपने मालिक द्वारा स्वयं, अपनी पत्नी तथा बच्चों के लिये अपने स्व-जिले ( Home district ) में जाने के लिए दी गई यात्रा सुविधा का मूल्य ।
६. अनागरिक की कुछ आय—अनागरिक व्यक्ति की निम्न प्रकार की आय—
  - ( i ) उसके मालिक द्वारा भारत से बाहर अपने घर जाने के लिए स्वर्ण, अपनी पत्नी तथा बच्चों के लिए प्रात हुई रकम तथा सुफर जाने जाने का मूल्य ।
  - ( ii ) विदेशी राष्ट्रों के दूत, उच्च बायुक, मिनिस्टर, कमिश्नर या दूतावास के किसी सलाहकार की उस ओहदे से प्राप्त वाय ।
  - ( iii ) विदेशी राज्य के कोसल की वाय ।
  - ( iv ) विदेशी राज्य के ट्रैड कमिश्नर या कोई अन्य सरकारी प्रतिनिधि की वाय यदि उस देश में ऐसे भारतीय अक्सरी की वाय भी कर-सुक है ।
  - ( v ) उप-अनुच्छेद ( ii ) से ( iv ) में वर्णित किन्हों अक्सरों के कर्मचारियों की वाय यदि वह कर्मचारी ( अ ) उस देश का नागरिक है जिसका कि प्रतिनिधित्व वह करता है तथा ( ब ) भारत में किसी प्रकार का निजी व्यापार तथा व्यवसाय नहीं करता है । उप-अनुच्छेद ( iv ) में वर्णित व्यक्तियों के लिए एक और शर्त है कि वैसी सुविधाएँ उस देश में उसी स्तर पर कार्य बरचेवाले भारतीय कर्मचारियों को भी प्राप्त हो ।
  - ( vi ) एक विदेशी उद्यम ( Foreign Enterprise ) के किसी कर्मचारी की भारत में रहते हुए की गई रेवाओं के उपलब्ध में प्राप्त की गई वाय यदि ( १ ) वह विदेशी उद्यम भारत में किसी भी

प्रकार का व्यापार या पेशा न करता ही, (२) वह कर्मचारी भारत में ६० दिन से अधिक न रहा हो तथा (३) ऐसा वेतन विदेशी उद्यम की भारत में करदेय आय से घटाया जानेवाला नहीं हो।

(vii) विदेशी प्रविधिहों ( Foreign Technicians ) की कुछ सीमित समय ( जिसका वर्णन नीचे दिया गया है ) की 'वेतन' की आय जो कि सरकार, स्थानीय सत्ता या किसी विशेष प्रकार के विधान के अन्तर्गत स्थापित निगम से प्राप्त हो यदि वह प्रविधिश भारत में आनेवाले वित्तीय वर्ष के पूर्व ४ बयों में कभी भारत का नियामी नहीं रहा हो। (अ) नौकरी शुरू होने के पूर्व यदि उसकी नौकरी का समझौता या प्रसविदा ऐन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत हो तो—(i) बौद्धिक तथा व्यापार संचालन सम्बन्धी प्रविधिहों की भारत में आने से ६ मास तक की अवधि तक का 'वेतन' तथा (ii) अन्य प्रविधिहों का भारत में आने के ३६ महिने पश्चात तक का वेतन और यदि कर्मचारी के वेतन पर लगने वाला कर मालिक द्वारा ऐन्द्रीय सरकार को दे दिया जाय तो और २४ महिने का 'वेतन' भी कर-मुक्त रहेगा। (ब) अन्य किसी प्रकार के प्रविधिहों का उनके आने की तारीख से ३६५ दिन तक की अवधि तक का वेतन कर मुक्त रहता है।

(viii) विदेशी जहाज पर नौकरी करने के सम्बन्ध में किसी अनिवासी की 'वेतन' शीर्षक की कोई भी आय यदि वह भारत में ६० दिन से अधिक नहीं रहा है।

७. विदेशी नौकरी के भत्ते—सरकार द्वारा विदेशी नौकरी के लिए किसी भारतीय नागरिक को दिया गया कोई भत्ता या प्रतिफल।

८. सहकारी प्रावेधिक सहायता कार्यक्रम के संबन्ध में ( Re : Co-operative technical assistance programmes ) :

किसी व्यक्ति की विदेशी सरकार से प्राप्त वेतन की आय तथा अन्य विदेशी आय जिस पर उसे विदेश में कर देना पड़ता हो। यदि उसकी सेवाएँ किसी सहकारी प्रावेधिक सहायता कार्यक्रम अथवा परियोजना के अन्तर्गत भारत को दी गई हैं।

६. उपरोक्त व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य—जो उसके साथ भारत में आया हो, की विदेशी आय जिस पर उसे विदेश में कर देना पड़ता हो ।

#### १०. मृत्यु-सहित अवसर प्रहण आनुतोषिक ( Death-cum-retirement gratuity ) :

केन्द्रीय सरकार के संघीयित पेशन नियम अथवा इसी प्रकार की राजकीय सरकार अथवा स्थानीय सत्ता या केन्द्रीय या राजकीय विधान के अन्तर्गत स्थापित किसी नियम द्वारा दी गई ऐसी कोई घेच्यूटी की रकम अथवा मुरक्का सेवाओं के कमचारियों द्वारा नये पेशन कोड के अन्तर्गत १०८-१६५३ के पश्चात् प्राप्त घेच्यूटी पूर्णतया कर-मुक्त है। इसके बलावा अन्य प्रकार की घेच्यूटी भी कर-मुक्त कर दी गई है परन्तु उगकी रकम प्रत्येक वर्ष की नौकरी के लिए  $\frac{1}{2}$  महिने के बेतन ( पिछ्ले तीन माल के बौसत बेतन के अनुसार ) के बराबर है जिन्हें कुल मिलाकर उसके १५ महिने के बेतन अथवा २५,०००) जो भी कम हो, से ज्यादा की घेच्यूटी माफ नहीं है ।

#### प्रश्न संख्या ६ :

३५ वर्ष तक नौकरी करने के पश्चात् मिस्टर मोहन ने आशा पन्जासिंग हाऊस प्रा० लि० के मैनेजर पद से टा० १५,५५८२ को बवासर प्रहण किया। पिछ्ले तीन वर्षों में उनकी औसत मासिक आय १,०००) थी। बरलाइये किसी घेच्यूटी पूर्णतया कर-मुक्त होगी यदि घेच्यूटी की रकम कमशुः (i) १०,०००), (ii) १५,०००) तथा (iii) २५,०००) है ?

#### उत्तर :

आयकर अधिनियम १९६१ की पारा १० के अन्तर्गत निम्न दशाओं में निम्नलिखित राशि कर-मुक्त होगी :—

(i) १०,०००) क्योंकि यह रकम २५,०००) तथा १५ महिने के बौसत बेतन अर्थात् दोनों से कम है ।

(ii) १५,०००) क्योंकि यह १५ महिने के बौसत बेतन के बराबर है ।

(iii) १५,०००) क्योंकि यह १५ महिने के बौसत बेतन के बराबर है और यही अधिकतम सीमा भी है तथा यह दूसरी अधिकतम राशि २५,०००) से कम भी है ।

११. वैधानिक प्रोविडेन्ट फण्ड द्वारा प्राप्त कोई राशि ।

१२. स्वीकृत प्रोविडेन्ट फण्ड में वायकर अधिनियम के चतुर्थ परिशिष्ट के भाग (क) के नियमानुसार संचित राशि जो कि किसी कर्मचारी को दी जानेवाली है।
१३. किसी उपकार-भोगी (Beneficiary) की मृत्यु पर सुपरअन्यूएशन फण्ड से किसी रूप में दी जानेवाली रकम।
१४. विशेष भत्ता—यदि किसी कर्मचारी को कोई भत्ता (मनोरंजन भत्ता अथवा कोई अन्य प्रतिफल के अलावा ) किसी विशेष उद्देश्य के लिए दिया गया है और वह रकम कर्मचारी ने केवल अपने दफ्तर के कार्य के ही लिए खर्च की हो तो इस भत्ते की केवल वह रकम जितनी उसने वास्तव में उन कार्यों के लिए खर्च की है।
१५. कुछ व्याज के भुगतान—
  - (i) केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के आधिकार्य में जारी किए गये १५% वर्षीय अन्यूटी सार्टिफिकेट्स पर दी गई मासिक रकम।
  - (ii) ट्रेजरी सेविंग्ज डिपोजिट सर्टिफिकेट्स, पोस्ट ऑफिस केश सर्टिफिकेट्स, पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग्ज सर्टिफिकेट्स, नेशनल प्लान सर्टिफिकेट्स, १२ वर्षीय नेशनल सेविंग्ज सर्टिफिकेट्स तथा इसी प्रकार के कोई सर्टिफिकेट्स जिनके जारी करने की घोषणा केन्द्रीय सरकार सरकारी गजट में दे तथा पोस्ट ऑफिस सेविंग्ज बैंक में जमा राशि पर दिया व्याज।
  - (iii) उन सब प्रतिभूतियों का व्याज जो कि लंका के केन्द्रीय बैंक के निर्गम विभाग (Issue Department) के पास है।
  - (iv) निम्न प्रकार का दिया जानेवाला व्याज :—
    - (अ) जो सरकार अथवा किसी स्थानीय सत्ता द्वारा भारत के बाहर किन्हीं साधनों से प्राप्त शृण पर ;
    - (ख) किसी भारतीय औद्योगिक उद्यम द्वारा किसी ऐसे शृण समझौते के अन्तर्गत जो कि विदेश में किसी ऐसी वित्तीय संस्था जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत ही, के साथ किया गया हो, प्राप्त शृण की रकम पर ; तथा
    - (ग) किसी भारतीय औद्योगिक उद्यम द्वारा भारत के बाहर पूँजी तथा मशीनरी संयंत्र अथवा कच्चा माल खरीदने के सम्बन्ध में

ली या की गई ऋण या उधार की रकम पर ( यदि साधारण रूप से उस ऋण या उधार की शर्तों को तथा विशेष कर उसकी वापसी की शर्तों को ध्यान में रखकर ऐन्ड्रीय सरकार ने उसे स्वीकार किया हो ) ।

१६. शिक्षा के लिए दी गई छात्र वृत्तियाँ (Scholarships) ।
१७. वे उच्च दैनिक भत्ते जो किसी व्यक्ति को उसे लोक सभा, राज्य-एमा या किसी राजकीय विद्यालय सभा या उनकी किसी कमेटी की सदस्यता के कारण मिलते हों ।
१८. वीरता पुरस्कार के विजेताओं को केन्द्रीय सरकार या किसी राजकीय सरकार द्वारा नकद रूप में अथवा बस्तु रूप में किए गए मुग्धतान का मूल्य ।
१९. मार्तीय रियासतों के राजाओं को प्रिविपर्स के रूप में मिलनेवाली आय ।
२०. स्थानीय सत्ता की आय—स्थानीय सत्ता की वह आय जो कि 'प्रतिभूतियों का ब्याज', 'शह-सम्पत्ति से आय', 'पूँजीगत लाभ' अथवा 'बन्य साधनों से आय' शीर्षकों से प्राप्त हो अथवा अपनी सीमा में किए गए व्यापार से प्राप्त हो ।
२१. स्वीकृत वैज्ञानिक अनुसंधान संघ की वह आय जो पूर्ण रूप से उसके उद्देश्यों के लिए लगाई जाती है ।
२२. किसी विश्वविद्यालय अथवा अन्य शिक्षा संस्था ( जो कि लाभ के लिए कार्य नहीं करती है ) की आय ।
२३. भारत में स्थापित किसी स्वीकृत जन-मंडल अथवा संस्था—जिसका उद्देश्य किरेट, हॉकी, पुटबॉल, टैनिस अथवा इसी प्रकार के अन्य खेल-कूद जिनके नाम केन्द्रीय सरकार सरकारी गजट द्वारा घोषित करे, का नियन्त्रण करना अथवा प्रोत्साहन देना है ।
२४. रजिस्टर्ड ट्रैड यूनियन की आय—'प्रतिभूतियों का ब्याज', 'मकानात की आय' तथा 'बन्य साधनों से आय' शीर्षकों के अन्तर्गत होनीवाली किसी ऐसे रजिस्टर्ड ट्रैड यूनियन की आय जो कि मुख्यउँ अमिकों एवं मालिकों तथा अमिकों के पारस्परिक सम्बन्धों को नियन्त्रण करने के लिए बनाई गई हो ।

२५०. ( i ) वैधानिक प्रोविडेन्ट फण्ड की आय—ऐसी प्रतिभूतियों का ब्याज तथा पूँजीगत लाभ जो कि वैधानिक प्रोविडेन्ट फण्ड को होता है ।

( ii ) स्थीकृत प्रोविडेन्ट फण्ड या सुपरएनुएशन फंड की आय—इस प्रकार के फण्ड के ट्रस्टियों द्वारा प्राप्त आय ।

२६१. आदिवासियों की आय—आदिवासी जाति के किसी ऐसे सदस्य की जो कि सरकारी कर्मचारी नहीं है, कोई आय ।

( स ) आशिक कर-मुक्त आय (Partly Exempted Income) :

( १ ) वह आय जो आयकर तथा अतिरिक्त कर से मुक्त है परन्तु कुल आयमें केवल आयकर की दर निकालने के लिए जोड़ी जाती है ( Income exempt from income tax and super tax but included in the total income for rate purposes ) :

५. ऐसी आय निम्न प्रकार की हैं :—

१. सहकारी समितियों की आय—धाराएँ ८१ तथा ६६ : किसी सहकारी समिति ( Co operative Society ) की निम्न प्रकार की आय पर आयकर तथा अतिरिक्त कर नहीं लगता है—

- ( १ ) उसके व्यापार के लाभ पर यदि वह ऐसी समिति है जो कि—
  - ( अ ) अपने सदस्यों को शृण सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करती है , अथवा
  - ( ब ) कुटीर उच्चोग में लगी हुई है ; अथवा
  - ( स ) अपने सदस्यों की वस्तुओं का विपणन ( marketing ) करती है , अथवा
  - ( द ) अपने सदस्यों को कृप्ति करने के लिए औजार, यन्त्र, जानवर अथवा बीज इत्यादि देने का कार्य करती है ; अथवा
  - ( इ ) अपने सदस्यों के माल की बिना शक्ति की ( Power ) सहायता के प्रस्तुत प्रक्रिया ( Processing ) करती है ; अथवा
  - ( क ) जो अपने सदस्यों के दृध को किसी संघीय सुभ सहकारी समिति तक पहुँचाने का कार्य करती है ।
- ( ii ) यदि कोई समिति उपरोक्त कार्यों के अलावा कोई अन्य कार्य करती हो तो उसके लाभ १५,०००) तक ही कर मुक्त हैं ।

- (iii) ऐसे सूद तथा लाभांश जो एक समिति को वृत्ती सहकारी समिति में रखया लगाने से प्राप्त हुए हों।
- (iv) माल के एकत्रित, प्रक्रिया व्यवसा विषयन के हेतु दिये गए गोदाम का किराया।
- (v) प्रतिभूतियों के ब्याज (धारा १८) तथा जायदाद के किराये से आय (धारा २२) विदि समिति की कुल आय २०,००० से अधिक नहीं है तथा वह समिति कोई मकान-समिति व्यवसा नगर-उपभोक्ता समिति व्यवसा यारायात व्यापार वरनेचाली समिति नहीं है।

२. सहकारी समिति के लाभांश—धाराएँ ८२ तथा ६६ : एक यदस्य द्वारा किसी सहकारी समिति से प्राप्त लाभाय पर कोई कर नहीं लगता है।
३. विषयन समिति की आय—धाराएँ ८३ तथा ६६ : कानून द्वारा स्थापित वस्तुओं के विषयन हेतु (for marketing of commodities) किसी भी सरधा द्वारा माल के एकत्रित, प्रक्रिया व्यवसा विषयन के लिए दिए गए गोदामों का किराया करनुक्त है।

#### ४. नए औद्योगिक उद्यम अथवा होटल (New Industrial undertakings or hotels)—धाराएँ ८४ तथा १०१ :

- (a) किसी भी नए औद्योगिक उद्यम अथवा होटल [जो कि निम्न-लिखित शर्तें पूरी बरता हो] को अपनी पूँजी के ६% प्रति वर्ष भाग तक के लाभ पर जो कि आयमर नियम के अनुसार निकाला जाता है कर नहीं देता पड़ता है।
- (b) कर-मुक्ति की वर्तमान (Period of exemption) विभिन्न दशाओं में विभिन्न है जिसका उल्लेख नीचे किया जाया है:—
  - (i) जिय गत वर्ष में औद्योगिक उद्यम वस्तुओं का उत्पादन शुरू करे, उससे सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष तथा अगले चार कर-निर्धारण वर्ष इस प्रकार कुल पाँच वर्ष तक की आय कर-मुक्त है। सहकारी समिति के लिए कुल नितान्त ७ वर्ष है।
  - (ii) जिय गत वर्ष में होटल फार्म शुरू करे उनके सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष तथा अगले चार वर्ष; इस प्रकार कुल मिलाकर पाँच वर्ष तक की आय कर-मुक्त है।

- (स) कर-मुक्ति का लाभ प्राप्त करने से पूर्व एक औद्योगिक उद्यम को निम्न सभी शर्तें पूरी करनी पड़ती है :—
- वह किसी पूर्व स्थित व्यापार के विभाजन अथवा पुनःगठन द्वारा नहीं बना हो।
  - वह किसी नए व्यापार में पुरानी मशीनरी, संयंत्र अथवा मनानात् जो कि पहले किसी भी काम में आते हो के हस्तांतरण करने से नहीं बना हो।
  - वह १-४ १६४८ से लेकर १८ वर्ष तक की अवधि में कभी भी वस्तु उत्पादन का कार्य शुरू करे।
  - उस उद्योग में १० कर्मचारी या उससे अधिक कार्य करते हों। यदि शक्ति ( Power ) की सहायता के बिना ही उत्पादन कार्य चलता हो तो कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या २० होनी चाहिए।
  - (द) कर-मुक्ति की प्राप्ति के लिए एक होटल को निम्न सभी शर्तें पूरी करनी पड़ती है :—
    - वह १-४ ६१ या इसके पश्चात् कार्य प्रारम्भ करे तथा पूर्व स्थित व्यापार के पुनःगठन अथवा पूर्व कार्य में आई हुई मशीनरी, मकानात् इत्यादि के हस्तांतरण से नहीं बना हो।
    - उसका स्वामित्व तथा सचालन किसी ऐसी कंपनी द्वारा हो जो कि मारत में पंजीयन ( Registered in India ) हो तथा जिसकी मर पाई पूँजी ५ लाख रुपये से कम नहीं हो।
    - वह उस भवन में चलता हो जिसका मालिकाना उस कंपनी का हो।
    - स्थान के महत्व इत्यादि को देखते हुए उसमें उतने कमरे तथा सुविधाएँ हों जो कि आयकर नियम द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट की जाएँ।
    - वह देन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत हो।

### प्रश्न संख्या ७ :

एक औद्योगिक उद्यम ने १-४ ५६ से उत्पादन कार्य प्रारम्भ किया। गत वर्ष १६६१-६२ में उसका कुल लाभ १,००,००० हुआ। आयकर नियमानुसार उसकी पूँजी १०,००,०००) निकलती है। १६६२-६३ कर-निर्धारण वर्ष के लिए उसको आयकर तथा अतिरिक्त कर से कितनी छूट मिलेगी ?

उत्तर :—

मान लिया जाय कि वह औद्योगिक सद्यम धारा ८४ में वर्णित सभी शर्तों को पूरी करता है तो उसे १० लाख रुपये के ६% भाग पर अर्थात् ६०,०००) पर आयकर तथा अतिरिक्त कर से मुक्ति मिलेगी। वाकी रकम अर्थात् ४०,०००) पर उसे १,००,०००) पर लगनेवाले आयकर तथा अतिरिक्त कर की जौसत दर से कर देना होगा।

५. नए औद्योगिक सद्यम अथवा होटल से प्राप्त लाभांश—धाराएँ ८५ तथा १०१ :

एक शेयर होल्डर को नये औद्योगिक सद्यम अथवा होटल ( जिनकी आय पारा ८४ के अन्तर्गत कर-मुक्त है ) के कर-मुक्त लाभ से दिये गए लाभांश पर कोई कर नहीं देना पड़ता ।

(ii) वह आय जो कुल आय में जोड़ी जाती है किन्तु आयकर से ( अतिरिक्त कर से नहीं ) मुक्त है ( Incomes forming part of the total income but exempt from Income-tax & not super tax )—धारा ८६ :

६. ऐसी आय निम्नप्रकार की है :—

१. देन्द्रीय सरकार की कर-मुक्त प्रतिभूतियों का व्याज ।
२. राजकीय सरकार दी उन कर मुक्त प्रतिभूतियों का व्याज जिनका आयम् राजकीय सरकार को देना पड़ता हो ।
३. अन रजिस्टर्ड फर्म के सामेदार के लाभ का हिस्सा यदि फर्म ने उस पर आयकर दे दिया हो ।
४. रजिस्टर्ड फर्म के सामेदार के लाभ के हिस्से पर फर्म द्वारा दिया गया आयकर ।
५. किसी अन्य जन-मण्डल के सदस्य की उस मण्डल से प्राप्त होनीवाली आय यदि उस आय के हिस्से पर मण्डल द्वारा आयकर दे दिया गया है ।

(iii) वह आय जो कुल आय में जोड़ी जाती है किन्तु अतिरिक्त कर से ( आयकर से नहीं ) मुक्त है ( Incomes forming part of the total income but exempt from Super-tax & not from Income-tax )—धाराएँ ८६ तथा १०२ :

उ. ऐसी आय निम्न प्रकार की है :--

१. अन रजिस्टर्ड फर्म के साकेतार के लाभ का हिस्सा यदि फर्म ने उस पर अतिरिक्त कर दे दिया है।
२. किसी अन्य जन-मण्डल के सदस्य की उस मण्डल से प्राप्त होनेवाली आय यदि उस आय के हिस्से पर मण्डल द्वारा अतिरिक्त कर दे दिया गया ही।
३. किसी कम्पनी द्वारा १-४-५२ से ३१-३-६७ के समय में बनी हुई किसी ऐसी भारतीय कम्पनी जो कि आयकर अधिनियम के पचम परिशिष्ट में वर्णित वस्तुओं का उत्पादन करती हो, से प्राप्त लाभों।
- ४ रजिस्टर्ड फर्म के साकेतार के व्यापारिक लाभ के अलावा अन्य आय के हिस्से पर फर्म द्वारा दिया गया आयकर।

(ii) छूट तथा सहायताएँ ( Rebates and Reliefs ) :

८. यहाँ उन सब प्रकार की आयकर तथा अथवा अतिरिक्त कर की छूट तथा महायतावी का वर्णन किया है जिसकी गणना आयकर अथवा अतिरिक्त कर की औसत दर से की जाती है। आयकर अधिनियम में सर्वत्र विभिन्न त्रैयों का वर्णन नीचे किया जाता है।

(क) आयकर से ( अतिरिक्त कर से नहीं ) छूट—धारा ८७ :

६. निम्नलिखित प्रकार के भुगतानों तथा चन्दों पर करदाता को कुल आय पर लगनेवाले आयकर की औसत दर के हिसाब से छूट मिलनी है :—

- ( १ ) एक व्यक्ति द्वारा अपनी कर देय आय में से किसी गत वर्ष में दी गई निम्न प्रकार की रकम—
- ( अ ) अपनी अथवा अपने पति या पत्नी के जीवनवीमा का प्रीमियम ; अथवा
- ( ब ) अपने जीवन या अपनी पत्नी या पति के जीवन से सम्बन्धित डेफर्ड एन्यूट्री के समझौते के लिए दी गई कोई रकम ; अथवा
- ( स ) वैधानिक प्रोविडेंट पार्ट में कर्मचारी द्वारा दिया चन्दा।
- ( ii ) एक वयिभक्त हिन्दू परिवार द्वारा अपनी कर-देय आय में से किसी गत वर्ष में अपने किसी नर सदस्य ( male member ) अथवा किसी ऐसे सदस्य की पत्नी के जीवन-वीमा का प्रीमियम।

**नोट :—** उपरोक्त दोनों अवस्थाओं में जीवन-वीमा प्रीमियम की रकम वीमा की वास्तविक पूँजी की रकम के १०% भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- (iii) किसी सरकारी कर्मचारी के बेतन में से उसको या उसके पक्की या बच्चों को वार्षिक वृत्ति देने के लिए सरकार द्वारा काटी गई रकम ( बेतन के  $\frac{1}{4}$  हिस्से तक ) ।
- (iv) स्वीकृत प्रौद्योगिक फण्ड में कर्मचारी द्वारा दिया गया चन्दा यदि वह उसके बेतन के  $\frac{1}{4}$  भाग अथवा ₹,००० से अधिक नहीं हो ।
- (v) स्वीकृत सुपरएन्जेशन फण्ड में कर्मचारी द्वारा दिया गया चन्दा । उपरोक्त रकमों को आयकर से छूट देने के लिए निम्न प्रकार की वधिकरम ( maximum ) दीमाएँ निश्चित कर दी गई हैं :—

- (a) सेखक, संगीतक, कलाकार, नाटककार इत्यादि के लिए उनके पेशे की आय के  $\frac{1}{4}$  भाग + अन्य आय के  $\frac{1}{4}\%$  अथवा ₹१२,००० जो भी कम हो ;
- (b) अन्य प्रकार के व्यक्तियों के लिये उनकी कुल आय का  $\frac{1}{4}$  हिस्सा या ₹१०,००० की रकम, जो भी कम ही, रथा
- (c) हिन्दू वर्विमत्त परिवार के लिए कुल आय का  $\frac{1}{4}$  हिस्सा अथवा ₹१०,००० जो भी कम हो ।

### प्रश्न संख्या ८ :

निम्नलिखित दशाओं में वरलाइये कि आयकर की छूट वित्ती मिलेगी—

- (१) श्री 'क' जिनकी कुल आय ₹१०,००० है, अपने जीवन दीमा पर ₹२,००० प्रीमियम रथा अपनी पक्की के जीवन-वीमा पर ₹१,००० प्रीमियम का देते हैं ।
- (२) श्री 'ख' जिनकी कुल आय ₹५०,००० है, वैधानिक प्रौद्योगिक फण्ड में ₹५,००० रथा जीवन-वीमा प्रीमियम के लिए ₹६,००० देते हैं ।
- (३) श्री 'ग' जिनकी कुल आय ₹८,००० है, अपनी कृषि की आय में से ₹५०० जीवन-वीमा प्रीमियम देते हैं ।
- (४) श्री 'घ' एक कलाकार है तथा उनकी अपने पेशे से होनेवाली कुल आय ₹१२,००० है । वे अपने जीवन दीमा पर ₹५,००० रथा अपने छोटे बच्चे के जीवन दीमा पर ₹३,००० प्रीमियम देते हैं ।
- (५) एक हिन्दू वर्विमत्त परिवार की कुल आय ₹१ लाख रुपये हैं । वह ₹२२,००० जीवन दीमा प्रीमियम का देते हैं ।

### उत्तर :

- (१) श्री 'क' को अपनी कुल आय के  $\frac{1}{4}$  भाग तक अर्थात् ₹२,५००) तक ही छूट मिलेगी ।

- (२) श्री “स” को अधिकतम छूट १०,०००) मिलेगी ।
- (३) श्री “ग” को कोई भी छूट नहीं मिलेगी क्योंकि उन्होंने आयकर लागनेवाली आय में से जीवन बीमा प्रीमियम नहीं दिया है ।
- (४) कलाकार श्री “घ” को अपने वचने के जीवन पर दिए गये बीमा प्रीमियम पर कोई छूट नहीं मिलेगी । अपने जीवन पर दिए गये बीमा प्रीमियम पर उन्हे कुल आय के  $\frac{1}{2}$  भाग अर्थात् ४,०००) तक छूट मिलेगी ।
- (५) हिन्दू अविमुक्त परिवार को अधिकतम छूट २०,०००) पर मिलेगी ।
- (ख) पुण्यार्थ दिए गये दान ( Donations for charitable purposes )—धाराएँ ८८ तथा १०० :
१०. (i) एक करदाना द्वारा केन्द्रीय सरकार से स्वीकृत किसी भारत में स्थित पुण्यार्थ संस्था या फड़ में दिया गया चन्दा अथवा पुण्यार्थ कार्यों के लिए सरकार अथवा स्थानीय सत्ता को १-४-६० के पश्चात् दिया गया चन्दा अथवा किसी मन्दिर, मसजिद, गिरजा, गुरुद्वारा अथवा कोई अन्य स्थान जिसे केन्द्रीय सरकार ने सरकारी गजट में ऐतिहासिक, कलात्मक अथवा शिल्पकला की हस्ति से महत्वपूर्ण घोषित किया है, की मरम्मत इत्यादि के लिये दिये गये दान की कोई रकम पर आयकर तथा अतिरिक्त कर की छूट कुल आय पर लागनेवाले कर की ओरत दर से दे जाती है । कंपनी के लिए यह छूट केवल आयकर के ही लिए है ।
- (ii) ऐसी क्षूट केवल उस दशा में ही मिलती है जब कि दान की कुल रकम (अ) २५०) से कम न हो ; तथा (ब) १,५०,००० या कुल आय ( अन्य प्रकार की कर-मुक्त आय घटा कर ) के ७३% भाग से जो भी कम हो, अधिक नहीं हो । कर-निधारण वर्ष १९६३-६४ से उपरीक राशियाँ २,०००,०० तथा १०% कर दी गई है । आय-कर तथा अतिरिक्त कर से मिलनेवाली छूट की रकम कर-मुक्त दान की रकम के  $\frac{1}{2}$  भाग से अधिक नहीं मिल सकती ।
- (iii) पुण्यार्थ कार्यों के लिए भारत में स्थापित संस्था या फंड को निम्न शर्तें पूरी करनी पड़ती है :—
- (क) उसकी आय धाराएँ १० (२२) ११ तथा १२ के अन्तर्गत कर-मुक्त है

- (ख) उसके नियमों अथवा विधान में कहो भी ऐसी वात का समावेश नहीं है जिससे उसकी आय अपुण्यार्थ कार्यों में लगाई जा सके।
- (ग) वह किसी विशेष धर्म, जाति या संम्प्रदाय के हित के लिए नहीं है।
- (घ) वह अपनी आय तथा खर्चों के नियमित हिसाब रखती है।
- (ट) वह कोई सार्वजनिक पुण्यार्थ द्रष्ट है या सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम १८६० या इसी प्रकार के किसी अन्य कानून के अथवा कंपनी अधिनियम १८५६ की धारा २५ के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है या कोई ऐसी शिक्षा संस्था है जो सरकार या किसी यूनिवर्सिटी द्वारा स्वीकृत है अथवा किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है अथवा कोई ऐसी संस्था है जिसकी पूर्णतया अथवा कुछ अंग में सरकार या किसी स्थानीय सत्रा द्वारा व्यार्थिक छात्रसंस्था है।

### प्रश्न संख्या ६ :

निम्नलिखित दशाओं में कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिये आयकर तथा वरिरक्त कर से कितनी छूट मिलेगी :—

- (१) श्री “क” की कुल आय १२,००० है। वे २,००० जीवन श्रीमीयम तथा ८०० एक पुण्यार्थ संस्था को दान में देते हैं।
- (२) वी एण्ड कम्पनी लिमिटेड की कुल आय ५०,००० है। वह केन्द्रीय सरकार को बाड़-पीड़ित व्यक्तियों की तहायतार्थ १,००० दान देती है।
- (३) श्री मुरेश की कुल आय चीन लाख रुपये है। उन्होंने १०,००० एक पुण्यार्थ संस्था को दान में दिया है।
- (४) सुभाष एण्ड कम्पनी लिमिटेड जिसकी कि कुल आय ३०,००,००० है, ने २,००,००० एक पुण्यार्थ संस्था को दान किया है।
- (५) श्री राजेन्द्र ने १८० का दान एक पुण्यार्थ संस्था को दिया है।

### उत्तर :—

- (१) श्री “क” को व्यपने कुल आय ( कर-मुक्त आय आयकर ) के  $7\frac{1}{2}\%$  तक पुण्यार्थ दान के लिए आयकर तथा वरिरक्त कर से छूट मिलेगी अर्थात्  $7\frac{1}{2}\% \times 10,000$  [ १२,००० ) — २,००० ) ] = ९५० ) पर।
- (२) वी एण्ड कम्पनी लिं० को १,००० पर केवल आयकर से छूट मिलेगी।

(३) श्री सुरेश को १०,०००) पर आयकर तथा अतिरिक्त कर से छूट मिलेगी किन्तु ऐसी छूट की कुल रकम १०,०००) के  $\frac{1}{2}$  हिस्से अर्थात् ५,०००) से अधिक नहीं हो सकती।

(४) सुभाष एण्ड कं. लि० को अधिकतम रकम १,५०,०००) पर केवल आयकर से छूट मिलेगी।

(५) श्री राजेन्द्र को कुछ भी छूट नहीं मिलेगी क्योंकि दान की रकम २५०) से कम है।

(ग) बाकी या अग्रिम वेतन इत्यादि के लिए सहायता ( Relief when salary etc. is paid in arrears or in advance) —धारा ८६ :

११. पिछला बाकी वेतन मिलने पर या अग्रिम वेतन मिलने पर या किसी वित्तीय वर्ष में १२ महिने से अधिक का वेतन मिलने पर या किसी प्रकार के अन्य लाभादि मिलने पर एक कर्मचारी को अपने वेतन पर साधारणतया लगानेवाले कर से ज्यादा कर देना पड़े तो कमिश्नर आँव इनकम टैक्स के पास लिखित अर्जी दे सकता है। ऐसी अवस्था में कमिश्नर उसे उचित कर सहायता प्रदान करेगा। अब प्रतिभूतियों के बाकी ब्याज पर भी इसी प्रकार की सहायता दी जाती है।

(घ) द्विगुण कर सहायता ( Double taxation relief )—धारा ८७ द० तथा ६१ :

१२. (१) आय को द्विगुण कर लगने से बचाने के लिए केन्द्रीय सरकार किसी भी विदेशी सरकार से समझौता कर सकती है तथा उस समझौते के लिए नियम बना सकती है।

(२) जिस देश के साथ ऐसा समझौता नहीं हो तो एक व्यक्ति को जो भारत का निवासी है तथा जो किसी आय पर उस देश में कर देता हो तो उसे ऐसी आय पर भारतीय कर की दर या उस देश में लगानेवाले कर की दर से, जो भी कम हो, छूट मिलेगी। यदि दोनों दर समान हो तो भारतीय कर की दर से छूट मिलेगी।

(३) निवासियों ( Residents ) को पाकिस्तान में दिए गये कृपिकर पर पाकिस्तान या भारतीय कर की दर, जो भी कम हो, से छूट मिलती है।

- (४) एक अनिवासी ( non-resident ) को एक निवासी रजिस्टर्ड कर्म से प्राप्त अपने उस हिस्से पर जिसमें भारत तथा विदेश की आय मी रामिलित है, उप-अनुच्छेद (२) में वर्णित वरीके से मारबीय कर में से कटौती मिलेगी ।
- (५) लाभांशों पर लगनेवाले कर पर सहायता (Relief respecting tax on dividends)—धारा अं २३५ तथा २३६ :
१३. ऐसी सहायता दो प्रकार की होती है :—
- (i) लाभांशों पर लगनेवाले कृषि आयकर पर अंशधारियों को सहायता ( Relief to shareholders in respect of agricultural income—tax attributable to dividends ) —धारा २३५ :  
यदि कोई कंपनी अपने ऐसे लाभ, जिस पर किसी राजकीय सरकार द्वारा कृषि आयकर लगाया गया है, में से लाभांश वितरण करे तो अंशधारी को अपनी आय पर लगनेवाले कर में से निम्न रकम बाद दी जायेगी :—
- (अ) कंपनी द्वारा दिया गया कृषि आयकर ( तथा कृषि वितरिक कर ) का वह हिस्सा जो कि कृषि आयकर लगनेवाले कंपनी के वितरित लाभ तथा उसके कुल लाभ के बनुपाव में है । अथवा
- (ब) यदि अंशधारी :—
- (१) कंपनी नहीं है तो उसके द्वारा दिये जानेवाले आयकर की राशि ; और  
(२) कंपनी है तो कृषि आयकर लगनेवाले किसी कंपनी के लाभ में से दिये हुए लाभांश का २०% ; जो भी कम हो ।
- (ii) पहले से कर लगे हुए नफे में से दिये गए लाभांश पर कंपनी को सहायता—( Relief of a Company in respect of dividend paid out of past taxed profits )—धारा २३६ :  
कर-निधारण वर्ष १९६०-६१ या इसके पश्चात् किसी अन्य वर्ष से सम्बन्धित गत वर्ष में यदि कोई ऐसे लाभांश वितरित हुए हैं जो कि कर-निधारण वर्ष १९५८-६० या इससे पूर्व किसी वर्ष में पहले से कर लगे हुए नफे में से दिये गए हों तो ऐसे लाभांशों के १०% के बराबर की रकम कंपनी के कर की रकम में से बाद कर दी जायगी । यदि ऐसी बाद दी जानेवाली रकम अधिक हुई तो वह कंपनी को नाप्रत्यक्ष लौटा दी जायगी ।

प्रश्न

प्र. १. उन सब आय का विवरण कीजिये जो आयकर तथा अतिरिक्त कर से पूर्णतया मुक्त हैं तथा जो कुल आय में आय की दर निश्चित करने के लिये भी नहीं जोड़ी जाती है।

उ : देखिये अनुच्छेद ३ तथा ४।

प्र. २. “पुण्यार्थ दिये गए दान पर कर की छूट” पर छोटी सी टिप्पणी लिखो।

उ : देखिए अनुच्छेद १०।

प्र. ३. धार्मिक तथा पुण्यार्थ संस्थाओं की आय किन दशाओं में कर-मुक्त होती है, लिखिए।

उ : देखिए अनुच्छेद ३।

प्र. ४. जीवन वीमा प्रीमियम तथा पॉविडेन्ट फंड में दिए गए चल्दों पर किरनी तथा किस प्रकार कर से छूट मिलती है।

उ : देखिए अनुच्छेद ६।

प्र. ५. उन सब आय का विवरण कीजिए जो कुल आय में जोड़ी जाती हैं परन्तु स्वयं आयकर तथा अतिरिक्त कर से मुक्त हैं।

उ : देखिये अनुच्छेद ५।

प्र. ६. सक्षित टिप्पणी लिखिए :—

(अ) वाकी अथवा अग्रिम वेतन पर सहायता। (ब) लाभांशों से सम्बन्धित कृषि आयकर के बारे में वांशधारी को सहायता या उपशय। (स) द्विगुणी कर सहायता। (द) पहले से कर-लगे हुए नके में से दिये गए लाभाश पर कंपनी को सहायता।

उ : देखिए—(अ) अनुच्छेद ११ (ब) अनुच्छेद १३ (i) (स) अनुच्छेद १२ (द) अनुच्छेद १३ (ii)।

# दूसरा भाग

## कुल आय की संगणना

### ( COMPUTATION OF TOTAL INCOME )

#### अध्याय ५

#### वेतन : धाराएँ १५ से १७

#### SALARIES—SS. 15 to 17

पिछले एक अध्याय में हम देख चुके हैं कि आयकर विधिनियम के अन्तर्गत आय के कुछ शीर्षक निर्धारित हैं जिनके अन्तर्गत होनेवाली आय पर ही आय कर लगाया जाता है ; अन्य पर नहीं। ऐसे शीर्षकों से सर्वप्रथम शीर्षक वेतन का है।

२. वेतन सम्बन्धी आवश्यक वार्ते :—वेतन शीर्षक के अन्तर्गत आय को मालूम करने के लिए हमें निम्नलिखित वार्तों को दृष्टि रूप से ध्यान में रखना चाहिये :—

- (१) वेतन विशेष ( salary proper ), मजदूरी ( wages ), बोनस, एन्यूट्री, प्रेचूट्री, पेशन, फीस, कमीशन, अन्य प्रतिफल (perquisite) तथा वेतन के स्थान पर या साथ में लाभ का हिस्सा, अन्य भत्ता, पेशगी वेतन या ऊपरी आमदनी भी वेतन में शामिल है।
- (२) वेतन लेनेवाले तथा देनेवाले के बीच कर्मचारी तथा मालिक का सम्बन्ध होना आवश्यक है।
- (३) पेशगी उनस्वाह भी वेतन में जोड़ी जाती है। वेतन की विशेषता यह है कि उस वेतन पर जो कि देय या बाकी है चाहे वह प्राप्त किया गया या नहीं तथा उस वेतन पर जो कि प्राप्त किया गया है चाहे वह देय (due) हो या नहीं, कर लगाया जाता है।
- (४) कर्मचारी को पेशन के स्थान पर मिला हुआ एकत्रित धन कर-मुक्त है।

- (५) कर्मचारी को १६-४-१६५० के पश्चात् केन्द्रीय या राजकीय सरकार के सशोधित पेशन नियम के अनुसार मिली हुई मैत्रुटी ( death-cum-retirement gratuity ) तथा वैधानिक प्रोविडेंट फंड, स्वीकृत-प्रोविडेंट फण्ड या सुपर एनुएशन फण्ड से प्राप्त संचित रकम करमुक्त है। [ देखिये अध्याय ४, अनुच्छेद ४ ]
- (६) प्रोविडेंट फण्ड या जीवन बीमा के प्रीमियम सम्बन्धी सभी मूल्य नियमों का ज्ञान वेतन की करन्योग्य निकालने के लिए आवश्यक है। इनका वर्णन नीचे दिया जाता है।
- (७) कर योग्य वेतन से मार्सिक कटौती की जाती है। यह गत वर्ष की आयकर तथा अतिरिक्त कर की दरों के हिसाब से होती है। देखिए अध्याय २०।

### ३. प्रतिफल ( Perquisites )—धारा १७ (२) :

प्रतिफल का अर्थ होता है वेतन के अतिरिक्त कुछ अन्य भत्ता या किसी प्रकार का फायदा। इस धारा के अन्तर्गत निम्न प्रकार के प्रतिफल वेतन की आय में सम्मिलित किए जाते हैं :—

- (१) (अ) किराया मुक्त मकान ( Rent-Free house ) का मूल्य जो कि वेतन का १०% ( यदि मकान असुसज्जित ( unfurnished ) है ) अथवा १२½% ( यदि मकान सुसज्जित ( furnished ) है ) भाग के बराबर माना जाता है। यदि ऐसे मकान का उचित किराया वेतन [ सभी प्रकार के नियमित मुद्रा भुगतानों को मिलाकर ] के २०% या २५% से अधिक हो तो ऐसी अधिक रकम भी प्रतिफल के रूप में वेतन की आय में जोड़ी जाती है।
- (ब) मकान किराया-भत्ता ( House Rent Allowance ) की पूरी रकम चाहे वह कितनी भी क्यों न हो।
- (२) किसी कपनी द्वारा किसी सचालक अथवा किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका कंपनी में वास्तविक हित हो, मुफ्त या कम कीमत पर दी गई सुविधा।
- (३) किसी भी कर-दाता को, जिसकी वेतन से आय १८,००० रु० प्रति वर्ष से अधिक है, मालिक द्वारा बोई मुफ्त या कम कीमत में दी गई सुविधा।

(४) मालिक द्वारा ऐसे दायित्व का भुगतान जो करदाता को स्वयं करना पड़ता है।

(५) मालिक द्वारा दिया गया करदाता के नीचन बोमे का प्रीमियम वथवा मालिक द्वारा कर्मचारी के बेतन पर लगाए गये आयकर की रकम।

#### ४. बेतन के स्थान पर लाभ ( Profits in lieu of Salary ) धारा १७ (३) :

(अ) कर्मचारी को नौकरी छोड़ने पर हजारिकी नकद या किसी अन्य रूप में मिली हुई रकम बेतन में सम्मिलित की जाती है।

(ब) अस्तीकृत प्रोविडेन्ट फड़ से नौकरी के अन्त में प्राप्त रकम का केवल मालिक द्वारा दिया हुआ चंदे का हिस्सा तथा इस पर व्याज बेतन में जोड़ा जाता है।

#### ५. बेतन में से कटौतियाँ (Deductions from Salaries) — धारा

१६ : बेतन की कुल आय निकालने के लिये निम्न कटौतियाँ दी जाती हैः—

(अ) अपने बेतन में से ५०० रु. उक की रकम जो पुस्तक या अन्य प्रकाशनों पर (जो कि उसके कर्तव्य पालन के लिए सहायक हों) करदाता द्वारा खर्च की गई हो।

(ब) मनोरंजन भत्ता (Entertainment Allowance) करदाता के बेतन (विशेष भवे प्रतिफल इत्यादि रकम के अलावा) के  $\frac{1}{4}$  भाग या ५,००० रु. सरकारी कर्मचारी के लिए तथा ७,५०० अन्य कर्मचारियों के लिए (जो भी कम हो) यदि उस करदाता को ऐसा भत्ता सम् १६४५-५६ से पहले भी मिलता रहा हो।

(त) राजकीय सरकार द्वारा नौकरी, प्रोफेशन इत्यादि पर लगाया गया दर।

(द) यदि कोई कर्मचारी अपने निजी वाहन (own conveyance) रखता हो तथा उसे अपने सेवायोजन (employment) के लिए इस्तेमाल करता हो तो उसे उस वाहन पर किए हुए खर्च की उस राशि पर लूट मिलेगी जो कि आयकर बफर ग्राकलित (estimate) करे।

(इ) कर्मचारी द्वारा बेतन के अतिरिक्त प्राप्त कोई भत्ता या अन्य ऐसी रकम जो उसे अपने मालिक के लिये और विशेषतया अपने कर्तव्य पालन करने में खर्च करनी पड़ती है। (केवल उसनी ही रकम जो वास्तव में खर्च हुई हो)।

प्रश्न संख्या १० :—एक व्यक्ति एक व्यापारी यह में निम्न शर्तों पर नौकरी करता है :—

- (१) २,००० रु० मासिक वेतन ।
- (२) ५% कमीशन पक्के लाभ पर; (पक्का लाभ—१,००,००० रु०) ।
- (३) मोटरकार भत्ता १०० रु० मासिक । [यह भत्ता उसको सच्च मही करना पड़ता ।]
- (४) मालिक की ओर से एक असुमिजित किराया-मुक्त मकान ।

इसके अलावा उसे पुरानी बीकानेर स्टेट से २५० रु० प्रतिमास पेशन मिलती है।

उस कर्मचारी की वेतन से कुल आय क्या होगी ?

उत्तर :—	कर्मचारीका वेतन	रुपया
१२ मास का वेतन—२,००० रु० प्रति मास की दर से		२४,०००
कमीशन ५% की दर से १,००,००० रु० पर		५,०००
मोटरकार भत्ता १०० मासिक		१,२००
किराया मुक्त मकान की कीमत (वेतन का दसवाँ भाग= $\frac{1}{10} \times$		
२४,०००+५,०००+१,२००= $\frac{1}{10} \times ३०,२००$ )=		३,०२०
पेशन २५० रु० प्रति मास की दरसे		३,०००
वेतन की कुल आय		<hr/> रु० ३६,२२०

प्रश्न संख्या ११ :

गत वर्ष १९६१-६२ के लिए श्री “क” की आय का विवरण निम्न प्रकार है :—

मूल वेतन—१,०००) प्रति मास (तीन मास का वेतन उसने प्राप्त नहीं किया)।

दो महिने के वेतन के बराबर बीनर ।

जनवरी १९६१ में प्राप्त अधिक वेतन उसने अक्टूबर १९६१ में लौटा दिया। यह रकम कर-निर्धारण वर्ष १९६१-६२ में शामिल कर ली गई थी। वर्ष में ५०) उसने राजकीय पेशा कर के रूप में दिया। “वेतन” शीर्षक के अन्तर्गत होनेवाली आय की संगणना कीजिये।

उत्तर :—

कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिये वेतन की आय	
६ महिने का वेतन जो उसने प्राप्त किया—१,०००)	
प्रति मास की दर से	६,०००
३ महिने का वेतन जो उसने प्राप्त नहीं किया—१,०००)	
प्रति मास की दर से	३,०००
[ “देय” (Due) सिद्धान्त पर ]	
२ महिने का बोनस	२,०००
	—————
	१४,०००
कटौती—(१) जनवरी '६१ मास में लिया गया	
अधिक वेतन जो अक्टूबर '६१ में	
बापस लौटा दिया गया … … .. १,०००	
(२) राजकीय पेशा कर की रकम	५०
	—————
कुल .....	१२,६५०

प्रश्न संख्या १२ :

गत वर्ष १९६१-६२ के लिये एक विख्यात इंजीनियर श्री मजूमदार की आय के विवरण इस प्रकार है :—

- (१) सुभाष इंजीनियरिंग कं॰ लि॰ से उसे ४२,०००) वार्षिक वेतन तथा ७,२००) मनोरजन भत्ता मिला। उसने ६,०००) मनोरजन पर खर्च किया।
- (२) उपरोक्त कंपनी में नौकरी करने से पहले वह देशमुख इंजीनियर्स लि॰ पूना में नौकरी करता था। वहाँ उसकी नौकरी का समझौता १-४-५८ से ३ वर्ष के लिए था। किन्तु कंपनी के सचालकों के साथ मतभेद होने से ३१ मार्च १९६२ को उसे नौकरी से अलग कर दिया गया तथा ४-४-६२ को उसे ८,००० रुपांते के रूप में दिया गया।
- (३) वपने जीवन बीमा पर ८,०००) का प्रीमियम तथा वपनी पर्जिके बीमा पर ३,०००) का प्रीमियम उतने साल भर में दिया। श्री मजूमदार की कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए “वेतन” शीर्षक से आय की मण्डा कीजिये।

उत्तर : श्री मजूमदार की कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिये वेतन से आय ।

वेतन की आय—धारा १५ :

(१) सुभाष इंजीनियरिंग कं० लि० से प्राप्त वार्षिक आय ८२,०००)

(२) " " —मनोरंजन ७,२००)  
भत्ता [ क्योंकि वह इस कम्पनी से १-४-५५ से पहले से ऐसा भत्ता प्राप्त नहीं कर रहा था इसलिए उसे कोई भी कटौती नहीं दी जायगी । ]

(३) देश सुख इंजीनियर्स लि० पूना से प्राप्त हरजाने की रकम [ धारा ८८ के अन्तर्गत वह कमिशनर से १८,०००) कुछ सहायता प्राप्त कर सकता है । ]

कुल वेतन ६७,२००)

जीवन बीमा प्रीमियम की अधिकतम राशि १०,०००) तक उसे आयकर से छूट मिलेगी ।

प्रश्न संख्या १३ :

श्री रमेश फैनी प्रोडक्ट्स लि० का मेनेजर है । उसका मासिक वेतन ३,०००) तथा मासिक मनोरंजन भत्ता ५००) है । १-४-५५ से पहले उसे ४००) मासिक मनोरंजन भत्ता मिला करता था । उसके पास कपनी की तरफ से दिया गया एक पूर्ण सुसज्जित किराया — सुक्त मकान है जिसका किराया १,२००) प्रति मास कपनी मकान मालिक को देती है । कपनी ने उसे अपने इस्तेमाल के लिए एक “फियेट” मोटरकार दे रखी है जिसका समस्त खर्च कपनी देती है । १९६२-६३ कर-निर्धारण वर्ष के लिये उसकी कुल वेतन की आय की गणना कीजिये ।

उत्तर :—

श्री रमेश की क० नि० वर्ष ६२-६३ के लिये वेतन की आय

(१) वर्ष भर का मूल वेतन — ३,००० प्रति मास की दर से ३६,०००)

(ii) मनोरंजन भत्ता — ५००) प्रति मास की दर से ६,०००)  
धारा १६ (ii) के हिसाब से कटौती ५००), ४,८००) १,२००)

(iii) पूर्ण सुसज्जित किराया — सुक्त मकान की कीमतः

वेतनादि के १२½% माग के वरावर = १२½% × ६७,२००)  
= ४,६५०)

उचित किराया तथा वेतन का २५% माग का

उत्तर : १४,४००) — ६,३००) = ५,१००) ६,७५०)

(iv) "फियेट" मोटरकार के निजी इस्तेमाल की प्राक्षलित रकम—आयकर अधिनियम १९६२ के अनुसार ६०) प्रति मास की दर से	७२०)
कुल वेतन	<u>४३,६७०)</u>

### प्रश्न संख्या १४:

बैनर्जी कॉ० लि० के मुख्य लेखापाल श्री शाह का मासिक वेतन २,०००) है। उसे कंपनी की चरक से किराया-मुक्त मकान प्राप्त है। दफ्तर के मध्यान्तर में उसे मुफ्त मध्याह्नकालीन आहार (Lunch) मिलता है। उसके जीवन वीमा प्रीमियम की रकम ५,०००) है जिसमें से २,०००) कपनी देती है तथा ३,०००) वह स्वयं। उसने एक साहूकार से २०,०००) का शृण निजी कार्य के लिये लिया। वह उसे चुका न सका। साहूकार ने कपनी को शिकायत कर दी। उब से कंपनी प्रति मास ५००) उसके वेतन में से काट कर साहूकार के पास भेज देती है। कंपनी ने उसके मकान के बगीचे की ठीक देख माल के लिए दो वागवान रखे हैं जिनका वेतन कपनी देती है। श्री शाह की आय की संगणना कीजिये।

उत्तर :—

(i) मूल वेतन २,०००) प्रति मास की दर से	२४,०००)
[ ५०० की मासिक कटौती पर उसे बोई छूट नहीं मिलेगी ]	
(ii) किराया-मुक्त मकान की कीमत—वेतन के १०% भाग के बराबर।	२,१००)
(iii) मध्याह्नकालीन आहार की कीमत ५०) प्रति मास की दर से प्राक्षलित (estimated)	६००)
(iv) कपनी के द्वारा दिया गया जीवन वीमा प्रीमियम।	२,०००)
कुल आय	<u>२६,०००)</u>

नोट—(१) दो वागवानों की उनस्वाह कर-मुक्त है।

(२) उते ५,०००) जीवन वीमा प्रीमियम की रकम पर आयकर से ( अविरिक्त कर से नहीं ) छूट मिलेगी।

## ६. प्रॉविडेन्ट फंड ( Provident Funds ) :

वेतन शीर्षक की कुल आय निकालने के लिए यह जानना अल्पन्त वाच्यक है कि प्रोविडेन्ट फंड कितने प्रकार के होते हैं तथा उनसे सम्बन्धित कर्मचारियों की आय में प्रोविडेन्ट फंड की कौन सी रकम जोड़ी जाती है और कौन सी नहीं। प्रोविडेन्ट फंड मुख्यतया तीन प्रकार के होते हैं :—

(१) वैधानिक प्रॉविडेन्ट फंड।

(२) स्वीकृत प्रॉविडेन्ट फंड।

(३) अस्वीकृत प्रॉविडेन्ट फंड।

इनके बारे में विस्तृत वर्णन नीचे दिया जाता है :—

## ७. वैधानिक प्रॉविडेन्ट फंड ( Statutory Provident Fund ) :

(अ) परिभाषा : वैधानिक प्रॉविडेन्ट फंड वह है जिसपर प्रॉविडेन्ट फंड अधिनियम १९२५ लागू होता है। यह फंड स्थानीय प्राधिकारियों, विश्वविद्यालयों, सरकारी कार्यालयों तथा नगर पालिकाओं द्वारा रखा जाता है।

(ब) वेतन में जोड़ी जानेवाली रकमें : केवल कर्मचारी का निजी चंदा ( employee's own contribution ) वेतन में जोड़ा जाता है। ऐसे प्रॉविडेन्ट फंड में मालिक द्वारा दिया हुआ चंदा तथा ब्याज वेतन में नहीं जोड़े जाते; वे सर्वथा कर-मुक्त हैं। नौकरी छोड़ने पर समूर्ध सचित रकम जो कर्मचारी को प्राप्त होती है वह भी पूर्णतया कर-मुक्त है।

(स) कर-मुक्त आय : कर्मचारी का निजी चंदा व जीवन बीमे का ग्रीमियम दोनों मिला कर हुल आय के  $\frac{1}{3}$  भाग या १०,००० रुपये ( जो भी कम हो ) आयकर से ( अतिरिक्त करसे नहीं ) मुक्त है।

## ८. स्वीकृत प्रॉविडेन्ट फंड ( Recognised Provident Fund ) :

(अ) परिभाषा : कुछ नियमों का पालन होने पर जब कोई प्रॉविडेन्ट फंड आयकर कर्मशनर द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है तो उसे स्वीकृत प्रॉविडेन्ट फंड कहते हैं—चतुर्थ परिशिष्ट का “अ” भाग।

(ब) वेतन में जोड़ी जानेवाली रकमें : (i) कर्मचारी द्वारा इस फंड में जमा कराया हुवा चंदा; (ii) मालिक द्वारा दिया गया चंदा यदि वह कर्मचारी के वेतन के १०% भाग से अधिक है; तथा (iii) फंड की संचित राशि पर वेतन के  $\frac{1}{3}$  भाग से अधिक अथवा ६% दर से अधिक दिया गया ब्याज। (iv) किन्हीं दण्डों में फंड की संचित राशि जिसका वर्णन आयकर अधिनियम के चतुर्थ परिशिष्ट में दिया गया है।

(स) कर-मुक्त आय : (१) कर्मचारी का चंदा मूल वेतन के  $\frac{1}{3}$  भाग या  $₹, ०००$ ) जो भी कम हो, मुक्त है। (२) कर्मचारी का चंदा तथा जीवन बीमे का प्रीमियम दोनों मिलाकर कुल आय के  $\frac{1}{3}$  भाग या  $₹, ०००$  रु० तक (जो भी कम हो) आयकर ने (अतिरिक्त से नहीं) मुक्त है।

#### ६. अस्वीकृत प्रॉविडेंट फंड (Unrecognised Provident Fund) :

(अ) परिभाषा : जो प्रॉविडेंट फंड आयकर कमिश्नर द्वारा स्वीकृत नहीं है वह अस्वीकृत प्रॉविडेंट फंड कहलाता है।

(ब) वेतन में जोड़ी जानेवाली रकमें : (i) केवल कर्मचारी का स्वयं का चंदा; मालिक द्वारा दिया गया चंदा अथवा ब्याज प्रति वर्ष नहीं जोड़े जाते। (ii) कर्मचारी के नौकरी छोड़ते समय संभूर्ज रकम में से मालिक द्वारा दिये गये चत्तै तथा उस पर दी गयी ब्याज की रकम वेतन में जोड़ी जाती है।

(स) छूट : केवल जीवन बीमे का प्रीमियम कुल आय के  $\frac{1}{3}$  भाग या  $₹, ०००$  रु० (जो भी कम हो) आयकर से (अतिरिक्त कर से नहीं) मुक्त है। अन्य किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाती है।

#### १०. जीवन बीमे के प्रीमियम पर छूट (Exemption on account of Life Insurance Premia) :—घारा ८७।

(ब) जीवन-बीमा का प्रीमियम, यदि करदाता व्यक्ति है तो उसके स्वयं के या उनकी पक्षी या पति के जीवन बीमा के लिये कुल आय के  $\frac{1}{3}$

हिस्से या १०,०००) रु० तक ( जो भी दोनों में से कम है ) आयकर से ( अतिकर से नहीं ) मुक्त है । यदि कर दाता समुक्त हिन्दू परिवार है तो उस परिवार के किसी भी पुरुष व स्त्री के जीवन बीमा का प्रीमियम उस परिवार की कुल आय के  $\frac{1}{2}$  हिस्से या २०,०००) रु० तक के बल आयकर से ही मुक्त है । विस्तृत विवरण के लिए देखिए अध्याय ४ ।

(व) प्रीमियम जीवन बीमा पॉलिसी की पूरी रकम के १०% भाग से अधिक कभी नहीं हीना चाहिए ।

(स) यदि प्रीमियम की रकम का भुगतान ऐसी रकम से किया गया है जो कि भारतीय आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कर योग्य नहीं है तो ऐसी रकम पर कोई भी छूट नहीं दी जाती ।

**नोट :**—सुपर एनुएशन फड़ के चेदे पर बीमा प्रीमियम की ही तरह छूट दी जाती है ।

**प्रश्न संख्या १५ :**—कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिये श्री 'अ' की आय इस प्रकार है :—

- (१) १,००० प्रति मास चेतन ।
- (२) १,५०० रु० वार्षिक बोनस ।
- (३) १,००० रु० वार्षिक मूल्य तक का किराया-मुक्त मकान ।
- (४) १०% चेतन प्रॉविडेंट फड़ के चन्दे के रूप में ।
- (५) १५% चदा मालिक द्वारा ( प्रॉविडेंट फड़ में ) ।
- (६) ८% वार्षिक दर से फड़ की सचित राशि पर ८०० रु० ब्याज ।
- (७) अपनी ३६,००० रु० की जीवन बीमा की रकम पर ४,००० रु० वार्षिक प्रीमियम की रकम ।
- (८) अन्य साधनों से आय १,५०० रु० ।

उपर के विवरणानुसार श्री 'अ' का आयकर दायित्व क्या होगा यदि वह (अ) वैधानिक प्रॉविडेंट फड़, या (ब) स्वीकृत प्रॉविडेंट फड़, या (स) अस्वीकृत प्रॉविडेंट फण्ड का सदस्य है ।

दत्तर :—

कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए श्री 'अ' का कर—  
दायित्व

आवक विवरण	कुल रकम रुपयों में		
	वैधानिक प्रॉविडेट	स्वीकृत प्रॉविडेट	अस्वीकृत प्रॉविडेट
	फड़ (अ)	फड़ (ब)	फड़ (स)
१२ मास का वेतन १,०००) प्रति मास	१२,०००)	१२,०००)	१२,०००)
,, „ „ बोनस	१,५००)	१,५००)	१,५००)
दिराया मुक्त मकान की कीमत	१,०००)	१,०००)	१,०००)
प्रॉविडेट फड़ में १०% वेतन	—	—	—
ज्ञाता मालिक हारा दिया गया चंदा	—	६००)	—
प्रॉविडेट फड़ का ६% से अधिक ब्याज	—	२००)	—
वेतनकी आय	१४,५००)	१५,६००)	१४,५००)
अन्य साधनों से आय	१,५००)	१,५००)	१,५००)
कुल आय :	२६,०००)	२६,८००)	२६,०००)
कर मुक्त आय :			
१. कर्मचारी का चन्दा	१,२००)	१,२००)	—
२. जीवन बीमा प्रीमियम (वार्षिक प्रीमियम पॉलिसी के १०% भाग तक कर-मुक्त है )	२,८००)	३,०००)	३,६००)
	४,०००)	४,२००)	३,६००)

नोट :—प्रॉविडेट फड़ का चन्दा तथा जीवन बीमा का प्रीमियम मिला-कर कुल आयके  $\frac{1}{4}$  तक कर-मुक्त है ।

प्रश्न

प्र० १. प्रॉविडेट फड़ के चन्दे एवं ब्याज तथा जीवन बीमे के प्रीमियम पर आयकर से क्या और कितनी छूट मिलती है ।

उ० : देखो अनुच्छेद ६ से १० तथा प्रश्न नं० १४ तथा १५ ।

प्र० २. वेतन में से कौन कौन सी कटौतियाँ दी जाती हैं।

उ० : देखो अनुच्छेद ५।

प्र० ३. सक्षित टिप्पणी लिखो :—

(अ) प्रति फल।

(ब) वेतन के स्थान पर लाभ।

(स) स्वीकृत प्रॉविडेंट फण्ड।

उ० : (अ) देखो अनुच्छेद ३। (ब) देखो अनुच्छेद ४। (स) देखो अनुच्छेद ८।

प्र० ४. श्री मोहनलाल आशा पवित्रिंशि हाऊस कलकत्ता में मेनेजर है।

उनकी गतवर्ष १९६१-६२ के लिए आय के विवरण निम्न प्रकार है :—

(१) वेतन ४००) मासिक।

(२) स्वीकृत प्रॉविडेंट फण्ड में चन्दा—वेतन का ६५%।

(३) मालिक का चन्दा वेतन के ६% के बराबर है।

(४) फण्ड की सचित राशि पर ब्याज २००)।

(५) दो मास के वेतन के बराबर बोनस।

(६) मकान-किराया भत्ता १००) मासिक।

(७) जीवन बीमेका प्रीमियम ४००)।

आप उनकी (१) वेतन से कुल आय, तथा (२) कर मुक्त आय, कर-  
निधारण वर्ष १९६२-६३ के लिए निकालिए।

उ० : (१) ८, २००) (२) ८७५)

प्र० ५. गत वर्ष समाति ३१-३-६२ के लिए श्री सुरेश चन्द्र, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की आय का विवरण निम्न प्रकार है :—

(अ) वेतन १,०००) मासिक; यात्रा-भत्ता विल २,०००) यात्रा में वास्त्रविक खर्च १,५००)।

(द) उनका तथा यूनिवर्सिटी का प्रॉविडेंट फण्ड में चन्दा—६५% फण्ड की सचित राशि पर ब्याज ७८०); जीवन बीमे का प्रीमियम ३,०००)।

(स) वर्ष भर मकान किराया भत्ता—वेतन का १५%  
उनकी कुल आय तथा कर-मुक्त आय निकालिए।

उ० : कुल आय : १४,३००)।

कर-मुक्त आय : ३,५७५)=(प्रॉविडेंट फण्ड में स्वयं का चन्दा ७५०)+जीवन बीमे का चदा २,८२५) अर्थात् कुल आय के १३  
भाग तक।

## अध्याय ६

### प्रतिभूतियों का व्याज : धारा एँ १८ से २१

[ INTEREST ON SECURITIES—Ss. 18 to 21.]

#### १. मुख्य बातें :

- (१) इस व्यायके शीर्षक के अन्तर्गत केवल केन्द्रीय और राजकीय सरकारों की प्रतिभूतियों पर तथा स्थानीय अधिकारियों ( Local authorities ) तथा कंपनियों के शृण-पत्रों ( Debentures ) पर प्राप्त व्याज की वाय आती है। अन्य किसी भी प्रकार की प्रतिभूतियों का व्याज इस शीर्षक के अन्तर्गत नहीं लिया जाता।
- (२) इस शीर्षक के अन्तर्गत व्याज पर “देय” ( Due ) सिद्धान्त के हिसाब से वर लगाया जाता है चाहे उस व्याज का हकदार उसे प्राप्त करे या ना करे।
- (३) प्रतिभूतियों से व्याज किन्हीं निश्चित तिथियों पर ही प्राप्त किया जाता है। इसलिये आयकर के लिए उस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है जो कि उन तिथियों पर उन प्रतिभूतियों का मालिक है।
- (४) इस सम्बन्ध में व्याज सहित तथा ब्नाज रहित सोदों ( Cum-int. or cum-div and ex-int or ex-div transactions ) को विलक्षित ध्यान में नहीं रखा जाता।
- (५) कर मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों का व्याज ( Interest from tax-free Govt. securities ) कुल व्याय में दर वढ़ाने के लिए ही जोड़ा जाता है अन्यथा वह व्याय कर से ( अतिरिक्त दर से नहीं ) मुक्त है। इन प्रतिभूतियों के व्याज में से उधार ली गई रकम का व्याज तथा प्रतिभूतियों के व्याज को बहुल करने के उपलब्ध में दिया गया कमीशुन पटा कर ही शेष ब्नाज को इल व्याय में जोड़ा जाता है तथा उसी रकम पर ही हूट मिलती है। अन्य किसी भी प्रकार की कर-मुक्त प्रतिभूतियों पर कोई भी छूट नहीं दी जाती—धारा ८६।

(६) प्रतिभूतियों के वेचने से हुआ लाभ या नुकसान ऐंजीगत लाभ या नुकसान है परन्तु यदि कर-दाता का व्यवसाय ही प्रतिभूतियों को खरीदना या बेचना है तो ऐसे लाभ तथा नुकसान को धारा २८ के अन्तर्गत उसकी कुल आय में शामिल किया जायगा ।

(७) प्रतिभूतियों के ब्याज पर निर्गम के स्थानपर ही कर काट लिया जाता है । इसलिए ब्याज की रकम को रुकल (Gross-up) करके ही कुल आय में जोड़ा जाता है ।

## २. प्रतिभूतियों के ब्याज में से कटौतियाँ : ( Deductions from Interest on Securities )—धारा १६ :

प्रतिभूतियों से कर-योग्य ब्याज का लेखा करते समय निम्नलिखित कटौतियाँ दी जाती हैं :—

(अ) प्रतिभूतियों के ब्याज बसूल करने के उपलक्ष्म में बेक या किसी भी अन्य व्यक्ति को दिया गया कमीशन ।

(ब) प्रतिभूतियों के खरीदने के लिए यदि कोई रकम उधार जी जावे तो उस उधार की रकम पर भारत में दिया गया ब्याज ।

### प्रश्न संख्या १६ :

निम्नलिखित विवरण से श्री मुखर्जी की कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए 'प्रतिभूतियों से ब्याज' शीर्पक की आय की संगणना कीजिए :—

(अ)	१-४-१९६१ को उसके पास निम्न विनियोग (Investments) थे :-
३%	सरकारी ऋण-पत्र
४%	यू० पी० सरकार का ऋण-पत्र
५%	भूनियिपल ऋण-पत्र

(ब) प्रत्येक दशा में ब्याज १ फरवरी तथा १ अगस्त को प्राप्त होता है ।

(म) वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में श्री मुखर्जी को निम्न ब्याज प्राप्त हुआ :— (i) ३% सरकारी ऋण पत्र से तीन वर्षों का ब्याज तथा (ii) भूनियिपल ऋण-पत्र से ७५०) का ब्याज ।

उत्तर : कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए श्री मुखर्जी की "प्रतिभूतियों से ब्याज" शीर्पक से आय ।

(i) ३% १०,०००) सरकारी ऋण-पत्र पर तीन वर्ष का प्राप्त ब्याज	रुपूर्ण
(ii) ४½% २०,०००) यू० पी० सरकार के ऋण-पत्र पर "देय" सिद्धान्त ( Due basis ) से साल भर का ब्याज	रुपूर्ण
(iii) ५% ३०,०००) म्यूनिसिपल ऋण-पत्र पर ६ महीने का प्राप्त ब्याज	रुपूर्ण
५% ३०,०००) म्यूनिसिपल ऋण पत्र पर ६ महीने का 'देय' ब्याज	रुपूर्ण
	<u>कुल :</u> <u>२१२००</u>

### प्रश्न संख्या १७ :

'ज' के विनियोग ( Investments ) गतवर्ष सन् १९६१-६२ में निम्न लिखित थे :—

- (क) १०,०००) ३% कर-मुक्त सरकारी ऋण ।
- (ख) २०,०००) ४% म्यूनिसिपल ऋण-पत्र ।
- (ग) ३०,०००) ५% जूट मिल कंपनी के ऋण-पत्र ।
- (घ) ४०,०००) ६% एक कंपनी के श्रीकृष्ण शेयर ।

"ज" के बैंक ने ब्याज सम्भव करने के लिए २००) बमीशन के लिए । 'ज' को १,०००) उस ऋण के ब्याज के देने पड़े जो उसने जूट कंपनी के ऋण-पत्रों को खरीदने के लिए लिया था । ब्याज १ अनवरी तथा १ चुलाई को मिलता है । 'ज' की प्रतिभूतियों से ब्याज की आय निकालिये ।

उत्तर : कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए प्रतिभूतियों से ब्याज की आय

	रुपूर्ण	रुपूर्ण
(क) कर-मुक्त सरकारी ऋण का ब्याज	३००	-
(ख) म्यूनिसिपल ऋण-पत्र	८००	
(ग) जूट मिल कंपनी के ऋण पत्र	१,५००	
		<u>२,३००</u>

कटौतियाँ ( Deductions ) :—		२,६००
(१) वैक कमीशन	२००	
(२) ऋण पर ब्याज	<u>१,०००</u>	<u>१,२००</u>
प्रतिभूतियों के ब्याज से कर-योग्य आय		<u>१,४००</u>

कर-मुक्त आय :—

सरकारी ऋण का ब्याज	<u>३००</u>
--------------------	------------

प्रश्न

प्र० १. मारतीय आयकर अधिनियम द्वारा प्रतिभूतियों की आय में से कौन कौन सी कटौतियाँ मिलती हैं ?

उ० : देखो अनुच्छेद २।

## अध्याय ७

मकान जायदाद की आय : धारा॑८ २२ से २७

[ INCOME FROM HOUSE PROPERTY—  
Ss 22 to 27. ]

१. मकान जायदाद की आय शीर्षक के अधीन कर-दाताओं को जायदाद के वार्षिक मूल्य पर कर कर देना पड़ता है। जायदाद के अन्तर्गत मकान, इमारत तथा वह खुली जमीन जो इमारत का ही बग हो जाते हैं। उस मकान या इमारत की आय पर कर नहीं लगता जिसमें मकान-मालिक वपना निजी व्यापार (जिसका लाभ कर चोग्य हो) करता है। इस शीर्षक के अन्तर्गत आयकर देने का दायित्व केवल मकान-मालिक का ही है। किसी मकान या इमारत को ठेके पर किराया देने से जो आमदनी प्राप्त होती है वह इस शीर्षक के नहीं बल्कि “वन्य साधनों से आय” के शीर्षक के अन्तर्गत कर-योग्य है।

२. वार्षिक मूल्य (Annual Value) :—

(१) इस शीर्षक के अन्तर्गत कर-योग्य किराया वह नहीं गिना जाता जो कि वास्तविक रूप में प्राप्त हुआ है परन्तु वह किराया जिसे ‘वार्षिक मूल्य’ कहते हैं। वार्षिक मूल्य का रात्यर्थ उस एक कल्पित किराए (Notional Rent) की रकम से है जिस पर मकान या इमारत प्रति वर्ष उचित किराए पर दी जा सके। जहाँ जायदाद पर स्थानीय कर लिया जाता है वहाँ पर यह रकम सुगमता पूर्वक निश्चित भी जा सकती है। वन्य स्थानों में मकान की स्थिति, बनावट, लागत तथा उसी द्वेष के अन्य मकानों के किराये के आधार पर ही वार्षिक नूतन निश्चित किया जा सकता है। वह वानश्यक नहीं कि किराए की रकम वार्षिक मूल्य के बराबर हो। यदि वास्तविक किराया स्थानीय सममता (Municipal valuation) से अधिक हो तो किराये की रकम पर कर लगाया जाएगा और वही रकम “वार्षिक मूल्य” समझी जायगी।

- (२) जायदाद की आय निकालने में हमें दो प्रकार की जायदादों में भेद करना होगा :—
- (अ) वह जायदाद जो किराए पर दी गई है; तथा
- (ब) वह जायदाद जिसे मकान मालिक स्वयं अपने निजी निवास के लिए पूर्ण तया अथवा आंशिक रूप में काम में ला रहा हो। दोनों प्रकार की जायदाद की आय निकालने की विधि भिन्न है।
- (३) जब मकान किराये पर दिया हुआ है तथा उस पर स्थानीय प्राधिकारी ( Local Authority ) द्वारा स्थानीय कर ( जिसमें सरविस कर भी शामिल है ) लिया जाता है तो किराए की रकम में से ऐसे कर का  $\frac{1}{2}$  भाग घटाया जाता है ; यदि जायदाद १-४-५० के पहले बना हुआ हो तो स्थानीय कर की पूरी रकम घटाई जाती है। शेष रकम उस जायदाद का वार्षिक मूल्य कहलाता है। यदि किरायेदार मकान की वावत कोई कर स्थानीय सत्ता को देता हो तो वह रकम प्राप्त किराये की रकम में जोड़ कर, बाद में स्थानीय कर की रकम का  $\frac{1}{2}$  या पूरा भाग जो भी हो, बाद दे दिया जाता है।
- (४) यदि कर दाता जायदाद को अपने स्वर्य के रहने के लिए काम में लाता हो तो उसका वार्षिक मूल्य ठीक उसी प्रकार निर्धारित किया जाता है जैसे कि किराए पर दिए हुए मकान का। इसके पश्चात् इस निर्धारित रकम में से इसका आधा या १,८०० ( जो भी कम हो ) घटा दिया जाता है। इस प्रकार जो रकम शेष रहती है वह उस मकान का वार्षिक मूल्य होता है। परन्तु यदि ऐसी रकम कर-दाता की कुल आय के १०% भाग से अधिक हो तो उस मकान का वार्षिक मूल्य कर-दाता की कुल आय के १०% के बराबर ही माना जायगा। इसे निकालने के लिए निम्न रूप [ Formula ] है :—  $10\% \times \frac{1}{2} \times$  ( कुल आय जो मालूम हो )।
- (५) यदि दूसरे स्थान में नौकरी करने या व्यापार अथवा व्यवसाय करने के कारण वह अपने मकान (केवल एक तक) में नहीं रह सकता हो तथा वह किसी अन्य काम में न लाया गया हो तो उस मकान की आय शून्य मानी जायगी। यदि वह गत वर्ष में किसी समय के लिए अपने ऐसे मकान में रहा हो तो उनका वार्षिक मूल्य भी उसी अनुपात में उसकी आय समझा जायगा।

(६) १-४-६२ के पश्चात् शुरूतया पूरा होनेवाले मकानों के वार्षिक मूल्य में से मकान पूरा होने के तीन वर्ष तक वार्षिक मूल्य में से ग्रन्तीक मकान जो किराये के लिए है, ६००) की रकम बाद दी जायगी। ऐसी अवस्था में किसी ऐसे मकान की आय 'नुकसान' में नहीं हो सकेगी।

३. वार्षिक मूल्य में से कटौतियाँ (Deductions from Annual Value)—धारा २४ :—किसी जायदाद की कर योग्य आय निकालने के लिए निम्नलिखित कटौतिया उसके उचित वार्षिक-मूल्य में से बाद दी जाती है :—

- (१) मरम्मत खर्च :—वार्षिक मूल्य का  $\frac{1}{2}$  भाग मरम्मत के लिये चाहे वह मरम्मत के लिए कोई रकम खर्च करे या न करे।
- (२) बीमा चन्दा :—जायदाद के नष्ट होने के बोखम नमृत्यु बीमा का दिया हुआ चन्दा (Insurance premium)।
- (३) रहन की रकम पर ब्याज :—यदि जायदाद रहन (Mortgage) की गई हो या उस पर अन्य पूँजीगत भार (Capital Charge) हो तो उनके ब्याज की रकम।
- (४) वार्षिक भार (Annual Charge) :—यदि जायदाद पर कोई वार्षिक भार [जो पूँजीगत नहीं है (not of a capital nature)] हो तो इस वार्षिक भार की रकम।
- (५) अन्य प्रकार के ऋण का ब्याज :—जायदाद को बनवाने, खरीदने, मरम्मत करवाने वथा पुनःनिर्माण करने के लिए यदि ऋण लिया गया हो तो उस ऋण का ब्याज।
- (६) जायदाद का भूमि किराया (Ground rent)।
- (७) जायदाद की मालगुजारी (Land revenue) जो दी गई हो।
- (८) संग्रह व्यय (Collection charges) :—जायदाद के किराए को पहुँच उसे भो संग्रह व्यय हुआ हो। उसकी रकम (वार्षिक मूल्य के ६% भाग तक)।
- (९) रिक्स्यान हूँड (Vacancy Allowance) :—यदि जायदाद पूर्ण या वासिक रूप से किसी समय के लिए खाली रहे तो उस समय के लिए जायदाद के वार्षिक मूल्य का उचित अनुपात रिक्स्यान हूँड के रूप में दे दिया जाता है।

(१०) छूटी हुई किराये की रकम ( Unrealised Rents ) यदि किराये की रकम किसी भी प्रकार वसूल नहीं की जा सके तो कुछ अवस्थाओं में वह वार्षिक मूल्य में से बाद दे दी जाती है।

### प्रश्न संख्या १८ :

एक मकान का वार्षिक किराया ६,०००) प्रतिवर्ष है। स्थानीय कर की कुल रकम २,०००) है जिसमें से ६००) किरायेदार स्वयं स्थानीय सत्ता को जमा करा देते हैं। यदि वह मकान १-४-५० के पहले बना हुआ है तो उसका वार्षिक मूल्य कितना होगा ?

उत्तर :

मकान का वार्षिक किराया	६,०००)
जोड़ो :—स्थानीय कर की वह रकम जो किरायेदारों ने स्थानीय सत्ता में सीधी जमा करा दी है।	<u>६००)</u>
	६,६००)
घटाओ :—स्थानीय कर की पूरी रकम	<u>२,०००)</u>
	वार्षिक मूल्य—४,६००)

### प्रश्न संख्या १९ :

श्री हीरालाल एक मकान का मालिक है। वह उस मकान में स्वयं रहता है। उस मकान का स्थानीय मूल्यांकन ३,०००) प्रतिवर्ष है। उस प्रकार पर उसका निम्न खर्च हुआ :—

मरम्मत खर्च—७००) ; अभिन वीमा प्रीमियम—२००) ; लड़के के विवाह के लिए मकान रहन ( Mortgage ) रखने का ब्याज—८००)। यदि कर-निधारण वर्ष १६६२-६३ के लिए उसकी अन्य साधनों से आय १२,०००) थी, तो उसकी जायदाद की आय निकालिए।

उत्तर :—

मकान का वार्षिक मूल्य [ कुल आय के १०% के बराबर =  $10\% \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times 11,000$  [ १२,०००-२००-८०० ] ] = १,२००

घटाओ :

( i ) $\frac{1}{2}$ मरम्मत खर्च	२००
( ii ) अभिन वीमा प्रीमियम	२००
( iii ) रहन रखने का ब्याज	<u>८००</u>
मकान से आय	कुछ नहीं

प्रश्न संख्या २० :—

श्री प्रेम दो मकानोंका मालिक है। ये मकान १६४८ में बनकर तैयार हुये थे। पहले मकान में जिसका स्थानीय मूल्य १,०००) प्रतिवर्ष है, वह स्वयं रहता है। दूसरा मकान जिसका वार्षिक स्थानीय मूल्य १,६००) है, २००) प्रतिमास के हिसाब से किराये पर दिया गया है। दोनों मकानों के खर्च निम्न प्रकार है :—

स्थानीय कर दोनों मकानों का २६०)

किराये दिए गए मकान पर जमीन कर १००)

“ “ “ के मरम्मत कराने के लिए  
लिये गये शृण का ब्याज ३००)

अग्नि बीमा प्रीमियम दोनों मकानों का २००)। उसकी अन्य साधनों से आय १५,०००) है। उसकी जायदाद की आय निकालिए।

उत्तर : ६०

दूसरे मकान का वार्षिक किराया २,४००

घटाओ :— स्थानीय कर की पूरी रकम १६०  

$$[ \frac{260 \times 1600}{2600} ]$$

वार्षिक मूल्य २,२४०

स्वयं के रहने के लिए मकान का वार्षिक मूल्य

[ किराये के मकान के आधार पर ] :— १,५००)

$$\frac{1,000 \times 2,400}{2,600} = 1,440$$

घटाओ :— स्थानीय कर की पूरी रकम

$(\frac{260 \times 1,440}{2,600})$  १००)  
 $\underline{1,440}$

घटाओ :— वैधानिक छूट—१ ७००)

घटा हुआ वार्षिक मूल्य ७००

दोनों मकानों का वार्षिक मूल्य २,६४०

बाद :— (i) ६० मरम्मत खर्च ४६०)

(ii) जमीन कर १००)

(iii) शृण पर ब्याज ३००)

(iv) अग्नि बीमा प्रीमियम २००)

$\underline{1,060}$

जायदाद की आय १,८५०

प्रश्न संख्या २१ :

श्री पासीमल दो मकानों का मालिक है। पहला मकान जिसका वार्षिक (स्थानीय) मूल्य २,५००) है, उसके परिवार के रहने के काम में आता है तथा दूसरा जिसका वार्षिक (स्थानीय) मूल्य ३,०००) है, किराये पर दिया गया है। यह मकान तीन महिने खाली रहा। दोनों मकानों के खर्चे निम्न प्रकार हैं :—

	पहला मकान	दूसरा मकान
	[ श्यामों में ]	
स्थानीय कर	२५०)	३००)
मालगुजारी	१००)	१२५)
मकान मरम्मत के लिए शूष्ण का व्याज	२००)	१००)
अग्नि बीमा ग्रीमियम	१५०)	२००)
रहन का व्याज	—	१७५)
किराया सम्रह व्यय	—	८५)

गत वर्ष में उसकी आय ६,०००) थी। श्री पासीमल की जायदाद की आय निकालिए।

उत्तर :—

श्री पासीमल की जायदाद की आय की संगणना

	₹०	₹१	₹०
(ब) किराये पर दिए हुए मकान का वार्षिक किराया		३,०००	
घटाओ :— <sup>१/२</sup> स्थानीय कर			१५०

वार्षिक मूल्य २,८५०

घटाओ :—(i) <sup>१/२</sup> मरम्मत खर्च	४७५)
(ii) मालगुजारी	१२५)
(iii) शूष्ण का व्याज	१००)
(iv) अग्नि बीमा ग्रीमियम	२००)
(v) रहन का व्याज	१७५)
(vi) सम्रह व्यय [ वार्षिक मूल्य के ६% तक ]	४५)
(vii) रिक्स्यान छूट ( <sup>१/२</sup> वार्षिक मूल्य)	<u>७१२</u> ) <u>१,८३२</u> १,०१८

(ब) स्वयं के रहनेवाले मकान का वार्षिक मूल्य : ७१६  
 $[ 10\% \times \frac{1}{12} \times ( 1016 + 600 - 100 - 200 - 150 ) ] *$

घटाओ :—

(i) $\frac{1}{12}$ मरम्मत खर्च	११६)			
(ii) मालगुजारी	१००)			
(iii) अमृण का व्याज	२००)			
(iv) अग्नि बीमा प्रीमियम	१५०)			
		५६६		१४७
			जायदाद की आय	१,१६५

प्रश्न संख्या २२ :— श्री सुभाष दो मकानों का मालिक है। एक मकान में जिसका स्थानीय मूल्यांकन १,०००) है वह स्वयं रहता है। दूसरा जिसका स्थानीय मूल्यांकन रु. १,६००) है वह २००) महिने से किराये पर दिया हुआ है। दोनों मकानों पर खर्चों निम्न प्रकार हैं :— स्थानीय कर २६०) ; किराये पर दिए हुए मकान की मालगुजारी १००) ; उसे मरम्मत करवाने के लिए अमृण का व्याज ३००) ; दोनों मकानों पर दिया हुआ अग्नि बीमे का जन्दा २००)। सुभाष की जायदाद से क्या आय होगी यदि सन् १९६१-६२ गतवर्ष के लिए उसकी अन्य साधनों से आय १५,०००) थी।

उत्तर :— श्री सुभाष की जायदाद से आय :—

कर निर्धारण वर्ष—सन् १९६२—६३ :—

आय का विवरण	रकम रु०	रकम रु०
-------------	---------	---------

किरायेदार से प्राप्त किराया २००) मासिक दर से २,४००

बाद दिया  $\frac{1}{12}$  स्थानीय कर ( १६०) ८०

किराये पर दिए गए मकान का वार्षिक मूल्य २,३२०

\* स्वयं के रहनेवाले भाग का किराया मूल्य

( Rental Value ) ( किराये पर दिये मकान

के आधार पर )—१०००  $\times \frac{1}{12} \times \frac{1}{2} =$  १,५००

बाद दिया  $\frac{1}{12}$  स्थानीय कर ( रु० १०० ) ५०

१,४५०

बाद दिया  $\frac{1}{12}$  वैधानिक छूट ७२५

स्वयं के रहने के मकान का वार्षिक मूल्य

दोनों मकानों का वार्षिक मूल्य :

७२५

३,०४५

वादः—	—	हिस्सा मरम्मत खर्च	५०७
मालगुजारी			१००
भूष पर व्याज			३००
बरिन बीमा श्रीमियम			२००
जायदाद से कर-योग्य आय			<u>१,१०७</u>
			<u>१६३८</u>

\* मकान-मालिक के स्वयं के रहनेवाले भाग का वार्षिक मूल्य यदि कुल आय के १०% भाग से अधिक हो तो यह निम्नलिखित प्रकार से निकाला जाता है :—

१०% $\times\frac{1}{1-\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}}$  ( कुल आय—जायदाद सम्बन्धी सब खर्चों जो मालूम है घटा कर )

नोट :—प्रश्न संख्या २० तथा २२ के उहम अन्तर को पाठकगण नोट करें।

### प्रश्न

प्र. १. मकान से आमदनी निकालने के बारे में भारतीय आयकर अधिनियम की घाराएँ २२ से २७ के अन्तर्गत नियमों का पूर्ण विवरण कीजिए।

उ. : देखो कंडिका १ से ३।

प्र. २. उचित वार्षिक मूल्य ( Annual Value ) पर एक टिप्पणी लिखो।

उ. : देखो कंडिका २।

प्र. ३. जायदाद की आय निकालने के लिए कौन कौन सी बटौतियाँ दी जाती हैं ?

उ. : देखो कंडिका ३।

प्र. ४. निम्न विवरण से श्री 'अ' की जायदाद से आय निकालिये :—

(अ) वह दो मकानों का मालिक है जिनकी मुनिसिपल गणना क्रमशः ५,०००) तथा ३,०००) है। दोनों मकानों का मुनिसिपल टैक्स ६००) है।

(ब) पहले मकान में वह स्वयं रहता है तथा इसका ५००) प्रतिमास की दर से किराये दिया हुआ है।

(स) अन्य साधनों से आय १०,०००)

उ० : १६, १३७) ( प्रथम मकान का उचित वार्पिक मूल्य १,६१४) है ।  
 प्र० ५. निम्न विवरण से श्री कान्त की जायदाद से आय निकालिए :—

- (i) वह तीन मकानों का मालिक है । उनका वार्पिक मूल्य क्रमशः २,०००), ३,०००) तथा ४,०००) है । स्थानीय कर ६००) है ।
- (ii) प्रथम मकान दिल्ली में है तथा २००) मासिक किराये पर दिया हुआ है । दूसरा मकान कलकत्ते में स्वय के रहने के काम आता है । पठने में नौकरी करने के कारण तीसरा मकान जो कि बम्बई में है साल भर खाली रहा ।
- (iii) उसकी वन्य साधनों से आय ५,००० है ।

उ० : जायदाद की आय २,५४४) । [ जिस मकान में वह रहता है उसका वार्पिक मूल्य हुआ ७५४ ) ]

---

## अध्याय ८

# व्यापार अथवा पेशे के लाभ तथा मुनाफे—धारा एँ २८ से ४३।

[ PROFITS AND GAINS OF BUSINESS OR  
PROFESSION—Ss. 28 to 43.]

१. आयकर का यह शीर्षक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि आयकर के अधिकांश रकम की प्राप्ति इसी शीर्षक के अन्तर्गत होनेवाली आय से होती है। इस शीर्षक के अन्तर्गत व्यापार अथवा पेशे [ व्यवसाय भी पेशे में शामिल है ] के शुद्ध वर्य योग्य लाभ पर ही कर लगाया जाता है। यह शुद्ध वर्य-योग्य लाभ [ Net taxable profit ] व्यापारादि के शुद्ध लाभ [ Net profit ] से तर्थात् मिन्न है; क्योंकि बहुत से ऐसे खर्च होते हैं जो कि सकल लाभ में से बाद दें दिये गये हैं, लेकिन आयकर अधिनियम के अनुमार ऐसे खर्च बाद नहीं दिये जा सकते। अतः वर्य-योग्य लाभ मालूम करने के लिए उन खर्चों के बारे में जानना अत्यन्त आवश्यक है जिन्हें कानून द्वारा बाद दिया अथवा नहीं दिया जाता।

२. “व्यापार अथवा पेशे के लाभ” के अन्तर्गत आनेवाली आय—धारा २८।

“व्यापार” के अन्तर्गत किसी प्रकार का धधा, वाणिज्य, उत्पादन अथवा व्यापार इत्यादि जैसा कोई अन्य कार्य या व्यवसाय आता है। “पेशे” के अन्तर्गत व्यवसाय (vocation) भी समिलित है। “व्यापार अथवा पेशे के लाभ” शीर्षक के अन्तर्गत निम्न प्रकार की आय आती है :—

(i) गत वर्ष में किसी भी समय किए गये व्यापार अथवा पेशे के लाभ तथा मुनाफे। मेनेजिंग एजेन्सी के लाभ भी इसी शीर्षक में आते हैं।

(ii) निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा प्राप्त अथवा उन्हें देय कोई हजारि की रकम अथवा कोई अन्य मुगलान जो उन्हें गतवर्ष में प्राप्त हो या देय हो :—

(अ) भारतीय कपनी के किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ( चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय ) जो कि उसे पूर्णतया प्रवंध करता हो, उसके समझौते की समाप्ति अथवा परिवर्तन के समय या बारे में ;

- (v) किसी भी व्यक्ति द्वारा (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय ) जो भारत में किसी भी दूसरी कंपनी का पूर्णरूपा प्रबन्ध कर रहा हो, उसके पद की समाप्ति अथवा उसकी शर्तों के परिवर्तन के समय या बारे में ;
- (vi) किसी भी व्यक्ति द्वारा ( चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाय ) जिसके पास किसी भी दूसरे व्यक्ति के व्यापारिक कार्यों के सम्बन्ध में भारत के लिए अभिकरण [ Agency ] है, उसके अभिकरण की समाप्ति अथवा उसकी शर्तों के परिवर्तन के समय या बारे में ।
- (vii) किसी व्यापारिक, पेशेवर अथवा इसी प्रकार की व्यवस्था द्वारा अपने सदस्यों के लिए की गई विशेष सेवाओं के उपलब्ध में प्राप्त थाए ।

### ३. घटाए जानेवाले खर्च [ Expenses expressly allowed ] :

व्यापार आदि की वास्तविक आय मालूम करने के लिए निम्न खर्चों रखला लाभ ने से घटाए जाते हैं :—

- (१) इमारत का किराया, कर, मरम्मत खर्च तथा वीमा खर्च—  
धारा ३० :

व्यापार आदि के लिए काम ने आनेवाली इमारत का किराया, मरम्मत खर्च, चालू खर्च, जमीन कर, स्थानीय कर, वीमा प्रीमियम इत्यादि खर्चें करदेय लाभ निकालने के लिए घटाए जाते हैं ।

- (२) मशीनरी, तथा फर्नीचर का मरम्मत खर्च तथा वीमा—  
धारा ३१ :

व्यापार आदि के काम में आनेवाली मशीनरी, संयंत्र ( Plant ) तथा फर्नीचर का चालू मरम्मत खर्च तथा वीमा खर्च घटाया जाता है ।

- (३) धिसाई तथा विकास फूट—देखिए अनुच्छेद ८ :

- (४) वैज्ञानिक खोज पर खर्च—धारा ३५ :

वैज्ञानिक खोज सम्बन्धी खर्चों के लिए निम्नलिखित कटौतियाँ दी जाती हैं ।

- (i) व्यापार सम्बन्धी वैज्ञानिक खोज के लिए किया गया पूँजीगत खर्च के अलावा किसी भी प्रकार का खर्च ।

- ( ii ) किसी वैशानिक अनुसंधान संस्था को दिया गया चन्दा जो कि वैशानिक खोज कर रही है वथवा किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज वथवा कोई बन्य तंत्रां को वैशानिक खोज के लिए दिया गया चन्दा ;
- ( iii ) किसी स्वीकृत विश्वविद्यालय, कॉलेज अथवा बन्य संस्था को दी हुई कोई रकम जो कि उस व्यापार से सम्बन्धित सामाजिक विज्ञान वथवा सास्थिक ( Statistical ) खोज के लिए काम में लाई जाय ;
- ( iv ) व्यापार सम्बन्धी वैशानिक अनुसंधान के लिए किये गए पूँजीगत खर्च का  $\frac{1}{4}$  हिस्सा ; वाकी हिस्सा बगले ५ वर्षों में परावर चिभाजित होकर बाद दिया जायगा ।

#### ( ५ ) अन्य कटौतियाँ—धारा ३६ :

- ( i ) व्यापार वादि के काम में आनेवाले माल अथवा स्टोर्स की रक्षा के लिए दिया गया वीमा प्रीमियम ।
- ( ii ) किसी कर्मचारी को उसकी सेवाओं के उपलक्ष में दिया गया व्यापार वादि के लिए उपलक्ष में दिया गया वीमा प्रीमियम ।
- ( iii ) कर्मचारी को उसकी सेवाओं के उपलक्ष में दिया गया व्यापार वादि के लिए उपलक्ष में दिया गया वीमा प्रीमियम ।
- ( iv ) स्वीकृत प्रौद्योगिक फण्ड अथवा स्वीकृत सूपरएन्यूएन कण्ड में मालिक द्वारा दिया गया चन्दा ।
- ( v ) कर्मचारियों के फायदे के लिए एक व्यापरिवर्तनीय ट्रस्ट के अन्तर्गत स्थापित किसी स्वीकृत प्रैच्यूटी फण्ड में मालिक द्वारा दिया गया चन्दा ।
- ( vi ) व्यापार वादि के काम में आनेवाले मृतक या बेकार जानवरों की खरीद कीमत तथा विक्री कीमत का अन्तर ।
- ( vii ) निम्न शब्दों को ज्ञान में रखते हुए हूँवत खाते ( Bad debts ) की कोई रकम :—
- ( अ ) हूँवत खाते के सम्बन्ध में कटौती उम दशा में दी जायगी जब कि वह रकम किसी भी गत वर्ष के लाम निकालने के लिए

हिसाब में लाइंग है हो वथना किसी लेन-देन के व्यापार में साधारणतया दी गई रूप की रकम हो तथा उस गत वर्ष में दूबत खाते के लिए में लिख दी गई हो ।

(व) यदि ऐसी रकम किसी गत वर्ष में लिख दी गई हो तिन्हु आय-कर अफसर ने उसे अमानविक गिनकर उन वर्ष के नके से बाद नहीं दिया हो तो ऐसी रकम को आयकर अफसर अगले वर्षों में भी बाद दे सकता है यदि वह इस बात से सनुष्ट हो जाय कि वह रकम बचून नहीं की जा सकती ।

(स) इसी प्रकार विची दूबत रकम के बारे में आयकर अफसर यह निश्चिन् करे कि वह जिन वर्ष में दूबत खाते लिखी गई है उम वर्ष में दूबत नहीं होकर पहले किसी गत वर्ष में दूब गई थी तो उसे पिछते कर-निधारणवर्ष वो (चार वर्ष तक की) कार्यवाही को पुनः खोलने का अधिकार है । ऐसी दशा में करदाता को आयकर अफसर का फैसला नामना होगा ।

### प्रश्न संख्या २३ :

निम्नलिखित दशाओं में बताइये कि करदाता को किस ब्र-निधारण वर्ष तथा कितनी रकम दूबत खाते की रकम के लिए उपर्युक्त गत वर्ष कैलेन्डर वर्ष है :—

(क) २५-६१ ६१ को बही-खाते में १०,०००) की रकम दूबत खाते के नाम लिख दी गई । कर-निधारण वर्ष १६६२-६३ के लिए ऐसी रकम के सम्बन्ध में बटोरी भाँगी गई । आयकर अफसर ने अपने रजाष्ठादर के दिन लिखे हुए फैसले के अनुनार देवल ४,०००) की रकम उपर्युक्त के लिए मजूर की । बाकी की रकम के बारे में उपने लिखा कि २,२००) की रकम देवल माझे ६२ ने ही दूबत हुई तथा ३,८००) की रकम अगस्त १६५८ में ही दूबत हो गई थी ।

(ख) २५-६-६१ के दिन बही-खाते में ५,०००) की रकम दूबत खाते के नाम लिख दी गई । आयकर अफसर ने १,५००) दूबत खाते की रकम के शीर्षक के अन्वर्गन मंजूर किए । रजाष्ठादर को करदाता ने उपर्युक्त का फैसला २,२००) में पूरा चुन्ना कर लिया ।

**उत्तर :—**(क) कर-निर्धारण वर्ष १९५६-६० का धारा १५५ के अन्तर्गत संशोधन होगा तथा करदाता को २,८००) की रकम उस वर्ष के लिए बाद दे दी जायेगी। कर-निर्धारण वर्ष १९६३-६४ के लिए करदाता को वाकी रकम अर्थात् ३,२००) की कटौती मिलेगी।

(ख) कर-निर्धारण वर्ष १९६३-६४ के लिए करदाता को ८००) [ ३,५००-२,७०० ] की कटौती मिलेगी क्योंकि हिसाब २८-४-६२ को पूरा चुकता हुआ तथा वह तारीख गत वर्ष १९६२ के अन्तर्गत आती है।

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास के लिए लम्बी अवधि के लिए अच्छे देनेवाले स्वीकृत विचारीय निगमों की आय में से कुल आयका १०% भाग तक [ जब तक कि वह निगम की प्रदत्त पूँजी के बराबर न हो जाय ] जो कि एक विशेष फण्ड में जमा किया गया है, खर्च के रूपमें बाद दिया जाता है।

#### (६) साधारण कटौती—धारा ३७ :

उपरोक्त खर्चों के अलावा वे अन्य सभी प्रकार के खर्चें जो पूँजीगत खर्चें नहीं हैं अथवा जो करदाता के व्यक्तिगत खर्चें नहीं हैं तथा जो व्यापार आदि के ही लिए पूर्णतया खर्च हुए हैं, सकल मुनाफे में से बाद दे दिये जाते हैं जैसे, कर्मचारियों का बेतन, सुरुत्त, उत्सव दीपावली खर्च ( ४०० ) तक ), विशापन खर्च इत्यादि।

एक कम्पनी को निम्नलिखित रकम से ज्यादा रकम मनोरजन खर्च [ Entertainment Expenditure ] के रूप में बाद नहीं दी जायगी :—

( १ ) कुल आय [ मनोरजन खर्च तथा विकास छूट बाद किये बिना ] के प्रथम १० लाख पर—१% या ५,०००) जो भी अधिक हो।

( ii )        "        "        अगले ४० लाख पर—१%

(iii)        "        "        " १२० लाख पर—१%

(iv)        "        "        की शेष रकम पर—        कुछ नहीं

(७) खनिज तेल के अन्वेषण सम्बन्धी व्यापार के लिए विशेष कटौतियाँ—धारा ४२ :

वैन्द्रीय सरकार की सहकारिता के लिए अथवा उसके साथ किए गए समझौते के अन्तर्गत किसी करदाता को जो खनिज तेल निकालने अथवा खोज करने का व्यापार करता हो उन वर्गमान खचों की कटौती दी जायगी जिनका उल्लेख वैन्द्रीय सरकार के माथ किए गए समझौते के अन्तर्गत वर्णित है।

४. न मिलनेवाले खर्च [ Inadmissible expenses ] :

निम्न प्रकार के खर्चे व्यापार इलादि की आमदनी मालूम करने के लिए नहीं घटाए जाते :—

- (१) पूँजीगत खर्च—धारा ३७।
- (२) करदाता का व्यक्तिगत खर्च—धारा ३७।
- (३) व्यापार वथवा पेशे के लिए पूर्ण रूप से काम में नहीं आनेवाले खर्च—धारा ३७।
- (४) कंपनी के लिए उल्लेखित रकम से अधिक मनोरंजन खर्च—धारा ३७।
- (५) करदाता के रहने के लिए काम में आनेवाले मकानात का किराया यदि मकान वैद्यत अशिक रूप में ही व्यापारादि के काम में आता हो तो—धारा १८।
- (६) किसी भी करदाता के लिए :—
  - (i) ऐसे व्याज की रकम जो भारत के बाहर दी गई है तथा जिस पर कोई कर नहीं काटा गया है तथा जिसके सम्बन्ध में भारत में ऐसा बोई व्यक्ति नहीं है जिसे धारा १६३ के अन्तर्गत अभिकर्ता माना जा सके।
  - (ii) व्यापारिक लाभादि पर संगनेवाले कर।
  - (iii) 'बेठन' शीर्षक के अन्तर्गत आनेवाली किसी रकम का भुगतान यदि वह भारत के बाहर हुआ हो तथा जिस पर कोई कर नहीं काटा या दिया गया हो।

- (iv) कर्मचारियों के लिए स्थापित प्रॉविडेन्ट या अन्य किसी कण्ड में करदाता द्वारा दिया गया चम्दा यदि करदाता ने ऐसे कण्ड से 'बेतन' शीर्षक के अन्तर्गत कर-योग्य भुगतानों पर भुगतान के समय अनुचित कर काटने का प्रबन्ध नहीं किया है—धारा ४० (अ)।
- (७) फर्म द्वारा सामीदार को दिया जाने वाला ब्याज, बेतन, कमीशन, बोनस, या अन्य पारितोषिक—धारा ४० (ब)।

### (C) एक कंपनी के लिए—

एक सचालक या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका कंपनी में विशेष हित हो अथवा उनके रिश्तेदार को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में दिया गया बेतन, फायदा अथवा सुविधा अथवा ऐसे व्यक्तियों के काम में आनेवाली अमवाबी (Asset) के सबन्ध में कोई छूट या खर्च यदि ऐसा खर्च या छूट कंपनी की आवश्यकताओं को देखते हुए आयकर अफसर की राय में अनुचित या अत्यधिक है—धारा ४० (स)।

- (८) बैंकिंग कम्पनियों के लिए वे तमाम रकम जो उनकी प्रतिभूतियों से ब्याज निकालने के लिए छूट के रूप में मिल चुकी है—धारा ४० (ड)।

### ५. भूतकाल में दी गई अतिरिक्त छूट जिसे वापस जोड़ा जाता है— धारा ४१।

इस धारा के अन्तर्गत किसी कर-निधारण वर्ष के लिए करयोग्य लाभ अथवा आय निकालते समय यदि कोई हानि, खर्च या अन्य घ्यय की रकम ब्यापारी को छट में दी गई हो तथा भविष्य में अन्य किसी भी गत वर्ष में वह रकम पूर्णतया अथवा आशिक रूप में वापस मिल गई हो तो जिस वर्ष में वह रकम प्राप्त की गई है, उसी वर्ष की आय मानी जायगी चाहे उस वर्ष वह द्यापार चालू हो या बन्द तथा वह उस वर्ष में कर-योग्य होगी। उदाहरणार्थ, गत वर्ष १९५६-६० में एक ब्यापारी को ६,०००) की छूट ढूबत मृण के बारे में मिली परन्तु गत वर्ष १९६१-६२ में उसमें से उसे ४,०००) प्राप्त हो गए तो कर निधारण वर्ष १९६२-६३ के लिए ४,०००) की आय कर-योग्य मानी जायगी।

## ६. हजानि की रकम पर कर—धारा ११२।

जब किसी कर-दाता ( कंपनी को छोड़कर ) की कुल आय में धारा २८ (ii) में वर्णित हजानि व्यवहा अन्य भुगतान की रकम सम्मिलित हो तो उसकी कुल आय पर निम्न तरीके से कर निकाला जायगा :—

- (i) कुल आय में हजानि की रकम तथा पूँजी गत लाभ घटाकर शेष आय पर साधारण रीति से आयकर रुधा अतिरिक्त कर लगाया जायगा ;
- (ii) व्यायाम ६ में वर्णित तरीके से पूँजीगत लाभ पर कर लगाया जायगा ; तथा
- (iii) हजानि व्यवहा आय सुगतानों पर कुल आय में से पूँजीगत लाभ तथा ऐसे हजानि की रकम का  $\frac{1}{3}$  भाग घटाकर शेष वचनेवाली आय की आपकर रुधा अतिरिक्त और भी औसत दरों ने कर लगाया जायगा ।

## प्रश्न संख्या २४ :—

श्री राय की आय का विवरण निम्न प्रकार से है :—

- (१) घर सम्पति से आय—धारा २२—२१,००० ;
- (२) हजानि की रकम—धारा २८ (ii)—६,००० ;
- (३) लम्बे अवसर वाली स्थायी परि सम्पत्ति से पूँजीगत लाभ धारा ४५—१३,०००)

श्री राय कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए किस प्रकार में कर देगा ?

**उत्तर :**—कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए भी राय जो निम्न प्रकार से आयकर रुधा अतिरिक्त कर देना होगा :—

- (१) २१,०००) पर आपकर तथा अतिरिक्त कर ; तथा
- (२) १३,०००) पर अव्याय ६ में वर्णित टग से आयकर रुधा अतिरिक्त कर ; तथा
- (३) ६,०००) पर ६५,०००) [ २१,००० $\times\frac{1}{3}$ +६,००० ] पर जगनेवाले आयकर रुधा अतिरिक्त कर की औसत दरों से आयकर रुधा अतिरिक्त दर ।

## प्रश्न संख्या २५ :

३१-१२-६१ को समाप्त हुए वर्ष के लिए एक व्यापारी का लाभ-हानि खाता निन्न प्रकार है :—

	रुपये		रुपये
भाड़ा	६,०००	सकल लाभ	५२,३००
बेतन	५,२००	ब्याज ( ग्राहकों का )	२,८००
दिवाली तथा पूजन खर्च	४००	घर संरक्षित वा किराया	२,४००
ऋण पर ब्याज	१२,५००	विविध आध	१,६००
विविध खर्च	५,५००	कमीशन	३,७००
दूबत ऋण	६००		
धर्मदाता	१००		
दूबत ऋण संचिति	२००		
स्थानीय कर	६००		
खुराक खर्च	८५०		
चोरी से नुकसान	१,४००		
शुद्ध लाभ	<u>२६,४५०</u>		
	<u>६२,८००</u>		<u>६२,८००</u>

## नोट—

- (१) भाड़े में १,२००) की ऐसी रकम शामिल है जो कि एक ऐसी दृकान का भाड़ा है जिसका व्यापारी स्वयं मालिक है ।
- (२) बेतन के अन्तर्गत २,४००) की ऐसी रकम है जो कि व्यापारी के एक लड़के, जो कि B. Com. का छात्र है तथा जो कमी-कमी व्यापार में मदद करता है, को बेतन के रूप में दी गई है ।
- (३) भूतकाल में उसके ही द्वारा दी गई इकम में से उसकी पत्नी ने १५,०००) का ऋण १६% सालाना ब्याज की दर से उसे दिया ।
- (४) विविध खर्च में हरद्वार की तीर्थ यात्रा का ८००) का खर्च सम्मिलित है ।
- (५) लोकमभा के सदस्य के कुछ अतिथियों के भोजन के सम्बन्ध में किया गया १५०) का खर्च खुराक खर्च में शामिल है ।
- (६) ६००) की नैफ्लेम तथा ८००) नगद की चोरी रात को उसके घर में से हो गई ।
- (७) उसने ५,०००) सोना अपानयन (Gold Smuggling) के कार्य से कमाए । यह रकम उसने अपने बही खाते में नहीं दिखाई है ।

(c) स्थानीय कर में ४००) की ऐसी रकम है जो कि उसके किराये पर दिए गए मकानों के सबन्ध में है।  
उसकी कुल आय निकालिए।

उत्तर :—

कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए उसकी कुल आय की संगणना—

(अ) व्यापार से आय :—

लाभ-हानि खाते से शुद्ध लाभ—	२६,४५०
बाद, किराये की आय	<u>३,४००</u>
	२३,०५०

जोड़ो : (१) घर्मादा	१००
(२) दूवत झूण सचिति	२००
(३) स्वयं को दिया गया किराया	१,२००
(४) अपने लड़के को दिया गया	
वेतन—इसे व्यापार के लिए नहीं है ऐसा प्राकृतिक	१,२००
(५) अपनी पढ़ी से लिए गए झूण पर ब्याज	२,४००
(६) हरद्वार तीर्थ यात्रा का खर्च	८००
(७) निजी मनोरजन	१५०
(८) चोरी से हानि	१,४००
(९) किराये दिये गए मकान पर स्थानीय कर	<u>४००</u>
	७,६५०
सोना अपानयन की आय	<u>३५,०००</u>
	४,०००
	३८,०००

(ब) घर-सम्पत्ति से आय :—

कुल किराया—	२,४००
बाद, इसे स्थानीय कर	<u>२००</u>
	२,२००
बाद, इसे मरम्मत खर्च	<u>३६६</u>
	१,८३४
कुल आय	<u>४०,८३४</u>

### प्रश्न संख्या २६ :

एक व्यापारी को निम्न प्रकार के खर्च सकल लाभ में बाद दिये जायेगे या नहीं :—

- (१) बैंक में पैसा जमा करने के लिए जाते समय कर्मचारी के लूटे जाने के कारण नुकसान।
- (२) कर्मचारी द्वारा कोप भग (Embezzlement)।
- (३) सभय से पूर्व अवकाश प्राप्ति के लिए कर्मचारी को दिए गये हर्जने की रकम।
- (४) ट्रेड मार्क की नकल करने वाली एक अन्य संस्था के विषद सफल मुकदमे में खर्च।
- (५) नई मशीनरी तथा संदर्भ को लगाने के लिये एक इंजीनियर की तीन महिने की तनख्याह।
- (६) मुपीम कोर्ट में इनकम टैक्स सम्बन्धी अपील के सिलसिले में एक बकील की फीस।
- (७) विना इजाजत माल आयात करने के लिए वहि: गुल्क (customs) विभाग द्वारा लगाए गए दड़ की रकम।
- (८) अूण के लिए दी गई दलाली की रकम।
- (९) सचालक के यूरोप यात्रा का व्यय। वह यूरोप में एक नई मशीनरी खरीदने के लिए गया था। मशीनरी अगले वर्ष में बैठायी गई।
- (१०) फेक्टरी में सलभन फेक्टरी कर्मचारियों के लिए डिस्पेन्सरी-कमरा बनाने का व्यय।

### उत्तर :—

- (१) यह खर्च बाद नहीं दिया जायगा क्योंकि यह व्यापार करने के कार्य में नहीं हुआ है।
- (२) यह खर्च बाद दिया जायगा क्योंकि व्यापार को जलाने के लिए साधारणतया रकम की जिम्मेदारी कर्मचारियों के ऊपर छोड़नी ही पड़ती है।
- (३) यदि कर्मचारी ने व्यापार के हित में समय से पहले अवकाश प्राप्त किया है तो ऐसी रकम बाद दे दी जायगी।

- (४) यह खर्च बाद दिया जायगा ।
- (५) यह पूँजीगत खर्च है तथा बाद नहीं दिया जायगा ।
- (६) यह निजी दायित्व के लिए खर्च है अतएव व्यापार में से बाद नहीं दिया जायगा ।
- (७) गैर कानूनी कार्यों के लिए दंड की रकम बाद नहीं दी जाती ।
- (८) यह पूँजीगत खर्च है अतएव यह बाद नहीं दिया जा सकता ।
- (९) यह पूँजीगत खर्च है इसलिए बाद नहीं दिया जा सकता ।
- (१०) यह भी पूँजीगत खर्च है । डिसपेन्सरी की लागत-कीमत पर नियमानुसार घिसाई छूट मिल सकेगी ।

७. घिसाई : ( Depreciation )—धाराएँ ३२, ३३, ३४, ३८, ४१ तथा ४३ :

व्यापार व्यवसाय या वृत्तिके निरन्तर काम आने से स्थायी सम्पत्ति जैसे भवन कर्नीचर, संयत्र, ( plant ) मशीनरी इत्यादि के मूल्यकी कमी को घिसाई कहते हैं । घिसाई की छूट केवल मालिक को ही निश्चित दरों के अनुसार दी जाती है । विभिन्न प्रकार की घिसाई की छूटों तथा पदों का वर्णन नीने दिया जाता है ।

### (१) साधारण घिसाई छूट ( Normal Depreciation )

धारा : ३२ साधारण घिसाई छूट स्थायी सम्पत्ति के लिखित मूल्य पर आयकर नियम, १९६२ में वर्णित निश्चित दरों के अनुसार दी जाती है । १८० दिन या अधिक काम आने पर घिसाई छूट की दर पूरी होती है । १ मास से अधिक तथा १८० दिन से कम आने पर निश्चित दर की आधी दर से ही घिसाई छूट मिलती है । उसी गत वर्ष के भीतर छरीदने और बेचने पर ऐसी परिमाण पर कोई घिसाई छूट नहीं मिलती ।

### (२) अतिरिक्त घिसाई ( Additional Depreciation ) :

११-३-१६४८ के बाद जो नई इमारत या नई मशीनरी या नया संयन्त्र व्यापार आदि के काम में लिया जावे तो उसके लिखित मूल्य पर लगाये जाने वाले वर्ष के बाद ५ कर-निर्धारण वर्षों तक साधारण घिसाई के बराबर अतिरिक्त घिसाई भत्ता दिया जाता है । यह कटौती कर-निर्धारण वर्ष १६४८-४९ तक ही मिल सकती है ।

**(३) अतिरिक्त चलने का भत्ता ( ExtraShift Allowance ) :**

जितने दिन दुगुनी अथवा उससे अधिक पर्याय (shift) तक संयंत्र या मशीन को काम में लाया जाया जाता है उतने दिनों के लिये साधारण घिसाई का ५० % अतिरिक्त पर्याय भत्ता मिलता है। इस भत्ते को मालूम करने के लिये साल में ३०० दिन माने जाते हैं।

**(४) प्रारम्भिक घिसाई ( Initial Depreciation )—धारा ३२ (१) (vi) :**

नई इमारत मशीनरी तथा संयंत्र ( जिन्हे विकास छूट नहीं मिलती है ) पर प्रथम वर्ष के लिये प्रारम्भिक घिसाई दी जाती है जो कि पूरी साल के लिए तथा पूरी दरों के अनुमार होती है। इसे लिखित मूल्य मालूम करने के लिए नहीं घटाया जाता परन्तु यदि सम्पत्ति बेची जाय या रद्द हो जाय या नष्ट हो जाय तो वास्तविक नुकसान या लाभ को मालूम करने के लिए यह प्रारम्भिक घिसाई अवश्य ध्यान में रखती जाती है तथा उसको घटाकर ही संतुलन छूट ( Balancing Allowance ) मालूम की जाती है। १-४-१९५६ से यह घिसाई बिलकुल बन्द कर दी गई है। इसके पहले १-४-१९४६ से यह साधारणतः नये मकान पर १५ % तथा नई मशीनरी या संयंत्र पर २० % दी जाती थी। वित्त आधिनियम १९६१ ने इस प्रकार की घिसाई को फिर से चालू कर दिया। ३१-३-६१ के पश्चात् २००) मासिक वेतन से कम पाने वाले कर्मचारियों के रहने के लिए बने हुए मकानों पर २० % प्रारम्भिक घिसाई की छूट दी जायगी।

**(५) विकास छूट ( Development Rebate )—धारा ऐ ३३ तथा ३४ :**

यदि ३१-३-१९५४ के पश्चात् कोई कर-दाता पूर्ण रूप से केवल अपने व्यापारिक कार्यों के लिए ही कोई मशीनरी या संयंत्र लगावं अथवा किसी नए जहाजका जलावतारण करे ( launch ) तो ऐसी मशीनरी, संयंत्र अथवा जहाज पर प्रथमवर्ष में उसकी लागत मूल्य के २५ % के बराबर विकास छूट दी जाती है। यदि नए जहाज का जलावतरण ३१-१२-१९५७ के बाद किया गया हो तो उस पर ४० % विकास छूट दी जायगी। यह प्रबन्ध भारत में औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने के लिये है। यदि मशीनरी अथवा संयंत्र ३१-३-६१ के पश्चात् लगाया जावे तो विकास छूट २० % के बराबर दी जायगी।

इस सम्बन्ध में निम्न वारें याद रखना आवश्यक है :—

- (i) जिन मशीनरी या संयंत्र अथवा जहाज पर विकास छूट मिलती है उस पर प्रारम्भिक घिसाई नहीं मिलती ।
- (ii) विकास छूट घिसाई नहीं है, इसलिए न तो यह लिखित मूल्य मालूम करने के लिये घटाई जाती है और न ही यह छूट मशीनरी इस्यादि को बेचने या रद्द करने से हुए लाभ या हानि का परा लगाने के लिए प्रयोग की जाती है । अशोधित विकास छूट बगले आठ बर्पों तक ले जाई सकती है ।
- (iii) यह केवल व्यापार के लिये ही दी जाती है, व्यवसाय अथवा वृत्ति के लिए नहीं ।
- (iv) १-१-भूद के पश्चात् लगने वाले नए संयंत्र मशीनरी आदि पर विकास छूट उभी मिलेगी जब कि विकास छूट की रकम का ७५ % भाग नके नुकसान खाते में स्थार लिख दिया गया हो तथा वह विशेष रिवर्व खाते में जमा कर दिया गया तो जो कि अगलेआठ बर्पों तक व्यापार के विकास आदि के काम में आये ।

(६) लिखित मूल्य (Written down Value)—धारा ४३ (६) :

घिसाई सम्पत्ति के लिखित मूल्य पर निकाली जाती है । किसी सम्पत्ति के लिखित मूल्य का अर्थ है :—

(अ) यदि सम्पत्ति को गतवर्ष में खरीदा गया हो तो उसकी दी गई वास्तविक कीमत से ; तथा

(ब) यदि तम्भति गतवर्ष से पहले खरीदी गई हो तो उसकी वास्तविक लागत में से कर-दारा को मिली हुई घिसाई की रकम को घटाने के बाद में जो रकम बचती हो, उससे ।

(७) संतुलनीयछूट ( Balancing Allowance )—धारा ३२ (१) (iii) :

यदि व्यापार के काम में आने वाली मशीनरी संयंत्र या इमारत आदि को बेच दिया जाय या रद्द कर दिया जाय या गिरा दिया जाय या वह नष्ट हो जाए तो इसके लिखित मूल्य में से विक्री मूल्य या शेष मूल्य ( Scrap Value ) को कम करने के सपरान्त लो नुकसान होता है वह संतुलनीय छूट के रूप में बाद दे दिया जाता है ।

## (c) संतुलनीय भार (Balancing Charge)—धारा ४१ (२) :

यदि विक्री मूल्य लिखित मूल्य से अधिक हो तो ऐसी संतुलनीय वृद्धि (Balancing Charge) सम्पत्ति के वास्तविक लागत की सीमा तक तो कर-योग्य लाभ समझा जाता है। परन्तु लागत के ऊपर का लाभ पूँजीगत लाभ (Capital Gains) समझा जावेगा।

## (d) अशोधित घिसाई (Unabsorbed Depreciation) :

यदि किसी व्यापार में लाभ न होने के कारण घिसाई की लूट न मिल सके या थोड़ा लाभ होने के कारण घिसाई का कुछ भाग बाकी रह जाए तो ऐसी घिसाई की शेष रकम को अशोधित घिसाई कहते हैं। अशोधित घिसाई आगामी वर्षों के लाभ में से बिना किसी प्रतिबन्ध के शोधित की जा सकती है। अशोधित घिसाई को संपत्ति का लिखित मूल्य मालूम करने के लिये बाद दिया जाता है क्योंकि यह घिसाई वास्तव में स्वीकृति की हुई घिसाई ही है।

## (१०) घिसाई के सम्बन्ध में ज्ञातव्य बातें :

(अ) साधारण घिसाई लूट केवल इमारत, मशीनरी संयंत्र तथा फर्नीचर पर ही दी जाती है। आयकर नियम १६६२ के नियम ५ के अनुसार कुछ साधारण घिसाई की दरें नीचे दी जाती हैं :—

(१) इमारत : प्रथम श्रेणी की इमारत	२.५ %
द्वितीय श्रेणी की इमारत	५ %
तृतीय श्रेणी की इमारत	७.५ %

यदि इमारत फेक्टरी के काम में आती है तो ऊपर लिखी दरों की दुगुनी दरें काम में ली जाती हैं।

(२) फर्नीचर तथा फिटींज़ : साधारण दर	१०%
होटलों के लिए	१५%

(३) मशीनरी तथा संयंत्र—	
साधारण दर	७%
कॉफी, चूट, जूते, शुक्कर, चावल की फेक्ट्रीयों	
तथा आटे की चक्कियों के लिए	६%
सीमेंट, पेपर, लोहा व स्पात फेक्ट्रीयों के लिए	१०%
कार व साइकल	२०%
मोटर लॉरी, ट्रैक्सी तथा ट्रक्स	२५%

- (व) अतिरिक्त घिसाई केवल नई मशीनों, संयंत्र तथा इमारतों (फर्नी-चर नहीं) पर ही दी जाती है।
- (स) अतिरिक्त पर्याय छूट केवल मशीनरी तथा संयंत्र पर ही दी जाती है।
- (द) प्रारम्भिक घिसाई केवल नए संयंत्र, मशीनरी, तथा इमारतों पर ११-१४% तक ही दी जाती है। नई प्रारम्भिक घिसाई केवल नई इमारतों पर ही दी जाती है।
- (इ) विकास छूट पूर्णतया केवल व्यापार के ही लिप काम में आने-वाले नये संयंत्र, मशीनरी तथा जहाज पर दी जाती है।

**प्रश्न संख्या २७ :**—गतवर्ष १९५७-५८ के लिए एक व्यापारी का घिसाई सम्बन्धी विवरण निम्नलिखित है :—

केशद्रीकी इमारत—प्रथम ध्रेषी (घिसाई दर—५%)

	८०	८०
१-४-५७ को लिखित मूल्य	२५,०००	
१-४-५७ को नई खरीद	१०,०००	
	<hr/>	३५,०००

मशीनरी : ( घिसाई दर १०% )

१-४-५७ को लिखित मूल्य	५०,०००
१-१०-५७ को नई खरीद	१२,०००
	<hr/>
	६२,०००

पुरानी मशीनरी सालमें १५० दिन दो पर्याय ( Shifts ) चली।

फर्नीचर : घिसाई दर ३%

१-४-५७ को लिखित मूल्य	३,०००
१-१०-५८ को नई खरीद	१,०००
	<hr/>
	४,०००

उसको कर-निधारण वर्ष १९५८-५९ के लिए घिसाई तथा विकास छूट की क्या रकम मिलेगी तथा १४-५८ को विभिन्न सम्पत्तियों का लिखित मूल्य क्या होगा ?

## उत्तर

कर-निर्धारण वर्ष १९५८-५९ के लिए घिसाई तथा विकास छूट :—  
पेकटी की इमारत :—

३५,०००) पर ५% से साधारण घिसाई	१,७५०
१०,०००) पर ५% से अतिरिक्त घिसाई	५००
<hr/>	

## मशीनरी :—

विकास छूट १२०००) पर २५% की दर से	२,०००
५०,०००) पर १०% से सालभरकी साधारण घिसाई	५,०००
१२,००० पर १०% से ६ महिने की साधारण घिसाई	६००
१२,०००) पर अतिरिक्त घिसाई	६००
अतिरिक्त पर्याय छूट $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times ५\% \times ५००० =$	१,२५०
<hr/>	
	७,४५०

## फर्नीचर :—

३,०००) पर ६% की दर से सालभरकी साधारण घिसाई १८०	
१,०००) पर ६% की दर से ३ महिने की घिसाई १५	
<hr/>	
	१६५

कुल घिसाई तथा विकास छूट रु. १२,८६५

## १-४-१९५८ को लिखित मूल्य :

१-४-१९५७ की लिखित मूल्य	घिसाई	१-४-१९५८ को लिखित मूल्य
पेकटी की इमारत	३५,०००)	२,२५०)
मशीनरी	६२,०००)	७,४५०)
फर्नीचर	४,०००)	१६५)

नोट :—इस प्रश्न में अतिरिक्त घिसाई छूट को संगणना समझाई गई है। यह कर-निर्धारण वर्ष १९५८-५९ तक के लिए काम में आयेगी।

### प्रश्न संख्या २८ :—

गत वर्ष १९६१-६२ के लिए एक व्यक्ति के घिसाई सम्बन्धित आंकड़े निम्न प्रकार है :—

फेक्ट्री के मकानात	मशीनरी
(घिसाई दर—५%)	(घिसाई दर—१०%)
१४-६१ के दिन लिखित मूल्य	१०,०००
नई खरीद—१-४-६१ के दिन	५,०००
	<u>५,०००</u>
	१५,०००
	३०,०००

कर निधारण वर्ष १९६२-६३ के लिए उसे घिसाई रथा विकास छूट की कमा रकम मिलेगी तथा १-४-६२ के दिन लिखित मूल्य (Written-down value) कमा रहेगी ?

उत्तर :

### फेक्ट्री के मकानात :—

१५,०००) पर ५% दर से साधारण घिसाई	७५०
१-४-६२ को लिखित मूल्य :— (१५,०००—७५०) = १४,२५०	

### मशीनरी :—

३०,०००) पर १०% दर से घिसाई	३,०००
२०,०००) पर १२% दर से विकास छूट	२,५००
१-४-६२ को लिखित मूल्य : (३०,०००—३,०००)=२७,०००	
सन् १९६२-६३ के लिए कुल घिसाई एवं विकास छूट	६०
	<u>६,२५०</u>

### प्रश्न संख्या २९ :—

एक व्यापारी का गत वर्ष कैलेण्डर वर्ष १९६१ है। निम्न विवरण से कर-निधारण वर्ष १९६२-६३ के लिए घिसाई छूट तथा सदूलनीय छूट निकालिए :—

मरीनरी—युरानी लिखित मूल्य—२०,०००) (घिसाई दर १०%)

नई—(मार्च ६१ में खरीदी गई तथा जगत्त ६१ में छताने में ही बेच दी गई) १०,०००)

फर्नीचर (घिसाई दर १०%) :—

लिखित मूल्य ६,०००) (मूल कीमत १२,०००) वह १२-२-६१ को ३,५००) में बेच दी गई।

उत्तर :—

६०

मशीनरी—पुगानी : २०,०००)	लिखित मूल्य पर १०% घिसाई— २,०००
नई : चौंकि नई मशीनरी उसी गत वर्ष में खरीदी थी	
बेची गई इसलिए कोई घिसाई नहीं दी जायगी।	—
फर्नीचर—लिखित मूल्य	६,०००)
बाद बिक्री मूल्य	<u>३,५००</u>
संतुलनीय छूट	<u>२,५००</u>
	<u>४,५००</u>

प्रश्न संख्या ३० :—

श्री कर्मवीर अपने हिसाब नित्य वर्ष के अनुनार रखता है। उसने मार्च १९६२ में अपना व्यापार बद कर दिया तथा उमाम भाल-असबाब बेच डाला। कर-निर्धारण वर्ष के लिए आयकर अफसर ने उसका शुद्ध नुकसान २१,०००) गिए। जून १९६२ में उसकी कुछ मशीनरी की अंतिम किश्त निपारित हुई। उस समय उसे लिखित मूल्य से ५०,०००) ज्यादा प्राप्त हुआ। कर-निपारिण वर्ष १९६३-६४ के लिए उसके आयकर दायित्व के सबध में विवेचन कीजिए।

उत्तर : नई घारा ६१ के अन्तर्गत उसे २१,०००) का नुकसान बाद मिलेगा तथा ५०,०००)-२१,०००) अर्थात् २८,०००) पर ही बर देना होगा।

### प्रश्न

प्र० १. “घिसाई” से आप क्या समझते हैं? यह किसे, कब तथा किस प्रकार दी जाती है?

उ० देखो अनुच्छेद ७।

प्र० २. संक्षिप्त टिप्पणिया लिखो :—

- (अ) बिकास छूट, (ब) संतुलनीय छूट, (व) अतिरिक्त पर्याय भत्ता,
- (द) लिखित मूल्य, (ई) अशोधित घिसाई।

उ० देखो अनुच्छेद (ब) ७ (५), (ब) ७ (७), (व) ७ (३), (द) ७ (६), (ई) ७ (६)।

प्र० ३. एक व्यापारी को उसके कर देप लाभ निकालने के लिए कौन सेखर्चे भवूर किये जाते हैं तथा कौनसे नामजर।

उ० देखो कडिका २ से ३.

प्र० ४. श्री शरदचन्द्र के निम्न लाभ हानि खाते से कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए उनकी व्यापार से कर-योग्य आय निकालिए :—

	रु०		रु०
दफ्तर खर्च	५,७२०	सकल लाभ	२७,६३५
मिश्रित खर्च	३,७०	सरकारी प्रतिभूतियोंका	
पूँजी पर व्याज	१,५८०	व्याज	१,६६०
व्याप्य ग्रृहण रक्षित निधि	८३५	बमीशन	३६५
आौटिट-फीस	३००	इूबे खाते की बखली	४४०
किराया	२,५१०	प्रतिभूतियोंके बेचने पर लाभ	७५०
इनकम टैक्स	१,७६०	मिश्र आय	३५०
धर्मादा	४८५		
बनूनी खर्च	३७०		
कमैचारी को दिया हुआ हर्जाना	१,५००		
इमारत खर्च	१,५००		
लाभ	१२,०००		
	<hr/> ३१,२००		<hr/> ३१,२००

कर-योग्य आय के सम्बन्ध में कुछ और विवरण निम्न प्रकार का है :—

(अ) किराये की रकम में ६००) की ऐसी रकम है जो उस मकान के बारेमें है जिसमें वह स्वयं रहता है।

(ब) बेतन खर्च में स्वीकृत प्रोविटेंट फंड में नालिक द्वारा चदे की ३२०) की रकम भी शामिल है।

(स) मिश्रित खर्च में १५०) की रकम फर्नीचर के बारे में है।

(द) कानून द्वारा प्राप्य धिसाई की रकम १,२७५) है।

उ० रु० १५,४२५

## अध्याय ६

### पूँजीगत लाभ : धारा एँ ४५ से ५५ [ CAPITAL GAINS—Ss. 45 to 55 ]

१. वित्त अधिनियम ( नवम्बर ) १९५६ द्वारा कुछ परिवर्तनों के साथ पूँजीगत लाभ पर कर लगाने की योजना को पुनः प्रारम्भ किया गया। पहले यह कर १ ४-४६ से ३१-३-१९५८ की अवधि में होनेवाले पूँजीगत लाभ पर लगता था। अब इस धारा के अन्तर्गत ३१ ३-१९५६ के पश्चात् किसी स्थायी परिसम्पत्त ( Capital Asset ) के हस्तातरण अर्थात् विक्रय ( sale ), विनिमय ( exchange ), अवत्याग ( relinquishment ) से होनेवाले लाभों पर कर लगाया जाता है। ऐसे लाभ उसी गत वर्ष की आय गिने जाएंगे जिस वर्ष में विक्रय इत्यादि हुए हैं।

२. (i) “स्थायी परिसम्पत्त” का अर्थ ( Meaning of “Capital Asset” )—धारा २ ( १४ ) :

‘स्थायी परिसम्पत्त’ के अर्थात् हर प्रकार की सम्पत्ति आती है, जहाँ वह करदाता के व्यापार के कार्य के लिए काम में लाई जाती हो, या नहीं। परन्तु इसमें निम्न प्रकार की सम्पत्ति शामिल नहीं है :—

- (अ) व्यापार के काम के लिए किया हुआ स्वन्ध ( stock ) इत्यादि।
- (ब) निजी वस्तुएँ ( जैसे, गहने, फर्नीचर इत्यादि ) ; तथा
- (स) भारत में स्थित कृषि जमीन।

(ii) लघुकालीन स्थायी परिसम्पत्त ( Short-term capital asset )—धारा २ ( ४२ ए ) :

वह स्थायी परिसम्पत्त जो हस्तातरण से पूर्व करदाता के पास १२ महिने से कम समय के लिए ही रो लघुकालीन स्थायी परिसम्पत्त बहलाती है।

३. छूट ( Exemptions )—धारा एँ ४६, ४७, ५३ तथा ५५ :—निम्न प्रकार के पूँजीगत लाभ पूर्णतया कर मुक्त हैं :—

- (१) इच्छापत्र ( will ) दान अथवा अपरिवर्तनीय ट्रस्ट द्वारा स्थायी परिसम्पत्त के हस्तातरण बरते से उत्पन्न होनेवाले लाभ।
- (२) पूर्ण रूप से अथवा आशिक रूप से विसी अविभक्त हिन्दू परिवार के घटवारे के समय स्थायी परिसम्पत्त के वितरण ( distribution of capital assets ) से होनेवाले लाभ।

- (३) एक कमनी द्वारा अपनी पूर्णतया अधीन ( wholly owned ) सहाय कंपनी ( subsidiary company ) को स्थायी परिसम्पत्ति के हस्तान्तरण करने से होनेवाले लाभ ।
- (४) एक सामेदारी स्थाय अथवा किसी अन्य जनमण्डल के भग होने पर उसके स्थायी परिसम्पत्ति के वितरण पर होनेवाले लाभ ।
- (५) किसी कंपनी के अवसायन ( Liquidation ) के समय उसके स्थायी परिसम्पत्ति के वितरण से होनेवाले लाभ ।
- (६) अपने उस रहने के मकान, जिसमें कि कर दाता या उसके माता-पिता दो वर्ष रहे हों के विकल से होनेवाले लाभ यदि ऐसे पूँजीगत लाभों की रकम को एक वर्ष के पहले या बाद में किसी दूसरे रहने के मकान को खरीदने अथवा दो वर्ष के भीतर नार मकान को बनवाने में लगा दिया गया हो । परन्तु यदि पूँजीगत लाभ की रकम नए मकान की कीमत से अधिक हुई तो वह अधिक रकम कर-योग्य है ।
- (७) यदि कर-दाता अपनी किसी इमारत को २५,००० रु० से कम रकम में बेचे तथा उसकी तमाम इमारतों का उचित विपणि मूल्य ( fair market value ) ५०,०००) से अधिक नहीं है तो ऐसे विकल से होनेवाले पूँजीगत लाभ कर-योग्य नहीं है ।

### प्रश्न संख्या ३१ :

श्री घोष ने अपने रहने वा मकान तारीख १५-६-१९६१ को १,२३,०००) में बेच दिया । धारा ४४ के अन्तर्गत उसे ६३,०००) का कुल पूँजीगत लाभ हुआ । उसने अगस्त १९६३ तक एक नया मकान ७१,०००) की लागत से तैयार करवा लिया । श्री घोष का पूँजीगत लाभ के बारे में क्या कर दायित्व है ?

### उत्तर :—

चूँकि श्री घोष ने पुराने मकान के विकल से दो वर्ष की अवधि के अन्दर ही नया मकान बना लिया तथा नए मकान की लागत पूँजीगत लाभ से भी कम है इसलिए उसे कोई कर नहीं देना पड़ेगा । यदि अगस्त १९६२ के पूर्व ही कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ का कर-निर्धारण समाप्त हो गया होगा तथा उसकी कुल आय की संगणना में ६३,०००) की रकम पूँजीगत लाभ के रूप में शामिल कर ली गई होगी तो वह उस कर-निर्धारण वर्ष के परिवर्तन के

लिए धारा १५५ के अन्तर्गत प्रार्थना कर सकता है। ऐसा करने पर २३,०००) की रकम आयकर अफसर द्वारा १६६२-६३ वर्ष की बुल आय में से बाद कर दी जायगी।

#### ४ कटौतियाँ ( Deductions ) :—

कर-योग्य पूँजीगत लाभ निकालने के लिए निम्नलिखित कटौतियाँ विक्रय आदि के प्रतिफल की रकम में से बाद की जाती हैं :—

- (१) विक्रय इलादि करने के सम्बन्ध में हुआ खर्चा ; तथा
- (२) कर-दाता को लगी हुई उस स्थायी परिसम्पत की वास्तविक कीमत (actual cost)। इस सम्बन्धमें निम्न वार्ते ध्यान रखने योग्य है :—
- (अ) यदि कर-दाता तथा स्थायी परिसम्पत के होनेवाले व्यक्ति में घनिष्ठ सम्बन्ध है तथा दूनकमटैक्स अफसर को यह विश्वास है कि विक्रय इलादि कर परिहार ( tax-avoidance ) के उद्देश्य से किया गया है तो उस स्थायी परिसम्पत की कीमत विक्रय के समय की उचित विपणी कीमत के बराबर मान ली जायगी। ऐसा करने के पूर्व आयकर अफसर को अपने इसप्रेविटग असिस्टेंट कमिश्नर से आशा हेनी पड़ेगी।
- (ब) यहाँ किसी स्थायी परिसम्पत पर कर दाता को घिसाई मिल चुकी है वहाँ उस सम्पत्ति की वास्तविक कीमत उसकी लिखित कीमत में धारा १२ (१) (iii) अथवा ४१ (२) के अन्तर्गत समायोजन ( Adjustment ) होने से बढ़ि या कमी की रकम को घटाने या बढ़ाने से मालूम की जायगी।
- (स) स्थायी परिसम्पत की वास्तविक कीमत के स्थान पर करदाता चाहे तो १-१-१६५४ को होनेवाली उचित विपणी कीमत ( fair market value ) को पूँजीगत लाभ में से घटाने के लिए मार्ग कर सकता है।
- (द) यहाँ कर-दाता को फर्म या कम्पनी की समाप्ति पर, अथवा अविभक्त हिन्दू परिवार के विभाजन पर अथवा दान-इलादि द्वारा कोई स्थायी परिसम्पत प्राप्त हुई हो तो १-१-१६५४ को होनेवाले उचित विपणी मूल्य के अनुसरण करने के अलावा भी अन्य कई रियायत मिलती हैं।

(इ) यदि उस परिसम्पत के बेचने के बारे में पहले कभी भी किसी भी प्रकार की रकम प्राप्त हुई हो तो वह रकम उसकी अमली कीमत में से घटाई जाती है।

५. पूँजीगत लाभ पर कर की संगणना : ( Computation of Tax on Capital Gains ) घारा ११४ तथा ११५ :

(ब) कंपनियाँ :—पूँजीगत लाभ पर एक कम्पनी द्वारा अपनी दरसे ( जैसे १९६२-६३ के लिए २५% ) आय कर देना पड़ता है। सन् १९५८-६० तक पूँजीगत लाभ पर अतिरिक्त कर ( Super-tax ) नहीं लगता था। १-४-'६० से कंपनियों पर भी १०% अतिरिक्त कर लागू हो गया। कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए यह कर लम्बी अवधिवाले स्थायी परिसम्पत के लिए घटाकर ५% बर दिया गया है। इस प्रकार सब मिला कर कम्पनी को ३०% कर देना पड़ता है। लघुकालीन स्थायी परिसम्पत से होनेवाले पूँजीगत लाभ पर सामान्य रूप से आयकर तथा अतिरिक्त कर लगता है।

(व) अन्य कर-दाता :—

अन्य कर-दाताओं के पूँजीगत लाभ पर कर की संगणना के लिए १-४-६२ से पूँजीगत लाभों को दो भागों में विभक्त किया गया है :—

- (१) लघुकालीन स्थायी परिसम्पत से होनेवाले पूँजीगत लाभ ; तथा
- (२) दीर्घकालीन स्थायी परिसम्पत से होनेवाले पूँजीगत लाभ।

लघुकालीन स्थायी परिसम्पत से होनेवाले पूँजीगत लाभ पर अन्य प्रकार की आय की भाँति आयकर तथा अतिरिक्त लगाया जायगा। दीर्घकालीन स्थायी परिसम्पत से होनेवाले पूँजीगत लाभ पर निम्न विधि में कर लगाया जायगा :—

- (१) कुल आय में से लघुकालीन स्थायी परिसम्पत से होनेवाले पूँजीगत लाभ तथा हजारि की रकम ( घारा २८ (ii) के अनुमार ) को घटा-कर बचनेवाली आय पर आयकर तथा अतिरिक्त कर की बौसत दर से दोनों प्रकार का बर ,

अथवा

- (२) दीर्घकालीन स्थायी परिसम्पत से होनेवाले पूँजीगत लाभ पर २५% आयकर ;  
जो भी कम हो, लगाया जायगा।

एक विशेष बात यह है कि दीर्घकालीन लाभी अवधिवाले स्थायी परिसम्पत्त पर यदि पूँजीगत लाभ ५,०००) से ज्यादा नहीं है अथवा कुल आय (पूँजीगत लाभ मिलाकर ) १०,०००) से अधिक नहीं है, तो ऐसे पूँजीगत लाभ पर कुछ भी कर नहीं लगता ।

६. पूँजीगत हानियों का प्रतिसादन तथा अप्रेनयन अथवा आगे ले जाना ( Set-off and carry forward of Capital losses) —धारा ४४ :

लघुकालीन परिसम्पत्त से होनेवाली वे पूँजीगत हानियाँ जो विस्तीर्ण में किमी ऐसे पूँजीगत लाभ में से पूर्णतया समाप्त नहीं हो सकती हैं वे आगे ले जाकर भविष्य में अगले ८ वर्षों तक होनेवाले ऐसे पूँजीगत लाभ से प्रति सादन ( Set off ) की जा सकती हैं। दीर्घकालीन परिसम्पत्त से होनेवाले नुकसान ऐसे परिसम्पत्त से होनेवाले लाभों से अगले ४ वर्षों तक प्रतिसादित किए जा सकते हैं ।

प्रश्न संख्या ३२ :

श्री सतीशचन्द्र, जो एक व्यापारी है, ने १-११-१९६१ को ६१,०००) में एक मशीन बेची जिसे उसने ४०,०००) में खरीदी थी तथा जिसके बारे में १५,०००) विसाई उसे मिल गई थी। इसके अलावा उसकी कुछ आय ५०,०००) है। कर-निधारण वर्ष १९६२-६३ के लिए यताइए उसका करदायित्व क्या होगा ?

उत्तर :—

श्री सतीशचन्द्र का मशीन बेचने पर कुल लाभ	रु० ६१,०००-२५,०००
	(लिखित मूल्य)

इसमें से १५,००० रु० धारा ४१ (२) में कर योग्य मन्तुलित लाभ है तथा २१,०००) धारा ४५ में पूँजीगत लाभ है। उसकी कुल आय निम्न हुई :—

अन्य कुल आय	५०,०००
धारा ४१ (२) के अन्तर्गत लाभ	१५,०००
	<hr/>
धारा ४५ के अन्तर्गत दीर्घकालीन परिसम्पत्त से पूँजीगत लाभ	६४,०००
	<hr/>
कुल आय	२१,०००
	<hr/>
	८६,०००

वह ६५,०००) पर आयकर तथा अतिरिक्त कर ६५,०००) की ही दर से देगा। इथा २१,०००) पर ८६,०००) (६५,०००+२१,००० (पूँजीगत लाभ) पर लगनेवाली आयकर तथा अतिरिक्त कर की दर से अथवा २५% आयकर की दर से जो भी कम हो कर देगा।

### प्रश्न

प्र० १. “पूँजीगत लाभ” पर एक छोटा सा लेख लिखो।

उ० देखो अनुच्छेद १ से ६ तक।

प्र० २. संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखो :—

- (i) स्थायी परिसम्पत्ति ;
- (ii) कर-मुक्त पूँजीगत लाभ
- (iii) लघुकालीन स्थायी परिसम्पत्ति ;

उ० (i) देखो अनुच्छेद २ ;

(ii) देखो अनुच्छेद ३ ; तथा

(iii) देखो अनुच्छेद २।

## अध्याय १०

### अन्य साधनों से आय—धारा॑ ५६ से ५९

#### [ INCOME FROM OTHER SOURCES—SECTIONS 56 to 59 ]

१. इस शीर्षक के अन्तर्गत कर दाता को उन सब प्रकार की आय व लाभ पर कर देना पड़ता है जो उमे आय के अन्य शीर्षकों के अलावा प्राप्त होती है। जैसे—

(i) लाभांश ;

(ii) मशीनरी संयन्त्र तथा फरनीचर को किराए पर देने से उत्पन्न होने वाली आय ,

(iii) विशेषाधिकार शुल्क (Royalty) के रूप में प्राप्त आय ;

(iv) भूमि से प्राप्त किराया (Ground rent) इत्यादि ।

#### २. कटौतियाँ—धारा॑ ५७ :

इस शीर्षक के अन्तर्गत कर देय आय निकालने के लिए निम्न कटौतियाँ दी जाती हैं :—

(i) सकल लाभाश की रकम में से लाभांश को बरूल करने के लिए किसी दलाल या अन्य व्यक्ति को दिया हुआ कमीशन अथवा अन्य कोई रकम जो लाभाश बसूल करने में रच्च हो, बाद दी जाती है ।

(ii) मशीनरी, संयन्त्र, मकानात अथवा फर्नीचर आदि किराये देने के धरे से प्राप्त थामदानी में से धिसाई की रकम धारा॑ ३०-३४ तथा ३६ के अनुसार बाद दी जाती है ।

(iii) उपरोक्त कटौतियों के अलावा अन्य कोई भी रकम जो इस शीर्षक के अन्तर्गत करदेय आय के उत्पन्न करने या कमाने के लिए पूर्णतया रच्च हो, बाद दी जाती है ।

३. करदाता के व्यक्तिगत खर्चे आय में से बाद नहीं दिये जाते—धारा॑ ५८ । जब कोई मकानात, मशीनरी अथवा संयन्त्र नष्ट हो जायें या बेच दिये जायें तो धारा॑ ४१ (२) के अनुसार करदेय लाभ निकाला जाता है ।

पिछले किसी कर-निर्धारण वर्ष में यदि कटौती की रकम अधिक दी गई हो तो उस पर धारा ४१ (१) के अनुसार कर भी लगाया जा सकता है— धारा ५६ ।

### लाभांश ( Dividends ) :

४. परिमापा :—धारा ५६ (२) (१) के अनुसार लाभांश “अन्य साधनों से आय” शीर्षक के अन्तर्गत कर देय होते हैं । धारा ८ के अनुसार लाभांश उस गत वर्ष की आय समझे जाते हैं जिस वर्ष वे घोषित किए गए हों अथवा वितरित किए गए हों अथवा भुगतान किए गए हों । नकद रूप में मिलने वाले लाभांशों के बलावा निम्न प्रकार की अन्य रकमें भी सामांश ही गिनी जाती है [ धारा २ (२३) ] :—

- (क) अपने सचित लाभ का किसी कंपनी द्वारा वितरण यदि ऐसे वितरण से कंपनी की संपत्ति कम होती हो तो ;
- (ख) ऋण-पत्रादि के रूप में अथवा बोनस के रूप में प्रीफरेन्स शेयर वादि का वितरण ;
- (ग) परिसमाप्ति ( Liquidation ) के अवसर पर सचित लाभ में से किसी कंपनी द्वारा कोई वितरण ;
- (घ) कंपनी के पौँजी के घटाए जाने पर किसी प्रकार का वितरण ;
- (ङ) किसी ऐसी कंपनी जिसमें जनता सारत बहु हित न हो (Public are not substantially interested) द्वारा अंशधारी को दी गई ऋण की रकम ( यदि वह रकम सचित लाभ की रकम के बराबर तक है तो ) । इस प्रबन्ध के कुछ अपवाद भी हैं ।

साधारणतया कंपनी की साधारण समा की तारीख जिसमें कि लाभांश घोषित किए गए हों, ही इस बात को निर्णय करती है कि अमुक लाभांश किस गतवर्ष की आय गिना जाय । जैसे, एक कंपनी ने अपनी साधारण सभा में तारीख १७-१-१९६१ को कुछ लाभांश घोषित किए जिससे श्री बगोक को ५,०००) लाभांश प्राप्त हुए । ५,०००) गतवर्ष १९६१-६२ की आय मानी जायगी तभी बगोक वो उस रकम पर कर-निर्धारण-वर्ष १९६२-६३ के लिए कर देना पड़ेगा ।

५. ‘कर-मुक्त’ तथा ‘कर-वाद’ लाभांश ( ‘Tax free’ and ‘Less tax’ Dividends ) :

कर-मुक्त लाभांश का अर्थ यह नहीं है कि अंशधारी को ऐसे लाभांश पर किसी प्रकार का कर नहीं देना पड़ेगा। इसका तात्पर्य केवल यही है कि ऐसे लाभाशों की रकम कंपनी द्वारा अंशधारियों को पूरी की पूरी दे दी जायगी तथा कंपनी पर लगने वाले कर की कटौती नहीं की जायगी। “कर बाद” लाभाश से तात्पर्य उन लाभांशों से हैं जो कि कंपनी द्वारा कंपनी पर लगने वाले आयकर को बाद करके वितरित किए जाते हैं। जैसे एक कंपनी को किसी अंशधारी को १००) लाभांश के देने हैं। यदि लाभांश ‘कर मुक्त’ है तो कंपनी उसे १००) की पूरी की पूरी रकम अंशधारी को धारा १६४ में वर्णित कर काट कर दे देगी। यदि लाभांश ‘कर-बाद’ है तो १००) में से कंपनी २५% कर जो कि उस पर लगता है काट लेगी। इस प्रकार ७५) का लाभाश अंशधारी को धारा १६४ में वर्णित नियम के अनुसार कर काटने के पश्चात् मिलेगा। इस सबन्ध में जो मुख्य बस्तु याद रखने योग्य है वह यह है कि कंपनी द्वारा अपनी आय पर लगने वाले कर की कटौती धारा १६४ में वर्णित कर की कटौती (विस्तृत विवरण के लिए देखिए अध्याय २०) से विलकूल भिन्न है। धारा १६४ में वर्णित निर्गम स्थान पर कर की कटौती अनिवाय है जबकि उपरोक्त कटौती नहीं।

#### ६ लाभाशों का सकल करना—(भारतीय आयकर अधिनियम १९२२ के अन्तर्गत) [ Grossing up of Dividends—(Under the Indian Income tax Act 1922) ] :

वित्त अधिनियम १९५६ तथा १९६० ने लाभाशों के कर-पद्धति में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिये हैं। पुरानी पद्धति के अनुसार अंशधारी के लाभाश की वास्तविक आय मालूम बरने के लिए उसके द्वारा प्राप्त किए हुए लाभाश में आयकर की वह रकम और जोड़ी जाती है जो कि कंपनी ने आयकर विभाग को दी है क्योंकि ऐसी रकम अंशधारी के लिए दी गई समझी जाती है। एक विदेशी कंपनी से प्राप्त हुए लाभाशों को सकल (Gross up) नहीं किया जाता है। यदि कंपनी की आय कर-मुक्त साधनों से प्राप्त है तथा कंपनी को किन्हीं कारणों से इस आय पर कुछ भी कर नहीं देना पड़ा है तो लाभाशों को सकल नहीं किया जायगा और अंशधारी के हाथों में ऐसी आय से प्राप्त लाभाश की पूर्ण रकम कर योग्य रहेगी। कंपनी के कर-निर्धारण वर्ष १९५८-६० या इससे पूर्व के किसी कर-निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित गत वर्षों के लिए ३० जून १९६० तक वितरित लाभांश ही सकल किये जायेंगे, अन्य नहीं।

लाभांशों को सबल करने के का सूत्र (Formula) निम्न है :—

$$\text{सबल लाभांश} = \frac{\text{नेट लाभांश} \times \frac{1}{1-\text{दर}\times\%}}{}$$

जबकि दर से वर्धे है कम्पनी पर लागू उस वर्ग की दर से वर्गात् १९५६-६० कर निर्धारण वर्ष के लिए  $30\% + 1.5\%$  सरचार्ज वर्गात्  $31.5\%$  से ; % से वर्ग कम्पनी के लाभ के उस प्रतिशत से है जिस पर कर लगा है ।

यदि कम्पनी की  $100\%$  आय पर कर लगा है, वहाँ  $100$ ) के लाभाय के लिये सूत्र हुआ —

$$\text{सबल लाभार्ण} = 100 \times \frac{3}{4} \frac{1}{3} \frac{1}{2} = 146)$$

यदि बंशधारी के और कोई आय नहीं है तो इस प्रकार पुरानी पद्धति से  $100$ ) के लाभाय पर  $46$ ) की रकम उसे वापस ( Refund ) मिलेगी ।

### ३. नवीन पद्धति के अन्तर्गत लाभार्ण ( Dividends under the new scheme ) :

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है वित्त विधिनियम १९५६ तथा १९६० के द्वारा लाभांशों को सबल करने की पद्धति बन्द कर दी गई । नवीन पद्धति के बहुसार निर्धारित दरों के हिसाब से लाभांशों में से कुछ रकम कम्पनी द्वारा काट ली जाती है । ऐसी काटी गई रकम ही बंशधारी को वापस दी जाती है अथवा उसके द्वारा दी जाने वाली कर की रकम में समायोजन ( Adjust ) की जाती है । नवीन पद्धति निम्न प्रकार के लाभांशों को लागू होती है :—

- (i) १९६०-६१ कर निर्धारण वर्ष या इसके पश्चात् के किसी अन्य वर्ष से सम्बन्धित किसी गठ वर्ष के लिए दिए गए लाभाय यदि उनका वितरण होना या सुगतान होना ३० जून १९६० के पश्चात् हुआ है ।
- (ii) १९५६-६० कर-निर्धारण-वर्ष या इससे पूर्व के किसी अन्य वर्ष से सम्बन्धित किसी गठ वर्ष के लिए दिए गये लाभाय यदि उनका वितरण होना या सुगतान होना ३० जून १९६० के पश्चात् हुआ है ।

उदाहरण :—

निम्न उदाहरणों से उपरोक्त स्थिति विलकुल स्पष्ट हो जाती है :—

क्रम संख्या	कम्पनी के गत वर्ष की समाप्ति तारीख	गत वर्ष से सम्बन्धित कम्पनी का वर-निर्धारण वर्ष	लाभांश के वितरण की तारीख	अंशधारी का कर-निर्धारण वर्ष यदि उसका गत वर्ष वित्तीय वर्ष है	लाभांश सकल होगा या नहीं
१	२	३	४	५	६

- (i) ३०-६-५८ १९५८-६० २८-२-५८ १९५८-६० सकल होगा (will be grossed up)
- (ii) ३०-६-५८ १९५८-६० १६-५-५८ १९६०-६१ " "
- (iii) ३१-१२-५८ १९५८-६० ११-८-५८ १९६०-६१ " "
- (iv) ३१-३-५८ १९५८-६० १४-५-६० १९६१-६२ " "
- (v) ३१-३-५८ १९५८-६० १-६-६० १९६१-६२ सकल नहीं होगा (will not be grossed)

- (vi) ३०-६-५८ १९६०-६१ १-३-५८ १९५८-६० " "  
(अन्तरिम लाभाश )

- (vii) ३०-६-५८ १९६०-६१ ११-११-५८ १९६०-६१ " "  
(viii) ३१-१२-६० १९६१-६२ १२-५-५१ १९६२-६३ " "

प्रश्न

१. संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :—

(अ) लाभांशों का सकल करना ;

(ब) लाभाश की परिमापा ।

उ० (अ) देखिए अनुच्छेद ६।

(ब) „ „ ४।

२. कर-निर्धारण वर्ष १९६०-६१ के लिए निम्न लाभांशों को सकल कीजिए :—

- (अ) ७½% १०० प्रिफरेंस शेवर—प्रति शेयर की रकम २००) ;
- (ब) १०% लाभांश एक सूक्ती-वस्त्र मील के १,०००) के शेयरों पर ; तथा
- (स) एक इंजीनियरिंग कम्पनी ( जिसके ८०% लाभ कर योग्य है ) के १,००० शेयरों पर यदि प्रत्येक शेयर ५) का है।

उ : (अ) ७५०) ; (ब) १५६) ; (स) ६,६८३) ।

---

## अध्याय ११

### आय का समूहन तथा हानियों का प्रतिसादन एवं अग्रेनयन अथवा आगे ले जाया जाना

#### [ AGGREGATION OF INCOME AND SET-OFF AND CARRY-FORWARD OF LOSSES ]

१. पिछले अध्यायों में विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत कार-योग्य आय को मालूम करने की रीति को हम समझ चुके हैं। किन्तु कुल आय निकालने के लिए कई ऐसी बातें भी जानना जरूरी है जिनका उल्लेख पिछले अध्यायों में नहीं हुआ है। इन विविध बातों का वर्णन इस अध्याय में निम्न तीन खंडों में किया जाता है :—

- (क) अन्य व्यक्तियों की आय को कर दाता की आय में जोड़ा जाना ;
- (ख) नकद उधार तथा अस्पष्ट निवेश [ Cash Credits and Unexplained Investments ] ; तथा
- (ग) हानियों का प्रतिसादन अथवा आगे ले जाया जाना तथा प्रतिसादन करना।
- (क) अन्य व्यक्तियों की आय को कर दाता की आय में जोड़ा जाना—धाराएँ ६० से ६५ :
- (क) अन्य व्यक्तियों की आय को कर दाता की आय में जोड़ा जाना—धाराएँ ६० से ६३ :

कुल आय की समाप्ति करने के लिए हस्तान्तरण तथा अवस्थापन के निम्न प्रभावों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है :—

- (i) यदि परिसंपत्ति (Asset) का हस्तान्तरण नहीं हुआ है तथा वैवल्य उसकी आय का ही हस्तान्तरण हुआ है तो ऐसी परिसंपत्ति की आय हस्तान्तरकर्ता की ही आय मानी जायगी।
- (ii) परिसंपत्ति के सहरणीय हस्तान्तरण ( Revocable transfer of assets ) से उत्पन्न होनेवाली आय हस्तान्तरकर्ता की ही आय समझी जायगी तथा ऐसी आय उसकी कुल आय में जोड़ी

जायगी। एक हस्तान्तरण नब सहरपीय समझा जाता है जब कि (ब) उसमें किसी ऐसी बात का उल्लेख हो जिससे हस्तान्तरकर्त्ता को परिसमर्पित या उसकी आय के बापस मिलने का अधिकार प्राप्त रहता हो; अथवा (व) हस्तान्तरकर्त्ता को परिसमर्पित या उसकी आय पर दुवारा स्वामित्व प्राप्त करने का अधिकार हो। यह नियम निम्न दो हालतों में लागू नहीं होगा :—

- (क) यदि हस्तान्तरण किसी ट्रस्ट-प्रलेख के बन्धनंतर हुआ है और वह हिताधिकारी के जीवन सक असंहरणीय हो; अथवा
- (ख) यदि हस्तान्तरण १-४-६१ के पूर्व हुआ हो तथा वह वर्ष से अधिक की अवधि तक असहरणीय हो।

### प्रश्न संख्या ३३ :

भी नरेश ने भी सुरेश के साथ ऐसा प्रबन्ध किया है जिसके द्वारा श्री नरेश के कुछ आप पत्रों का व्याज भी सुरेश को बीस वर्ष तक गिलवा रहेगा। आप-पत्र श्री सुरेश के नाम हस्तान्तरित नहीं हुए हैं। गत वर्ष १९६१-६२ के लिए ऐसे आप-पत्रों से श्री सुरेश (५,०००) की आय हुई। इसके बजावा उस वर्ष श्री नरेश तथा श्री सुरेश की आय क्रमशः १०,००० तथा १२,००० थी। वर-निधारण वर्ष १९६२-६३ के लिए इन दोनों की कुल आय निकालिए।

### उत्तर :—

चूंकि आप-पत्र श्री नरेश से श्री सुरेश को हस्तान्तरित नहीं हुए हैं इसलिए उनकी आय अर्थात् ५,०००) श्री नरेश की कुल आय में जोड़ी जायगी। इस प्रकार दोनों की कुल आय क्रमशः १५,००० (१०,०००+५,०००) तथा १२,००० हुई।

### प्रश्न संख्या ३४ :

श्री 'क' ने १-४-६१ को एक अवस्थापन-पत्र लिखा जिसके द्वारा उन्हें 'ख' को कुछ समर्पित बाड वर्षों के लिए हस्तान्तरित कर दी। उसके बनायार बाड वर्ष की अवधि के पश्चात् श्री 'क' पुनः इस समर्पित का मालिक बन जायगा। इस समर्पित से ३,०००) वार्षिक आय होती है। ३,०००) के बारे में श्री 'क' दधा श्री 'ख' का वर-दायित्व क्या होगा? यदि अवस्थापन-पत्र २४-३-६१ को लिखा गया होता तो उसके बनायित्व में क्या अन्तर हो जाता?

उत्तर :—

वयोंकि अवस्थापन संदर्भीय है श्री 'क' को ३,०००) पर कर-देना होगा। यदि अवस्थापन-पत्र २४-३-६१ को लिखा गया होता तो उसके कर-दायित्व में अन्तर हो जाता। ऐसी दशा में श्री 'क' को य वयों तक तो उस सम्पत्ति की आय पर कोई कर नहीं देना पड़ता तथा श्री 'ख' की कुल आय में ऐसी सम्पत्ति की आय भी सम्मिलित कर ली जाती।

३. भार्या अथवा भत्ता तथा नाबालिग बच्चों की आय-धारा ६४ :  
[ Income of Spouse & Minor child—Sec. 64 ] :

एक व्यक्ति की कुल आय की संगणना करने के लिए उसके भत्ता या उसकी भार्या तथा उसके नाबालिग बच्चों की आय भी उसकी आय में किन्हीं-किन्हीं परिस्थितियों में सम्मिलित की जाती है जिनका उल्लेख नीचे किया गया है :—

(१) एक व्यक्ति की कुल आय मालूम करने के लिए निम्न प्रकार की आय उसकी कुल आय में जोड़ी जाती है :—

(१) ऐसे व्यक्ति की भार्या अथवा उसके भत्ता की उस फर्म की सामेदारी से होने वाली आय जिसमें कि ऐसा व्यक्ति सामेदार है ;

(ii) ऐसे व्यक्ति के नाबालिग बच्चे की उस फर्म की सामेदारी से होनेवाली आय जिसमें कि ऐसा व्यक्ति सामेदार है ;

(iii) ऐसे व्यक्ति की भार्या अथवा उसके भत्ता की उस संपत्ति से आय जो कि उसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसके हक में विना पर्याप्त प्रतिफल के या विना प्रथक रहने के विचार से हस्तान्तरित की है ;

(vi) ऐसे व्यक्ति के किसी नाबालिग बच्चे की उस सम्पत्ति से आय जिसे उसने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में उसके पक्ष में विना उचित प्रतिफल के हस्तान्तरित कर दी है ( किन्तु विवाहिता लड़की को दी गई सम्पत्ति की व्यामदनी उसके माता पिता की कुल आय में नहीं जोड़ी जाती ) ; तथा

(v) किसी व्यक्ति अथवा जन समुदाय को उस सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली आय जिसे उस व्यक्ति ने विना उचित प्रतिफल के अपनी

भार्या व्यथवा अपने भर्ता व्यथवा नावालिंग बच्चे ( विवाहिता लड़की नहीं ) के हितार्थ हस्तान्तरित कर दी है ।

(२) उपरोक्त वर्णन से यह ज्ञात हो जाता है कि किन्हीं परिस्थितियों में पति की आय पल्ली की कुल आय में तथा पल्ली की आय पति की कुल आय में तथा नावालिंग बच्चों की आय उनके माता व्यथवा पिता की आय में जोड़ी जा सकती है । यद्यपि प्रश्न यह उठता है कि कब कौन-सी आय किम्की कुल आय में जोड़ी जाती है । इस सम्बन्ध में धारा ६४ की व्याख्या में निम्न नियमों का उल्लेख है :—

(i) उप-अनुच्छेद (i) के लिए उपरोक्त वर्णित आय उस व्यक्ति की कुल आय में जोड़ी जायगी जिसकी कुल आय ( ऐसी आय के अलावा ) दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा अधिक होगी ; तथा

(ii) उप-अनुच्छेद (ii) के लिए, जहाँ दोनों माता-पिता उस फर्म में सामेदार हैं जिसमें कि उनका नावालिंग बच्चा या बच्चे भी सामेदार है तो ऐसे नावालिंग बच्चे की आय उस माता या पिता की कुल आय में सम्मिलित की जायगी जिसकी की आय दूसरे ( मारा या पिता ) से अधिक है । उपरोक्त नियमानुसार जब कोई आय किसी भर्ता या भार्या या मारा या पिता की कुल आय में जोड़ी जाती है तो भविष्य में वह अन्य किसी दूसरे व्यक्ति की कुल आय में नहीं जोड़ी जा सकती जब तक कि उसे सुनवाई का एक मौका न दिया जाय ।

४. उस आय सम्बन्धी कर-दायित्व जो किसी दूसरे की कुल आय में जोड़ी जाती है—धारा ६५ :—

जब किसी व्यक्ति की आय दूसरे किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में जोड़ी जाती है तो कर-दाता के अलावा वह व्यक्ति भी जो कि उस आय का वास्तविक मालिक है या हकदार है, आय कर अफसर द्वारा कर की माँग आने पर ऐसी आय पर कर भुगतान के लिए विभेदार है ।

प्रश्न संख्या ३५ :

श्री कमल तथा श्रीमती कमल की आय का विवरण निम्न प्रकार है :—

	श्री कमल	श्रीमती कमल
(i) रजिस्टर्ड फर्म से हिस्सा (दोनों का हिस्सा बराबर है )	१०,०००)	१०,०००)
(ii) प्रति भूतियों का ब्याज	२,०००)	—
(iii) लाभांश ( सकल )	५,०००)	६,०००)
(iv) यह सम्पत्ति से आय	१,०००)	६,०००)
	<u>१८,०००)</u>	<u>२२,०००)</u>

कर निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए श्री कमल तथा श्रीमती कमल की  
कुल आय की संगणना कीजिए।

उत्तर :—

श्री कमल तथा श्रीमती कमल की कुल आय की संगणना  
कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३

	( दस्यो में )	
	श्री कमल	श्रीमती कमल
(i) प्रतिभूतियों का ब्याज	२,०००	—
(ii) लाभांश ( सकल )	५,०००	६,०००
(iii) यह-सम्पत्ति से आय	१,०००	६,०००
(iv) रजिस्टर्ड फर्म से लाभ का हिस्सा—श्री कमल तथा श्रीमती कमल दोनों का हिस्सा श्रीमती कमल की आय में जोड़ा जायगा जबकि उसकी बाकी आय ( इस आय के अलावा ) अधिक है		
	<u>२०,०००</u>	<u>२२,०००</u>
कुल आय	<u>८,०००</u>	<u>३२,०००</u>

(x) नकद उधार तथा अस्पष्ट निवेश (Cash Credits & Unexplained Investments) :

५. नकद उधार अथवा जमा रकमें—धारा ६८ :—यदि किसी कर-  
दाता की वहियों में कोई रकम किसी के भी हिसाब में जमा हो तथा

कर-दाता उस रकम के बारे में ठीक तरीके से स्पष्टीकरण नहीं कर सके अथवा जो स्पष्टीकरण कर-दाता दे वह आय कर अफसर द्वारा मान्य नहीं हो तो तो वह रकम कर दाता की उस गत वर्ष की आय मानी जायगी ।

६. अस्पष्ट निवेश—धारा ६६ :— कर निर्धारण वर्ष के ठीक पिछले विचीय वर्ष में यदि विसी कर-दाता ने कोई निवेश ( Investments ) किए हैं जिनका स्पष्टीकरण वह टीक रूप से नहीं दे सका हो तो वह रकम जिसके बारे में कर-दाता ने ठीक-ठीक स्पष्टीकरण नहीं किया है— उस कर दाता की उस विचीय वर्ष की आय मान ली जायगी ।

### प्रश्न संख्या ३६ :

श्री महावीर प्रसाद अपनी आय का हिसाब-किताब अंग्रेजी रान् वर्ष ( Calendar year ) के हिसाब से रखता है। कर-निधारण वर्ष १९६२-६३ के लिए उसने १४,०००) की कुल आय दर्शाते हुए आय का व्योरा-पत्र (Return of Income) भरा। कर-निर्धारण की कार्यवाही के समय आयकर अफसर ने उसकी वही में निम्न रकम की इन्द्राज ( entry ) देखी :—

“हुलाई २५, १६६१—१०,०००) श्री कानमल के जमा-रोकड़ी”

श्री महावीर प्रसाद इह इन्द्राज का ठीक से उत्तर न दे सका। इसके बलब्दा आयकर अफसर ने पूँछ-रूँछ से मालूम किया कि उसने २५,०००) के नेशनल सेविंग्ज सार्टिफिडेट्स ता० १३६६१ को खरीदे। ‘२५,०००) की रकम कहाँ से आई?’ प्रश्न के उत्तर में श्री महावीर प्रसाद ने निम्न उत्तर दिया :—

“अगस्त १६६१ में मेरे दादा की मृत्यु पर मुझे २५,०००) की रकम प्राप्त हुई। मेरे पास कोई भी लिखित या किसी अन्य प्रकार का सबूत नहीं है।” आयकर अफसर ने इस कथन का विश्वास नहीं किया। कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए श्री महावीर प्रसाद की कुल आय की समाप्ति कीजिए।

उत्तर :—

श्री महावीर प्रसाद की कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के

लिए कुल आय की संगणना :— रु०

आय के प्रपत्र ( Return ) के अनुसार आय	₹४,०००
---------------------------------------	--------

जोड़ो :— श्री कानमल के खाते में जमा रकम	१०,०००
---	--------

—धारा ६८ के अन्तर्गत	१०,०००
----------------------	--------

• अस्पष्ट विनियोग—धारा ६८ के अन्तर्गत	२५,०००
---------------------------------------	--------

कुल आय	<u>४६,०००</u>
--------	---------------

(ग) हानियों का प्रतिसादन तथा अग्रेनयन (Set-off and Carry-forward of Losses)—धारा<sup>ए</sup> ७० से ७६ :

७. हानियों का प्रतिसादन ( Set-off of Losses )—धारा<sup>ए</sup> ७०, ७१, ७३, तथा ७७.

हानियों के प्रतिसादन के सम्बन्ध में मुख्य नियम नीचे दिए जाते हैं :—

( i ) आय के एक शीर्षक के अन्तर्गत विभिन्न स्त्रोतों के नुकसान उसी शीर्षक के अन्य स्त्रोतों के लाभ से उसी वर्ष में प्रतिसादित किए जा सकते हैं ।

( ii ) “पूँजीगत लाभ” शीर्षक के अलावा अन्य किसी आय के शीर्षक के अन्तर्गत होने वाले नुकसान किसी भी अन्य आय के शीर्षक से होने वाली आय से उसी वर्ष में प्रतिसादित किए जा सकते हैं । यदि कर-दाता चाहे तो ऐसे नुकसानों का प्रतिसादन ‘पूँजीगत लाभ’ शीर्षक के अन्तर्गत होने वाली आय से न होकर अन्य शीर्षकों की आय से ही हो सकता है ।

( iii ) सट्टे के व्यापार की हानियों का प्रतिसादन केवल सट्टे के व्यापार के लाभ से ही उसी वर्ष में किया जा सकता है ।

( iv ) जहाँ करदाता अनरजिस्टर्ड फर्म के रूप में हैं, वहाँ उसके घाटे था नुकसान की पूर्ति या प्रतिसादन करने का अधिकार ऐवल उसीको है ; उसके किसी भी सामेदार को व्यक्तिगत रूप से फर्म में अपने हिस्से के घाटे की पूर्ति उसी वर्ष की आय में से करने का अधिकार नहीं है ।

८. व्यापारिक हानियों का अग्रेनयन ( Carry-forward of Business Losses )—धारा<sup>ए</sup> ७२ तथा ७३ :

यदि व्यापार में किसी वर्ष नुकसान हो जाए और वह रकम उस वर्ष की किसी अन्य आय से पूरी न हो सके तो नुकसान की ऐसी रकम आगे ले जाई जा सकती है और उसी या अन्य किसी व्यापार के लाभों से आगामी द वर्षों तक प्रतिसादित की जा सकती है यदि वह व्यापार जिसमें कि नुकसान हुआ है, उस गत वर्ष में चालू है । सट्टों की पिछले वर्षों से लाइ गई हानियों की रकम की पूर्ति केवल सट्टों के लाभ से ही थगले द वर्षों तक हो सकती है । जहाँ अशोधित घिमाई भी अस्तित्व में हो, व्यापारिक हानि की पूर्ति उसकी

पूर्ति के पहले कर लेनी चाहिए। यही नियम अशोधित वैशानिक खचों के बारे में भी लागू होता है।

६. “पूँजीगत लाभ” शीर्षक के अन्तर्गत होने वाली हानियों का अप्रेनयन धारा—७४ :

इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण के लिए देखिए पृष्ठ सख्या १०२।

१०. सामीदारी संस्थाओं के नुकसान का अप्रेनयन—धाराएँ ७५ से ७८ :

विस्तृत विवरण के लिए देखिए अध्याय १४।

११. कुछ कान्पनियों के नुकसानों का अप्रेनयन धारा ७९ :

विस्तृत विवरण के लिए देखिए अध्याय १५।

### प्रश्न

प्र० १. नकद उधार तथा अस्पष्ट निवेश सम्बन्धी प्रबन्धों का विवरण कीजिए।

उ० देखिये अनुच्छेद ५ तथा ६.

प्र० २. ‘हानियों के प्रतिपादन तथा अप्रेनयन एवं प्रतिसादन’ पर एक छोटा सानिवन्ध लिखिए।

उ० देखिये अनुच्छेद ७ से ११.

प्र० ३. पक्षि वधा नावालिंग बचों की धाय कर दाता की आय में किन-किन अवस्थाओं में जोड़ी जाती है उसका वर्णन करो।

उ० देखो अनुच्छेद ३.

प्र० ४. ‘हस्तान्तरण एवं अवस्थापन’ पर एक छोटी-सी टिप्पणी लिखो।

उ० देखो अनुच्छेद २.

## तीसरा भाग

### विभिन्न कर-दाताओं का कर निर्धारण

[ ASSESSMENT OF DIFFERENT ASSEESSES ]

अध्याय १२.

### व्यक्तियों का कर-निर्धारण

[ ASSESSMENT OF INDIVIDUALS ]

व्यक्तियों के कर निर्धारण सम्बन्धी मुख्य बातें नीचे दी जाती हैं :—

(१) सर्व प्रथम यह देखना चाहिए कि व्यक्ति किस प्रकार का निवासी है, क्योंकि निवास-स्थान के विचार से मिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के कर निर्धारण मिन्न होते हैं।

(२) तत्पश्चात् यह मालूम करना चाहिए कि व्यक्ति अविभक्त हिन्दू परिवार का सदस्य है या एक रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड फर्म का सामेदार है या किसी अन्य जन मढल या कम्पनी का सदस्य है अथवा इनमें से सभी का या दुष्क का मिश्रण है।

(३) गत अध्याय में बताए गए नियमों के अनुसार यदि उसके पति या उसकी पति की या उसके किसी नावालिंग वच्चे की कोई आय है जो उसकी आयमें शामिल होनी चाहिए तो यह देखना जरूरी है कि वह आय उसकी कुल आय में जोड़ ली गई है।

(४) अन्त में अध्याय ५ से ११ में बताए गए तरीकों के अनुसार उसकी कुल आय तथा कुल विश्व आय ( यदि व्यक्ति अनिवासी हो तो ) मालम करनी चाहिए।

### प्रश्न संख्या ३७ :

निम्न लिखित विवरण से सन् १९६२-६३ कर-निर्धारण वर्ष के लिए भी सुरेश, श्रीमती सुरेश तथा उनके नावालिंग वच्चों के ट्रस्टियों का कर-दायित्व निर्धारित कीजिए :—

(१) श्री सुरेश की अपने निजी व्यापार से गतवर्ष में ४,५०,००० रुपये की आय है।

(२) एक सामेदारी में श्री सुरेश तथा श्रीमती सुरेश दोनों घरावर के

हिस्सेदार है। सारी पूँजी भी सुरेश द्वारा ही लगाई गई है। गतवर्ष में उस साफेदारी द्वारा कुल आय १,००,००० रु० है।

- (३) श्री सुरेश ने एक प्रतिसंहार्य व्यवस्था-विलेख ( revocable deed of settlement ) लिखा है जिससे ४०,००० रु० लाभांशों द्वारा आय हुई है। इस व्यवस्था द्वारा सारी आमदनी श्रीमती सुरेश को जीवन भर मिलने के लिए है।
- (४) श्री सुरेश ने एक और प्रतिसंहार्य व्यवस्था-विलेख लिखा है जिससे ३०,००० रु० लाभांशों द्वारा आय हुई है। इस व्यवस्था द्वारा सारी आमदनी श्री सुरेश के तीनों नावालिंग बच्चों के जीवन भर के लिए है।

#### उत्तर :—

श्री सुरेश का सन् १९६२-६३ के निए कर-निर्धारण :—

(१) व्यापार के लाभ : स्वयं का व्यापार	४,५०,०००
रजिस्टर्ड फर्म से $\frac{1}{2}$ हिस्सा	<u>५०,०००</u>
	<u>५,००,००</u>
(२) अन्य साधनों से आय :	
स्त्री के हिस्से की रजिस्टर्ट फर्म से आय	५०,०००
दोनों व्यवस्थाओं ( settlements ) से आय	<u>७०,०००</u>
कुल आय..... . . . . .	८०,२०,०००

श्रीमती सुरेश तथा तीनों नावालिंग बच्चों को कोई कर नहीं देना पड़ेगा।

#### प्रश्न संख्या ३८ :

११ मार्च १९६२ को रामांति होने वाले वर्ष के लिए श्री रारतचन्द्र की आय का विवरण निम्नलिखित है :—

- (१) उसका बेतन १,००० रु० प्रति मास था। उसके यात्राभत्ते के बिल की कुल रकम ३,००० रु० थी परन्तु उसका वास्तविक खचां फैबल १,५०० रु० था।
- (२) उसने एक घैघानिक प्रोविडेंट फंड में १०% चन्दा दिया तथा उसके मालिक ने १३% चन्दा दिया। फंड की संचित राशि पर साल भर में १,००० रु० ब्याज प्राप्त हुआ।

(३) वह जयपुर में स्थित दो मकानों का मालिक है। एक मकान २,००० रु० प्रति मास की दर से किराए पर दिया हुआ है; दूसरा रहनेका मकान (जिसका वार्षिक मूल्य १,००० रु० है) साल भर खाली रहा क्योंकि उसकी नागपुर में बदली हो गई। इस मकान से उसे अन्य कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। दोनों मकानों पर ३०० रु० तथा १२० रु० क्रमशः स्थानीय कर लगता है।

(४) उसे कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों से ५०० रु. का ब्याज तथा लामांशों से ६०० रु. (सकल) की आय की हुई।

(५) वह अपने ६०,००० रु० के जीवन बीमा पर ४,००० प्रति वर्ष बीमा प्रीमियम देता है।

कर-निधारण वर्ष १९६३-६४ के लिए उसकी कुल आय तथा कर-मुक्त आय निकालिये।

### उत्तर :-

श्री शरत चन्द्र का सन् १९६२-६३ के लिए कर-निर्धारण :

( १ ) वेतन—	१,०००	रु० प्रति मास की दर से	रु०
( २ ) कर सुक सरकारी प्रतिमूलियों का ब्याज			१२,०००
( ३ ) जायदादकी व्याय—			५००
किराये पर दिये हुए मकान का वार्षिक			
किराया		२,४००	
वाद—स्थानीय कर		१५०	
			<hr/>
वार्षिक मूल्य	२,२५०		

वाद—मरम्मत खर्च है ३७५ १,८७५  
 [ दमरा मकान  
 धारा २३ (३) के अन्तर्गत मुद्दे हैं । ]

( ४ ) वन्य साधनों से आय

लामांसा	६००
अधिक यात्रा भत्ता	५००
	<u>१,१००</u>
कुल आय ***८०	<u>१५,४७५</u>

कर-मुक्त आय :

(१) स्वयं का प्रोविडेन्ट फंड में दिया हुआ चंदा	₹ २००
(२) जीवन-बीमा का प्रीमियम (प्रोविडेन्ट फंड का चंदा रुगा बीमा प्रीमियम कुल मिलाकर आय के $\frac{1}{4}$ हिस्से से अधिक नहीं होना )	₹ २,६६८
(३) कर-मुक्त व्याज	₹ ५००
	<hr/>
	कुल ₹०
	₹ ४,२६८

प्रश्न संख्या ३६ :

एक करदाता ने अपने गठबर्थ १-४-६१ से ३१-३-६२ के लिए निम्न-लिखित विवरण दिया है :—

- (१) एक भारतीय औद्योगिक कम्पनी से ८ महिने की रनल्वाइ २४,००० ₹०।
- (२) उसी कम्पनी से चीन में की गई सेवाओं के उपलब्ध में ४ माह का वेतन—१६,००० ₹०—(जिसे उसने चीन में ही प्राप्त किया)  
जिसमें से २,००० ₹० प्रति मास उसने अपनी स्त्री को भेजे।
- (३) विदेशी कम्पनी से विदेश में ही प्राप्त लाभांश ४,००० ₹०।
- (४) रजिस्टर्ड फर्म से अपने हिस्से की आय—१०,००० ₹०।
- (५) अंगमेर में किए गये तेल के घरे रो ६,००० ₹० की गठबर्थ की हानि  
इस वर्ष लाई गई है तथा इस वर्ष उस व्यापार से २,००० ₹० का  
लाम हुआ है।

उसकी कुल आय रथा कुल विश्व आय निकालिए यदि वह (i) पक्षा  
निवासी है तथा (ii) अनिवासी है।

उत्तर :—

	(i)	(ii)
	रु०	रु०
(१) वेतन :	२४,०००	२४,०००
(२) व्यापार के लाभ ( १०,०००+२,००० ) वाद, अजमेर के तेल व्यापार से हानि ६,०००	६,०००	६,०००
(३) विदेशी आय जिसे भारत में भेजा गया है :	८,०००	—
(४) विदेशी आय जिसे भारत में नहीं भेजा गया है : चीन में नौकरी बरने का वेतन ८,००० विदेशी कम्पनी के लाभांश	<u>८,०००</u>	<u>—</u>
	<u>१२,०००</u>	<u>१२,०००</u>
कुल आय रु०	५०,०००	<u>३०,०००</u>
विदेशी आय		<u>२०,०००</u>
कुल विश्व आय रु०		<u>५०,०००</u>

प्रश्न संख्या ४० :

मिस्टर सुनील 'न्यू-इण्डिया पब्लिकेशन्स' नाम की एक रजिस्टर्ड फर्म में १-४-६१ से मागीदार हुआ। ५०,०००) की रकम उसने फर्म में जमा कराई। इतनी पूँजी को लगाने के लिए उसे २०,०००) का शृण ६% वार्षिक ब्याज की दर से लेना पड़ा। गत वर्ष १९६१-६२ के लिये फर्म से उसकी उसका आय का हिस्सा १८,०००) था। मिस्टर सुनील की कर-योग्य आय निकालिए।

उत्तर :—

कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए मिस्टर सुनील की कर-योग्य आय की संगणना :

	रु०
रजिस्टर्ड फर्म से प्राप्त हिस्सा	१८,०००

घटाओ :—

शृण पूँजी पर ब्याज : २०,०००) पर ६% वार्षिक दर से	<u>१,२००</u>
कर-योग्य आय	<u>१६,८००</u>

## प्रश्न संख्या ४१ :

एक यूनिवर्सिटी के प्रो० जोशी की आय का विवरण निम्न प्रकार है :—

- (i) उद्यक्ति नियुक्ति २ चुल्लाई १६६० को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुई। वेतन की शेड ५००-३०-८०० है। मौहगाई वेतन के १०% के बराबर है।
- (ii) प्रोविडेन्ट फंड में उसका चन्दा ८% है तथा यूनिवर्सिटी का चन्दा १२% है।
- (iii) यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के रूप में उसके निम्न मुख्यायें प्राप्त हुईं :—  
 (१) १००) प्रति मास भत्ता ; (२) एक किराया-मुक्त मकान जिसकी मूल्यांकन वार्षिक संगणना ५४० है ; (३) एक चपरासी जिसे यूनिवर्सिटी की तरफ से ६०) माहवार के मिलते हैं ; रुपा (४) ४५) मासिक मोटरकार भत्ता।
- (iv) परीक्षक के रूप में उसकी आय ११५०) हुई ; तथा पुस्तकों की रायलटी से उसे ७५०) प्राप्त हुए।
- (v) वर्ष भर में उसे ३००) का सकल लाभांश प्राप्त हुआ।
- (vi) एक सुगम-वर्ग पहेली में उसे ६००) का पुरस्कार मिला।
- (vii) अपनी पुरानी जायदाद को बेचने में उसे १०,०००) का लाभ हुआ।
- (viii) अपने जीवन बीमा पॉलिसी पर उसने १,५००) का वार्षिक प्रीगियम दिया।

कर-निधारण वर्ष १६६२-६३ के लिये इसकी युल आय तथा कर-मुक्त आय की संगणना कीजिये।

उत्तर :—

प्रो० जोशी का सन् १६६२-६३ के लिए कर-निधारण :—

### १. वेतन :—

प्रथम चार मास का वेतन ५००)	प्रतिमाह से	८०
अगले बाढ़ „ „ ५३०)	„	४,२४०
मौहगाई भत्ता—वेतन का १०%		६२४
प्रोफेसरशिप भत्ता—१००)	मासिक की दर से	१,२००
किराया-मुक्त मकान की कीमत		५४०
मोटर-कार भत्ता		५४०
		<hr/>
		६,१४४

२. पूँजीगत लाभ :—जायदाद के बेचने से लाभ	१०,०००
३. अन्यसाधनों से आय :—परीक्षक के रूप में आय १,१५०	
रॉयलटी से आय	७५०
लाभांश (सकल)	<u>३००</u>
	<u>२,२००</u>
कुल आय	<u>२१,३४४</u>

### कर-मुक्त आय :—

१. स्वयं का प्रोविडेन्ट फंड में दिया गया चन्दा	
बेतन का ८%	४६६
२. जीवन बीमा प्रीमियम	<u>१,५००</u>
	<u>१,९६६</u>

नोट :—१. यद्यपि यूनिवर्सिटी का चन्दा उसके चन्दे से अधिक है तथापि वह आयकर इत्यादि से पूर्णतया मुक्त है क्योंकि प्रोविडेन्ट फंड वैधानिक प्रोविडेन्ट फण्ड है।

- २. चपराई का बेतन शासकीय आदेश के अनुसार कर-मुक्त है।
- ३. सुगम वर्ग पहली की आय आकस्मिक आय है अतएव वह पूर्णतया कर-मुक्त है।

### प्रश्न

प्र० १. राजस्थान के एक डेडिकेल कॉलेज के प्रोफेसर डॉ० सर्वेप की आय का विवरण निम्नप्रकार है :

- (१) बेतन ७५०) प्रतिमास तथा मकान किराया भत्ता १५०) प्रतिमास।
- (२) एक अनरजिस्टर्ड फर्म से २५% हिस्सा (=६०००)।
- (३) एक बगले की आय का  $\frac{2}{3}$  हिस्सा ; बगले की कुल कर योग्य आय ६,०००) वार्षिक है।
- (४) लाभांश : (i) दिल्ली क्लीथ मिल्स लि० से ६,०००) ; तथा (ii) कृषि उत्पादन कं० लि० से ७,०००) [ ५०% आयकर योग्य है तथा ५०% आय कर-मुक्त है ] ; लाभांश की रकम सकल है।
- (५) उसकी तथा पत्नि के जीवन बीमा पॉलिसी की रकम २०,०००) है। वार्षिक प्रीमियम की रकम ३,०००) है।

(d) गठ वर्ष में उसके निम्न विनियोग थे :—

(i) ५,०००) ५% कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ ; तथा

(ii) २,०००) पोस्ट बॉक्स सेविंग बैंक में जमा ( ५० रु० का ब्याज साल भर में जमा हुआ ) ।

उसकी पत्नि को अपने पिता से ५०,०००) विवाह के समय मिले । उस रकम को उसने उसी बनरजिस्टर्ड फर्म में जमा कराया लहाँ कि उसका पति नी मागीदार है । इस रकम के बदले में उसे फर्म के लाभ का  $\frac{1}{4}$  हिस्सा मिला ।

डॉ० सर्वीष की कुल आय तथा कर-मुक्त आय की सम्पत्ति कीजिये ।

उ० : कुल आय—३७,५५०) ; कर-मुक्त आय—१४,२५०) ।

---

जन हो चुका है तो वह इस परिवार के सभी सदस्यों से पृथक रूप से या संयुक्त रूप से परिवार पर लगनेवाले कर को बखल कर सकता है। एक सदस्य का कर-दायित्व उसके परिवार से मिलने वाली सम्भति के अनुपात में होगा।

### प्रश्न संख्या ४२ :

निम्नलिखित उदाहरणों में बतलाइये कि अविभक्त हिन्दू परिवार को ६,०००) की अधिकतम कर-मुक्त सीमा का लाभ प्राप्त होगा या नहीं :—

- (अ) मिताच्छरा न्याय-शास्त्र के अन्तर्गत एक हिन्दू परिवार है जिसमें एक पिता तथा दो बालिंग पुत्र हैं।
- (ब) मिताच्छरा न्याय-शास्त्र के अन्तर्गत एक हिन्दू परिवार में निम्न सदस्य हैं :—एक विधवा तथा उसके दो नावालिंग पुत्र।
- (स) एक मिताच्छरा हिन्दू परिवार में बेबल दो नावालिंग भाई हैं।
- (द) एक दयाभाग परिवार में ( बंगाली परिवार ) में दो बालिंग भाई हैं।
- (व) एक दयाभाग परिवार में पिता तथा उसके दो बालिंग पुत्र हैं।
- (र) एक दयाभाग परिवार में एक विधवा तथा उसके चार छोटे नावालिंग पुत्र हैं।

### उत्तर :—

- (अ) हाँ, क्योंकि वह अनुच्छेद २ (क) की शर्त पूरी करता है।
- (ब) नहीं, क्योंकि वह अनुच्छेद २ की कोई भी शर्त पूरी नहीं करता।
- (स) हाँ, क्योंकि वह अनुच्छेद २ (ख) की शर्त पूरी करता है।
- (द) हाँ क्योंकि वह अनुच्छेद २ (क) की शर्त पूरी करता है।
- (य) नहीं, क्योंकि वह अनुच्छेद २ की कोई भी शर्त पूरी नहीं करता ( दयाभाग न्याय-शास्त्र, जो कि बगाल में लागू है, के अनुसार पिता के जीवन में पुत्र को उसकी तथा परिवार की सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं रहता )।
- (र) नहीं, क्योंकि यह अनुच्छेद २ की कोई भी शर्त पूरी नहीं करता है।

### प्रश्न संख्या ४३ :

मेमस रामकुमार लख्खीप्रसाद एक अविभक्त हिन्दू परिवार है जिसके तीन वयस्क या बालिंग सदस्य बैटबारे के हकदार हैं। गत वर्षे १९६१-६२ में उसकी

बाय ६०,०००) है। कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के समय सदस्यों ने माँग यह की कि चौंकि उस परिवार का विभाजन (समान हिस्सों में) १-१२ १९६१ से हो गया है, कर-निर्धारण की कार्यवाही व्यक्तिगत सदस्यों पर ही होनी चाहिए। विभाजन की तिथि तक परिवार की कुल आय ६०,०००) थी। विभाजन के पश्चात् तीनों सदस्यों ने एक सामेदारी सत्या बनाई तथा उसके पंजीयन के लिए आयकर अफसर के पात्र ठीक समय में आवेदन कर दिया। आयकर अफसर ने ठीक जांच-पड़ताल के पश्चात् परिवार का विभाजन स्वीकार कर लिया तथा सामेदारी फर्म को पंजीकृत कर दिया। उक्त हिन्दू परिवार की तथा उसके सदस्यों की कुल आय की समाप्ति की गई।

### उत्तर :—

३०-११-६१ तक की आय की समाप्ति हिन्दू परिवार के कर-निर्धारण में होगी। उक्त हिन्दू परिवार के तीनों सदस्य सम्मुक्त रूप से तथा शृंखला रूप से परिवार पर लागेवाले कर के लिए जिम्मेदार हैं। १-१२-१९६१ से ३१-३-६२ तक की आय अर्थात् ३०,०००) पर रजिस्टर्ड फर्म को आयकर देना पड़ेगा। प्रत्येक सदस्य को १०,०००) पर अपने व्यक्तिगत कर-निर्धारण में कर देना पड़ेगा। फर्म द्वारा दिये गए कर पर सदस्यों को आयकर की लौटत दर से छूट मिलेगी।

### प्रश्न

- प्र० १. विविध हिन्दू परिवार के विभाजन के पश्चात् कर-निर्धारण पद्धति पर एक छोटी सी टिप्पणी लिखिए।
- उ० देखिए अनुच्छेद ३।
- प्र० २. संयुक्त हिन्दू परिवार के लिये ६,०००) की कर-मुक्त यीमा वब लागू होगी है।
- उ० देखिए अनुच्छेद २।

## सामेदारी फर्म तथा अन्य जन-मंडल का कर-निधारण

### [ ASSESSMENT OF FIRMS & OTHER ASSOCIATION OF PERSONS ]

१. आयकर अधिनियम के अन्तर्गत सामेदारी फर्म दो प्रकार के होते हैं :—(अ) रजिस्टर्ड या पंजीकृत फर्म, तथा (ब) अनरजिस्टर्ड या अपंजीकृत फर्म। दोनों का आयकर दायित्व एक दूसरे से बिलकुल भिन्न है। रजिस्टर्ड फर्म उस फर्म को कहते हैं जो कि आयकर अफसर द्वारा धारा १८५ के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया हो। अनरजिस्टर्ड फर्म वह है जो कि आयकर अफसर द्वारा पंजीकृत नहीं है। मारवीय भागेदारी अधिनियम १९३२ [ Indian Partnership Act 1932 ] के अन्तर्गत पंजीकृत करवाई गई फर्म तथा आयकर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत करवाई गई फर्म एक ही नहीं है। आयकर अनियम के अन्तर्गत फर्म को पंजीकृत कराने की विधि भिन्न है, जिसका उल्लेख नीचे किया गया है।

### २. फर्म का पंजीयन ( Registration of Firms ) :

आमानी के लिए फर्म के पंजीकरण विषय का विवेचन निम्न तीन शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है :—

- (i) पंजीयन कराने की विधि ;
- (ii) निवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात् की कार्यवाही ;
- (iii) पंजीयन का रद्द करना।

#### (i) पंजीयन कराने की विधि ( Application For Registration )—धारा १८४ :

- (१) आयकर अधिनियम के अन्तर्गत फर्म को पंजीकृत कराने के लिए किसी भी फर्म के द्वारा आवेदन किया जा सकता है यदि—
  - (अ) सामेदारी एक लिखित संलेख ( Instrument ) के अन्तर्गत है ; तथा
  - (ब) सामेदारी संलेख में प्रत्येक सामेदार का हिस्सा स्पष्ट रूप से दिया गया है।

- (२) इस सम्बन्ध में आवेदन पत्र उस आयकर अफसर के सम्मुख होना चाहिए जिसके लिए में वह कर्म कर देती हो या उसे देना पड़ता हो। कर्म के जीवन में या उसकी समाप्ति के पश्चात् आवेदन पत्र भरा जा सकता है। आवेदन पत्र में नावालिंग साकेदार को छोड़ कर सभी साकेदारों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि किसी भागीदार की मृत्यु हो गई हो तो उसका वैधानिक प्रतिनिधि हस्ताक्षर कर सकता है। यदि कोई भागीदार भारत के बाहर है अथवा पांचल है तो उसके लिए उसका प्रतिनिधि भी हस्ताक्षर कर सकता है।
- (३) जिस कर-निर्धारण वर्ग के लिए पंजीयन कराना हो उसके गठ वर्ग के अन्त तक आवेदन पत्र आयकर अफसर के पास पहुँच जाना चाहिए। किन्हीं विशेष परिस्थियों में यदि देरी हो जाय तो आयकर अफसर उसे जमा कर सकता है।
- (४) ऐसे आवेदन-पत्र के साथ मागिता सुलेख की असली प्रति तथा एक नक्ल नत्यी करना चाहिए।
- (५) आवेदन-पत्र आयकर नियम १६६२ के नियम २२ में वर्णित ढंग से निर्दिष्ट फार्म पर भर बर भेजना चाहिए तथा उसमें सभी निर्दिष्ट विवरण होने चाहिए।
- (६) जहाँ एक बार कर्म को पंजीकृत कर लिया जाता है तो उसे पुनः पंजीयन के लिए आवेदन नहीं करना पड़ता है यदि वह कर्म निम्न शर्तों पूरी करता हो :—
- (अ) कर्म के संगठन में तथा विभाजन विधि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ; उथा
- (ब) आयकर नियम १६६२ के नियम २४ में वर्णित सरीके के अनुसार कर्म अपने आय के प्रपत्र (Return of Income) के साथ एक घोषणा ( कर्म नॉ १२ के अनुसार ) निर्दिष्ट दरीके के अनुसार भरकर देवे।
- यदि किसी गठवर्ग में कर्म के संगठन में कोई परिवर्तन हो गया हो तो कर्म को पुनः पंजीयन के लिए आवेदन पत्र भरना पड़ेगा। १६६२-६३ कर-निर्धारण वर्ग से पंजीयन को पुनः ( Renewal ) कराने की विधि समाप्त कर दी गई है।

(ii) आवेदन-पत्र प्राप्ति के पश्चात् की कार्यवाही ( Procedure on receipt of Application )—धारा १८५ :

(१) फर्म को पंजीयन कराने के लिए आवेदन पत्र के प्राप्त होने पर आयकर अफसर उस फर्म की सच्चाई ( Genuineness ) तथा उसके संगठन के बारे में जाँच-पड़ताल करेगा तथा—

(अ) यदि वह संतुष्ट हो गया कि गतवर्ष में सामेदारी सलेख में वर्णित संगठन के अनुसार एक सच्ची फर्म थी, तो वह एक लिखित आदेश के अनुसार उस फर्म को पंजीकृत कर देगा ; तथा

(ब) यदि वह इस बात से संतुष्ट नहीं है तो एक लिखित आदेश के अनुसार उस फर्म को पंजीकृत करने से इन्कार कर देगा ।

(२) यदि आवेदन-पत्र के भरने में कोई त्रुटि हो तो आयकर अफसर उसे रद्द नहीं करेगा बल्कि फर्म द्वारा उसे सुधारने की एक सूचना देगा । ऐसी सूचना मिलने के १ मास के अन्तर्गत आवेदन-पत्र की भूलों को सुधार लेना चाहिए ।

(३) यदि उपरोक्त समय में फर्म उन भूलों का सुधार नहीं करेगी तो आयकर अफसर ऐसे आवेदन-पत्र को नामजूर कर सकता है ।

(४) मामेदारी सलेख में फर्म के पंजीकृत होनेका एक सार्टिफिकेट आयकर अफसर प्रति कर-निर्धारण वर्ष में लिख देगा ।

(५) यदि कर-निर्धारण धारा १४४ के अन्तर्गत हुआ है तो आयकर अफसर उस फर्म को उस वर्ष के लिए पंजीकृत करने से इन्कार कर सकता है ।

(iii) पंजीयन का रद्द करना (Cancellation of Registration)—धारा १८६ :

(१) एक रजिस्टर्ड फर्म के बारे में यदि कोई आयकर अफसर यह धारणा करे कि वह फर्म सच्ची फर्म नहीं है तो वह इंस्पेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर की अग्रिम अनुमति लेकर उस फर्म के पंजीयन को रद्द कर सकता है । किसी कर-निर्धारण वर्ष के दूसरे वर्ष बाद किसी भी दशा ने कोई पंजीयन रद्द नहीं हो सकता ।

(२) घारा १४४ में वर्णित किसी भी भूल के होने पर आयकर अफसर उस फर्म को १४ दिन का नोटिस देकर उसका पंजीयत रद्द कर सकता है।

(३) यदि किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए किसी फर्म का पंजीयन रद्द हो जाय तो आयकर अफसर उस फर्म के तथा उसके मागीदारों के कर-निर्धारण को इस तरह से सुधार देगा जैसे कि वह फर्म बनरजिस्टर्ड फर्म हो। घारा १४४ के अन्तर्गत ऐसे सुधार के लिए ४ वर्ष की अवधि पंजीयन के रद्द करने की जायगी।

३. फर्म की आय से भागीदार के हिस्से की संगणना की विधि ( Method of Computing a partner's share in the income of firm )—घारा ६७ :

(१) भागीदार की कुल आय मालूम करने के लिए एक सामेदारी फर्म में उसके हिस्से की रकम को निम्न ट्रॉप से निकाला जायगा :—

(ब) यदि गत वर्ष में विसी भागीदार को ब्याज, बेतन, कमीशन या - मेहनराना मिला हो तो वह फर्म की कुल आय में से बाद किया जायगा तथा वाकी रकम भागीदारों में बाट दी जायगी ;

(व) उपरोक्त रीति से आवन्टन ( Allocation ) के फलस्वरूप यदि वह रकम साम हुई तो उसमें भागीदार को मिलनेवाले ब्याज, बेतन आदि की रकम जोड़ी जायगी तथा जो रकम आयगी वह भागीदार का उस फर्म की आय का हिस्सा गिना जायगा ;

(स) यदि उपरोक्त रीति ( उप अनुच्छेद (थ) के अन्तर्गत ) से वह रकम नुकसान हुई तो भागीदार को मिलनेवाले ब्याज, बेतन आदि से उसका समायोजन हो जायगा तथा जो रकम आयेगी वह भागीदार का उस फर्म की आय का हिस्सा गिना जायगा।

(२) आय के विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत होनेवाली फर्म की आय की भागीदारों के हिस्सों के लिए विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत ही बाँटी जायगी।

(३) यदि किसी भागीदार ने फर्म में ऐसा लगाने के द्वेष कोई ऋण लिया है तो वह उसके हिस्से में से बाद दे दिया जायगा [ दैखिए प्रश्न संख्या ५० ]।

## ४. रजिस्टर्ड फर्म—धारा १८२ :

(अ) आयकर :—१४-१९५६ के पहले एक रजिस्टर्ड फर्म को अपनी कुल आय पर विभी मी प्रकार का आयकर नहीं देना पड़ता था। प्रत्येक भागीदार की कुल आय में ऐसी फर्म के लाभ का हिस्सा सम्मिलित होकर उस पर कर लगाया जाता था। परन्तु १४-१९५६ से रजिस्टर्ड फर्म की कुल आय पर (४०,००० रु० से अधिक होने पर) कर लगाया गया। कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए रजिस्टर्ड फर्म पर आयकर लगाने की अधिकतम कर-मुक्त सीमा को ४०,०००) से घटाकर २५,०००) कर दिया गया है। इसके अलावा ऐसे फर्मों पर आयकर लगाने के लिए भागीदारी की सख्ती के हिसाब से अन्तर किया गया है। यदि किसी रजिस्टर्ड फर्म में ५ या उससे अधिक भागीदार है तो उसे अन्य फर्म की अपेक्षा (जिसमें की चार या उससे कम भागीदार है) ज्यादा आयकर देना पड़ेगा। विच अधिनियम (न० २) १९६२ के अनुसार रजिस्टर्ड फर्म पर लगनेवाली आयकर की दरों का उल्लेख नीचे किया जाता है :—

कुल आय का विवरण	जहाँ फर्म में चार या उससे कम माणी- दार हैं।	जहाँ फर्म में पाँच या उससे अधिक माणी- दार हैं।
-----------------	---	--

(१) ग्रथम २५,००० रु० पर	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(२) अगले १५,००० रु० पर	५%	७%
(३) „ २०,००० रु० पर	६%	८%
(४) „ ४०,००० रु० पर	७%	९%
(५) „ ५०,००० रु० पर	८%	१०%
(६) शेष रकम पर	१०%	१२%

इसके अलावा भागीदारों को अपने हिस्सों पर पहले की जैसे आयकर देना पड़ेगा। फर्म द्वारा दिये गये आयकर पर उन्हें आयकर की औसत दर से ह्रूट मिलेगी।

(ब) अतिरिक्त कर :—एक रजिस्टर्ड फर्म की कुल आय पर अतिरिक्त कर नहीं लगता है। फर्म के प्रत्येक भागीदार की आय में फर्म के लाभ का हिस्सा नोड़ा जाता है तथा इस प्रकार भागीदार को अपनी कुल आय पर अतिरिक्त कर देना पड़ता है।

(स) हानियों का प्रतिसादन एवं अप्रेनयन—धारा॑ ७० से ७५ : - फर्म के नुकसान का उसकी अन्य बाय से प्रतिसादन होता है। शेष नुकसान की रकम का आवन्टन या चिमाजन मागीदारों में उनके हिस्से के बनुपात में हो जाता है। प्रत्येक मागीदार फर्म से अपने हिस्से के नुकसान की पूर्ति अपनी अन्य बाय से उसी वर्ष में कर सकता है। यदि नुकसान की बाकी रकम रह जाय तो वह आगामी आठ बयों तक उसे आगे ले जाकर अपने किसी अन्य व्यापार के लाभ से प्रतिसादित कर सकता है। रजिस्टर्ड फर्म को अपने नुकसानों को आगे ले जाने का कोई अधिकार नहीं है।

(द) फर्म के अनिवासी मागीदार पर कर का निर्धारण उस पर लागू होनेवाली दरों के हिसाब से फर्म पर ही किया जायगा तथा ऐसी कर का सुगतान फर्म द्वारा होगा।

(३) एक रजिस्टर्ड फर्म अपने मागीदार के ऊपर लगानेवाले कर के सुगतान के लिए उनके दिस्से का ३०% मात्र उस समय तक रोक सकती है जब तक कि मागीदार द्वारा कर का सुगतान नहीं हो जाय। यदि किसी मागीदार द्वारा कर का सुगतान न हो सके वह फर्म से बसूल किया जा सकता है।

#### ५. अनरजिस्टर्ड फर्म—धारा १८३ :

(अ) आयकर :—ऐसी फर्म पर एक अविवाहित व्यक्ति की माँति ही उसकी कुल आप की रकम पर कर लगाया जाता है। यदि इसकी कुल आय कर-योग्य न्यूनतम सीमा से कम है तो इस पर कोई आयकर नहीं लगता। यदि फर्म पर कर लग गया हो तो मागीदारी की अन्य आय में फर्म से उनका हिस्सा छेकल कर की दर निश्चित करने के लिए ही जोड़ा जाता है। यदि फर्म की कुल आय कर-योग्य सीमा से बहुत ही तो मागीदारों को अपनी अन्य आय के साथ सार्थ अपना फर्म के लाभ के अपने हिस्से पर भी कर देना पड़ेगा।

(ब) अतिरिक्त कर :—ऐसे सार्थ पर व्यक्ति की ही भाँति अतिरिक्त कर लगता है और यदि फर्म पर अतिरिक्त कर लग गया हो तो फर्म के लाभ से अपने हिस्सों पर मागीदारों को अतिरिक्त-कर

नहीं देना पड़ता। ऐसी आय उनकी अन्य आय में केवल अतिरिक्त कर की दर निश्चित करने के लिए जोड़ी जाती है।

(c) घाटेका प्रतिसादन तथा उसका आगे ले जाना : अपंजीयित सार्थ प्रथम तो अपने व्यापारिक घाटे का प्रतिसादन उसी वर्ष में अपनी अन्य आय में से कर सकता है और शेष रहे घाटे को आगामी द वर्षों तक व्यापारिक हानि के रूप में आगे ले जा सकता है। किन्तु कोई भी भागी सार्थ में अपने हिस्से की हानि का प्रतिसादन अपनी अन्य आय से नहीं कर सकता।

(d) अपंजीयित सार्थ को पंजीयित सार्थ माना जाना ( Unregistered firm assessed as registered firm ) : धारा १८३ (बी) — इनकम-टैक्स अफसर को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि वह यह समझे कि एक अपंजीयित सार्थ को पंजीयित मानने से अधिक आयकर और अतिरिक्त कर मिलेगा तो वह इसके बस्तुतः पंजीयित न होने पर भी इसे पंजीयित सार्थ मान लेगा। ऐसी परिस्थिति में कर-निर्धारण के समय ‘पंजीयित अथवा रजिस्टर्ड फर्म’ के लिए लागू होनेवाले सभी नियम तथा सिद्धान्त ऐसी पंजीयित मानी गए फर्म के कर-निर्धारण में भी लागू होंगे।

६. संगठन में परिवर्तन, उत्तराधिकार एवं विघटन [ Changes in Constitution, Succession & Dissolution ) — धारा १८७ से १८६ :

(१) फर्म के संगठन में परिवर्तन—धारा १८७ :

धारा १८३ या १४४ के अन्तर्गत कर-निर्धारण करते समय यदि इस बात का ज्ञान हो जाय कि फर्म के संगठन में परिवर्तन हुआ है तो उस फर्म पर कर-निर्धारण किया जायगा जो कि उस समय समाप्ति है। कर लगाने के लिये फर्म की आय का विभाजन केवल उन्हीं भागीदारों में किया जायगा जो कि रात वर्ष में उस आय को प्राप्त बरने के लिये हकदार थे। यदि किसी कारण से किसी भागीदार से कर बसूल नहीं किया जा सके तो वह फर्म से बसूल किया जा सकता है।

(२) एक फर्म का दूसरे से उत्तराधिकार —धारा १८८:

धारा १७० ( देखिये अध्याय १७ ) में बर्जित दृग से पहले वाली रथा नई फर्म पर अलग-अलग कर-निर्धारण होंगे यदि एक व्यापारी फर्म का उत्तराधिकार दूसरे फर्म द्वारा हो गया है ।

(३) फर्म का विघटन अथवा बंद हो जाना —धारा १८६ :

यदि कोई फर्म बंद हो जाय तो बायकर अफसर उस पर कर-निर्धारण की कार्यवाही इस प्रकार करेगा जैसे वह वन्द नहीं हुई हो तथा वह उस फर्म पर कर तथा दड उसी प्रकार से लगा सकेगा जैसे कि वह चालू हो । ऐसी फर्म के बद होने के समय वे सब व्यक्ति जो फर्म के मागीदार थे, सामूहिक रूप से तथा व्यक्तिगत रूप से फर्म पर लगानेवाले बर के लिए उत्तरदायी हैं । यदि फर्म पर कर-निर्धारण हो चुका हो तथा केवल कर-वसूली बाकी हो तो भी कर-मुगरान का उत्तरदायित्व उन्होंने का है ।

प्रश्नसंख्या ४४ :

ब, व तथा स एक फर्म में क्रमशः २ : २ : २ हिस्तों में भागी हैं । ३१-१२ ६१ को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ हानि का विवरण पन्न निम्नलिखित है :—

	रु०		रु०
मिश्रित व्यापारिक खर्च	५०,०००	सकल लाभ	१,४५,०००
पैंडी पर ब्याज :		लाभांश (सकल)	५,०००
श्री ब ३,०००			
श्री व २,०००			
श्री स १,०००			
	<hr/>		<hr/>
व का वेतन	६,०००		
स को बमीशन	६,०००		
पक्षा लाभ	३,०००		
	<hr/>		<hr/>
	१,४५,०००		१,४५,०००
	<hr/>		<hr/>

फर्म की कुल आय की गणना कीजिए तथा उसके भागीदारों में उत्का  
आवन्टन (Allocation) कीजिए।

उत्तर :—

कर-निधारण वर्ष १९६२-६३

फर्म के कुल आय की संगणना :

१. व्यापारिक लाभ :

लगम-हानि खाते के अनुमार पक्का लाभ	रु०
जोड़ो पूँजी पर ब्याज	८,०००
भागी का बेतन	६,०००
भागी का कमीशन	३,०००
	_____
	१५,०००
	_____
बाद लाभांश, जो व्यापारिक लाभ नहीं है	५,०००
	_____
व्यापारिक लाभ	८५,०००
२. लाभांश (सकल)	५,०००
	_____
फर्म की कुल आय रु०	१,००,०००
	_____

भागीदारों में फर्म की आय का आवन्टन

भागी	हिस्सा	पूँजी पर ब्याज	बेतन	कमीशन	शेष आय	
					रु०	रु०
अ	५	३,०००			३४,०००	३७,०००
ब	५	२,०००	६,०००		३४,०००	४२,०००
स	५	१,०००		३,०००	१७,०००	२१,०००
कुल	-	६,०००	६,०००	३,०००	८५,०००	१,००,०००

धारा द६ (iv) के अन्तर्गत निम्न आय आय-कर से मुक्त है :—

सार्थ की कुल आय १,००,००० रु० पर वर	=४,७५० रु०
∴ आयकर घटा कर सार्थ की कुल आय =१,००,००० रु०—४,७५० रु०	=९५,२५० रु०

प्रत्येक भागी के हाथ में निम्न भाग कर-मुक्त है :—

नाम	लाभ सार्थ की कुल	सार्थ की कुल आय में से	सार्थ के लाभ का वह
(१)	(२)	(३)	(४)
अ	२	३७,०००	३५,१००
ब	२	४२,०००	४०,१००
स	१	२१,०००	२०,०५०
कुल :		१,००,०००	९५,२५०
			४,७५०

प्रश्न संख्या ४५ :

एक फर्म के तीन भागीदार हैं, जिनका हिस्सा क्रमशः ४ : ३ : १ है। १९६१ कैलेंडर वर्ष के लिए उसको निम्नालिखित रकमें घटाने के पश्चात १६,००० रु० का एक नुकसान हुआ है :—

	रु०
पूँजी पर ब्याज	३,०००
ख	२,०००
ग	१,०००
वेतन	२,०००

क की अन्य साधनों से आय ४,००० रु० है जबकि ख तथा ग की और कोई आय नहीं है।

उन्नीसवारी वीविए (i) जब फर्म पञ्चीयित है तथा (ii) जब वह दरंजीयित है।

## उत्तरः—

भागीदारों की पूँजी पर दिए गए ब्याज तथा भागी के वेतन को १६,००० रु० में से घटाने के पश्चात् सार्थक का वास्तविक नुकसान ८,००० रु० है तथा तीनों भागीदारों का अमरण हिस्सा निम्न प्रकार होगा :—

भागी	हिस्सा	पूँजी पर ब्याज	वेतन	सार्थक घटाए में हिस्सा		कुल
				रु०	रु०	
क	₹	३,०००	—	८,०००	हानि	५,०००
ख	₹	२,०००	—	६,०००	हानि	४,०००
ग	₹	१,०००	२,०००	२,०००	लाभ	१,०००
कुल		६,०००	२,०००	१६,०००		८,०००

## (i) जब फर्म पंजीयित है :

‘क’ सार्थक से अपने हिस्से के नुकसान ( ५,००० रु० ) का प्रतिसादन अपनी अन्य आय ५,००० रु० से कर सकता है। इस प्रकार उसे कोई कर नहीं देना पड़ेगा।

‘ख’ सार्थक से अपने हिस्से के नुकसान ( ४,००० रु० ) को आगे द वर्षों तक व्यापारिक लाभों से प्रतिसादन करने के लिए ले जा सकता है।

‘ग’ की आय केवल १,००० रु० है, इसलिए उसे कोई कर नहीं देना पड़ेगा।

## (ii) जब फर्म अपंजीयित है :

सार्थक आगे नुकसान ( ८,००० रु० ) को अपनी भविष्य की आमदनी से प्रतिसादन करने के लिए अगले द वर्षों तक आगे ले जा सकता है।

‘क’ सार्थक के अपने हिस्से के नुकसान का प्रतिसादन अपनी अन्य आय से नहीं कर सकता। उसे अपनी आय ५,००० रु० पर कर देना पड़ेगा।

‘ख’ सार्थक के नुकसान को आगे नहीं ले जा सकता।

‘ग’ को कोई कर नहीं देना पड़ेगा।

### प्रश्न संख्या ४६ :

अ तथा व एक पञ्चीयित फर्म में बराबर हिस्से वाले भागी हैं। गत वर्ष १९६१-६२ में फर्म का नफा-नुकसान खाता निम्न प्रकार है :—

	रु०		रु०
बेतन तथा बोनस	७,०००	सकल लोधि	६५,०००
अन्य व्यापारिक खर्च	१०,०००	अन्य व्याप	५,०००
विक्री कर	५,०००		
किराया	३,०००		
घिसाइ निधि	२,०००		
हृवत शृष्टि की रकम	१,०००		
हृवत शृष्टि-निधि	२,०००		
विशेषन खर्च	३,०००		
चंदा तथा घर्मादा	१,०००		
मोटरकार की विक्री पर हानि	३,०००		
पूँजी पर ब्याज	अ ३,०००		
	व ३,०००		
मागीदारों का बेतन	अ २,०००		
	व २,०००		
कमीशन	१,०००		
पक्का साम	<u>२२,०००</u>		<u>७०,०००</u>
	<u>७०,०००</u>		<u>७०,०००</u>

(१) मिश्रित व्यापारिक खर्च में सरकारी जुर्माने के दंड की २००) की रकम शामिल है।

(२) विशेषन खर्च में १,००० रु० पूँजीगत खर्च की रकम है।

(३) चंदे तथा घर्मोदे में निम्न रकम शामिल है :—

(अ) २०० रु० एक व्यापारिक संघ का चंदा ;

(ब) ६०० रु० शर्पार्थियोंके लिए टीन का छप्पर ; तथा

(स) २०० रु० एक स्कूल को दान।

(४) मोटर कार पूर्णतया उसके निजी कार्य में आती है।

(५) घिसाइ की मिलने वाली रकम १,००० रु० है।

अ—प्रतिभूतियों का ब्याज (सकल) — ५,००० रु० ; जायदाद की आय—  
१,००० रु० ; लाभांश (सकल) — ३,००० रु० ; विदेशी आय जो  
भारत में नहीं लाई गई है— ३,००० रु०

ब—प्रतिभूतियों का ब्याज (सकल) — ७,००० रु० ; लाभांश (सकल) —  
१,००० रु० ; जायदाद की आय— ३,००० रु० ; भारत में लाई गई  
विदेशी आय— १,००० रु०

यह मान कर कि अ तथा ब भारत के पक्के निवासी हैं, उनकी कुल आय  
की संगणना कीजिए।

उत्तर :—

### कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३

	रु०	रु०
लाभ-हानि खाते के अनुसार पक्का लाभ		२२,०००
जोड़ो—१. घिसाई निधि	२,०००	
२. छवत भृण निधि	२,०००	
३. पूँजी पर ब्याज	६,०००	
४. भागी का वेतन	४,०००	
५. भागी को कमीशन	१,०००	
६. कानूनी दंड	२००	
७. पूँजीगत विशेषण खर्च	१,०००	
८. चन्दा तथा धर्मादा	८००	
९. मोटरकार के बेचने का नुकसान	३,०००	
	<hr/>	<hr/>
	२०,०००	
	४२,०००	
	<hr/>	<hr/>
दाद-घिसाई	१,०००	
पर्म की कुल आय	४१,०००	
	<hr/>	<hr/>

फर्म का आयकर दायित्व :

पहले २५,००० रु० पर                    कुछ नहीं

आगे १५,००० रु० पर ५ प्रतिशत से ७५० रु०

आगे १,००० रु० पर ६ प्रतिशत से ६० रु० = ८१० रु०

प्रत्येक भागीदार को ४०५ रु० पर आयकर से छूट मिलेगी।

फर्म की कुल आय का भागीदारों में आवन्त्रन :

	अ	ब
	₹०	₹०
पूँजी पर व्याज	३,०००	३,०००
वेतन	२,०००	२,०००
कमीशन	—	१,०००
शेयर आय	१५,०००	१५,०००
	<u>२०,०००</u>	<u>२१,०००</u>

अ तथा ब का सन् १९६२-६३ के लिए कर-निर्धारण :

	अ	ब
	₹०	₹०
१. प्रतिभूतियों पर व्याज ( सकल )	५,०००	५,०००
२. जायदाद की आय	१,०००	३,०००
३. व्यापारिक लाभ	२०,०००	२१,०००
४. लाभाश ( सकल )	३,०००	१,०००
भारत में लाई गई विदेशी आय	—	१,०००
भारत में नहीं लाई गई विदेशी आय	३,०००	—
	<u>३२,०००</u>	<u>३३,०००</u>
कुल आय		

प्रश्न संख्या ४७ :

एक व्यापारिक फर्म में अ, ब तथा स तीन भागीदार थे जिनके हिस्से क्रमशः २ : २ : १ थे। बाठ महिने के पश्चात् स ने फर्म की छोड़ दिया रुपा उसकी जगह प को फर्म में ले लिया गया तथा तिर से उनके हिस्सों की क्रमशः ६ : ५ : ५ रखा गया।

गत वर्ष १७ द० से ३० ६ ६१ के लिए उसका लाभ ₹८,००० रु० था।

लाभ निकालने में निम्न खर्चों मी बाद किए गए हैं :—

- (१) ₹५,००० रु० श्री अ को व्याज
  - (२) ₹२,००० रु० श्री ब को चेटन
  - (३) ₹३,००० रु० श्री स को दुकान किराया
  - (४) ₹१,५०० रु० श्री प को कमीशन
  - (५) ₹२,००० रु० घमांदा (धारा ८८ के बन्तर्गत )
- फर्म ₹३०,००० रु० यिसांद मता लेने की हकदार है।

फर्म की कुल आय निकालिए तथा उसका भागीदारोंमें आवन्टन कीजिए।

उत्तर :—

	रु०
लाभ-हानि खाते के अनुसार लाभ	<u>४८,०००</u>
जोड़ो—१. अ को दिया हुआ ब्याज	४,०००
२. ब को दिया हुआ वेतन	६,०००
३. प को दिया हुआ कमीशन	१,५००
४. धर्मदान	२,०००
	<u>१३,५००</u>
	६१,५००
बाद—घिसाई	<u>३०,०००</u>
	कुल आय रु० <u>३१,५००</u>

धारा ६७ के अन्तर्गत फर्म की आय का भागीदारों में आवन्टन

	अ	ब	स	प
	रु०	रु०	रु०	रु०
ब्याज	४,०००	—	—	—
वेतन	—	६,०००	—	—
कमीशन	—	—	—	१,५००
शेष आय ( ८ महिने तक )	६,६६७	३,३३४	३,३३३	—
शेष आय ( ४ महिने तक )	२,५००	२,०८३	—	२,०८३
	कुल १३,१६७	११,४१७	३,३३३	३,०८३

धारा ८८ के अन्तर्गत धार्मिक सत्थाव्योंको दिया हुआ कर-मुक्त चन्दा

	अ	ब	स	प
	रु०	रु०	रु०	रु०
८ महिने तक ( १,३३३ )	६६७	३३३	३३३	—
४ महिने तक ( ६६७ )	२५०	२०८	—	२०८
	कुल ६१७	५४१	३३३	२०८

### ७. अन्य जनमंडल ( Other Association of Persons ) :

अन्य जन मंडल पर आयकर दथा अतिरिक्त कर ठीक उसी प्रकार लगता है जैसे कि एक विवाहित व्यक्ति पर। अन्य जन-मंडल की कुल आय में प्रत्येक सदस्य के हिस्से को इसी प्रकार माना जाता है जैसे कि वह अपनीकृत सार्थ अर्थात् अनरजिस्टर्ड फर्म से हिस्सा हो। इसके विषय पर वही नियम लागू होते हैं जो कि एक फर्म के विषय पर वह होने पर।

#### प्रश्न

प्र० १. फर्म की पंजीकृत कराने की विधि का विवेचन कीजिये। किन-किन दशाओं में पवीचन रद्द हो रहता है ?

उ० देखिये अनुच्छेद २.

प्र० २. आपकर विधिनियम १६६१ के अनुसार रजिस्टर्ड फर्म तथा अनरजिस्टर्ड फर्म के कर-निधारण पद्धति के अन्तर पर प्रकाश डालिए।

उ० देखिये अनुच्छेद ४ तथा ५.

प्र० ३. संवित टिप्पणियाँ लिखिए :—

- (i) फर्म के संगठन में परिवर्तन ;
- (ii) फर्म का विषयन या वद होना ;
- (iii) अन्य जन-मंडल का कर-निधारण ।

उ० देखिए-(i) अनुच्छेद ६ (१) ;

(ii) " ६ (३) ;

(iii) " ७।

## अध्याय १५.

### कंपनियों का कर-निर्धारण

#### [ ASSESSMENT OF COMPANIES ]

१. कंपनी का कर-निर्धारण अन्य कर दाताओं से बहुत मिन्न होता है। कंपनी की कुल आय पर ( वह चाहे जितनी कम रकम क्यों न हो ) एक सामान्य दर ( Flat rate ) से आयकर तथा अतिरिक्त कर लगता है जो कि प्रत्येक वर्ष वित्त अधिनियम द्वारा निर्धारित होती है। कंपनी पर लगनेवाले आयकर तथा अतिरिक्त कर पर कोई सर चार्ज नहीं लगता। साधारण-तया अधिकांश कम्पनियों को २५% आयकर तथा २५% अतिरिक्त कर देना पड़ता है। कम्पनी द्वारा दिये गए अतिरिक्त कर को ‘निगम कर’ [ Corporation tax ] मी कहते हैं। कंपनी पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के करों के बारे में विस्तृत विवरण पुस्तक के परिशिष्ट ‘क’ में किया गया है। कंपनी के कर-निर्धारण सम्बन्धी अन्य विशेषताओं का वर्णन नीचे किया जाता है।

२. परिभाषाएँ:— (अ) कंपनी —धारा २ (१७) :

“कम्पनी” का अर्थ है—

(i) कोई भारतीय कंपनी या प्रमंडल , वथवा

(ii) कोई ऐसी संस्था ( जाहे वह नियमित हो या नहीं तथा जाहे वह भारतीय हो या नहीं ) जो कि भारतीय आयकर अधिनियम, १९२२ के अन्तर्गत १९४७-४८ के तिए कंपनी के रूप में निर्धारित की गई थी या करने योग्य थी या जो बोर्ड द्वारा कंपनी घोषित की गई है।

(ब) वह कंपनी जिसमें जनता का प्रचुर हित ( Substantially interested ) है—धारा २ (१८) :

‘एक कंपनी जिसमें जनता का प्रचुर हित है’ तब कही जाती है जबकि—

(अ) वह सरकारी कम्पनी है अथवा इसके ५०% शेयर सरकार के पास है, अथवा

(ब) कम्पनी अधिनियम १९५६ के अनुसार एक निजी कम्पनी नहीं है तथा (i) उसके साधारण बंश अथवा शेयर, जिसमें कम से कम ५०% मतदान की शक्ति है, सालभर तक सरकार अपना सरकारी कानून के अन्तर्गत शापित किसी निम्न अथवा जनसा के पास रहे हों ; (ii) उपरोक्त शेयरों में सालभर में किसी भी समय किसी भी त्रैकृत स्टॉक एक्सचेंज में कोई लैन-देन हुआ हो अथवा जनता द्वारा बे बिना किसी दकावट के हस्तातरित किये जा सकते हों ; तथा (iii) कम्पनी के कार्ग का अथवा ५०% से अधिक मतदान शक्ति वाले शेयरों का अधिकार सालभर में किसी भी समय ५ या कम व्यक्तियों के हाथ में नहीं रहा हो ।

### (स) भारतीय कम्पनी—धारा २ (२६) :

भारतीय कम्पनी यह है जो कि कम्पनी अधिनियम १९५६ के अन्तर्गत बनी हो तथा पंजीकृत हो । उसमें निम्न प्रकार की कम्पनियाँ भी शामिल होती हैं :—

- (i) भारत के किसी भी हिस्ते में ( जम्मू तथा काश्मीर को छोड़कर ) लागू हीने वाले कानून के अन्तर्गत बनी हुई तथा पंजीकृत कोई भी कम्पनी ;
- (ii) जम्मू तथा काश्मीर में लागू किसी कानून के अन्तर्गत बनी हुई कोई कम्पनी । सभी दशाओं में कम्पनी का पंजीकृत दफ्तर भारत में स्थित होना चाहिए ।

### ३. अतिरिक्त मनोरंजन भत्ते का बाद न दिया जाना—धारा ३७ (२) :

जैसा कि अध्याय द के अनुच्छेद ३ (६) में वर्णित किया जा चुका है, एक कम्पनी को अन्य कर वाराओं के समान सारा मनोरंजन खर्च बाद नहीं मिलता है । एक कम्पनी के लिए मनोरंजन खर्चों की अधिकतम सीमा, वित्त अधिनियम (नं० २) १९६२ के उल्लेखन के अनुसार ६०,०००) कर दी गई है ।

### ४. अनुचित या अधिक खर्च का बाद न दिया जाना—धारा ४० (स) :

अध्याय द के अनुच्छेद ४ (८) में वर्णित कथन के अनुसार एक कम्पनी के किसी संचालक या किसी अन्य सुरुप व्यक्ति पर किया गया खर्चों बाद

नहीं दिया जाता यदि वह आयकर अफसर की राय में अनुचित है या अधिक है।

#### ५. किन्होंने विशेष कम्पनियों के नुकसान का प्रतिसादन तथा अप्रेनयन—धारा ७६ :

सोधारणतया, जैसा कि अध्याय ६ में बताया गया है, एक कम्पनी को अपने अप्रतिसादित नुकसानों को भविष्य में द वर्ष तक आगे ले जाकर अपने लाभों से प्रतिसादित करने का अधिकार है। किन्तु किन्होंने विशेष परिस्थितियों में कुछ कम्पनियों को अपने नुकसान को आगे ले जानेका कोई अधिकार नहीं है, यदि वे कुछ निर्दिष्ट शर्तें पूरी नहीं करती हों। इस प्रकार, जब किसी कम्पनी के अंशधारियों में कोई परिवर्तन हो ( उस कम्पनी को जिसमें जनता का प्रबुर हित हो, छोड़ कर ) तो उसका नुकसान प्रतिसादन के लिए नहीं ले जाया जा सकता, जब तक कि वह निम्न शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरी नहीं करती हो :—

(अ) गत वर्ष के अन्तिम दिन कम से कम ५१% मरदान की शक्ति वाले शेयर उन व्यक्तियों के पास थे जिनके कि पास कम से कम ५१% मरदान की शक्ति वाले शेयर उस वर्ष में भी थे जिसमें कि नुकसान हुआ था ; अथवा

(ब) आयकर अफसर को यह विश्वास हो जाय कि अंशधारियों में परिवर्तन कर-दापित्व की कम करने अथवा उसे हटाने के घैय से नहीं किया गया था ।

#### ६. पुण्यार्थ दान—धारा ८८ तथा १०० :

अन्य कर-दाताओं की भाँति कम्पनी को पुण्यार्थ दान की रकम पर आयकर तथा अतिरिक्त कर अर्थात् दोनों कर से छूट न मिलकर फेल आयकर से ही छूट मिलती है। [ विस्तृत विवरण के लिए देखिए अध्याय ४ अनुच्छेद १० ]

#### ७. अव्याप्त लाभों पर अतिरिक्त अतिकर ( Additional super-tax on undistributed profits )—धाराएँ १०४ से १०६ :

एक व्यक्ति को एक कम्पनी की अपेक्षा अधिक आयकर तथा अतिरिक्त कर देना पड़ता है यदि उसकी आमदनी एक विशेष सीमा से अधिक हो। जैसे एक व्यक्ति की उम्रतम कर की दरें १ लाख रुपये के ऊपर व्यापार की आय के लिए ७६% से अधिक तथा अनर्जित आय (Uncarried Income) के लिए ८७% है

जबकि कंपनी को साधारणतया आयकर (२५%) तथा अतिरिक्त कर (२५%) दोनों मिलाकर कुल ५०% कर देना पड़ता है। इसलिए यदि एक कंपनी में कुछ ही हिस्सेदारों का नियंत्रण हो तो वे कंपनी के लाभांशों का वितरण नहीं करके अपने कर के दायित्व को बहुत कम देते हैं। इसलिए ये उपवन्ध बनाए गए हैं जिसके अन्तर्गत आय के एक विशेष अलिखित प्रतिशत तक लाभांशों को घोषित न करने पर एक दाढ़िक अथवा अतिरिक्त-अधिकर (Additional super-tax) देना पड़ता है। ये नियम पुराने आयकर अधिनियम की धारा २३ ए से काफी मिलते-जुलते हैं। इनका विवरण नीचे किया जाता है :—

- (i) यह अनुबन्ध उन कंपनियों को जिसमें १००% जनरा का प्रचुर हित है अथवा ऐसी कंपनियों की सदायक कंपनियों को नहीं लागू होता है ;
- (ii) जहाँ आयकर अफसर को यह विश्वास हो जाता है कि ऐसी कंपनी जिसपर यह उपवन्ध लागू होता है, के गतवर्ष के अन्त से १२ महिने तक के वितरित लाभांशों की राशि उसकी वितरण योग्य आय [ Distributable Income ] के वैधानिक प्रतिशत (Statutory Percentage) से कम है तो वह एक लिखित आदेश जारी करेगा कि ऐसी कंपनी अपनी कुल आय पर लगानेवाले आयकर तथा अतिरिक्त कर के अलावा एक और अतिरिक्त अधिकर देगी जिसकी गणना निम्न प्रकार से होगी :—

‘वितरण-योग्य आय’ में से निम्न रकम घटा कर :—

- (i) वास्तविक वितरण किए हुए लाभांश ; तथा
- (ii) कोई भी व्यापारिक खर्चों जो वास्तव में हुआ है किन्तु आयकर अधिनियम के अन्तर्गत उसकी कटौती नहीं मिल सकी है, जैसे, (ब) समंचारी का बोनस या म्रेड्यूटी ; (ब) कानूनी रार्च, (स) धारा ४० (सी) में वर्णित कोई खर्च, अथवा (द) कोई व्यापारिक खर्च जिससे किसी परिसम्बन्ध के मूलन में वृद्धि नहीं होती हो ; जो रकम शेष बचती है उस पर नियोजन (Investment) कंपनियों को ५०% तथा अन्य कंपनियों को ३७% अतिरिक्त अधिकर देना पड़ता है—[ धारा १०४ (१) ]।

- (iii) आयकर अफसर अपने इन्सपेक्टर असिस्टेन्ट कमिशनर की पूर्व अनुमति बिना ऐसा आदेश जारी नहीं कर सकता तथा इन्सपेक्टर असिस्टेन्ट कमिशनर भी ऐसी कंपनी को सुनाई एक उचित मौका दिए बिना अनुमति नहीं दे सकता—धारा १०७।
- (iv) आयकर अफसर ऐसा आदेश नहीं जारी करेगा यदि उसे विश्वास है कि—
  - (अ) पिछले वर्षों में नुकसान के कारण अथवा गत वर्ष में कम नफे के कारण वितरित लामाश से अधिक वितरण अनुचित होता ; अथवा
  - (ब) अधिक लामाश के वितरण से सरकारी आय में कोई लाम नहीं होता ; अथवा
  - (स) पूरे गत वर्ष में उसकी पूँजी का ७५% भाग भारत में स्थित ऐसी पुण्यार्थ संस्था के पास था जिसकी आय धारा ११ के अन्तर्गत कर-मुक्त है।—[ धारा १०४ (२) ]।
- (v) निम्न दशाओं में ऐसा आदेश जारी नहीं किया जायगा :—
  - (अ) जहाँ कि एक विनियोग कंपनी ने अपनी वितरण—योग्य आय का कम से कम ८०% भाग वितरित किया है, अथवा
  - (ब) जहाँ किसी अन्य कंपनी के लिए उसका वितरण उसके वैधिनिक प्रतिशत से ‘वितरण—योग्य आय’ के १०% से अधिक कम नहीं है, अथवा
  - (स) जहाँ कंपनी ने अपने आय के प्रपञ्च के अनुसार अपनी वितरण—योग्य आय का वैधानिक प्रतिशत वितरण किया है तथा धारा १४३ या १४४ के अन्तर्गत कर-निर्धारण से इसकी कुल आय की संगणना अधिक की गई है, यदि ऐसी निर्धारित अधिक आय कंपनी पर धारा १४५ (१) या (२) या धारा १४४ के लागू करने से अथवा कंपनी द्वारा अपनी आय के छुपाने के कारण नहीं है ; अथवा
  - (द) जहाँ कंपनी का धारा १४७ (बी) के अन्तर्गत पुनः कर-निर्धारण हुआ है तथा वितरित लामाश की रकम पुनः कर-निर्धारण के अनुसार वैधानिक प्रतिशत से कम निकलती है। जहाँ कंपनी को

आयकर अफसर से ऐसी सूचना मिले की वह धारा १०४ में आदेश देने वाला है तो कपनी को तीन महिने में वैधिनिक प्रतिशत तक और लामांश वितरण करने चाहिये। ऐसा करने पर उपरोक्त उपबन्ध उस कंपनी पर नहीं लागू होगा—धारा १०५।

(vi) धारा १०४ में वर्णित आदेश उपरोक्त गतवर्ष से सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष की समाति के चार वर्ष के पश्चात् अथवा उस वित्तीय वर्ष के १ वर्ष के पश्चात् जिसमें कि उस गत वर्ष का कर-निर्धारण हुआ है, जो भी तिथिवाद में हो, नहीं जारी किया जा सकता—धारा १०६।

(vii) कुछ परिभाषाएँ—धारा १०६ : (१) वितरण योग्य आय :—

नीचे लिखी हुई रकमों को कुल आय में से घटाने के बाद बची हुई आय ही, 'वितरण-योग्य आय' मानी जाती है :—

- (१) कंपनी की कुल आय पर लगने वाला आयकर तथा अतिरिक्त कर (इस उपबन्ध के अन्तर्गत लगनेवाले अतिरिक्त कर के अलावा) ;
- (२) किसी कानून के अन्तर्गत सरकार अथवा स्थानीय सत्या द्वारा लगाया हुआ कोई कर जो कि कंपनी की कुल आय निकालने में बाद नहीं दिया गया है ;
- (३) कोई अन्य राशि जिसकी कटौती धारा द्वारा के अन्तर्गत मिलती है ;
- (४) "पूँजीगत लाभ" शीर्षक के अन्तर्गत होनेवाले नुकसान ;
- (५) उस विदेश में होनेवाली आय जहाँ के नियमों के अनुसार भारत में पैदा नहीं लाया जा सकता (जिस वर्ष में ऐसा प्रतिबन्ध इटाया जायगा उसी वर्ष में ऐसी घटाई हुई रकम को वितरण योग्य आय का बंध समझ लिया जायगा) ,
- (६) किसी बैंकिंग कंपनी के लिए बैंकिंग अधिनियम १९४९ की धारा १७ के अन्तर्गत रिजर्व फण्ड में वात्तविक जमा राशि ।
- (७) विनियोग कंपनी :—यह वह कंपनी है जिसका व्यापार मुख्यतया विनियोगों ने पधा करना अथवा विनियोगों को रखना है ।
- (८) वैधानिक प्रतिशत :—इससे तात्पर्य है—
- (i) विनियोग कंपनी के लिए ६०%

(ii) खदान, उत्पादन तथा विजली उत्पादन इत्यादि कार्यवाली कंपनी के लिए	७५%
(iii) किसी ऐसी भारतीय कंपनी, जिसका व्यापार आंशिक रूप में उपरोक्त खंड में वर्णित कार्य जैसा है—	
(a) ऐसे आंशिक कार्य के लिये	७५%
(b) कंपनी के शेष व्यापार के लिए—	
(1) यदि वह नीचे लिखे खंड (iv) (अ) की शर्तें पूरी करती है	६०%
(2) अन्य अवस्थाओं में	६०%
(iv) किसी ऐसी कम्पनी के बारे में जिसका उल्लेख ऊपर नहीं हुआ है :	
(अ) जहाँ कंपनी के पहले के नफों में से सचित नफे या रिजर्व निम्न राशियों में से किसी एक से अधिक है—	
(1) कंपनी की प्रदत्त पूँजी तथा अणधारियों की ऋण पूँजी, अथवा	
(ii) कंपनी के स्थायी परिसम्पत्त का मूल्य, जो भी अधिक हो ; के लिए	६०%
(ब) जहाँ उपरोक्त उप खंड (अ) लागू नहीं होता है	६०%

### प्रश्न संख्या ४८ :

सुभाप ब्रदर्स प्रा० लि० एक ऐसी कम्पनी है जिस पर धारा १०४ का उपबन्ध लागू होता है। गत वर्ष १९६१ में उसने १,००,००० का नफा किया। कर-निर्धारण के समय आयकर अफसर ने धारा १४५ लगाकर उसकी कुल आय की संगणना १,२५,००० रु० पर की। गत वर्ष के लिए कम्पनी ने १३,७५० के लाभांश वितरित किए। उसने धारा ८८ के अन्तर्गत एक पुण्यार्थ संस्था को २,५०० रु० दान के दिये हैं। इसके अलावा उसने व्यपने जनरल मैनेजर को ३०,००० रु० का बोनस दिया जिसमें से १६,२५० रु० की रकम आयकर अफसर ने बाद नहीं दी। धारा १०४ के अन्तर्गत लगनेवाले अतिरिक्त अधिकर की संगणना की जिए। यदि वह (i) विनियोग कंपनी है ; (ii) भारतीय उत्पादन कंपनी है ; तथा (iii) भारतीय व्यापारी कंपनी है।

### चुत्तर :-

कम्पनी की वितरण-योग्य आय :—			₹
घटाओ :	कर-निर्धारित	कुल आय	
(१) आयकर	२५% दर से	३१,२५०	
(२) अतिरिक्त-कर	२५% दर से	३१,२५०	
(३) पुण्यार्थ दान		२,५००	
		<hr/>	<hr/>
			६५,०००
			<hr/>
			६०,०००

तीनों दशाओं में वैधानिक प्रतिशति की राशि है :—

(i) विनियोग करनी के लिए  $\text{₹ } 0\% \times \text{₹ } 60,000 = \text{₹ } 48,000$

(ii) भारतीय उत्पादन कपड़ी के लिए  $45\% \times 60,000 = 27,000$

(iii) भारतीय व्यापारी कम्पनी के लिए  $6\% \times 60,000 = 36,000$

गीनों दशाओं में कमनी द्वारा वितरित लाभांश की रकम अर्थात् १३,७५०) वैधानिक प्रतिशत से कम है। इसलिए कंपनी को अपनी वितरण-योग्य आय में से निम्न राशियों के घटाने के बाद बची हुई आय पर अहिरिक अधिकर देना होगा, जिसकी सुगमना इय प्रकार है :—

वितरण योग्य व्याप ६०,०००

पटाखोः

(i) बीनघ	१६,२५०
(ii) वितरित लाभांश	<u>१३,२५०</u>
शेष व्याय जिस पर अतिरिक्त अधिकर लगेगा	<u>३०,०००</u>

## अतिरिक्त अधिकृत :

(i) विनियोग	कम्पनी	$5.0\% \times 30,000$	= 15,000
(ii) मार्तीय	उत्पादन कम्पनी	$3.7\% \times 30,000$	= 11,000
(iii) भारदीय	व्यापारी कम्पनी	$3.7\% \times 30,000$	= 11,000

८. पूँजीगत लाभ पर कर—घारा १२५ :

अन्य कर-दाताओं तथा कम्पनी में पौजीगत लाभ पर कर लगाने की विधि में बहुत अन्तर है। एक कम्पनी को पौजीगत लाभ पर निम्न प्रकार से कर देना पड़ेगा :—

(अ) कुल व्यापकर पर लगनेवाले व्यापकर की ही दर से व्यापकर वर्धात् ३५% : चया

(व) लम्बी अवधिवाले परिसम्पत्त से होनेवाले पूँजीगत लाभ पर ५% अतिरिक्त कर ।

शेष आय पर कंपनी को अपनी साधारण दर से आयकर तथा अतिरिक्त कर देना पड़ेगा ।

### प्रश्न संख्या ४६ :

कर-निधारण वर्ष १९६२-६३ के लिए एक कम्पनी की कुल आय १,१०,०००) है जिसमें दीर्घकालीन परिसम्पत्त से होनेवाले पूँजीगत लाभ की १०,०००) की रकम भी सम्मिलित है । कम्पनी पर लगनेवाले आयकर तथा अतिरिक्त कर की संगणना कीजिए ।

उत्तर :—

	रु०
पूँजीगत लाभ के अलावा कुल आय पर (१,००,००० रु०)	
आयकर २५%	२५,०००
अतिरिक्त कर २५%	२५,०००
	<hr/>
	५०,०००

दीर्घकालीन परिसम्पत्त से होनेवाले पूँजीगत लाभ पर (१०,००० रु०) :

आयकर २५%	२,५००
अतिरिक्त कर ५%	५००
कुल कर	<hr/> ५३,०००

### ६. परिसमापन में कंपनी ( Company in liquidation )

—धारा १७८ :

परिसमापन में होनेवाली कपनियों के लिए विशेष उपबन्धों का वर्णन नीचे किया जाता है :—

- (१) ऐसी कम्पनी के प्रत्येक परिसमापक को अपनी नियुक्ति के ३० तीन के अन्तर्गत ऐसी नियुक्ति की सूचना आयकर अफसर को देना चाहिए ।
- (२) ऐसी सूचना मिलने के तीन मास के भीतर ही आयकर अफसर इस परिसमापक के पास कम्पनी द्वारा देय कर सम्बन्धी सूचना भेज देगा ।

- (३) व्यायकर अफसर की सूचना आने पर परिसमापक उतनी राशि एक तरफ रख देगा तथा उठनी रकम तथा कम्पनी के सुरक्षित लेनदारों को देनेवाली रकम तक की रकम का वितरण नहीं करेगा ।
- (४) यदि उपरोक्त अनुबन्ध की व्यवस्था कर परिसमापक कुछ भी कार्य करेगा तो वह निजी रूप से जिम्मेदार रहेगा । परिसमापकों का उत्तरदायित्व सामूहिक तथा पृथक रहेगा ।
- (५) इस घारा के अनुबन्धों का प्रभान अन्य किसी विधिनियम में इसके विपरीत होखा होने पर भी रहेगा ।

**१०. परिसमापन में निजी कंपनी के सचालकों का उत्तरदायित्व ( Liability of directors of private company in liquidation )—घारा १७६ :**

जब कोई निजी कम्पनी १-४ ६२ के पश्चात् परिसमापन में आती है तथा उसके द्वारा देय कर की बस्ती व्यायकर अफसर द्वारा नहीं हो सकती है तो ऐसी कम्पनी के गत वर्ष में रहनेवाले तमाम सचालकों का ऐसे कर मुगलान के लिए पृथक तथा सामूहिक उत्तरदायित्व है । यदि कोई सचालक यह सावित कर सकेगा कि कर-बस्ती नहीं होने का कारण वह नहीं है तो उसका कोई भी उत्तरदायित्व नहीं रहेगा ।

**११. पहले से कार छगे हुए नके में से दिए गये लाभांश पर कंपनी को सहायता—घारा २३६ :**

विस्तृत विवरण के लिए देखिए पृष्ठ सद्या ५१ ।

**१२. उन अंशधारियों के बारे में सूचना देना जिन्हें कि लाभांश दिए गए हैं—घारा २८६ :**

प्रत्येक वर्ष की १५ जून या इसके पहले कमनी के सूख्य अफसर ( Principal officer ), द्वारा अपने व्यायकर अफसर को निम्न प्रकार के अंशधारियों के बारे में फार्म न० ५१ [ व्यायकर नियम १६६२ के नियम ११७ के अनुसार ] में वर्णित सूचना देनी पड़ती है :—

- (१) यदि अंशधारी कम्पनी है तो एक रूपये से अधिक लाभांश प्राप्त करने वाली सभी कम्पनियों के बारे में ; तथा
- (२) यदि अंशधारी कोई दम्य व्यक्ति है सो ५,०००) से अधिक लाभांश प्राप्त करने वाले सभी अंशधारियों के बारे में ।

प्रश्नसंख्या ५० :

मंडल शक्ति कम्पनी लिमिटेड के निम्न विवरण से उसकी कुल आय की संगणना कीजिए तथा बताइये की उसे कितना आयकर तथा निगम कर देना पड़ेगा :—

३० जून १९६१ को समाप्त होनेवाले वर्ष का लाभ-हानि खाता

	द०		द०
शुरू का माल	५२,४००	शक्ति तथा सीरे की	
ईख की खरीद	४,६६,२००	बिक्री	१०,५८,४००
उत्पादन खर्च	२,५६,३००	शेष माल	७६,१००
तनख्वाह तथा वेतन	२५,२००		
स्टोर्स के माल की खपत	४६,६००		
साधारण खर्च	८,५००		
कमीशन तथा दलाली	३६,४००		
शृण पर ब्याज	६,०००		
संचालकों की फीस	५,५००		
ऑफिट फीस	७००		
कर	४,३००		
झबत खाते तथा रिजर्व	२६,६००		
घिसाई	६४,८००		
शेष (नीचे ले जाया गया)	१,२६,०००		
	<hr/> ११,३४,५००		<hr/> ११,३४,५००

मैनेजिंग डायरेक्टरका मेहनताना

नफे के १०% के वरावर	१२,६००	शेष (ऊपर से लाया गया)	१,२६,०००
रिजर्व	७५,०००	गत वर्ष की बाकी	८,२००
लाभाशों के लिए प्रवन्ध	३०,०००		
शेष (आगे ले जाया गया)	१६,६००		
	<hr/> १,३४,२००		<hr/> १,३४,२००

- (i) लेनदार द्वारा १०,०००) की छोड़ी हुई एक रकम तथा ३०,०००)  
के सहे के नफे की रकम को एक रिजर्व खाते में जमा कर दिया  
गया है।
- (ii) एक अस्थीकृत प्रोविडेन्ट फंड में (जिसमें उपर्युक्त द्वारा कर योग्य  
भुगतानों पर निर्भीम स्थान पर कर की कटौती की व्यवस्था नहीं  
है) कम्पनी ने २,०००) की रकम जमा की है।
- (iii) साधारण खर्च में निम्न रकमें शामिल है :—(अ) एक अस्पताल को  
५,०००) दान ; (ब) शक्ति व्यापारिक संघ का वार्षिक चन्दा  
१,०००) ; (स) कम्पनी को शूण दिलाने वाले एक दलाल की  
दिया गया कमीशन २,६००)।
- (iv) कमीशन तथा दलाली में १०,००० की रकम गुप्त कमीशन के बारे  
में है। कम्पनी कमीशन के प्राप्त वर्गों के नाम बताने में  
असमर्थ है।
- (v) कर की रकम विक्री कर के बारे में है।
- (vi) हृदय खाते की रकम १४,८००) है।
- (vii) आयकर अधिनियम के अन्तर्गत मिलने वाली विसाइ की रकम  
५५,०००) है।

चतुर :—

सन् १९६२-६३ के लिए कम्पनी का कर-निर्धारण

रु.	रु.
	१,२६,०००

नफे नुकसान खाते के अनुसार नफा

जोहो—(१) लेनदार द्वारा छोड़ी गई रकम—धारा ४१ (अ) के

अन्तर्गत १०,०००

(२) सटे के लाभ ३०,०००

(३) अस्थीकृत प्रोविडेन्ट फंड में चन्दा २,०००

(४) शूण दिलाने के लिए दिया गया कमीशन २,६००

(५) अस्पताल को दिया गया दान ५००

(६) गुप्त कमीशन १०,०००

(७) विसाइ ६४,८००

(८) हृदय खाते का रिजर्व २६,६००-१४,८००) १४,८००

1,३३,७००

२,५८,५००

### घटाओ :—

(६) कानून के अन्तर्गत मिलनेवाली घिसाई	५५,०००
(१०) मेनेजिंग डायरेक्टर का मेहनताना	१२,६००

**कर की संगणना :—**

五〇

वायकर २५%

Y5.059

अतिरिक्त कर २५%

۱۵۰

छट :— पुण्यार्थदान पर केवल आयकर ₹५.०५०

से छूट : ५००×२५% १२५

नेट कर : ₹५,८२५

### **প্রয়োগ :—**

प्र० १. टिप्पणी लिखो : - (अ) विवरित लाभाशयों के बारे में सूचना देना ;

(व) कम्पनी ;

(स) वह कम्पनी जिसमें जनता का प्रचुर हित है।

उ० देखो (अ) अनुच्छेद १२; (ब) अनुच्छेद २; (स) अनुच्छेद २।

प्र० २. कम्पनी पर लगने वाले अतिरिक्त अधिकर पर एक छोटा-सा निवन्ध लिखो।

ੴ ਦੇਖੋ ਅਨੁਚਛੇਦ ੭।

प्र० ३० परिसमाप्ति  
कीजिए।

८० देखो अनुच्छेद १०.

प्र० ४. परिसमापन में कम्पनी पर छोटी सी टिप्पणी लिखो।

## ੮੦ ਦੇਖੋ ਅਨੁਰਥੇਦ ੯੦

## अध्याय १६

### अनिवासियों का कर-निर्धारण

#### ( ASSESSMENT OF NON-RESIDENTS )

##### १. परिभाषा-धारा २ (३०) :

एक 'अनिवासी' वह व्यक्ति है जो धारा ६ के अन्तर्गत निवासी नहीं है। धारा ६२, ६३, ११३ तथा १६८ के लिए एक कच्चा निवासी भी अनिवासी माना जाता है जिसका विस्तृत विवेचन अनुच्छेद ४ में नीचे किया गया है।

##### २. कर का भार—धारा ५ (२) :

अनिवासी पर भारत में प्राप्त या अर्जित आय पर ही कर लगता है। उसकी कुल विश्व आय की समानता तो केवल कर की औसत दर निकालने के लिए ही की जाती है।

##### ३. अनिवासी पर लगने वाले कर की संगणना—धारा ११३ :

(१) एक अनिवासी (जोकि कमानी नहीं है) की कुल आय पर निम्न कर लगता है :—

(अ) अधिकतम दर से आयकर अर्थात् २५% आयकर तथा २०% सरचार्ज ; तथा

(ब) १६% अतिरिक्त कर अथवा वह अतिरिक्त कर जोकि एक निवासी की उठनी आय पर लगता हो, जो भी अधिक हो।

(२) एक अनिवासी भारतीय नागरिक (जो भारत के बाहर की गई सेवाओं के उपलक्ष में सरकार से बेतन पाता है) की कुल आय पर उसकी कुल विश्व आय की औसत दर के हिसाब से (कर-निर्धारण वर्ष १९६०-६१ से) कर देना पड़ता है।

(३) एक अनिवासी (जो कमानी नहीं है) को एक चुनाव (option) दिया जाता कि वह उप-खड़ (१) में लिखे तरीके से आयकर तथा अतिरिक्त कर देवे अथवा अपनी कुल विश्व आय पर लागू होनेवाली दरों से अपनी आय पर आयकर तथा अतिरिक्त कर देवे। उसके

प्रथम कर-निर्धारण के समय उसे ऐसा चुनाव करना पड़ता है जोकि अन्तिम ( Final ) होता है। ऐसा चुनाव होने पर उप संघ ( ४ ) में वर्णित ढंग से उसे कर देना पड़ता है।

- (४) जहाँ उपरोक्त खड़ में वर्णित ढंग से किसी अनिवासी ने यह चुनाव किया है कि वह अपनी कुल विश्व आय पर लगने वाली दरों से कर देगा तो वह अपनी कुल आय पर इस प्रकार आवकर तथा अतिरिक्त कर देगा जैसे वह कुल आय किसी निवासी को कुल आय है अथवा कुल विश्व आय पर लगने वाले कर की औसत दर से अपनी कुल आय पर कर देगा। दोनों तरीकों में से जिस तरीके से भी अधिक कर आगा हो, उसी तरीके से उसे कर देना पड़ेगा।
- (५) यदि कोई अनिवासी प्रथम कर-निर्धारण के समय अपना चुनाव करने में असमर्थ हो और वह बाद में चुनाव करना चाहे तो यदि आवकर अफसर इस बात से सतुष्ट हो जाय कि वह पर्याप्त कारणों से पहले ऐसा नहीं कर सका था तथा उसके ऐसा नहीं करने से उसे अपने कर-दायित्व में कोई वचत नहीं हुई, तो वह अपने इन्सपेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर की पूर्वानुमति से उस व्यक्ति को ऐसे चुनाव की घोषणा करने की अनुमति दे सकता है। यह घोषणा उस वर्ष के लिए जिसमें कि वह की गई है तथा उस समय रहे बाकी कर-निर्धारण तथा मविध्य के कर निर्धारणों के लिए लागू रहेगी।

#### ४. कच्चे निवासी का अनिवासी समझा जाना—धारा ६२, ६३, ११३ तथा १६८ :

निम्न धाराओं के लिए एक कच्चे निवासी को अविवासी समझा जाता है तथा उस पर कर इत्यादि की संगता इसी प्रकार होती है जैसे कि वह अनिवासी हो :—

#### (अ) अनिवासियों के साथ लेन देन से लाभ—धारा ६२ :

आवकर अफसर को एक निवासी उधा अनिवासी के बीच व्यापारिक लेन-देन से प्रतीत हो कि निवासी को कुछ भी नका नहीं होता हो अथवा उच्चित से कम नका होता हो तो वह निवासी के उच्चित नके का प्राक्कलन करेगा तथा उस निवासी की कुल आय में उने जीड़ देगा।

(व) अनिवासियों को आय के हस्तान्तरण करके से कर बचाना—  
धारा ६३ :

‘किन्हीं दशाओं में यदि एक व्यक्ति द्वारा किसी अनिवासी को कुछ आय के हस्तान्तरण करने से आयकर की अनुचित बचत होती है तो आयकर अफसर प्रथम व्यक्ति को उस आय का हकदार मानेगा तथा उसी पर करारोपण करेगा।

(स) अनिवासियों के कर की संगणना—धारा ११३ :

इस सम्बन्ध में धारा ११३ के अनुबन्धों का उल्लेख अनुच्छेद ३ में विस्तृत रूप से किया जा चुका है।

(द) निष्पादक ( Executor )—धारा १६८ :

इस धारा के अन्तर्गत मृत व्यक्ति के निष्पादक की निवास स्थान के हिसाब से वही हैसियत होगी जो कि गत वर्ष में मृत व्यक्ति की थी।

५. अनिवासी का अभिकर्ता ( Agent )—धारा ए १६० तथा १६३ :

अनिवासी की कुल आय पर उसके स्वर्य पर या उसके अभिकर्ता पर कर-निर्धारण हो सकता है। इसलिए एक अनिवासी के अभिकर्ता राम्भन्धी निम्न अनुबन्धों को ध्यान में रखना व्यति आवश्यक है।

(१) प्रतिनिधि अभिकर्ता—धारा ६ (१) (i) में वर्णित आय के लिए अनिवासी के प्रतिनिधि अभिकर्ता से तात्पर्य अनिवासी के अभिकर्ता से रथा धारा १६३ में मनोनीत अभिकर्ता से है—धारा १६० (१) (ii)।

(२) धारा ६ (१) (i) में निम्नलिखित आय भारत में उपर्याप्त या होनेवाली मानी गई है—

“भारत में व्यापारिक सम्बन्ध से व्यवसा भारत की किसी जायदाद से अपवा भारत में स्थित किसी परिम्पत व्यवसा आय के साधन से व्यवसा भारत में लाए स्थूल पर दी गई रकम का व्याज अथवा भारत में स्थित किसी पौँजीगत पौरसम्पत के हस्तान्तरण करने से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में होनेवाली आय।”

किसी अनिवासी के लिए विदेश में नियंत्र करने के लिए खरीदे हुए माल को खरीदने के सम्बन्ध में होनेवाली आय को भारतीय आय नहीं गिना जायगा यदि अनिवासी के पास उक्त कार्य के लिए कोई दफ्तर या अभिकरण ( Agency ) नहीं है तथा माल पर कोई उत्पादन प्रतिया नहीं हुई है।

(३) किस व्यक्ति को अभिकर्ता माना जा सकता है ?—धारा १६३ :

भारत के निम्न व्यक्तियों में से किसी को भी अनिवासी का अभिकर्ता माना जा सकता है :—

- (अ) वह व्यक्ति जोकि अनिवासी द्वारा या उसके लिये नौकरी पर रखा गया है ; अथवा
- (ब) वह व्यक्ति जिसका अनिवासी के साथ कोई व्यापारिक सम्बन्ध है ; अथवा
- (स) वह व्यक्ति जिससे या जिसके द्वारा अनिवासी को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई आय मिलती है ; अथवा
- (द) वह व्यक्ति जो अनिवासी का ट्रस्टी है ; तथा वह अन्य कोई व्यक्ति (चाहे वह निवासी हो या अनिवासी हो) जिसने हस्तान्तरण द्वारा भारत में कोई स्थायी परिसम्यत प्राप्त की है ।

किसी व्यक्ति को एक अनिवासी के अभिकर्ता गिनने के पहले उसे आयकर अफसर द्वारा सुनवाई का मौका दिया जायगा ।

d. आकस्मिक पोत परिवहन व्यापार से अनिवासियों के लाभ (Profits of non-residents from occasional shipping business )—धारा १७२ :

- (१) भारत के किसी भी बन्दरगाह से रवाना होने वाले जहाज द्वारा व्यक्तियों, सामान अथवा जानवर आदि के ले जाये जाने से मिलने वाली रकम का  $\frac{1}{2}$  हिस्सा भारत में पैदा होने वाली आय समका जाता है ।
- (२) ये अनुबन्ध तभी लागू होंगे जब कि ऐसे अनिवासी का कोई अभिकर्ता नहीं है ।
- (३) भारत से रवाना होने से पहले अथवा रवाना होने के तीस दिन के अन्तर्गत जहाज का मास्टर किराये—माडे की पूरी सूची या प्रपत्र तैयार करके आयकर अफसर को दे देगा ।
- (४) ऐसी सूची या प्रपत्र मिलने पर आयकर अफसर उस पर उन दरों से कर लगायेगा जोकि उस कम्पनी पर जिसने कि धारा १६४ में वर्णित व्यवस्थाएँ नहीं की है, लागू होती है ; ऐसा कर मास्टर द्वारा देय होगा ।

- (५) यदि जहाज का मालिक चाहे तो वह कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति के पहले वह प्रार्थना कर सकता है कि उसका कर-निर्धारण उसकी गत वर्ष की कुल आय पर ही हो। ऐसी दशा में पहले दिया गया कर नियमित कर-निर्धारण के लिए व्यक्ति समझा जायगा।
- (६) जबतक उपरोक्त कर का मुगवान नहीं हो जाता या मुगवान एवं उसकी संतोषजनक इन्तजाम नहीं हो जाता, जहाज को बन्दरगाह छोड़ने का प्रभाष-पत्र नहीं मिल सकता।

#### ७. अनिवासियों से कर वसूली—धारा १७३ :

आयकर अधिनियम १९६१ के अध्याय १७ में वर्णित अनुबन्धों द्वारा कर की बटौरी से तथा भारत में आनेवाली अनिवासी की कोई परिसमर्त से कर वसूली हो सकती है।

#### ८. रजिस्टर्ड कर्म से एक अनिवासी का हिस्सा—धारा १८२(३) :

अनिवासी के हिस्से पर उस पर व्यक्तिगत रूप से लागू होनेवाली दरों के हिसाब से कर लगाया जायगा तथा वह कर कर्म द्वारा देय होगा।

#### प्रश्न संख्या ५१ :

कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए श्री मक्खनलाल कच्चा निवासी है। उसने कुल विश्व आय पर लगने वाली दरों से करारोपण के लिए अपना मत घोषित नहीं किया है। उसकी कुल आय १६,००० है। कर की संगणना कीजिए।

#### उत्तर :—

कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए श्री मक्खनलाल को धारा ११३ के अन्तर्गत एक अनिवासी के जैसे कर देना पड़ेगा। उसे निम्न कर देना होगा :—

वायवर—२५% की दर से	८०
दोनों प्रकार का सरचार्ज आयकर पर २०% की दर से	८००
वरित्रिक कर १६% की दर से	३,०४०
	<hr/>
कुल कर :	८,८४०
	<hr/>

## प्रश्न संख्या ५२ :

श्री लक्ष्मीनारायण अनिवासी है। उसे गत वर्ष में ५०,०००) की आय भारत से तथा १०,०००) का नुकसान विदेश से हुआ। उसने इल विश्व आय की दर के हिसाब से करारोपण के लिए अपना भत्ता घोषित कर दिया है। कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए उसे किस प्रकार कर देना चाहेगा ?

उत्तर :—

धारा ११३ (४) के अन्तर्गत कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए श्री लक्ष्मीनारायण को ५०,००० (भारतीय आय) पर ४०,००० रु की कुल विश्व आय ( $=50,000$  रु— $10,000$ ) पर अथवा ४०,००० रु (भारतीय आय) जो भी अधिक हो, अर्थात् ५०,००० रु पर लगने वाली दरों से आय-कर तथा अतिरिक्त कर देना होगा।

### प्रश्न

प्र० १. 'अनिवासी पर कर की संगणना' पर एक छोटी-सी टिप्पणी लिखो।

उ० देखो अनुच्छेद ३।

प्र० २. अनिवासी का अभिकर्ता कौन माना जाता है ?

उ० देखो अनुच्छेद ५।

प्र० ३. किन-किन प्रबन्धों के लिए एक कच्चा निवासी अनिवासी समक्ता जाता है ?

उ० देखो अनुच्छेद ४।

## अध्याय १७.

### अन्य विशेष दशाओं में कर-निर्धारण

#### [ ASSESSMENT IN OTHER SPECIAL CASES ]

##### १. वैधानिक प्रतिनिधि ( Legal representatives )—धारा १५६ :

- (i) एक व्यक्ति के मरने के बाद उसका वैधानिक प्रतिनिधि कर सम्बन्धी सुगतान के लिए उसी प्रकार जिम्मेदार रहेगा जैसे कि मृत व्यक्ति यदि वह नहीं मरा होता । इस अधिनियम के अन्तर्गत वैधानिक प्रतिनिधि वो करदाता समझा जाता है ।
- (ii) इस अधिनियम के अन्तर्गत कर-निर्धारण सम्बन्धी कार्यवाही के लिए वैधानिक प्रतिनिधि पर वे सब अनुबन्ध लागू होते हैं जोकि मृत व्यक्ति पर लागू होते यदि वह नहीं मरा होता ।
- (iii) वैधानिक प्रतिनिधि का कर दायित्व मृत व्यक्ति की समर्पित तक ही सीमित है ।

##### २. प्रतिनिधि करदाता ( Representative assessees )—धाराएँ १६० से १६७ :

###### (१) प्रतिनिधि कर दाता निम्न है :—

- (i) धारा ६ (१) (१) में उल्लिखित बनिवासी की आय के लिए बनिवासी का अभिकर्ता यथा वह व्यक्ति जोकि धारा १६३ में उसका अभिकर्ता माना जाता है ;
- (ii) नावालिय, पागल बथवा वेष्टकूफ की आय के लिए उसका उरक्कुक या मैनेजर जिसे उनके लिए उनकी आय को प्राप्त करने का हक है या जो ऐसी व्याय प्राप्त करते हैं ।
- (iii) किसी व्यक्ति की आय को प्राप्त करने के लिए नियुक्त प्रति पालक अधिकरण ( Court of Wards ), महाप्रणासक ( Administrator-General ), सरकारी न्यायाधारी ( Official Trustee ) यथवा दोई रिसीटर या मैनेजर ;
- (iv) एक न्याय-विलेव ( Trust deed ) के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के लाभ के लिए बथवा उसके लिए किसी आय को प्राप्त करने के हक रखने वाला या वाले स्थानी या दूसरी ।

- (२) प्रत्येक प्रतिनिधि करदाता पर उसके ही नाम में कर निर्धारण होगा । उससे कर की वसूली उमी प्रकार होगी जैसे कि उस व्यक्ति से जिसका कि वह प्रतिनिधित्व करता है, ही सकती है ।
- (३) प्रत्येक प्रतिनिधि करदाता को इस प्रकार किए गए कर के भुगतान को वसूल करने का पूर्ण अधिकार है ।
- (४) उपरोक्त उप-खंड (iii) तथा (iv) में वर्णित व्यक्तियों की आय के बारे में यदि निश्चित रूप से वह ज्ञात नहीं हो कि किस व्यक्ति के लाभ के लिए या बारे में वह आय प्राप्त होती है या की गई है या जिन व्यक्तियों के हितार्थ वह आय प्राप्त होती है उनके व्यक्तिगत हिस्से कितने हैं तो उन व्यक्तियों की सारी आय को एक जन-मण्डल के अन्तर्गत गिनकर उसपर कर-निर्धारण होगा । यदि आय किसी हिताधिकारी ने वास्तव में प्राप्त कर ली है तो उस पर उसकी कुल आय या कुल विश्व आय पर लगने वाली दरों से कर लगेगा । दोनों तरीकों में से वही एक तरीका अपनाया जायगा जिससे कि अधिक कर वसूल होता हो ।
- (५) प्रतिनिधि कर-दाता पर कर-निर्धारण नहीं करके हिताधिकारियों ( Beneficiaries ) पर भी सीधे कर-निर्धारण तथा कर वसूली की कार्यवाही की जा सकती है ।

### ३. निष्पादक ( Executors )—धाराएँ १६८ तथा १६९ :

- (१) मृत व्यक्ति की सम्पत्ति की आय पर उसके निष्पादक पर निम्न प्रकार से कर लगेगा :—
  - (अ) यदि निष्पादक एक ही है तो इस प्रकार जैसे कि वह व्यक्ति है ; अथवा
  - (ब) यदि एक से अधिक निष्पादक हैं तो इस प्रकार जैसे कि निष्पादक एक जन-मण्डल हों ; निष्पादक की निवास-स्थान के हिसाब से वही हैसियत होगी जो कि मृत व्यक्ति की उस गत वर्ष में थी जिसमें कि उसकी मृत्यु हुई थी ।
- (२) प्रत्येक पूर्ण गत वर्ष की या उसके किसी भाग की आय पर अलग-अलग कर-निर्धारण मृत व्यक्ति की मृत्यु-तिथि से लेकर हिताधिकारियों में उस सम्पत्ति के सम्पूर्ण विभाजन की तिथि तक होंगे ।

(३) किसी निर्दिष्ट रिक्तमाणी ( Specified Legatee ) के हितार्थ विभाजित या लगाई गई आय को ऐसे करनिधारण में बाद दिया जायगा किन्तु उसे ऐसे निर्दिष्ट रिक्तमाणी की कुल आय में समिलित किया जायगा ।

#### ४. मृत्यु के अलावा एक व्यापार का उत्तराधिकार ( Succession to business otherwise than on death )—धारा १७० :

गर वर्ष में उत्तराधिकार की तारीख तक की आय के लिए पूर्वाधिकारी ( Predecessor ) जिम्मेदार है तथा इस तारीख से गत वर्ष के अन्त तक की आय के लिए उत्तराधिकारी ( Successor ) जिम्मेदार है । जहाँ पूर्वाधिकारी का कही पता नहीं चलता हो तो उसकी आय के लिए उसके उत्तराधिकारी पर कर-निधारण होगा तथा वह उस पर लगने वाले कर के लिए इसी प्रकार जिम्मेदार रहेगा जैसे कि पूर्वाधिकारी ।

#### ५. भारत छोड़कर जानेवाले व्यक्तियों का कर-निधारण (Assessment of persons leaving India)—धारा १७१ :

(१) जब आयकर अफसर को किसी कर-निधारण वर्ष में यह ज्ञात हो जाय कि कोई व्यक्ति उस वर्ष में या उस वर्ष की समाप्ति के तुरन्त ही बाद में हमेशा के लिए भारत छोड़कर जानेवाला है तो वह उस कर-निधारण वर्ष की गत वर्ष के अन्त से उसके रवाना होने की अन्दाजन तारीख तक की आय का कर-निधारण उस कर-निधारण वर्ष में करेगा ।

(२) यदि कोई आय निश्चित रूप से नहीं मालूम हो सके तो आयकर अफसर ऐसे व्यक्ति के ऐसे समय या उसके किसी टुकड़े के लिए उसकी आय का प्राक्कलन ( Estimate ) करेगा ।

(३) ऐसे प्रत्येक पूर्ण गत वर्ष व्यक्ति गत वर्ष के किसी भाग के लिए बलग-अलग कर-निधारण होगे । ऐसे गत वर्ष या उसके किसी भाग की आय पर उस कर-निधारण वर्ष में चालू कर की दरों से कर की संगतता होगी ।

(४) ऐसे व्यक्ति को कम से कम सात दिन की सूचना देकर आयकर अफसर उसके प्रत्येक पूर्ण गत वर्ष की आय व्यक्ति उसके प्रत्येक भाग की प्राक्कलित आय के बारे में उसे आय का व्यौत्ता पत्र ( Return ) भरने के लिए आदेश दे सकता है ।

६. अपने परिसम्पत्त को संक्रमण करने का प्रयत्न करनेवाले व्यक्ति (Persons trying to alienate their assets)—धारा १७५ :

किसी भी चालू कर-निर्धारण वर्ष में यदि आयकर असफर को यह जात हो जाय कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत अपने निर्धारित कर-दायित्व को कम करने के हेतु अपने परिसम्पत्त को बेचने, हस्तान्तरण करने या किसी अन्य रूप से सक्रमण करनेवाला है तो ऐसे व्यक्ति की उस कर-निर्धारण वर्ष के गत वर्ष की समाप्ति की तारीख से लेकर उस तारीख तक जब कि आयकर अफसर ऐसी कार्यवाही प्रारम्भ करता है, आय उसी कर-निर्धारण में उसी प्रकार कर-देय होगी जैसे कि हमेशा के लिए भारत छोड़कर जानेवाले व्यक्ति के लिए होती है।

७. व्यापार का बन्द होना या विघटन ( Discontinuance of business or dissolution )—धाराएँ १७६ से १७८ :

(१) जब किसी कर-निर्धारण वर्ष में कोई व्यापार बन्द हो जाय तो ऐसे कर-निर्धारण वर्ष के गत वर्ष की समाप्ति से व्यापार के बन्द होने की तिथि तक की आय पर, आयकर अफसर की मजों से, उसी कर-निर्धारण वर्ष में कर लगाया जा सकता है।

(२) व्यापार बन्द करने की सूचना प्रत्येक व्यक्ति को आयकर अफसर के पास १५ दिन के अन्दर ही दे देनी चाहिए।

(३) किसी पेशे के बन्द होने से या किसी व्यक्ति की मृत्यु से जब पेशा बन्द हो जाय और उसके पश्चात् पेशे की आय किसी व्यक्ति को प्राप्त हो तो ऐसी आय उसके प्राप्तकर्ता की उस गत वर्ष की आय समझी जायगी जिसमें कि उसने उसे प्राप्त की है।

(४) किसी जनगणडल के विघटन या उसके व्यापार के बन्द हो जाने पर अध्याय १४ में वर्णित अनुबन्ध लागू होंगे।

८. साहित्यिक अथवा कलाकृति के लिए स्वत्व-शुल्क अथवा प्रतिलिप्यधिकार ( Royalty or copyright fees for literary or artistic work )—धारा १८० :

(१) यदि किसी साहित्यिक अथवा कला-कृति के किसी लेखक को उसे सम्पूर्ण करने में १२ महिने से अधिक का समय लगा हो तो ऐसे लेखक के द्वारा माँग करने पर ऐसी कृति के अधिकारों के समनुदेशन

( Assignment ) करने से किसी गत वर्ष में प्राप्त की गई या की जानेवाली एक राशि ( Lump Sum ) प्रतिफल का आवन्दन तथा कर-निर्धारण बायकर नियम १६६२ के नियम ६ के अनुसार होगा ।

(२) जहाँ १६६२-६३ कर-निर्धारण या इसके पश्चात् के किसी कर-निर्धारण के समय ऐसे आवन्दन ( Allocation ) की माँग की बाय तो उस पर नियम ६ (२) में वर्णित ढंग से निम्न प्रकार से कर-निर्धारण होगा :—

(i) जिस गत वर्ष में ऐसी सम्पूर्ण रकम प्राप्त की गई हो या की जानेवाली हो उससे सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष में निम्न प्रकार से कर लगेगा :—

(a) कुल बाय में से धारा १८० में वर्णित ऐसे एक राशि प्रतिफल ( इसे आगे ऐसी रकम से सम्बोधित किया गया है ) के  $\frac{1}{2}$  हिस्ते को घटाने से बची हुई बाय पर इस प्रकार कर लगेगा जैसे कि वह बची हुई बाय कुल बाय हो ; तथा

(b) ऐसी रकम के  $\frac{1}{2}$  भाग पर कुल बाय ( ऐसी रकम के  $\frac{1}{2}$  भाग के सम्बलित करने से बची हुई ) की औसत कर की दर से कर लगेगा ; और

(ii) ऐसी रकम का बाकी भाग बगले दो गत वर्षों में  $\frac{1}{2}$  और  $\frac{1}{2}$  कर के कुल बाय में सम्बलित किया जायगा तथा ऐसे गत वर्षों से सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्षों में दिये जानेवाले कर में से उत्तराखण्ड ( १ ) ( ब ) में वर्णित कर की  $\frac{1}{2}$  रकम बाद दी जायगी । [ देखिए प्रश्न संख्या ७१ ]

#### ६. प्रतिभूतियों या बंशों का बनावटी या फर्जी विक्रय [ Bond-washing ]—धारा ६४ :

कभी कभी कुछ करदाता कर से बचने लिए ब्याज सहित प्रतिभूतियों या लाभाशों सहित हिस्तों को इस गुन यमकीते पर ऐसे व्यक्ति को जिसकी बाय कर-पोर्ट नहीं है व्यक्ति जिसकी बाय पर कर भार कम है, बेच देते हैं कि ब्याज बधवा लाभाश गिल जाने के बाद वे कुल ब्याज बधवा लाभाश रहित प्रतिभूतियों या हिस्तों को बापन परीद लेंगे । इसका फल यह होता है कि ऐसे ब्याज बधवा लाभाशों पर उचित कर नहीं लग पाता है तथा वह पूर्ण रूप

से या अंशिक रूप से बच जाता है। ऐसे अनुचित उपायों को रोकने के लिए इन प्रतिभूतियों का व्याज आदि ऐसे विक्रय आदि के बावजूद भी उनके वास्तविक मालिक वर्थात् इस्तातरकर्ता की कुल आय में छोड़ दिया जाता है।

### १०. अन्य विशेष दशाओं में कर-निर्धारण :

पूँजीगत लाभ, हजारों के मुगरान इत्यादि पर कर की संगणना, अनिवासी पर कर की संगणना, विभाजन के पश्चात् विभिन्न हिन्दू परिवारों का कर-निर्धारण, कम्पनियों के परिसमाप्तकों का उत्तरदायित्व, परिसमाप्त में निजी कंपनी के संचालकों का उत्तरदायित्व इत्यादि विशेष दशाओं में कर के दायित्व तथा कर-निर्धारण सम्बन्धी विवेचन पिछले अध्यायों में विस्तृत रूप से हो चुका है इसलिए यहाँ पुनः नहीं किया गया है।

प्रश्न :—

प्र० १. सक्षित टिप्पणी लिखो ।

- (१) वैधानिक प्रतिनिधि का कर-दायित्व ।
- (२) प्रतिनिधि कर-दाता पर कर-निर्धारण ।
- (३) निष्पादक का कर-निर्धारण ।
- (४) प्रतिभूतियों का फर्जी विक्रय ।

उ० देखो (१) अनुच्छेद १ ।

- (२) „ २ ।
- (३) „ ३ ।
- (४) „ ४ ।

प्र० २. हमेशा के लिए भारत को छोड़ कर जाने वाले व्यक्तियों का कर-निर्धारण कैसे होगा ?

उ० देखो अनुच्छेद ५ ।

प्र० ३. किसी साहित्य अथवा कलाकृति के लिए एक राशि में प्राप्त स्वल-शुल्क या प्रतिलिप्यधिकार के कर-निर्धारण पर एक छोटी-सी टिप्पणी लिखिए ।

उ० देखो अनुच्छेद ८ ।



**चौथा भाग**  
**कर-निर्धारण एवं अपील पद्धति**  
[ ASSESSMENT & APPELLATE  
PROCEDURE ]

अध्याय १८

कर-निर्धारण पद्धति

( PROCEDURE FOR ASSESSMENT )

धाराएँ १३६ से १५८

१. पिछले अध्यायों में वराए गए अनुबन्धों के बनुसार विभिन्न कर-दाताओं की कुल आय को मालूम करने पर ही आयकर सम्बन्धित कार्य समाप्त नहीं हो जाता। इसके अतिरिक्त मुख्य बात करदाता की कर-निर्धारण पद्धति का ज्ञान है। कर-निर्धारण में दो बातें सम्मिलित होती हैं :—(क) करदाता की कुल आय का मालूम बरना ; तथा (ख) करदाता को विवाद थोर किस प्रकार से कर देना है या आयकर विभाग से बापत लेना है, मालूम बरना। इस पद्धति का विस्तृत विवरण नीचे किया जाता है।

२. आय का व्यौरा-पत्र या प्रपत्र या नक्शा ( Return of Income )—धाराएँ १३६ से १५० :

(१) करदाता द्वारा स्वयं या आयकर वफसर से नोटिस मिलने पर व्यपने आय के नक्शे को भरकर आयकर वफसर के पास भेजने से कर-निर्धारण की पद्धति चालू होती है। १-४-१९६२ से प्रत्येक करदाता के लिए ( जिसकी गत वर्ष की आय कर-योग्य हो ) नीचे दी हुई गारीब तक आयका नक्शा भरना जरूरी हो गया है :—

( i ) उस व्यक्ति को जिसकी आय व्यापार व्यवसा पेशे से है व्यपनी आय का नक्शा कर-निर्धारण वर्ष की ३० जून व्यवसा गत वर्ष की समाप्ति से ६ मास की अवधि तक, जो भी बाद में हो, भर देना चाहिए।

( ii ) अन्य व्यक्तियों को कर-निर्धारण वर्ष की ३० जून तक व्यपना नक्शा भर देना चाहिए।

- (२) उपरोक्त तिथियों आयकर अफसर द्वारा उसकी मर्जी पर, बढ़ाई जा सकती है। इस सम्बन्ध में निम्न अनुबन्धों को समझ लेना आवश्यक है :—
- (i) जिन करदाताओं की आय व्यापारादि से है तथा जिनका गत वर्ष ३१ दिसम्बर से पहले समाप्त होता है तथा अन्य करदाताओं के लिए नक्शे भरने की तारीख को आयकर अफसर ३० सितम्बर तक बढ़ा सकता है।
- (ii) जिन करदाताओं की आय व्यापारादि से है तथा जिनका गत वर्ष ३१ दिसम्बर के पश्चात् समाप्त होता है उनके लिए नक्शे भरने की तारीख को आयकर अफसर ३१ दिसम्बर तक बढ़ा सकता है।
- (iii) उपरोक्त तिथियों के पश्चात् आय के नक्शे को भरने पर करदाता को बर-निर्धारण वर्ष की १ अक्टूबर या १ जनवरी ( जो भी हो ) से नक्शे के भरने की तारीख तक ६% ब्याज देना पड़ेगा।
- (iv) एक रजिस्टर्ड फर्म पर ब्याज की गणना इस प्रकार होगी जैसे वह अनरजिस्टर्ड फर्म है। अन्य करदाताओं के लिए ब्याज की गणना कर निर्धारण के समय निर्धारित नेट कर की रकम पर ( अग्रिम कर या निर्गम स्थान पर कर कटौती इत्यादि घटाकर ) होगी।
- (३) यदि किसी पर व्यक्तिगत नोटिस भेजा गया है तो उसे ऐसे नोटिस या सूचना गिलाने के तीस दिन की अवधि में अपना नक्शा भरना पड़ेगा। नक्शे भरने की तिथि को आयकर अफसर अपनी मर्जी से बढ़ा भी सकता है। यदि नक्शे भरने की तारीख, चाहे धारा १३६ (२) के अन्तर्गत जारी किए गये व्यक्तिगत नोटिस के द्वारा चाहे बाद में बढ़ाए गए समय के हिसाब से, ३० सितम्बर या ३१ दिसम्बर ( जो भी हो ) के पश्चात् पड़ती है तो करदाता को उपरोक्त तरीके से ब्याज देना पड़ेगा।
- (४) आय के नक्शे में हस्ताक्षर तथा सत्यापन ( Verification ) नीचे दिए हुए व्यक्तियों द्वारा होगा।

- (अ) एक व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति द्वारा ; यदि व्यक्ति भारत के बाहर है तो उसके या उसके प्रतिनिधि द्वारा ; और यदि कोई व्यक्ति पागल है तो उसके संरक्षक या अन्य प्रतिनिधि द्वारा ;
  - (ब) एक अधिभक्त हिन्दू परिवार के लिए उसके कर्त्ता के द्वारा ; यदि कर्त्ता भारत के बाहर है या पागल है तो परिवार के किसी अन्य वयस्क सदस्य द्वारा ;
  - (स) एक कम्पनी तथा स्थानीय सत्ता के लिए, उसके मुख्य अफसर द्वारा ;
  - (द) एक फर्म के लिए, उसके किसी वयस्क भागीदार द्वारा ;
  - (प) किसी अन्य जनमण्डल के लिए उसके किसी सदस्य अधिका उसके मुख्य अफसर द्वारा ; तथा
  - (र) किसी अन्य व्यक्ति के लिए उस व्यक्ति द्वारा अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा ।
- (५) जिन व्यक्तियों के “पूँजीगत लाभ” आय के शीर्षक के बन्दरगत नुकसान हैं वे भी ऐसे नुकसान दिखलावे हुए आय का नक्शा भर सकते हैं । कर-निधारण होने से पूर्व किसी भी समय कोई भी करदाता अपनी आय का नक्शा या संशोधित नक्शा भर सकता है । एक नियमित कर-निधारण करने की चार वर्ष की अवधि तक ही ऐसा हो सकता है, उसके पश्चात् नहीं ।
- (६) जन मण्डली के लिए अपने सदस्यों के नाम तथा उनके हिस्से का वर्णन आय के नक्शे में भरना अनिवार्य हो गया है ।

### प्रश्नसंख्या ५३ :

एक व्यापारी को निम्न दण्डाओं में देरी से नक्शा भरने के लिए वित्तना ब्याज देना पड़ेगा :—

नम संख्या	गत वर्ष की समाप्ति की तारीख	नक्शे भरने की बायकर अक्सर द्वारा बढ़ाई हुई तारीख	नेट कर की मात्रा
(१)	३१-१०-१९६१	३१-१२-६२	१,०००)
(२)	३०-११-१९६१	३०-१-६२	"
(३)	२८-२-१९६२	२३-३-६३	"
(४)	३१-३-१९६२	३१-१२-६२	"

### चत्तर :—

- (१) इस दशा में आयकर अफसर नक्शे भरने की तारीख को ३०-६-६२ तक बिना ब्याज लगाए बढ़ा सकता है। नक्शा उस तिथि से ३ महिने के पश्चात् भरा गया है इसलिए उसे १५) ब्याज ( $1,000 \times \frac{3}{12} \times 6\%$ ) देना पड़ेगा।
- (२) यहाँ करदाता ने आयकर अफसर द्वारा बढ़ाई गई बिना ब्याज लगने वाली तारीख तक नक्शा भर दिया है इसलिए उसे कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा।
- (३) इस दशा में आयकर अफसर बिना ब्याज लिए नक्शे भरने की तारीख को बढ़ा सकता है किन्तु नक्शा उस समय के तीन मास के पश्चात् भरा गया है इसलिए उसे तीन महिने का ब्याज १५) देना पड़ेगा।
- (४) यहाँ करदाता ने ठीक समय में नक्शा भर दिया है इसलिए उसे कोई ब्याज नहीं पड़ेगा।

### ३. अस्थायी कर-निर्धारण ( Provisional Assessment )—धारा १४१ :

इनकम टैक्स अफसर को यह अधिकार है कि वह करदाता के बनाए आय के नक्शे इत्यादि के बाधार पर नियमित कर-निर्धारण से पूर्व ही अस्थायी कर-निर्धारण कर सके। ऐसा कर-निर्धारण बस्तुतः एक सक्रिय कर-निर्धारण ही है। अशोधित घिसाई की रकम तथा पुराने नुकसान जो आगे ले जा सकते हैं उन्हें प्रतिसादित करने के पश्चात् वची हुई रकम पर ही ऐसा अस्थायी कर-निर्धारण होगा। ऐसे कर-निर्धारण के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। ऐसे कर-निर्धारण में कर की जो रकम निश्चित की गई है उसे माँग की सूचना में लिखित अवधि के अन्दर ही भर देनी चाहिए नहीं तो करदाता पर कर की रकम के बराबर रकम तक दड़ लग सकता है।

### ४. नियमित कर-निर्धारण—धारा १४२ तथा १४३ :

- (१) कर निर्धारण के पूर्व आयकर अफसर को किसी व्यक्ति या करदाता की आय या हानि सम्बन्धी पूँछताँछ करने का पूरा अधिकार है। आयकर अफसर नोटिस भेजकर करदाता को व्यपने वही खाते व

हिसाब दिखाने के लिए वाध्य कर सकता है। किन्तु किसी भी गत वर्ष से उसके तीन वर्ष पहले के हिसाब तथा वही खाते नहीं मँगाये जा सकते। अपने असिस्टेंट कमिशनर की अनुमति लेकर वह किसी भी करदाता को अपनी कुल संपत्ति का लेखा देने के लिए वाध्य कर सकता है। ऐसे पौँछवाल्ल में प्राप्त किसी सामग्री का करदाता के कर-निधारण में प्रयोग करने से पहले आयकर अफसर को उसे सुनबाई का एक उचित नोका देना होगा—धारा १४२।

(२) यदि आयकर अफसर को यह विश्वास हो जाता है कि धारा १३६ के अन्तर्गत भरे हुए नक्शे में सम्पूर्ण गामग्री उही तथा पूर्ण है तो वह करदाता को निना बुलाए अथवा विना उसके हिसाब-किताब न द्वाते इत्यादि देखें ही उसका कर-निधारण कर सकता है—धारा १४३ (१)।

(३) यदि आयकर अफसर करदाता वर्थात् निधारिती ( Assessee ) के नक्शे को पूर्ण तथा सही नहीं समझता है तो वह करदाता को कुछ और गचाही देने के लिए अश्वा दफ्तर में स्वयं आने के लिए एक धारा १४३ (२) के अन्तर्गत सूचना भेजता है। इस प्रकार आवश्यक जाँच पड़ताल के पश्चात् वह लिखित आदेश के अनुसार धारा १४३ (३) के अन्तर्गत करदाता की कुल आय या हानि वा निधारण करेगा तथा करदाता द्वारा देयकर या उसे मिलने वाले कर की समाना करेगा।

#### ५. उत्तम निर्णय के अनुसार कर निधारण ( Best Judgment Assessment )—धारा १४४ :

(१) यदि कोई व्यक्ति—

(अ) व्यक्तिगत दूजना ( धारा १३६ (२) के अन्तर्गत ) मिलने पर भी आय के नक्शे को नहीं भरता तथा धारा १३६ (२) या (५) के अन्तर्गत नक्शा या संशोधित नक्शा नहीं भरता, अथवा

(ब) धारा १४२ (१) के अन्तर्गत जारी किए गए नोटिस के अनुसार अपने हिसाब-किताब अथवा कुल सम्पत्ति लेखा इत्यादि पेश नहीं करता, अथवा

(स) नक्शा भरने के बाद धारा १४३ (२) के अन्तर्गत जारी किए गए नोटिस की अवैलना करता है,

तो आयकर अफसर, उन समाम सामग्रियों को जो उसने इकट्ठी की है,— ध्यान में रखते हुए कुल आय तथा हानि का अपने उत्तम निर्णय के अनुसार इकतरफा ( Ex-partes ) कर-निर्धारण करेगा तथा उस रकम की संगणना करेगा जो कि करदाता को ऐसे कर-निर्धारण के अनुसार देनी है या वापस पानी है।

(२) उत्तम निर्णय करते समय आयकर अफसर को इमानदारी में कार्य करना चाहिए। उसे ऐवल शक अथवा वहम पर अपना निर्णय नहीं निर्धारित करना चाहिए। न्याय, समानता तथा अच्छे अन्तः करण से इस प्रकार का कर-निर्धारण होना चाहिए।

(३) ऐसे कर-निर्धारण के विरुद्ध करदाता को निम्न दो अधिकार प्राप्त हैं :—

(i) कर-निर्धारण को पुनः खुलवाना—धारा १४६ :

उत्तम कर-निर्धारण के पश्चात् जारी किए गए माँग की सूचना मिलने से एक महिने की अवधि में करदाता ऐसे कर-निर्धारण को रद्द करने की माँग कर सकता है यदि पर्याप्त कारणों से वह उन नोटिसों का पालन नहीं कर सका है जिसके कारण ऐसा निर्धारण हुआ है। यदि आयकर अफसर इस बात से संतुष्ट हो जाय कि करदाता द्वारा कथित कारण वास्तविक हैं तो वह इस प्रकार के कर-निर्धारण को रद्द कर सकता है तथा धारा १४३ या १४४ के अन्तर्गत पुनः कर-निर्धारण की कार्यवाही ग्राम्य कर सकता है।

(ii) अपील का अधिकार—धारा २४६ :

उत्तम कर-निर्धारण में निर्धारित कुल आय के विरुद्ध अथवा आयकर अफसर के धारा १४६ के अन्तर्गत उस कर-निर्धारण को पुनः खोलने से इन्कार करने पर करदाता को अपिलेट असिस्टेंट कमिश्नर के पास अपील करने का अधिकार है।

६. हिसाबपद्धति : ( Method of Accounting )—धारा १४५ :

ब्यापार अथवा पेशी के लाभ तथा अन्य श्रोतों की आय पर कर की गणना कर दाता की हिसाब पद्धति के अनुसार की जाती है। वही खातों की हिसाब पद्धति नियमित रूप से प्रयोग में लानी चाहिये। कर दाता द्वारा वही खाते नहीं रखने पर या हिसाब की एक ही पद्धति को लगातार या नियमित रूप से प्रयोग में नहीं लाने पर या हिसाबी पद्धति ऐसी हो जिसके द्वारा इमकम-टेक्स

बफतर की सम्मति में लाभ या आमदनी ठीक प्रकार से मालूम न हो सके तो वह घारा १४४ में निर्धारित रीति या आधार के अनुसार लाभ या आय की गणना करेगा ।

वही खाते कौन सी पद्धति से रखने चाहिये, इसका स्पष्टी करण या उल्लेख आयकर कानून की किसी भी धारा में नहीं किया गया है । हमारे देश में साधारणतः तीन प्रकार की हिसाब पद्धतियाँ प्रयोग में लायी जाती हैं :—

(१) रोकड़ पद्धति ( Cash System ) :—इसमें केवल नकदी खर्च व आमदनी का हिसाब रखा जाता है । डाक्टरों, मुनीमों, वकीलों, कलावों तथा विद्यालयी के लिये यह पद्धति सुगमता से प्रयोग में लाई जा सकती है ।

(२) महाजनीपद्धति ( Mercantile System ) :—इस पद्धति के अनुसार वर्ष भरके तमाम रोकड़ तथा उधार दोनों प्रकार लेनदेनोंका हिसाब रखा जाता है । इस पद्धति के अनुसार व्यापार का अमली हानि लाभ मालूम किया जा सकता है ।

(३) मिश्रितपद्धति ( Mixed System ) :—कुछ लेन देन रोकड़ रीति से और कुछ लेन देन महाजनी रीति के अनुसार खातों में लिखे जाते हैं उसे मिश्रित पद्धति कहते हैं ।

५ कर-निर्धारण से बची हुई आय अधबा पुनः कर-निर्धारण अधबा अतिरिक्त कर-निर्धारण ( Income escaping Assessment or Re-assessment or Additional Assessment )—घारा एँ १४७ से १५३ :—

(१) यदि (अ) आयकर बफतर यह विश्वास करे कि करदाता द्वारा वहने आय के नवयों में पूर्ण विवरण देने में त्रुटि या कम्ति होने के कारण, अथवा

(ब) उसे कुछ स्वत्वा प्राप्त होने के कारण यह ज्ञात ही जाय कि, वर-योग्य आय की रकम वह निर्धारित हुई है अथवा ऐसी आय पर वह दर से कर लगा है अथवा इस अधिनियम अधबा १६२२ के आयकर अधिनियम के अन्वर्गत उस आय पर अधिक सहायता दी जुकी है अथवा जहाँ अधिक हानि, या भिन्नाई की छूट की उगमना वी जा चुकी है, तो वह उस कर-निर्धारण वर्ष की आय का पुनः निर्धारण

करेगा अथवा ऐसी हानि या घिसाई की पुनः संगणना करेगा—  
धारा १४७ ।

(२) धारा १४७ (अ) के अन्तर्गत अर्थात् जब कि करदाता कसरवार है  
एक नोटिस के जारी करने के बारे में निम्न उपबन्ध है :—

(i) उस कर-निर्धारण वर्ष, जिसके लिए पुनः कार्यवाही की जाने  
वाली है, के अन्त से लेकर अगले द वर्ष तक किसी भी समय  
में कमिशनर ऑफ इनकम-टैक्स की आज्ञा लेकर ऐसा नोटिस  
जारी किया जा सकता है ; अथवा

(ii) जहाँ उस कर निर्धारण वर्ष के पश्चात् द वर्ष का समय समाप्त  
हो गया है विन्तु १६ वर्ष का समय समाप्त नहीं हुआ है तथा एक  
वर्ष में कर से बचाई हुई आय की रकम ५०,०००) या इससे  
अधिक है तो सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवन्यू की आज्ञा लेकर ऐसा  
नोटिस जारी किया जा सकता है । इससे यह तात्पर्य हुआ  
कि सन् १६४६-४७ से पहले के किसी भी कर-निर्धारण वर्ष के  
लिए किसी भी रूप में कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकती तथा  
ऐसा नोटिस किसी भी अवस्था में जारी नहीं हो सकता ।

(३) धारा १४७ (ब) के अन्तर्गत पुनः कर-निर्धारण के लिए आयकर  
अफसर स्वयं ही ( विना किसी की आज्ञा लिए ) उस कर निर्धारण  
वर्ष के अन्त से अगले चार वर्षों में कभी भी ऐसा नोटिस जारी कर  
सकता है ।

(४) धारा १४७ में होनेवाले कर-निर्धारणों को पूरा करने के लिए निम्न  
समय निश्चित कर दिए गए हैं :—

(i) धारा १४७ (अ) के अन्तर्गत आनेवाले पुनः कर-निर्धारणों के  
लिए उस कर-निर्धारण वर्ष, जिसमें ऐसा नोटिस ( धारा १४८  
के अन्तर्गत ) तामिल किया गया है ( Served ) के अन्त से  
४ वर्ष के अन्दर ही ऐसे कर-निर्धारण की कार्यवाही पूरी हो  
जानी चाहिए ।

(ii) धारा १४७ (ब) के अन्तर्गत होनेवाले पुनः कर-निर्धारणों के  
लिए उस कर निर्धारण, जिसमें कि वह आय प्रथम बार करदेय  
हुई थी, के अन्त से ४ वर्ष या धारा १४८ के अन्तर्गत जारी

किए गए नोटिस की तामिल से एक वर्ष की अवधि तक ( जो भी वाद में हो ) ऐसे कर-निर्धारण की कार्यवाही समाप्त हो जानी चाहिए ।

- (५) धारा १४३ या १४४ के अन्तर्गत कर-निर्धारण को पूरा करने के लिए समय की सीमाएँ निम्न प्रकार हैं :—
- (अ) उस कर-निर्धारण वर्ष जिसमें वह आय प्रथम बार कर-देय हुई थी, के अन्त से ४ वर्ष ; अथवा
  - (ब) जहाँ करदाता ने आय की चोरी की है तथा जिसका मामला धारा २७१ (१) (बी) के अन्तर्गत थाता है वहाँ उस कर-निर्धारण वर्ष जिसमें ऐसी आय प्रथम बार कर-देय हुई थी, के अन्त से ८ वर्ष ; अथवा
  - (स) धारा १३८ (४) या (५) के अन्तर्गत आय के नक्शे या संशोधित नक्शे भरने की तारीख से १ वर्ष, यदि यह अवधि वाद में वार्ती हो ।
- (६) उपरोक्त समय की सीमाएँ निम्न दशाओं में नहीं लागू होती :—
- (i) जहाँ धारा १४६ के अन्तर्गत पुनः कर-निर्धारण होता हो ;
  - (ii) जहाँ उच्च न्यायिक सत्ता के थादेशानुसार कोई कर-निर्धारण या पुनः कर-निर्धारण या पुनः संगणना की कार्यवाही होती हो ;
  - (iii) जहाँ धारा १४७ के अन्तर्गत फर्म पर पुनः कर-निर्धारण के कारण उसके मागीदार पर कर-निर्धारण की कार्यवाही करनी हो ।
- (७) उपरोक्त समय-सीमाओं की गणना करते समय निम्न अवधियों को नहीं गिना जायगा :—
- (अ) धारा १२६ के अन्तर्गत किसी मामले की सुनवाही के तिए लिया गया समय ; अथवा
  - (ब) किसी कच्छरी के बादेय या व्यादेय ( Injunction ) के कारण कर-निर्धारण की द्विंदी हुई कार्यवाही का समय ।

### प्रश्न संख्या ५४ :

कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ में एक आयकर अफसर को यह ज्ञात हुआ कि एक करदाता की ७०,०००) की आय १९४४-५० में कर लगने से बच गई है। उस आय पर किस प्रकार कर लगाया जायगा तथा उसके कर-निर्धारण की कार्यवाही कब शुरू होनी चाहिए तथा समाप्त हो जानी चाहिये ?

**उत्तर :—**

सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवन्यू की पूर्वानुमति से १९४४-५० कर-निर्धारण वर्ष के लिए ७०,०००) पर कर-निर्धारण करने के लिए उसके अन्त से १६ वर्ष तक अर्थात् १९६५ द६ कर निर्धारण वर्ष की समाप्तिक धारा १४८ में नोटिस जारी किया जा सकता है। मान लीजिए कि ऐसा नोटिस १६-४ ६२ को तामिल हुआ तो ऐसे कर-निर्धारण की समाप्ति कर-निर्धारण वर्ष १९६६-६७ तक अवश्य हो जानी चाहिये।

### प्रश्न संख्या ५५ :

१९५४-५५ कर निर्धारण वर्ष के लिये श्री तलवारकी बुल आय २०,००० निर्धारित हो चुकी है। कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ में आयकर अफसर को मालूम हुआ कि उस वर्ष के लिये उसने १५,०००) की आय कम बताई थी। बतलाइए, वह उस बची हुई आय को निर्धारित करने के लिये क्या कार्यवाही कर सकता है ?

**उत्तर :—**

यह मामला धारा १४७ (अ) के अन्तर्गत आता है इसलिए कमिश्नर ऑफ इनकम-ठैक्स की पूर्वानुमति से आयकर अफसर को १९५४-५५ से द वर्ष की अवधि में अर्थात् १९६२-६३ कर-निर्धारण वर्ष में ही नोटिस जारी करना पड़ेगा। ऐसी आय का १९५४-५५ के लिए पुनः कर-निर्धारण १९६६-६७ कर-निर्धारण वर्ष तक समाप्त हो जाना चाहिए।

### प्रश्न संख्या ५६ :

वर्तमान कर-निर्धारण वर्ष अर्थात् १९६२-६३ में एक आयकर अफसर को यह सूचना मिली कि एक करदाता की ५,०००) की आय पर कर-निर्धारण वर्ष १९५८-५९ में कोई कर नहीं लग सका है। बतलाइये, उस पर कर लगाने के लिये आयकर असर क्या कार्यवाही करेगा ?

## उत्तरः—

यह मामला धारा १४७ (ब) के अन्तर्गत आता है। सन् १९५८-५९ में ५,०००) की वायको निर्धारित करनेके लिए उसे कर-निर्धारण वर्ष १९६२ ६३ में ही एक नोटिस जारी करना पड़ेगा। मान सीजिए वह नोटिस १७ द-६२ को तामिल हुआ। कर-निर्धारण की कार्यवाही १७-द-६३ के पूर्व ही समाप्त हो जानी चाहिए।

### c. भूल सुधार ( Rectification of Mistakes )—धारा १५४ तथा १५५ :

आयकर अफसर, अपिलेट असिस्टेट कमिश्नर तथा कमिश्नर ऐसी भूलों को जोकि किसी अभिलेख से प्रत्यक्ष हो ( Apparent from the record ) वहनी मर्जी से अथवा करदाता के आवेदन करने पर, उस वादेश, जो की सुधारा जाने वाला है, की तारीख से ४ वर्ष में, सुधार कर सकते हैं। यदि किसी भूल सुधारने के कारण किसी करदाता के कर-दायित्व में वृद्धि होती हो तो उसका सुधार करदाता की सुनवाई का उचित मौका दिये बिना नहीं हो सकता।

### d. मांग की सूचना—धारा १५६ :

इस अधिनियम के अन्तर्गत जारी किए गए किसी भी वादेश के अनुमार यदि कोई कर, व्याज, दंड इत्यादि की रकम देग हो तो निर्धारित फार्म में ( आयकर नियम १९६२ के नियम १५ तथा १६ के अनुमार निर्धारित ) उस रकम का छल्लेख करके, आयकर अफसर उसकी तामील करदाता पर करेगा।

### १०. नुकसान की सूचना—धारा १५७ :

आयकर अफसर द्वारा उस नुकसान कि जिसे कोई करदाता प्रतिसाइन के लिए आगे ले जा सकता है, सूचना करदाता को लिखित वादेश द्वारा देनी पड़ती है।

### ११. फर्म के कर-निर्धारण की सूचना—धारा १५८ :

जहाँ एक रजिस्टर्ड फर्म का कर-निर्धारण हुआ हो अथवा किसी अन-रजिस्टर्ड फर्म का रजिस्टर्ड फर्म के लैसे कर-निर्धारण हुआ हो तो आयकर अफसर एक लिखित वादेश के द्वारा फर्म को उसकी तुल आय तथा मामीदारों में उसके विमाजन की सूचना देगा।

## प्रश्न

प्र० २. सक्षित टिप्पणियाँ लिखो :—

- (१) आयका नवशा।
- (२) नुकसान की सूचना।
- (३) फर्म के भागीदारों के हिस्सों की सूचना।
- (४) भूल सुधार।
- (५) पुनः कर-निर्धारण।
- (६) हिसाब पद्धति।

उ० देखो—(१) अनुच्छेद २

- |     |   |    |
|-----|---|----|
| (२) | " | १० |
| (३) | " | ११ |
| (४) | " | ८  |
| (५) | " | ७  |
| (६) | " | ६  |

प्र० ३. “उत्तम निर्णय के अनुसार कर-निर्धारण” से आप क्या समझते हैं ?  
यह किन दशाओं में किया जाता है ? ऐसे कर निर्धारण के विशद  
करदाता को वया अधिकार प्राप्त है ?

उ० देखो अनुच्छेद ५.

## अध्याय १६.

### दण्ड, अपराध तथा अभियोजन

( PENALTIES, OFFENCES & PROSECUTIONS )

#### अ. दण्ड ( Penalties )

१. सम्मन अर्थात् आहान-पत्र का पालन न करना—धारा १३१ :

जब कोई व्यक्ति जिस पर किसी व्युक स्थान तथा समय पर गवाही देने के लिए अथवा हिसाब-विताव दिखाने के लिए उम्मन जारी किया गया हो, जानवृक्ष ऐसे सम्मन का पालन नहीं करे हैं तो आयकर अधिकारी ५००) तक का जुर्माना उस पर लगा सकता है।

२. प्रतिभूतियों सम्बन्धी सूचनाएँ नहीं देना—धारा २७७ :

यदि कोई व्यक्ति पारा ६४ (६) के अन्तर्गत जारी किए गए नोटिस का विना उन्नित कारण के पालन नहीं करे तो आयकर अफसर उस पर ५००) रुक का दड लगा सकता है तथा प्रत्येक दिन के असफल होने के लिए उतनी ही रकम और दड के रूप में लगा सकता है।

३. नक्शे भरने में, नोटिस पालन करने में असफलता तथा आय छिपाना—धारा २५१ :

(१) इस धारा के अन्तर्गत निम्न तीन प्रकार के मामले आते हैं :—

(अ) आय के नक्शे को देने में असफलता अथवा पारा १३६ या धारा १४८ के द्वारा दिए गए समय के अन्दर आय के नक्शे को भरने में असफलता ; अथवा

(ब) धारा १४२ (१) के अन्तर्गत हिसाब इलादि को दिखाने के लिए जारी किए नोटिस के पालन करने में विफलता या धारा १४३ (२) के अन्तर्गत गवाही इत्तादि प्रस्तुत करने के लिए जारी किए नोटिस के पालन करने में विफलता ; अथवा

(स) आय का छिपाना या जान बूझकर आय सम्बन्धी विवरणों को गलत देना।

दंड लगने की कार्यवाही आयकर अफसर अथवा अपिलेट अमिस्टेट कमिशनर शुरू कर सकता है।

(२) किसी भी प्रकार के कसूर के बारे में दड़ लगाने की कार्यवाही करदाता को सुनने या सुनवाने का एक उचित मौका देने के पश्चात् ही की जायगी । दण्ड लगाने के लिए एक रजिस्टर्ड फर्म को अनरजिस्टर्ड फर्म माना जाता है । उपरोक्त हालतों में दड़ लगाने के लिए निम्न उपबन्ध हैं :—

(i) खंड (अ) में वर्णित मामलों के लिए :—

प्रत्येक महिने ( जबतक ऐसी चूक ( Default ) जारी है ) के लिए दण्ड की रकम कर का २% भाग के बराबर तथा कुल मिलाकर उच्चतम दण्ड की रकम कर का ५०% भाग के बराबर है । यदि किसी करदाता की कुल आय अधिकतम कर-मुक्त सीमा के १,५००) से अधिक नहीं है तो उसपर कोई दण्ड नहीं लगेगा । यदि किसी करदाता पर आय के नक्शे को भरने का व्यक्तिगत नोटिस तामील हुआ है और वह यह सबूत कर देता है कि उसकी आय कर योग्य नहीं है तो ऐसी चूक के लिए दण्ड की रकम २५) से अधिक नहीं हो सकती । अनिवासी के अभिकर्ता पर स्वयं ही आयके नक्शे को नहीं भरने के कारण कोई दंड नहीं लगाया जा सकता ।

(ii) खंड (ब) में वर्णित मामलों के लिए :—

ऐसे व्यक्ति द्वारा भरे गए आय के नक्शे को सही मानने से जितना कर बचता है उस रकम का १०% भाग न्यूनतम दड़ है तथा ५०% भाग अधिकतम दण्ड है ।

(iii) खंड (स) में वर्णित मामलों के लिए :—

ऐसे व्यक्ति द्वारा आय के नक्शे में भरी हुई आय को सही मान लेने से जितना कर बचता है उस रकम का २०% भाग न्यूनतम दड़ है तथा १५०% भाग अधिकतम दण्ड है । यदि न्यूनतम दंड की रकम १,०००) से अधिक है तो दड़ लगाने की कार्यवाही आयकर अफसर द्वारा न होकर इंस्पेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा होगी ।

प्रश्न संख्या ५७ :

नीचे लिखे मामलों में धारा २७१ (१) के अन्तर्गत लगाने वाली दण्ड की न्यूनतम तथा अधिकतम रकमों का वर्णन कीजिए :—

(१) धी 'क' जिसका गतवर्ष वित्तीय वर्ष १९६१-६२ है, अपनी आय के नक्शे भरने की अंवधि को ३१-१२-६२ तक बढ़वा लेता है किन्तु

नक्शे को ३१-३-६३ के दिन भरता है। नियमित कर-निधारण पर, मान लीजिए उस पर १,०००) कर लगता है।

- (२) श्री 'ख' ने हिसाब-किताब दिखाने के लिए जारी किए गए नोटिस की परवाह नहीं की। आयकर अफसर ने उत्तम कर-निधारण कर दिया। श्री 'ख' द्वारा भरी आय तथा आयकर अफसर द्वारा निधारित आय पर कर में २,०००) का अन्तर है।
- (३) श्री 'ग' ने १८-६-६२ को १०,०००) की आय दिखाते हुए एक आय का नक्शा भरा। आयकर अफसर ने २०,०००) की छुपाई हुई आय को पकड़ा तथा उत्तर ३०,०००) की कुल आय पर कर की सगणना कर दी। मान लीजिए १०,०००) तथा ३०,०००) की आय पर लगने वाले नैट कर की रकम कमशा: १,०००) तथा ५,०००) है।

#### उत्तर :—

- (१) यहाँ नक्शा भरने में सीन महिने की देरी हुई है। इसलिए दड की रकम १,०००) पर २% प्रतिमास के हिसाब से ६०) हुई तथा अधिकतम दड की रकम १,०००) का ५०% अर्थात् ५००) हुई।
- (२) यहाँ दड की न्यूनतम रकम २,०००) के १०% भाग के बराबर अर्थात् २००) है तथा उच्चतम दड की रकम २,००० के ५०% अर्थात् १,०००) के बराबर है।
- (३) यहाँ छिपाई हुई आय के कारण बचे हुए कर की रकम ४,०००) [ ५,०००-१,००० ] है। इसलिए न्यूनतम दड की रकम ४,००० के २०% अर्थात् ८००) के बराबर हुई तथा उच्चतम दड की रकम ४,००० के १५०% अर्थात् ६,०००) के बराबर हुई।

#### ४. व्यापारादि घन्ड करने की सूचना देने में विफलता—धारा २७२ :

धारा १७६ (३) के अन्तर्गत वर्णित उपबन्ध के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने व्यापार अथवा पेशे को घन्ड करने की सूचना ठीक समय में नहीं देते तो उस पर आयकर अफसर द्वारा दण्ड लगाया जायगा। ऐसे दण्ड की न्यूनतम रकम बाद में लगाए गए कर के १०% भाग के बराबर है तथा उच्चतम दण्ड की रकम ऐसे कर के बराबर है।

५. गलत अनुमान भरना अथवा अग्रिम कर के अनुमान देने में विफल होना—धारा २७३ :

नियमित कर-निर्धारण सम्बन्धी कार्यवाही के समय यदि आयकर अफसर को यह विश्वास हो जाय कि किसी करदाता ने—

(अ) धारा २१२ के अन्तर्गत अग्रिम कर का अनुमान जान कर गलत भरा है ; अथवा

(ब) धारा २१२ (३) के अन्तर्गत उसने बिना किसी उचित कारण के अग्रिम कर का अनुमान नहीं भरा है, तो वह यह आदेश करेगा कि ऐसा व्यक्ति नियमित कर देने के अलावा निम्न दण्ड की रकम भी देगा—

(i) जो कि खण्ड (अ) के लिए निम्न रकम तथा अग्रिम कर के वास्तविक मुगलान की रकम के अन्तर के १०% से कम नहीं होगी तथा उसके १३ गुनी से अधिक नहीं होगी :—

(१) नियमित कर-निर्धारण पर धारा २१५ के अन्तर्गत निर्धारित कर की रकम का ७५%, या

(२) धारा २१० के अन्तर्गत जारी किए नोटिस के अन्तर्गत देय रकम, जो भी कम हो ; तथा

(ii) जोकि खंड (ब) के लिए उस रकम जिस पर कि धारा २१७ के अन्तर्गत व्याज लगता है के १०% से कम नहीं होगी तथा उसके १३ गुनी से अधिक नहीं होगी ।

**नोट :—**धारा २७० से २७४ के अन्तर्गत दण्डारोपण का कोई आदेश, उस कार्यवाही जिसमें ऐसे दण्डारोपण की कार्यवाही प्रारम्भ हुई है, की समाप्ति के दो वर्ष के बाद नहीं जारी किया जा सकता ।

**प्रश्न संख्या ५८ :**

श्री ‘क’ ने वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में १,००० रु० के अग्रिम कर का अनुमान भर कर उतने कर का मुगलान कर दिया है । मान लीजिए, नियमित कर-निर्धारण में कर की माँग २,४००) हुई । धारा २७३ के अन्तर्गत न्यूनतम दण्ड तथा अधिकतम दण्ड की रकम की संगणना कीजिये ।

उत्तर :—

यदि श्री 'क' ने २,४०० रुपयों का ७५% अर्थात् १,८०० कर दे दिया होगा तो उस पर कोई दंड नहीं लगता। विन्तु उसने ८०० रुपयों का अधिक सुगतान किया है। इसलिए धारा २७३ के अन्तर्गत न्यूनतम कर की रकम  $800 \times 10\%$  अर्थात् ८०) तथा अधिकतम कर की रकम  $800 \times 12\%$  अर्थात् १,२००) हुई।

**६. अपराध तथा अभियोजन ( Offences & Prosecutions )**

**६. मुगतान करने, नक्शे या प्रपत्र भरने अथवा निरीक्षण की सुविधा देने में विफलता—धारा २७५ :**

यदि कोई व्यक्ति दिना उचित कारण के धाराएँ १३३, १३४, १३६ (२), १४२ (१), २०३, २०६, २५६, २८६ के उपबन्धों का पालन न करे तो वह जुर्माना देने के लिए दण्डनीय होगा। ग्रलेक दिन के अपराध के लिए जुर्माना की रकम १० रुपयों है।

**७. घोषणा में गलत कथन—धारा २७६ :**

आयकर अधिनियम अथवा आयकर नियम के अन्तर्गत किसी भी सत्यापन ( Verification ) में गलत कथन के लिए करदाता को ६ महिने की सजा अथवा १,००० तक जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।

**८. गलत नक्शा भरने में सहायता करना—धारा २७८ :**

गलत नक्शा, कथन या घोषणा इत्यादि के कार्य में मदद करने की सजा यही है जो बनुच्छेद ७ में वर्णित है।

**नोट—धारा २७६, २७७ अथवा २७८ के अन्तर्गत किसी व्यक्ति पर कमिशनर के द्वारा ही कार्यवाही ग्रारम्भ होगी तथा उसे ही समझौता करने का पूरा हक रहेगा।**

**९. लोक-सेवकों द्वारा विवरणों का प्रकटीकरण—धारा २८० :**

यदि कोई लोक सेवक धारा १३७ के अन्तर्गत वर्जित विवरणों का प्रकटीकरण करता है तो उसे ६ महिने की सजा हो सकती है तथा उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। इस धारा के अन्तर्गत कोई भी अभियोजन केन्द्रीय सरकार की पूर्णानुमति दिना नहीं हो सकता।

प्रश्न :—

- प्र० १. निर्धारित समय पर आय के नक्शे को नहीं भरने तथा आय को  
छुपाने पर कितना दण्ड ( न्यूनतम तथा अधिकतम ) लगाया जा  
सकता है ?
- उ० देखो अनुच्छेद ३.
- प्र० २. अधिग्राम कर के अनुभान को ठीक समय में नहीं भरने अथवा गलत  
भरने पर कितना दण्ड लग सकता है ?
- उ० देखो अनुच्छेद २.
- प्र० ३. सम्मन का पालन नहीं करने पर आयकर अफसर क्या जुर्माना कर  
सकता है ?
- उ० देखो अनुच्छेद १।
-

## अध्याय २०

### कर संग्रह तथा बस्तुली

#### ( COLLECTION AND RECOVERY OF TAX )

१. आयकर अधिनियम के अन्तर्गत साधारणतया वरदाता द्वारा निम्न प्रकार से कर दिया जाता है :—

- (अ) उद्गम स्थान पर कर की कटौती ( Deduction of tax at Source ) ;
- (ब) वर का अग्रिम मुग्रावान ( Advance payment of tax ) ; तथा
- (स) कर-निर्धारण के पश्चात् माँग की सूचना मिलने पर मुग्रावान ( Payment On Receipt of Notice of demand after assessment ) ;

(अ) उद्गम स्थान पर कर की कटौती—धाराएँ १६२-२०६ :

२. इस प्रणाली के अनुसार किसी व्यक्ति के आय के निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत आनेवाले मुग्रावानों से उद्गम अर्थात् मुग्रावान मिलने के स्थान पर ही वर काट लिया जाता है :—

- (१) वेतन ;
- (२) प्रतिभूतियों का व्याज ;
- (३) सामांग , तथा
- (४) किसी अन्य शीर्षक के अन्तर्गत आनेवाले अनिवासी को किए गए मुग्रावान ।

३. इस सम्बन्ध में निम्न उदाहरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है :—

- (अ) वेतन—यदि कर्मचारी भी वेतन शीर्षक के अन्तर्गत आनेवाली आय-कर योग्य है तो मालिक के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपने कर्मचारी के वेतन की रकम में से युल वेतन पर लागू होनेवाली विच्छिन्न रूप की आपकर तथा अविरिक्त कर भी दरों से वर काट ले तथा काटी दुई रकम को सरकारी खजाने में जमा कर देवे ।
- (ब) प्रतिभूतियों का व्याज तथा लाभांश—इन पर आयकर तथा अविरिक्त कर की रकम उम्म विच्छिन्न वर्ष में लागू कर की दरों से काटी जाती है ।

(स) अनिवासी को भुगतान—एक अनिवासी ( जो कम्पनी नहीं है ) तथा अनिवासी कम्पनी जोकि भारतीय कम्पनी नहीं है अथवा जिसने लाभांशों को भारत में वितरण तथा भुगतान के लिए निर्धारित इन्तजाम नहीं बिए हैं, को दिए गए किसी अन्य भुगतान पर उस वित्तीय वर्ष में लागू होनेवाली कर की दरों से आयकर तथा अतिरिक्त कर की रकम उद्दगम स्थान पर ही काट ली जायगी ।

**नोट :—** वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में उपरोक्त वर्णित लागू होनेवाली कर की दरों के लिए परिशिष्ट ‘क’ में देखिए ।

(द) यदि किसी व्यक्ति की आय कर योग्य नहीं है अथवा वह कम दर से कर योग्य है तो वह निर्दिष्ट फार्म भर कर यह निवेदन कर सकता है कि उसकी आय से कोई कटौती न की जाय अथवा वह कम दर से की जाय ।

(य) इस प्रकार काटे हुए कर का भुगतान उस व्यक्ति द्वारा सरकारी खजाने में एक सप्ताह में या आयकर अफसर द्वारा बताए गए अन्य समय में हो जाना चाहिए । ऐसा नहीं करने से उस व्यक्ति के विश्वद अभियोजन की कार्यवाही की जा सकती है ।

(र) अस्थायी कर-निर्धारण अथवा नियमित कर-निर्धारण के समय ऐसे काटे गए कर का ध्रेय ( Credit ) करदाता को दे दिया जाता है । उदादा कटौती होने पर अधिक कर की रकम करदाता को वापस कर दी जाती है ।

### प्रश्न संख्या ५६ :

श्री ‘क’ ( अविवाहित व्यक्ति ) की आय के निम्न विवरण से वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में उसकी मासिक कर कटौती की रकम निकालिए :—

- (१) वेतन—५००) मासिक ।
- (२) महिने के वेतन के बराबर बोनस ।
- (३) स्वीकृत प्रॉविडेन्ट फंड में उसका चन्दा—वेतन के ५% के बराबर ।
- (४) „ „ „ मालिक का चन्दा—वेतन के ८% के „ ।
- (५) „ „ „ सचित रकम पर ब्याज ६००) ।
- (६) १५,०००) कीजीवन बीमा पॉलिसी पर दिया गया कार्पिक बीमा प्रीमियम २,०००) ।

उत्तर :—

श्री “क” की “वेतन” शीर्षक के अन्तर्गत आय निम्न है :—

१२ महिने का वेतन	६०००)
२ „ का बोनस	<u>१,०००)</u>
कर-योग्य “वेतन”	<u>७,०००)</u>

रु०

कर-मुक्त आय ( जिस पर छूट मिलेगी ) :—

- (१) स्वीकृत प्रोविडेन्ट फण्ड में स्वयं का चन्दा—६,०००×५% ३००  
 (२) जीवन बीमा प्रीमियम १५,००० के १०% तक सीमित ;  
 तथा प्रोविडेन्ट फण्ड के चन्दे तथा प्रीमियम की रकम मिलाकर  
 कुल आय के  $\frac{3}{4}$  भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

	१,४५०
	<u>_____</u>
	१,७५०
	<u>_____</u>
७,०००) पर आय कर	२६०)
बोस्ट आय कर की दर $\frac{३.७१\%}{१००} \times १०० = ३.७१\%$	
१,७५०) पर ३.७१% से छूट	६५)
	<u>_____</u>
कुल नेट कर	१६५
	<u>_____</u>
मासिक आयकर कटौती की रकम $\frac{१६५}{१००} = १.६५$	१६.६५ रु०

प्रश्न संख्या ६० :

आयकर अधिनियम १९६१ के अन्तर्गत निम्न मामलों में वित्तीय कर्प १९६२-६३ में कितना कर करेगा :—

	रु०
(१) प्रतिभूतियों का व्याज	५,०००
(२) कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों का व्याज	१०,०००
(३) अनिवार्यी ( जो कम्ती नहीं है ) को कुरातान	१,०००

उत्तर :—

निम्नलिखित मामलों के लिए वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में निम्न प्रकार से कर कटेगा :—

(१) ५,००० पर २५% आयकर तथा ५% सरचार्ज अर्थात्	१,५००)
(२) कुछ नहीं।	
(३) आयकर—२५% की दर से १,०००) पर	२५०)
सरचार्ज ५%+१५% = २०% की दर से २५०) पर	५०)
अतिरिक्त कर—१६% [ धारा ११३ के अनुसार ]	१६०)
कुल कटौती	४६०)

(व) कर का अधिम भुगतान—धारा २०७ से २१६ :

(४) आयकर अधिनियम के विशेष उपबन्धों के अन्तर्गत जिस गत वर्ष में आय उत्पन्न होती है उससे सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष के पिछले वित्तीय वर्ष में ही उसी वर्ष की आयकर तथा अतिरिक्त कर की दरों से कर बसूल कर लिया जाता है। अर्थात् नियमित कर-निर्धारण से पूर्व ही कर की रकम अधिम बसूल होती है। इसलिए इसका नाम कर 'कर का अधिम भुगतान' है। इन उपबन्ध का नाम 'कमातो जाओ और कर देते जाओ' ( Pay as-you earn or 'paye' ) योजना भी है क्योंकि आय कमाने के समय ही कर की बसूली हो जाती है।

(५) कर के अधिम भुगतान सम्बन्धी निम्न उपबन्ध मुख्य हैं :—

(i) यह योजना 'पूँजीगत लाभ' को छोड़कर सभी प्रकार की आय पर लागू होती है।

(ii) यह योजना केवल उन्हीं करदाताओं पर लागू होती है जिनकी ( पूँजीगत लाभ के बलावा ) उस अन्तिम गत वर्ष की आय जिसका नियमित कर निर्धारण हो चुका है उनकी उचितम कर मुक्त सीमा से २,५००) से अधिक है। जहाँ करदाता पर वहले कमी भी कर-निर्धारण नहीं हुआ है वहाँ उसकी गत वर्ष की आय देखी जायगी। अर्थात् यह योजना एक व्यक्ति, अनरजिस्टर्ड फर्म या अन्य जनमण्डल पर तब लागू होती है जब कि उनके गत वर्ष के अन्तिम पूरित कर-निर्धारण के अनु-

सार उसकी आय या उसकी गत वर्ष की आय, जैसी भी हो, ५,५००) [ ३,००० रु + २,५०० रु ] से अधिक रही हो गा अनुमानित हो। यह योजना अधिभक्त हिन्दू परिचार ( जिसकी कर-मुक्त सीमा ६,०००) है ) पर वब लागू होती है जब कि उसकी उपरोक्त वर्णित वर्ष के लिए आय ८,५००) [ ६,०००+२,५०० ] से अधिक हो।

- (iii) ऐसी आय पर आयकर तथा अतिरिक्त कर की गणना करके उत्तर कर को पठाया जाता है जिसकी कटौती धारा एं १६२ से १६४ के अन्तर्गत उद्यगम स्थान से होती है। शेष रकम ही अग्रिम मुगतान की रकम है।
- (iv) अग्रिम अपवा पेशगी कर की किस्तों ( Instalments ) का भुगतान १ जून, १ सितम्बर, १ दिसम्बर तथा १ मार्च को किया जाता है। आयकर अफसर धारा २१० के अन्तर्गत ऐसा नोटिस जारी करेगा।
- (v) यदि अन्तिम पूरित कर-निर्धारण ( Latest Completed assessment ) में करदाता की आय उपरोक्त रकमों से ज्यादा रही हो तो आयकर अफसर उसी रकम को इस वर्ष की आय मानकर अग्रिम कर की रकम निश्चित करेगा। वह वित्तीय वर्ष की १५ फरवरी के पहले किसी भी समय पहले जारी किए नोटिस को संशोधित कर उस समय उपलब्ध अन्तिम कर-निर्धारण के अनुसार अग्रिम कर का निर्धारण कर सकता है।
- (vi) यदि करदाता यह मनोनीत करे कि गत वर्ष में उसकी आय आयकर अफसर द्वारा ली गई आय की रकम से कम होगी तो वह धारा २१२ के अन्तर्गत अपना अनुमान ( Estimate ) भेजकर कर का मुगतान कर सकता है। ऐसे अनुमान के लिए २५% रक भूल माफ है।
- (vii) यदि करदाता आयकर अफसर द्वारा निर्धारित रकम भुगतान बरता है तो उसके उस वित्तीय वर्ष के गत वर्ष की आय चाहे कितनी भी अधिक क्यों न हो, वह किसी दण्ड का मार्गी नहीं हो सकता। परन्तु जब करदाता अपने अनुमान के बाहर पर कर की किस्ते देता है तब यदि उसके द्वारा अनुमानित कर

की रकम नियमित कर-निधारण के कर की रकम के ७५% से कम निकले तो उसे १ अप्रैल से नियमित कर-निधारण की तारीख तक ऐसे अन्तर पर धारा २१२ के अन्तर्गत ४% ब्याज देना पड़ता है। यदि यह सिद्ध हो जाए कि करदाता ने जान-धूक कर गलत अनुमान भरा है तो वह पिछले अध्याय में वर्णित ढंग से इसके बलावा और भी दण्डनीय होगा।

(viii) यदि करदाता का पहले कभी भी कर-निधारण नहीं हुआ है और उसकी चालू वर्ष की आय के उपरीक सीमाओं से अधिक होने की सम्भावना है तो उसे १ मार्च से पहले चालू वर्ष में बिना वायकर अफसर द्वारा नोटिस मिले ही अपनी आय का अनुमान भेज देना चाहिए तथा उसके अनुसार करका मुगतान कर देना चाहिए।

(ix) यदि नियमित कर-निधारण पर अग्रिम भुगतान से कम कर लगा हो तो ऐसे अधिक दिए अग्रिम कर पर ऐसे वित्तीय वर्ष के बादबाली १ अप्रैल से नियमित कर-निधारण की तारीख तक धारा २१४ के अन्तर्गत ४% ब्याज सरकार द्वारा दिया जायगा।

### प्रश्न संख्या ६१ :

श्री रघुनाथ ने वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में अपने अनुमान के हिसाब से १७,०००) का अग्रिम कर मुगतान किया। उसका गत वर्ष ३१ दिसम्बर को समाप्त होता है। मान लीजिए उसका नियमित कर निधारण ३० जून १९६३ को होता है तथा उस पर २०,०००) कर लगता है। धारा २१५ के अन्तर्गत ब्याज की संगणना कीजिए।

### उत्तर :—

२०,०००) के ७५% अर्थात् १५,००० में से ११,००० घटाकर ४,०००) पर १-४-६३ से ३०-६-६३ अर्थात् ३ महिने के लिए ४% ब्याज की दर से अर्थात् ४०) ब्याज लगाया जायगा।

(स) कर-निधारण के पश्चात् माँग की सुवना पर भुगतान—  
धारा १६१ :

जहाँ उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं हुई है वथवा जहाँ कर का अग्रिम भुगतान नहीं हुआ है वहाँ करदाता द्वारा कर-निधारण के पश्चात्

कर दिया जायगा। कर-निर्धारण ( अस्थायी या 'नियमित ) के पश्चात् आयकर अफसर धारा १५६ के अन्तर्गत एक माँग की सूचना करदाता के पास भेज देगा तथा उसमें उस तिथि का उल्लेख कर देगा जब तक कि ऐसा मुग्तान हो जाना चाहिए। कर-निर्धारण के सभय उद्गम स्थान पर कटे हुए कर तथा अग्रिम कर का श्रेय करदाता को मिलेगा तथा सकल कर की माम से ऐसी रकमों का समायोजन कर दिया जायगा।

#### ५. बकाया कर तथा डसकी वसूली ( Arrears of tax & Recovery thereof )—धारा २२० से २३२ :

(१) धारा १५६ के अन्तर्गत जारी किए नोटिस की तामील के ३५ दिनके अन्दर करदाता को उसमें लिखी हुई रकम ( अग्रिम कर के अलावा ) का मुग्तान बरना पड़ता है। यदि आयकर अफसर यह विश्वास करे कि ३५ दिन के सभय देने से बर वसूली में कठिनाई होगी तो वह इसपेक्टरग वसिस्टेन्ट कमिश्नर की पुर्वानुमति से कर मुग्तान के लिए ३५ दिन से बढ़ कर का भी सभय दे सकता है। यदि उपरीक सभय में बर का मुग्तान नहीं हो तो करदाता को उस दिन से ५% वार्षिक दर से ब्याज देना पड़ेगा। यदि दाता बर का मुग्तान ठीक सभय में नहीं करे तो उस पर धारा २२१ के अन्तर्गत बर के बर दर तक दण्ड लगाया जा सकता है।

(२) यदि कोई करदाता बर मुग्तान के सम्बन्ध में बसूचार या अपराधी हो या छहराया जाय तो आयकर अफसर धारा २२२ के अन्तर्गत कर वसूली अफसर ( Tax Recovery Officer ) के पास बकाया कर की रकम का उल्लेख करते हुए एक प्रमाण पत्र ( Certificate ) हस्ताक्षर करके भेज देगा। ऐसे प्रमाण पत्र की प्राप्ति के पश्चात् कर वसूली अफसर अधिनियम १९६१ के द्वितीय परिशिष्ट में दिए गये नियमों के अनुसार निम्न किसी भी प्रकार से बर वसूल करेगा :—

- (अ) करदाता की चल तथा बचल समति की कुर्की तथा विक्रय करना ;
- (ब) करदाता को पकड़ कर उसे जेज़ में रखना ;
- (स) करदाता की चल तथा बचल समति की व्यवस्था के लिए रिचीवर की नियुक्ति करना ।

उस गत वित्तीय वर्ष, जिसमें ऐसी माँग पैदा हुई है या जिसमें करदाता कम्हुवार समझा गया, की समाप्ति के एक वर्ष के पश्चात् ऐसी कार्यवाही नहीं प्रारम्भ की जा सकती।

(३) प्रमाण-पत्र जारी करने के अलावा आयकर अफसर निम्न प्रकार से बकाया कर की वसूली कर सकता है—

(अ) कर्मचारी के बेतन से बकाया कर के काटने के लिए उसके मालिक को आज्ञा देकर ;

(ब) करदाता के देनदारों को बकाया कर की रकम के मुगतान की आज्ञा देकर ;

(स) जिस अदालत में करदाता का पैसा जमा है उससे बकाया कर की रकम के बराबर मुगतान करने की प्रार्थना करके ; अथवा

(द) यदि वह कनिशन द्वारा अधिकृत है तो उसकी चल संपत्ति का आसेध ( Distraint ) तथा बिक्री करके ।

#### C. कर-शोधन प्रमाण पत्र ( Tax-Clearance Certificate )— धारा २३० :

यदि कोई व्यक्ति भारत छोड़ कर बाहर जाता है तो उसको जाने के पहले कर मुगतान शोधन पत्र या कर-मुक्त प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। ऐसी व्यवस्था सरकार ने आय को सुरक्षित करने के हेतु की है। इस सम्बन्ध में भारत से बाहर जाने से पहले उस व्यक्ति द्वारा अपने द्वेषों के आयकर अफसर की प्रार्थना की जाती है। आयकर अफसर के पूर्णतया संतुष्ट हो जाने पर इस आशय का एक अधिकृत फॉर्म ( Authorisation form ) कर दाता को मिल जायगा। यह फॉर्म विदेशी विभाग ( Foreign Section ) के आयकर अफसर से कर-शोधन प्रमाण पत्र या कर मुक्त प्रमाण पत्र के बदले में बदल दिया जायगा। जो व्यक्ति भारतीय नहीं है तथा जिन पर बर नहीं लगता है वे सीधे विदेशी विभाग के आयकर अफसर के पास आवेदन करते हैं। भारत से जानेवाले व्यक्तियों के पास ऐसा प्रमाण पत्र है या नहीं इस बात को पूर्णतया जाँच करने की जिम्मेदारी उन जहाजी कम्पनियों पर है जो कि यात्रियों को भारत से बाहर ले जाती हैं। यदि अपने वापको पूर्णतया संतुष्ट किए जिन ही किसी व्यक्ति को अपने पूर्ण कर मुगतान किए जाने दिया हो तो जिम्मेदारी जहाजी कम्पनी की होगी। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें इस प्रकार के प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने से मुक्त कर दिया गया है।

### प्रश्न

- प्र० १. संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखो :—(१) अधिम कर का भुगतान ; (२) उद्गम स्थान पर कर की कटौती ; (३) कर शोधन प्रमाण-पत्र ।
- उ० देखो—(१) अनुच्छेद ४ तथा ५ ; (२) अनुच्छेद २ तथा ३ ; (३) अनुच्छेद ८ ।
- प्र० २. वकाया कर वस्त्रों के विभिन्न तरीकों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए ।
- उ० देखिए अनुच्छेद ७ ।
-

## अध्याय २१

### कर-वापसी (REFUNDS)—धारा २३७ से २४५.

#### १. कर-वापसी की उत्पत्ति—धारा २३७ :

यदि किसी भी कर निर्धारण वर्ष के लिए कोई व्यक्ति आयकर अफसर को इस बात से सतुष्ट करा दे कि उसके द्वारा या उसके लिए दी गई अथवा उसके लिए दी गई मानी हुई कर की रकम उस पर उस वर्ष में लगने वाली कर की रकम से अधिक है तो वह उस अधिक रकम की वापसी के लिए हकदार है।

#### २. किन्हीं विशेष दशाओं में कर-वापसी के हकदार—धारा २३८ :

- (१) जहाँ किसी व्यक्ति की आय दूसरे व्यक्ति की आय में (धारा ६०, ६१, ६४ इत्यादि के अन्तर्गत सम्मिलित कर ली जाती है वहाँ वह ऐसा दूसरा व्यक्ति ही उस कर-वापसी लेने का हकदार है।
- (२) जहाँ मृत्यु, पागलपन, व्योम्यता, दिवालियापन, इत्यादि के कारण कोई व्यक्ति वापसी लेने में असमर्थ हो तो उसका वैधानिक प्रतिनिधि या दृक्ष्टी या सरक्जक या रिसीवर, इत्यादि ऐसी वापसी लेने का हकदार रहेगा।

#### ३. वापसी का दावा-पत्र तथा अवधि—धारा २३९ :

प्रत्येक करदाता द्वारा अपना वापसी दावा (Claim for Refund) आयकर अफसर से मिलने वाले फार्म न० ३० में आयकर नियम ४१ के अन्तर्गत निर्धारित रूप से भरकर किया जाना चाहिए। जिस कर-निर्धारण वर्ष में वह आय, जिसके बारे में ऐसा दावा किया गया है, कर-योग्य है, वे अगले ४ वर्षों के अन्दर ही ऐसा दावा हो जाना चाहिए। जैसे गत वर्ष १९५७-५८ की आय के बारे में ३१ मार्च १९६३ तक ही ऐसा दावा पेश हो सकता है याद में नहीं।

#### ४. अपील इत्यादि पर वापसी—धारा २४० :

जहाँ अपील अथवा कोई अन्य कार्यवाही से किसी करदाता को कोई वापसी की रकम मिलने वाली हो तो करदाता के बिना फार्म न० ३० में दावा करे ही आयकर अफसर द्वारा स्वयं ही ऐसी रकम वापस कर दी जायगी।

५. किन्हीं अवस्थाओं में वापसी को रोकने का अधिकार—धारा २४१ :

जहाँ कोई आदेश, जिसके अन्तर्गत वापसी मिलने वाली है, अपेल या अन्य कार्यवाही के अधीन विचारार्थ है तथा आयकर अफसर इस मत का है कि वापसी देने से राजस्व को नुकसान पहुँच रखता है तो वह कमिशनर भी पूर्ण नुकसान से, उस समय तक जो कमिशनर निर्धारित करे, वापसी रोक सकता है।

६. कर-निर्धारण की सचाई पर कोई प्रश्न नहीं उठ सकता—धारा २४२ :

आयकर अधिनियम १६६१ के अध्याय १६ के अन्तर्गत कर वापसी के दावे के समय करदाता उस कर निर्धारण या अन्य मामले के लिए जो अन्तिम हो चुका है, कोई प्रश्न या वापसी नहीं कर सकता तथा उसके पुनः निरीक्षण के लिए कोई माँग नहीं कर सकता। वह केवल महीने रकम जो देव है वापसी लेने का हवदार है।

७ देरी से वापसी पर ब्याज—धारा २४३ :

यदि कोई आयकर अफसर

(अ) जहाँ कुल आय में केवल प्रतिसूतियों के ब्याज अथवा लाभाश से आय ही सम्मिलित नहीं है ( अर्थात् जहाँ कुल आय में ऐसी आय के अलावा अन्य प्रकार की आय भी नमिलत है ), कुल आय की संगणना की तिथि से तीन महिने तक तक वापसी नहीं दरे, तथा

(ब) किसी अन्य दशा में ( अर्थात् जहाँ करदाता की कुल आय केवल प्रतिभूतियों से ब्याज अथवा लाभाश से ही हो ) वापसी दावे की तिथि से ६ महिने तक तक वापसी नहीं करे,

तो केन्द्रीय सरकार ऐसे करदाता को उपरोक्त तिथियों के पश्चात् तक वापसी के आदेश की तिथि तक ४% वार्षिक दर से साधारण ब्याज देरी।

**ब्याहुद्या :**—यदि उपरोक्त ६ महिने के अन्तर्गत करदाता की वजह से कोई देरी हुई है तो ऐसा समय ब्याज गिनाने के लिए बलग कर दिया जायगा। यदि कभी यह प्रश्न उठे कि कितना समय बलग किया जाय तो ऐसे प्रश्न पर कमिशनर का फैसला अन्तिम होगा।

८. ऐसी वापसी का ब्याज जिसके लिए दावेकी आवश्यकता नहीं—  
धारा २४४ :

- (१) उपरोक्त अनुच्छेद ४ में वर्णित किसी आदेश के अन्तर्गत जहाँ कोई वापसी देय हो तथा आयकर अफसर उक्त ६ मास के अन्दर वापसी नहीं करे तो केन्द्रीय सरकार को ६ महिने की समाप्ति से वापसी के आदेश की तिथि तक ४% वार्षिक दर से साधारण ब्याज देना पड़ेगा ?
- (२) जहाँ धारा २४१ के अन्तर्गत कोई वापसी रोकी गई है वहाँ अन्त में निर्धारित वापसी की रकम पर उक्त ६ महिने के अन्त से वापसी के आदेश की तारीख तक उपरोक्त दरों से केन्द्रीय सरकार को ब्याज देना पड़ेगा ।

९. देयकर से वापसी का प्रतिसादन—धारा २४५ :

जहाँ एक करदाता को कोई वापसी की रकम मिलने वाली हो तथा उससे कोई कर इत्यादि की रकम बकाया है तो ऐसी बकाया कर की रकम से करदाता को लिखित सूचना भेजकर ऐसी वापसी रकम का प्रतिसादन किया जा सकता है ।

प्रश्न संख्या ६१ :

निम्न दशाओं में केन्द्रीय सरकार द्वारा देय ब्याज की गणना कीजिए :—

- (i) 'क' की कुल आय केवल प्रतिभूतियों के ब्याज तथा लाभाश से है । उसने वापसी का दावा २२-४-६२ को कर दिया । आयकर अफसर ने उसे मिलने वाली वापसी रकम की गणना १,२००) करके उसे २१-१०-६२ को ऐसा वापसी आदेश (Refund order) भेज दिया ।
- (ii) 'ख' की आय केवल लाभाशों से है । उसने १६-४-६२ को वापसी दावा भर दिया । उसने अपने विनियोग के स्रोतों के बारे में सबूत देने में दो महिने की देरी कर दी । वापसी की रकम २,०००) है । मान लीजिए उसे वापसी कर की रकम १६-२-६३ को मिली ।
- (iii) 'ग' की कुल आय केवल सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज तथा यह सम्पत्ति से आय शीर्षकों से है । उसने २०-४-६२ को वापसी का दावा भरा । आयकर अफसर ने ता० १-१२-६३ को एक आदेश द्वारा वापसी की रकम ८०० निर्धारित की । मान लीजिए वापसी की रकम का आदेश वास्तव में उसे १८-१६३ को मिला ।

- (iv) 'घ' की कुल आय बेतन, लामांश तथा पैंजीगत लाभ से है। उन्होंने १२-५-६२ को कर वापसी का दावा भरा। आयकर अफसर ने १२-५-६२ को उसकी कुल आय की संगणना कर ६००) की वापसी की रकम निर्धारित की। वापसी आदेश १२-१०-६२ को भेजा गया।
- (v) 'च' को बपीलेट बसिस्टेंट कमिश्नर के तारीख ८-४-६२ के आदेशानुसार ५,०००) की वापसी मिलेगी। कर वापसी का आदेश करदाता को ६-१०-६२ को भेजा गया।

**उत्तर :—**

- (i) चूंकि वापसी ६ महिने के अन्दर ही हो गई है। केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई व्याज नहीं दिया जायगा।
- (ii) व्याज लागू होने की तिथि १६-४-६२ से ८ महिने बाद ( ६ महिने+२ महिने करदाता के कारण ) अर्थात् १६-१२-६२ से प्रारम्भ होगी। चूंकि अन्त में १६-२-६३ को ही वापसी दी गई है, केन्द्रीय सरकार को २,००० पर ४% प्रतिवर्ष की दर से २ महिने का व्याज देना होगा जो कि १३) ३३ न० पै० होगा।
- (iii) चूंकि आयकर अफसर के आदेश की तिथि से तीन महिने के अन्दर ही वापसी कर दी गई है इसलिए केन्द्रीय सरकार को कोई व्याज नहीं देना पड़ेगा।
- (iv) यहाँ वापसी देने में दो महिने की देरी हुई है। इसलिए केन्द्रीय सरकार को ६००) पर दो महिने का ४% प्रतिवर्ष की दर से अर्थात् ४) व्याज देना पड़ेगा।
- (v) चूंकि आयकर अफसर ने ६ महिने के अन्दर ही वर की वापसी कर दी है, केन्द्रीय सरकार को कोई व्याज नहीं देना पड़ेगा।

### प्रश्न

- प्र० १. 'वर वापसी' पर एक छोटा-सा लेख लिखो।  
 उ० देखो अनुच्छेद १ से ६।  
 प्र० २. देरी से वापसी बरने पर केन्द्रीय सरकार को किन अवस्थाओं में तया किए प्रकार व्याज देना पड़ता है ?  
 उ० देखो अनुच्छेद ७ तथा ८।

## अध्याय २२.

# अपील तथा पुनरीक्षण—धाराएँ २४६ से २६६ (APPEALS & REVISION)

## १. अपील का अधिकार—धारा २४६ :—

आयकर अफसर द्वारा आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं जैसे १०४ १३१, १४३, १४४, १४६, १४७, १५०, १५४, १५५, १६३, १७०, १७१, १८५, १८६, २०१, २१६, २२१, २३७, २७०, २७१, २७२, २७३ इत्यादि के अन्वर्गत जारी किए गए आदेशों के विरुद्ध अपील करने का अधिकार वेवल करदाता को ही है। आयकर विभाग को ऐसे बादेशों के विरुद्ध अपील का कोई अधिकार नहीं है। विभिन्न प्रकार की अपीलों का वर्णन नीचे किया जाता है :—

## २. अपिलेट असिस्टेंट कमिश्नर के पास अपील—धारा एँ २४६ से २५१ :

आयकर अफसर के आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील अपिलेट असिस्टेंट कमिश्नर के पास नियम ४५ के अनुसार फार्म न० ३५ में ही सकती है। जिस आदेश के विरुद्ध अपील करने की है उसकी तामिल के ३० दिन के अन्दर ही अग्रील की जा सकती है। अग्रील की सुनवाई के समय आयकर अफसर को स्वयं या प्रतिरिधि द्वारा सुनवाई की माँग करने का पूरा अधिकार है। अपिलेट असिस्टेंट कमिश्नर उस आदेश को पुष्टि कर सकता है अथवा उसको रद्द या कम अथवा हटा सकता है किन्तु करदाता को सुनवाई का उचित मौका दिए विना कर-निर्धारण या दण्ड को नहीं बढ़ा सकता।

## ३. कमिश्नर द्वारा पुनरीक्षण—धारा एँ २६३ से २६४ :

कमिश्नर स्वयं इनकम-टैक्स अफसर के किसी निर्णय का निरीक्षण कर सकता है तथा जैसी जाँच वह चाहे करवा कर कर-दाता के पक्ष में जैसी वह ठीक समझे आज्ञा दे सकता है। यदि कोई कर-दाता ४५ र० की फीस के साथ उस आदेश के १ वर्ष के अन्दर ही अर्जी भेजे तो कमिश्नर उस कर-दाता के कागज जाँच करके वह कर-दाता के पक्ष में जो उचित आज्ञा हो दे सकता है या उस प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार भी कर सकता है। जब तक अपील करने का समय सभास नहीं हो जाता या जहाँ कोई अग्रील का निर्णय आना वाकी हो तो, कमिश्नर पुनःनिरीक्षण नहीं कर सकता। कमिश्नर का फैसला अंतिम है जिस पर कोई अपील नहीं हो सकती—गरा २६४।

इसके अलावा कमिश्नर को सरकारी आय के हित में रकम बढ़ाने, परिवर्तन करने या कर की आज्ञा को रद्द करके नई आज्ञा देने का भी अधिकार दे

दिया गया है। किसी आदेश के दो वर्ष के पश्चात् ऐसा पुनरीक्षण नहीं हो सकता। यदि कोई वरदाता कमिश्नर की ऐसी आशा से सन्तुष्ट नहीं हो तो उस आशा के गिलने के ६० दिन के भीतर अपीलेट ट्रिब्यूनल में १००) की फीस देकर अपील कर सकता है—धारा २६३।

#### ४. अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील—धारा २५२ से २५५ :

(अ) अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर के धारा १३१, २५० या २७१ के अन्तर्गत जारी किए गए आदेश, अथवा (ब) धारा २७४ (२) के अन्तर्गत हँस-पैरिंटग असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा जारी किए गए आदेश, अथवा (स) धारा २६३ के अन्तर्गत कमिश्नर द्वारा जारी किए गए आदेश के विरुद्ध कोई भी करदाता ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर के धारा २५० के अन्तर्गत पास किए आदेश के विरुद्ध कमिश्नर आयकर अफसर को अपील करने का आदेश दे सकता है यदि वह उक्त आदेश से सन्तुष्ट नहीं है। अपील करने के लिए वेवल वरदाता को ही १००) की फीस जमा करानी पड़ती है। ऐसी अपील उक्त आदेश के ६० दिन के अन्दर ही दाखिल हो जानी चाहिए। ट्रिब्यूनल में अपील दाखिल होने की सच्चावाले नोटिस की प्राप्ति के ३० दिन के भीतर ही करदाता अथवा आयकर अफसर फार्म ३६ ए को भरकर दुतरफा—बापत्ति ज्ञापिका ( Memorandum of cross-objections ) दे सकता है। ट्रिब्यूनल में अपील नियम ४७ के अनुसार फार्म न० ३६ में होती है। तथ्य सम्बन्धी प्रश्नों पर ( On questions of fact ) ट्रिब्यूनल का आदेश अन्तिम होता है।

#### ५. हाईकोर्ट के पास निर्देश—धारा २५६ से २६० :

केवल कानून सम्बन्धी प्रश्नों पर ( On questions of law only ) ट्रिब्यूनल के आदेश से असन्तुष्ट होने पर वरदाता अथवा कमिश्नर उग राज्य की हाईकोर्ट में निर्देश ( Reference ) दर्शाता है। ऐसे निर्देश के लिए ट्रिब्यूनल में नियम ४८ के अनुसार फार्म न० ३७ में निवेदन-पत्र भेजने की व्यवस्था ६० दिन है। वरदाता के लिए १००) वी पीप निर्धारित है। ऐसे निवेदन-पत्र की प्राप्ति के १२० दिन के अन्दर ट्रिब्यूनल को उस मामले का विवरण ( Statement of case ) सैयार करके उस कानूनी प्रश्न वो हाईकोर्ट के निर्णय के लिए भेजना पड़ता है। यदि ट्रिब्यूनल ऐसे मामले को हाईकोर्ट में भेजने के लिए सैयार नहीं हो तो करदाता या कमिश्नर हाईकोर्ट में ट्रिब्यूनल को ऐसा आदेश देने के लिए प्रार्थना भर सकता है। जहाँ विसी प्रश्न पर विभिन्न हाईकोर्टों के निर्णयों में विभेद हो तो ऐसे मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट में


भी मेजे जा सकते हैं। ऐसे मामले की प्राप्ति के पश्चात् हाईकोर्ट अथवा सुप्रीमकोर्ट को उस मामले को सुनकर अपना फैसला देना पड़ता है। हाईकोर्ट के समझे ऐसे मामले की सुनवाई कम से-कम दो जजों द्वारा होगी।

#### ६. सुप्रीम कोर्ट में अपील—धाराएँ २६१-२६२ :

यदि हाई कोर्ट उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के बोय प्रमाणित कर दे तो उस फैसले की अपील सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को बदल सकती है या रद्द कर सकती है या स्वीकार कर सकती है। इसका निर्णय अनित्तम है।

निम्न चार्ट द्वारा अपील की पद्धति का पूर्ण ज्ञान स्पष्ट हो जाता है :—

#### अपील पद्धति



प्र० १. 'अपील पद्धति' पर एक छोटा-सा निवन्ध लिखिए।

उ० देखो अनुच्छेद १ से ६।

प्र० २. 'कमिश्नर द्वारा पुनरीक्षण' पर एक टिप्पणी लिखिए।

उ० देखो अनुच्छेद ३।

## परिशिष्ट 'क'

### कर की संगणना

#### [ COMPUTATION OF TAX ]

**१. भूमिका :** आयकर अधिनियम में आगमन तथा अधिकर दोनों का उल्लेख है। इस अधिनियम में करनिर्धारण के आधार, तरीकों तथा प्रणाली का विवरण है। किस दर से आय पर कर लगाना चाहिए इसका उल्लेख इसमें नहीं है। आयकर तथा अधिकर की दरे प्रत्येक वर्ष में भारतीय संसद द्वारा पास होने वाले व्यापिक वित्त अधिनियम ( Finance Act ) के द्वारा निश्चित की जाती है।

**२. आयकर की दरें ( Rates of Income tax ) :**

१९६२-६३ कर-निर्धारण वर्ष से लिए वित्त ( नं० २ ) अधिनियम १९६२ द्वारा आयकर की निम्न दरें निश्चित की गई हैं :—

(अ) (१) प्रत्येक विवाहित व्यक्ति तथा अविभक्त हिन्दू परिवार जिसकी आय २०,००० रु० से ज्यादा नहीं है, के लिये :—

आय के विभाग रु०		दर प्रतिशत
(१) कुल आय के प्रथम	३,०००	पर
(२) कुल आय के अगले	२,०००	"
(३) " " "	२,५००	"
(४) " " " "	२,५००	"
(५) " " " "	२,५००	"
(६) " " " "	२,५००	"
(७) " " " "	२,५००	"
(८) " " " "	२,५००	"

(२) प्रत्येक अविवाहित व्यक्ति, कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति, अपजीयित सार्थ व्यवहा अन्यजन-मठल व्यवहा प्रत्येक विवाहित व्यक्ति तथा अविभक्त हिन्दू परिवार जिसकी आय २०,००० रु० से अधिक हो, के लिए :—

(प्रतिशत)	कुछ नहीं
(१) कुल आय के प्रथम	१,००० रु० पर
(२) " " अगले	४,००० रु० "
(३) " " "	२,५०० रु० "
(४) " " "	२,५०० रु० "
(५) " " "	२,५०० रु० "
(६) " " "	२,५०० रु० "
(७) " " "	२,५०० रु० "
(८) " " "	२,५०० रु० "
(९) " " " शेष भाग पर	२५

उपरोक्त दरों से कर की गणना करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है :—

### (१) कर-मुक्त सीमा (Exemption Limit) :

वह आय जो निम्नलिखित सीमाओं से अधिक नहीं है कर देने से मुक्त है। किसी भी दशा में कर की रकम कुल आय तथा निम्न सीमाओं के अन्तर के आधे से अधिक नहीं हो सकती। सीमाएँ निम्नलिखित हैं :—

(१) ६००० रु० प्रत्येक अविभक्त हिन्दू परिवार के लिए जो उत्तरपूर्ण के अन्त में निम्नलिखित शर्तों में से कोई एक पूरी करता हो :—

(अ) कि उसके कम से कम दो सदस्य ऐसे हैं जो बैटवारे के हकदार हैं तथा जिनमें से कोई भी १८ वर्ष की उम्र से कम नहीं है। अथवा

(ब) कि उसके कम से कम दो ऐसे सदस्य हैं जो बैटवारे के हकदार हैं तथा जिनमें से कोई एक दूसरे के वंशज नहीं है तथा वे परिवार के किसी अन्य जीवित सदस्य के वंशज नहीं हैं।

(२) ३,००० रु० अन्य प्रत्येक दशामें।

### (२) बच्चों का भत्ता :

एक विवाहित व्यक्ति तथा हिन्दू अविभक्त परिवार जिसकी कुल आय २०,००० रु० से अधिक नहीं है, को प्रत्येक बच्चे पर जो उस पर पूर्णतया या मुख्य रूप में निर्भर है, ३०० रु० ( थेवल दो बच्चों तक ) छूट मिलती है। इस प्रकार एक विवाहित पुरुष को जिसके दो बच्चे उसपर पूर्ण तया निर्भर है कोई कर नहीं देना पड़ता यदि उसकी कुल आय ३,६०० रु० से अधिक नहीं है।

(३) अर्जित आय, अर्जित आय पर छूट तथा अधिभार ( Earned Income, Earned Income Relief and Surchages) :

१९ मार्च सन् १९५७ तक अर्जित आय पर एक विशेष प्रकार की छूट मिलती थी। वित्त अधिनियम १९५७ के अनुसार यह छूट विलक्षण बन्द कर दी गई है। अब वित्त ( नं० २ ) अधिनियम १९६२ के अन्तर्गत आयकर तथा अधिकर दोनों की दरें अर्जित आय तथा अनर्जित आय के लिए समान हैं किन्तु अनर्जित आय पर अर्जित आय की अपेक्षा एक अतिरिक्त अधिभार लगाया जाता है। इससे यह तात्पर्य निकला कि अनर्जित आय पर आयकर तथा अधिकर दोनों से एक विशेष रियायत मिलती है परन्तु पहले की अपेक्षा विलक्षण दृसरी शब्द में।

अर्जित आय की परिभाषा (Definition of Earned Income) :

वित्त ( न० २ ) अधिनियम १९६२ की घारा ७ ( iii ) के अनुसार निम्न तीन प्रकार के आय के शीर्षकों के अन्तर्गत होनेवाली आय ही अर्जित आय मानी जाती है :—

- (a) वेतन ;
- (b) व्यापार वथवा पेशे के लाभ ; तथा
- (c) अन्य साधनों से आय यदि वह कर दाता के व्यक्तिगत परिभ्रम करने से हुई है अथवा वह पेशन है या मृत व्यक्ति के भूतकाल में की गई सेवाओं के स्वलङ्घ में कोई पारिधिक है।

वेतन व्यक्ति, अधिगत हिन्दू परिवार, अनरजिस्टर्ड फार्म तथा अन्य जन मंडल की आय ही अर्जित आय हो सकती है। यदि अध्याय ११ में वर्णित उपचरणों के अन्तर्गत किसी दूसरे व्यक्ति की आय करदाता की आय में समिलित की गई है तो वह भी करदाता के लिए अर्जित आय ( यदि वह उपरोक्त चरणों को पूरी करती है ) कही जायगी।

उपरोक्त दरों से लगाये गये आयकर पर निम्न अधिभार लगता है :—

- (अ) संघ के कार्यों के लिए निम्न अधिभार :—
- (i) वेतन के आयकर पर २५% ;
- (ii) शेष आय के आय कर पर ५% ; तथा
- (iii) १ लाख से ऊपर अर्जित आय के आयकर पर १०% ; तथा
- (ब) अनर्जित आय पर एक विशेष प्रकार का अधिभार : अनर्जित आय के आयकर का १५% ।

**नोट :**—अनर्जित आय अर्जित आय के पश्चात् वाले विमाग में गिनी जाती है।

सीमान्त आमदनी वाली दशाओं में सहायता देने के लिए अधिभार लगाने के लिए निम्न सीमाएँ हैं :—

(i) १५,००० रु० उस अधिभक्त हिन्दू परिवार के लिए जो कि ६,००० रु० की कर-मुक्त सीमा के लिए अधिकारी है।

(ii) ७,५०० रु० किसी अन्य दशामें। यदि कुल आय में साधारण हिस्से ( ordinary shares ) का लाभांश शामिल है तो इस सीमा को लाभांशों की रकम अथवा १,५०० रु० ( जो भी कम हो ) से बढ़ा दिया जायगा।

#### (४) कर लगाने की विधि :

सन् १९६२-६३ के कर-नियंत्रण में यदि किसी करदाता की ( कम्पनी को छोड़कर ) कुल आय में वेतन की आय शामिल हो तो कुल आय के इतने हिस्से की आय पर गतवर्ष ( सन् १९६१-६२ ) की औसत दरों से कर लगेगा।

(ब) प्रत्येक स्थानीय अधिकारी की कुल आय पर ३०% आयकर तथा उसपर ५% अधिभार लगता है।

(स) उस प्रत्येक दशा में जबकि उच्चतम दरों से कर लगाया जाता है आयकर की दर २५% तथा उस पर २०% अधिभार ( ५% यूनियन के कार्यों के लिए तथा १५% विशेष अधिभार ) लगता है।

(द) प्रत्येक कंपनी के लिए आयकर की दर २५% है।

(य) प्रत्येक रजिस्टर्ड फर्म पर निम्न दरों से आय कर लगता है :—

#### दर

चार या कम पाँच या अधिक सामेदार होनेपर सामेदार होनेपर

(१)	कुल आय के प्रथम २५,००० रु० पर	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(२)	,, „, अगले १५,००० रु० „,	५%	५%
(३)	„ „ „ २०,००० रु० „,	६%	६%
(४)	„ „ „ ४०,००० रु० „,	७%	६%
(५)	„ „ „ ५०,००० रु० „,	८%	१०%
(६)	„ „ „ शेष भाग पर	१०%	१२%

(र) उस प्रत्येक दशा में जब कि कर की कटौती उच्चतम दरों से होती है तो कर की दरें निम्न हैं :—

आयकर	अधिभार	विशेष संघ के कार्यों के लिए	अधिभार
------	--------	--------------------------------	--------

प्रत्येक कंपनी के लिए	२५%	—	—
अन्य दूसरी दशा में	२५%	१.२५%	३.७५%

( कंपनी पर अतिरिक्त कर की कटौती की दरें ५% से ३३% हैं । अनिवासी के लिए धारा ११३ के अनुसार कटौती की जारी है । )

### ३. अधिकर या अतिरिक्त कर ( Super-tax ) :

धारा ६५ के अनुगार अधिकर एक प्रकारका अतिरिक्त आयकर आरोपण ( additional levy of Income-tax ) है । आयकर तथा अधिकर के लिए कुछ दशाओं में कुल आय मिल जाती है, जिसका विस्तृत उल्लेख अध्याय ४ में किया जा चुका है ।

### ४. अधिकर की दरें :

कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए अधिकर की निम्न दरें वित्त ( न० २ ) वर्षिनियम १९६२ द्वारा निर्धारित ही गई हैं :—

(अ) प्रत्येक व्यक्ति, अविभक्त हिन्दू परिवार, अनरजिस्टर्ड फर्म तथा अन्य जन मढ़ल या किसी कृषिम वैधानिक व्यक्ति के लिए :—

(१)	कुल आय के प्रथम	२०,००० रु० पर	कुछ नहीं
(२)	„ „ „ अगले	५,००० रु० पर	८%
(३)	„ „ „ „	५,००० रु० पर	१८ „
(४)	„ „ „ „	१०,००० रु० पर	२२ „
(५)	„ „ „ „	१०,००० रु० पर	२२ „
(६)	„ „ „ „	१०,००० रु० पर	४० „
(७)	„ „ „ „	१०,००० रु० पर	४५ „
(८)	„ „ „ शेष भाग	पर	४७ ५ „

अधिकर या अतिरिक्त कर पर अधिभार : ( Surcharge on Super-tax ) :

उपरोक्त दरों से निश्चित अधिकर की रकम पर निम्न अधिभार लगाया जाता है :—

(१) संघ के कार्यों के लिए निम्न रकमों के बराबर अधिभार :—

- (i) बेतन के अधिकर पर २५% ;
- (ii) शेष आय पर अधिकर की रकम का ५% ; तथा
- (iii) १,००,००० रु से अधिक अर्जित आय की रकम पर लगे अधिकर का १०% ; तथा

(२) अनर्जित आय पर एक विशेष अधिभार—जो कि अनर्जित आय पर लगे हुए अधिकर की रकम के १५% के बराबर है।

(ब) प्रत्येक स्थानीय अधिकारी पर उसकी कुल आय के १६% के बराबर अधिकर लगता है तथा उस अधिकर पर १२॥% अधिभार लगता है।

(स) प्रत्येक सहकारिता समिति के लिए अधिकर की दरें निम्न हैं :—

- (i) कुल आय के प्रथम २५,००० पर कुछ नहीं
- (ii) कुल आय के शेष माग पर १६%। ऐसे अधिकर पर १२॥% अधिभार लगता है।

(द) प्रत्येक कम्पनी के लिए अधिकर की दर ५५% है जिसमें से मिन्न-मिन्न छूटें दी जाती हैं। कंपनी के आयकर अथवा अधिकर पर कोई अधिभार नहीं लगता।

कम्पनी को अतिरिक्त कर से मिलनेवाली छूटें १७% से ५०% तक है। एक कम्पनी ( जो बोनस शेयर जारी नहीं करती है ) उस पर नैट नियम कर ( Corporation tax ) अर्थात् कम्पनी पर लगनेवाले अतिरिक्त कर या अधिकर की निम्न दरें हैं :—

कम्पनी का विवरण

नियम कर की दरें

१. उन कम्पनियों के लिए जिन्होंने भारत में लाभांशों की घोषणा तथा सुगतान के लिए भारा १६४ के अनुसार निर्धारित प्रबन्ध किए हैं :—

(अ) यदि कम्पनियों में जनता का ग्रन्तुर हित है तथा उनकी कुल आय २५,०००) से अधिक नहीं है—

- (i) भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभांशों पर ५%
- (ii) शेष आय पर २०%

(व) अन्य कम्पनियों के लिए—

(i) १-४-६१ से पूर्व बनी सभी पंजीकृत सहायक भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभाशों पर	५%
(ii) अन्य भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभाशों पर	१०%
(iii) शेष कुल आय पर	२५%

२. उन कम्पनियों के लिए जिन्होंने उपरोक्त वर्णित निर्धारित प्रबन्ध नहीं किए हैं :—

(i) १-४-६१ से पूर्व बनी तथा पंजीकृत गहायक भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभाशों पर	५%
(ii) १-४-५६ से पूर्व बनी तथा पंजीकृत भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभाशों तथा १-४-६१ के पश्चात् किए गये किसी त्रुटी रामगत्ते के अन्तर्गत प्राप्त रॉयलटी पर	२५%
(iii) १-४-५६ के पश्चात् बनी गई तथा पंजीकृत कोई अन्य भारतीय कंपनी से प्राप्त लाभाशों पर	१०%
(iv) शेष कुल आय पर	३८%

नोट :—उन विदेशी कम्पनियों जिन्होंने भारत में लाभाशों की घोषणा तथा सुनावान के लिए निर्धारित प्रबन्ध नहीं किए हैं के अलावा सभी करदाताओं के लिए भारत से बाहर नियांत करने से हुई आय पर लगनेवाले आयकर तथा अतिरिक्त कर की रकम में से उम्मा १०% भाग छूट के रूप में १-४-६२ के पश्चात् दिया जाता है।

जहाँ किसी कर-दाता ( कम्पनियों को छोड़कर ) की कुल आय में “वेतन” शीर्षक की ऐसी आय शामिल है जिस पर अधिकर काटा गया है अथवा जिसपर अधिकर काटा जाना चाहिए था, तब सन् १९६२-६३ वर्ष के लिए कर-निर्धारण करते रामय वेतन की ऐसी आय पर सन् १९६१-६२ की दरों से अधिकर लगाया जायगा।

३. कर-निर्धारण की संगणना : (Computation of Assessment)  
एक कर-दाता के कर-निर्धारण में सुलग्न कम निम्नलिखित हैं :—

- (१) अध्याय ५ से ११ में बताए गए तरीकों के अनुसार उसकी कुल आय वगा कुल विश्व आय मालूम करनी चाहिए। उद्गम स्थान पर काटे हुए करकों तथा अन्य प्रकार से दिए गए कर की रकमों को बोड़ देना चाहिए।

- (२) कुल आय पर आयकर तथा अधिकर एवं उनपर अधिमार निकालना चाहिए।
- (३) इसके पश्चात् आयकर तथा अधिकरकी औसत दरें मालूम करनी चाहिए। यह कार्य कुल आय को आयकर से तथा अधिकर से विभाजित करके किया जाता है।
- (४) इसके पश्चात् आंशिक कर-मुक्त आय की रकम मालूम करके उस पर आयकर तथा/अथवा अधिकर की औसत दरों से छूट की रकम निकालनी चाहिए।
- (५) आय कर तथा अधिकर की कुल रकमों में से निम्न रकमें घटानी चाहिए :—
  - (अ) आंशिक कर-मुक्त आयपर छूट की रकम।
  - (ब) उद्गम स्थान पर कटौती की रकम या बन्य रूप में दी गई रकम।
  - (स) दुवारा-करारोपण छूट—यदि हो तो।
  - (द) अग्रिम कर तथा उस पर ब्याज।
- (६) शेष आय वह होगी जो कि कर दाता द्वारा देनी होगी या लेनी होगी। यदि कोई दण्ड या ब्याज लगाया गया हो तो उसकी रकम भी इस कुल रकम में जोड़ देना चाहिए।

### प्रश्न संख्या ६३ :

श्री 'अ' ( अविवाहित व्यक्ति ) की गत वर्ष में ६,०००) की आय 'वेतन' से थी। कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए उस पर लगने वाले आयकर की संगणना कीजिए।

### उत्तर :—

कुल आय के प्रथम २,०००)	पर		कुछ नहीं
" " अगले ४,०००)	"	३%	१२०)
" " " १,०००)	"	६%	६०)
६,०००) पर आयकर			१८०)

नोट—'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत आनेवाली आय पर गतवर्ष की दरों से कर लगता है। गत वर्ष १९६१-६२ के लिए अविवाहित व्यक्ति के लिए आयकर की निम्न दरें हैं—

कुल आय के	प्रथम	₹०	%
			हुद्दा नहीं
” ” विमाले	₹५,०००	”	३
” ” ”	₹२,५००	”	६
” ” ”	₹२,५००	”	८
” ” ”	₹२,५००	”	११
” ” ”	₹२,५००	”	१४
” ” ”	₹५,०००	”	१८
” ” रोम	”	”	२५

एक विवाहित व्यक्ति ( जिसकी कुल आय ₹३०,००० ) से व्यधिक नहीं है ) के लिए उपरोक्त दरों में प्रथम दो विभाग क्रमशः ₹३,००० रथा ₹२,००० ) है ; वाकी सब विभाग व दरों समान हैं। १९६२-६३ में वेतन पर घटा हुआ सरचार्ज अर्थात् २५% पहले नहीं था। अन्य सरचार्ज की दरों में कोई अन्तर नहीं है। इसी प्रकार अधिकर या अतिरिक्त कर ( Super-tax ) के लिए १९६१-६२ में आय के विभाग बही थे जो १९६२-६३ के लिए हैं, केवल व्यधिकर की दरें क्रमशः इस प्रकार थी—हुद्दा नहीं, ५%, १५%, २०%, ३०%, ३५%, ४०%, रथा ४५%। आयकर पर लगानेवाले सरचार्ज में जो अन्तर इन दो वर्षों में है, वही अन्तर व्यधिकर पर लगानेवाले सरचार्ज में भी है।

### प्रश्न संख्या ६४ :

एक बकीला ( विवाहित, ४ नावालिंग पुत्र ) की आय ₹१०,०००) पेशे से दर्या ₹५,०००) मकान किराये से है, कर-निधारण वर्ष १९६२-६३ के लिए उस पर कर की समझना कीजिए।

उत्तर :—

	₹०
₹१०,०००) की अनिवार्य आय पर विभिन्न दरों से आयकर	₹५६७
आयकर पर व्यधिमार—५% दर से	२३
₹५,०००) की अनिवार्य आय विभिन्न दरों से आयकर	६७५
आयकर पर व्यधिमार—२०% [५%+१५] की दर से	१३५
कुल आयकर रथा व्यधिकर :	₹१,३००

नोट :—आयकर की विस्तृत संगणना :— रु.

रु.

बर्जित आय [ १०,००० रु.] पर—

कुल आय के प्रथम ३,६०० पर कुछ नहीं

" " अगले १,४०० " २% = ४२

" " " २,५०० " ७% = १७५

" " " २,५०० " १०% = २५०

अनर्जित आय [ ५,००० रु.] पर— — ४६७

" " " २,५०० " १२% = ३००

" " " २,५०० " १५% = ३७५

१,१४२

प्रश्न संख्या ६५ :

श्री 'व' ( अविवाहित व्यक्ति ) की निम्न आय पर १६६२-६३ कर-निर्धारण वर्ष के लिए आयकर की संगणना कीजिए :—

(१) व्यापार के लाभ ३,०००

(२) गृहसभात्ति से आय ४,५००

कुल आय ७,५००

उत्तर :—

कुल आय के प्रथम १,००० रु. पर कुछ नहीं

" " अगले ४,००० रु. " ३% = १२० रु.

" " " २,५०० रु. " ७% = १७५ रु.

आयकर .. २६५ रु.

चूंकि कुल आय ७,५०० से अधिक नहीं है, उस पर कोई अधिभार नहीं लगेगा।

प्रश्न संख्या ६६ :

श्री 'स' ( अविवाहित ) की निम्न आय से कर-निर्धारण वर्ष १६६२-६३ के लिए कर की संगणना कीजिए :—

व्यापार के कर-योग्य लाभ ७,५१० रु.

लाभांश [ इसमें से ३ रु. उदाहरण १० रु.

स्थान पर काट लिया गया है ] ७,५२० रु.

बत्तर :—

अजिंत आय [ ७,५१० ] पर कर :

	रु०	रु०
कुल आय के प्रथम १,००० पर		—
“ “ अगले ४,००० पर		$\frac{3\%}{3\%} = १२०$
“ “ ” २,५०० पर		$\frac{7\%}{7\%} = १७५$
१० पर		$\frac{10\%}{10\%} = १$
		२६६

अनर्जित आय [ १० रु० ] पर कर —

रु०	रु०	रु०
“ “ ” १० पर	$10\% = १$	आयकर

२६६) पर ५% की दर से अधिभार = १४) व्य. न० पै०

१) पर १५% की दर से विशेष „ = ०) १५ न० पै०

इस प्रकार कुल अधिभार हुआ  $\frac{14 + 0}{15} = १५$ )

किन्तु वित्त अधिनियम १६६२ के अनुसार दोनों प्रकार के अधिभारों की राहि कुल आय तथा ७,५००) के अन्तर के बाघे से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसलिए अधिभार हुआ  $\frac{1}{2} \times २०$

[ ७,५००—३५०० ] १०

आयकर तथा अधिभार ३०७

वाद, उद्गम स्थान पर कर की कटौती ३

नेट कर ३०४

प्रसन संख्या ६७ :

भी शाह ( विवाहित व्यक्ति ) की निम्न आय पर कर-नियांरप वर्ष १६६२-६३ के लिए कर की समाप्ति कीजिए—

(१) जापदाद से आय	७,०००)
(२) व्यापार के लाम	५३०
(३) लाभाय सबल [ उद्गम स्थान पर कटौती—६ रु० ]	२०
	७,५५०

उत्तर :—

रु०	रु०
कुल आय के प्रथम ३,००० पर	
कुल आय के अगले २,००० पर	३% = ६०
कुल आय के अगले २,५०० पर	७% = १७५
कुल आय के अगले ५० पर	१०% = ५

आयकर	२४०
२४०) पर साधारण अधिमार ५% की दर से हुआ —	१२)
२४०) पर विशेष „ १५% की दर से हुआ —	३६)

किन्तु विशेष अधिमार कुल आय तथा ७,५२० ( ७,५०० अधिमार की सीमा + २० रु० लामांश की रकम ) के अन्तर के आधे से अर्थात् १५ रु० से अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार साधारण तथा विशेष अधिमार हुआ १२+१५=२७) किन्तु अधिमार की सीमान्त सीमाओं के अनुसार कुल अधिमार कुल आय तथा ७,५०० के अन्तर के इसे अधिक नहीं होना चाहिए, इसलिए दोनों प्रकार से अधिमार की रकम हुई ( ७,५५०—७,५००=५०×१५)= २५ )

आयकर तथा अधिमार	२६५
बाद, उद्गम स्थान पर कर की कटौती	६
नेट आयकर की रकम	२५९

प्रश्न संख्या ६८ :

भी पटेल ( विवाहित ) के व्यापार की २०,०२०) की आय पर कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए कर की संगणना कीजिए।

उत्तर :—

वित्त ( न० २ ) अधिनियम १९६२ के प्रथम परिशिष्ट के भाग १ के अनुच्छेद 'अ' के उपवन्ध (iii) के अन्तर्गत आयकर हुआ—

रु०	२,२३५
कुल आय के प्रथम २०,००० रु० पर विभिन्न दरों से कर	२,२३५
कुल आय के अगले २० रु० पर उसका आधा	१०
	<u>२,२४५</u>

२,२४५) पर साधारण अधिमार ५% की दर से	११२.२५
२०) पर अतिरिक्त कर ८% की दर से	१.६०
१)६० पर ५% की दर से अधिमार	०.९८
कुल आयकर तथा अतिरिक्त कर	२,३५८.६३

### प्रश्न संख्या ६६ :

भी मानकरण की १,२०,००० रु की 'व्यापार के लाभ' की आय पर कर-निधारण वर्ष १९६२-६३ के लिए कर की समाप्ति कीजिए।

उत्तर :—

आयकर :—	रु०
कुल आय के प्रथम २०,००० पर विभिन्न दरों से आयकर	२,२६५
,, „ अगले ८०,००० „ २५% „ „	२०,०००
[ १ लाख की अर्जित आयपर आयकर ]	२२,२६५
„ „ „ २०,००० अर्जित आय पर २५% से आयकर	५,०००
	२७,२६५.००
५% की दर से साधारण अधिमार	१,३६४.७५
१०% „ „ १ लाख से अधिक अर्जित आय के आयकर पर अधिमार	५००.००
कुल आयकर तथा अधिमार	२८,१५४.७५

### अतिरिक्तकर :—

कुल आय के प्रथम	२०,०००	पर	—
„ „ अगले	५,०००	„	५%
„ „ „	५,०००	„	१०%
„ „ „	१०,०००	„	२२%
„ „ „	१०,०००	„	३२%
„ „ „	१०,०००	„	४०%
„ „ „	१०,०००	„	४५%
„ „ „	३०,०००	„	४७.५%

कुल आय के प्रथम १,००,००० अर्जित आय पर	२६,४५०
" " , अगले २०,००० " " , ४७.५%	६,५००
५% की दर से साधारण व्यधिभार	३८,६५०.००
१०% " , १ लाख से अधिक अर्जित आय के	१,६४७.५०
आयकर पर व्यधिभार	६५०.००
कुल आयकर तथा व्यधिभार	४१,८४७.५०

### कुलकर :—

आयकर तथा व्यधिभार	—	२६,१५६.७५
अतिरिक्त कर "	—	४१,८४७.५०
कुल कर...		७१,००७.२५

### प्रश्न संख्या ७० :

श्री विजय को निम्न आय पर कर निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए किस प्रकार कर देना पड़ेगा :—

व्यापार से आय	२१,०००
लघुकालीन परिसम्पत्ति से पूँजीगत लाभ	३,५००
दीर्घकालीन " " " "	६,०००
कुल आय	२६,५००

### उत्तर :—

श्री विजय को कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ में निम्नप्रकार से आयकर तथा अतिरिक्त कर देना पड़ेगा :—

- (i) २१,०००) पर २१,०००) पर लगनेवाली आयकर तथा अतिरिक्त कर की औसत दरों से कर ;
- (ii) २,५००) पर २३,५००) [ २१,०००+२,५०० ] पर लगनेवाली औसत दरों से आयकर तथा अतिरिक्त कर ; तथा
- (iii) ६,०००) पर २७,०००) [ २१,०००+६,००० ] पर लगनेवाली औसत दरों से आयकर तथा अतिरिक्त कर अथवा ६,००० पर २५% से केवल आयकर, जो भी कम हो।

### प्रश्न संख्या ७१ :

कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिये कुमारी गीता को १०,००० इ० एक कॉलेज से बेतग के मिले। इसके अलावा उसने एक पुस्तक (जो उसने चार वर्ष में पूरी की) के प्रतिलिप्यधिकार एक प्रकाशक को हमेशा के लिए दे दिये। उसके बदले में उसे ६,०००) एकराशि प्रतिफल मिला। बतलाइये उसे ६,००० पर किस प्रकार कर देना पड़ेगा।

उत्तर :—

धारा १८० तथा आयकर नियम ६ के अनुमार कुमारी गीता को निम्न-प्रकार से कर देना पड़ेगा :—

(i) कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ में उसे १३,००० [ १६०००— $\frac{1}{4} \times$  ६,००० ] पर १३,००० पर लगनेवाली आयकर की औसत दर से कर देना पड़ेगा तथा वाकी ६,००० की रकम पर १३,००० [ १०,००० +  $\frac{1}{4} \times ६,०००$  ] पर लागू होनी वाली आयकर की औसत दर से कर देना पड़ेगा।

(ii) कर-निर्धारण वर्ष १९६३-६४ तथा १९६४-६५ में ३,०००) की रकम प्रत्येक वर्ष की कुल आय निकालने के लिये जोड़ी जायगी तथा उस पर कर की संगणना की जायगी। उपरोक्त रीति (i) से ६,०००) पर लगे हुए कर की  $\frac{1}{4}$  रकम प्रत्येक वर्ष के कर में से चार दी जायगी।

### प्रश्न संख्या ७२ :

मेसर्स श्री किशन भोहनलाल एक रजिस्टर्ड फर्म है जिसमें ४ सामेदार है। कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए उसकी कुल आय १,००,००० इ० है। फर्म द्वारा देय आयकर की संगणना कीजिये।

उत्तर :—

मेसर्स श्री किशन भोहनलाल की कुल आय पर कर की संगणना :

कुल आय के प्रथम २५,००० इ० पर		५%	१२५०
" "	बगले १५,००० इ० ,,	६%	९६०
" "	२०,००० इ० ,,	७%	१,४००
" "	४०,००० इ० ,,		२,८००
कुल आयकर			५,७५०

प्रश्न संख्या ७३ :

मेसर्स थीसालाल देवकरण एक रजिस्टर्ड फर्म है जिसमें ५ भागीदार हैं। फर्म की कुल आय १ लाख ८० है। कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिये आयकर की संगणना कीजिए।

उत्तर :—

	रु०
कुल आय के प्रथम २५,००० रु० पर	—
“ “ अगले १५,००० “ “	७%
“ “ “ २०,००० “ “	८%
“ “ “ ४०,००० “ “	६%
	<u>कुल आयकर ... ६,२५०</u>

प्रश्न संख्या ७४ :

एक कंपनी ( जिसमें जनता का प्रचुर हित है तथा जिसने लाभांशों के वितरण इत्यादि के लिए निर्धारित प्रबन्ध किये हैं ) की निम्न आय पर आयकर तथा निगम कर की संगणना कीजिये :—

व्यापार के लाभ	.... १०,००० रु०
भारतीय कंपनी से प्राप्त लाभांश	... ६,००० रु०

उत्तर :—

१६,०००) पर २५% दर से आयकर	... ..	रु०
१६,०००), ५५%, “, “, निगमकर	६,८००	रु०

बाद छूट :

(i) ६,०००) भारतीय कंपनी से प्राप्त	
लाभांश पर ५% ३,०००	
(ii) १०,०००) की शेष आयपर,, २५% ३,५०० ६,५०० २,३००	
कुल आयकर तथा निगम कर ... ६,३००	

प्रश्न संख्या ७५ :

मेसर्स इण्डियन ट्राजीस्टर्स लि। एक भारतीय कंपनी है जिसने भारत में लाभांश वितरण किये हैं। उसकी आय के निम्न विवरण से आयकर तथा निगम कर की संगणना कीजिये :—

व्यापार की आय	... ६०,०००)
२८-३-६१ को पञ्चीकृत भारतीय सहायक	... १५,०००)
कंपनी से प्राप्त लाभांश	... ५,०००)
भारतीय कंपनी से प्राप्त लाभांश	... ५,०००)
कुल आय ...	<u>८०,०००)</u>

कंपनी ने १,०००) एक पुण्यार्थ संस्था को दान में दिए हैं। यह रकम धारा पद के अन्तर्गत कर-मुक्त है।

उत्तर :—

८०,०००) पर २५% की दर से आयकर	२०,०००
१,०००) पर २५% „ „ „ की छूट	<u>२५०</u>
	नेट आयकर १६,७५०
८०,०००) पर ५५% की दर से निगम कर	४४,०००

बाद, छूट

(i) १५,०००) पर ५०% की दर से ७,५००	
(ii) ५,०००) „ ५५% „ „ २,२५०	
(iii) ६०,०००) „ ३०% „ „ <u>१८,०००</u> २७,७५० १६,२५०	
कुल आयकर तथा निगमकर	<u>३६,०००</u>

### परिशिष्ट 'ख'

विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रश्न-पत्र तथा उनके उत्तर

नोट :—प्रश्नों के उत्तर आयकर अधिनियम, १९६१, आयकर नियम १९६२ तथा वित्त (न० २) अधिनियम, १९६२ के बनुमार दिये गए हैं इसलिए प्रश्नों की तिथियों को भी उसी हिसाब से उपान्तरित कर दिया गया है।

### विक्रम यूनिवर्सिटी (VIKRAM UNIVERSITY)

B. Com. ( 3-Year Degree Course ) Examination, 1962  
Subject IV-Accounts & Mercantile Law First Paper —

#### Income tax & Cost Accounts-Section A.

प्रश्न १. धर्मार्थ कार्य के लिये हुए दानों को कर मुक्त होने के लिए धारा पद में दिये गये नियमों का संकेत में वर्णन कीजिये। किसी संस्था को उक्त रूप में कर मुक्त होने के लिये क्या शर्तें पूरी करना चाहिए ?  
उ० : देखो अध्याय ४, बनुच्छेद १०।

प्रश्न २. एक करदाता को जीवन बीमा प्रीमियम, प्रॉबेंडेन्ट फंड के चन्दे व उसके ब्याज पर आयकर से क्या छूट मिलती है, तथा इस छूट का आगणन किस प्रकार होता है ?

उ० : देखो अध्याय ४, अनुच्छेद ६ से १०।

प्रश्न ३. आय की निम्न मद्दें विकल्प विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर की हैं :—

- (१) वेतन १,२०० रु० प्रतिमास, जिसमें से ८ प्रतिशत उस प्रॉबेंडेन्ट फंड के चन्दे के लिए काट लिया जाता है जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा १३ प्रतिशत का वशदान किया जाता है।
- (२) वार्डन होने का भत्ता, १,२०० रु० प्रतिवर्ष।
- (३) किराया मुक्त बंगला, जिसके वार्षिक किराये का मूल्य ७२० रु० है।
- (४) एक लिमिटेड कम्पनी के १०० रु० प्रति वंशबाले ५० अंशों पर ५ प्रतिशत (करमुक्त) लोभांश।
- (५) ५,००० रु० के सरकारी शृणों पर ४ प्रतिशत ब्याज।
- (६) भाड़े पर दी गई जायदाद से आय, १,२०० रु०।
- (७) पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में जमा रकम पर ब्याज, ५०० रु०।
- (८) पुरानी मोटर गाड़ी बेचने पर लाभ, २,५०० और जायदाद की बिक्री पर लाभ ८,००० रु०।
- (९) पुस्तकों की बिक्री से आय, २,००० रु०।
- (१०) परीक्षक होने का पारितोषण, ३,७०० रु०।

वर्ष के अन्दर उन्होंने १,६०० रु० जीवन बीमा प्रीमियम के दिये जिसमें से ५०० रु० संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के थे। उन्होंने उसी वर्ष में ६५० रु० की पुस्तकें खरीदी।

उनकी १६६२-६३ के वर्ष की कुल आय, कर योग्य आय और कर मुक्त आय निकालिये।

उ० कर-निर्धारण वर्ष १६६२-६३ के लिये कुल आय, कर योग्य आय तथा करमुक्त आय की संगणना :—

	रु०	रु०
१. वेतन—१२ महिने का १,२०० रु० प्रतिमास से वेतन १४,०००		
वार्डन होना का भत्ता १,२०० रु० प्रतिवर्ष	१,२००	
किराया मुक्त बंगला	७२०	
		<u>१६,३२०</u>
वाद—पुस्तकों के लिए उच्चतम कठोरी	<u>५००</u>	<u>१५,८२०</u>

२. प्रतिभूतियों से व्याज :—५,०००) सरकारी ऋणों पर ४% की दर से	२००
३. भाड़े पर दी गई जायदाद से आय	१,२००
४. पूँजीगत लाभ :—पुरानी मोटरगाड़ी बेचने पर लाभ जायदाद की विकी पर लाभ	२,५०० <u>८,००० १०,५००</u>
५. अन्य साधनों से आय :—	
(i) कर-मुक्त लामांए—१००) के ५% शेयर पर ५%	२५०
(ii) फोस्ट ऑफिस सेविंग्ज् बैंक में जमा रकम पर ५००) व्याज की रकम पूर्णतया करमुक्त है	—
(iii) पुस्तकों की विकी से लाभ (यह मानकर की पुस्तक को लिखने में १ याल से कम उम्र लगा है)	२,०००
(iv) परीक्षक होने का पारितोषण	<u>३,७०० ५,८५०</u>
	कुल आय <u>१२,६७०</u>

### कर-मुक्त आय :

(१) केवल कर्मचारी का प्रोविटेन्ट फण्ड में दिया हुआ चन्दा १२,४०० का ८%	११५२
(२) जीवन बीमा प्रीमियम	<u>१,६००</u>

### कर-योग्य आय :—

कुल आय	६०
बाद, कर-मुक्त आय	<u>३,०५२ ३०,६१८ ६०</u>

आयकर के लिए ३०,६१८) पर ३०,६७०) पर लगनेवाली आयकर की औसत दर से कर लगेगा। अतिरिक्त कर के लिए ३०,६७०) ही कर-योग्य समझी जायगी।

प्रेसन ४. व्य और व एक रजिस्टर्ड फर्म में साझीदार हैं। ३१ मार्च १९६२ को समाप्त हुए वर्ष के लिये उनका लाभ हानि खाता निम्न प्रकार है :—

	रुपये		रुपये
वेतन	२०,०००	सकल लाभ	५०,०००
भाइ	३,४००	लाभांश (सकल)	६००
विशेषन	२,६००	अशोध्य ऋण प्राप्त	१,०००
धर्मादा	१,०००		
झबत ऋण संचिति	२,५००		
आय कर	५,०००		
विविध व्यय	६,०००		
पूँजी पर ब्याज :			
	रु.		
व्य	१,०००		
व	<u>१,०००</u>	२,०००	
साझेदारों का कमीशन :—			
	रु.		
व्य	२,५००		
व	<u>२,०००</u>	४,५००	
शुद्ध लाभ	५,६००		
	रु. ५१,६००		रु ५१,६००

वेतन की मद में साझेदारों के वेतन सम्मिलित है : व ३,००० रु., व ३,००० रु। २,००० रु. का फर्नीचर क्य किया जिसे विविध व्यय में विकलित कर दिया गया है। साझेदारों की कुल आय निकालिये।

उ० फर्म की कुल आय की संगणना :	रु.	रु.
लाभ हानि खाते के अनुसार शुद्ध लाभ		५,६००
जोड़ो :—धर्मादा	१,०००	
झबत ऋण संचिति	२,५००	
आयकर	५,०००	
साझेदार का वेतन	६,०००	
साझेदारों की पूँजी पर ब्याज	२,०००	
साझेदारों का कमीशन	४,५००	
फर्नीचर ( दूँजीगत खर्च )	<u>२,०००</u>	<u>२३,०००</u>
		२८,६००

[ २२५ ]

सामेदारों की कुल आय की संगणना ( रुपयों में )

	रु.	रु.
बेतन	३,०००	३,०००
पंजी पर व्याज	१,०००	१,०००
कमीशन	२,५००	२,०००
शेष आय ( बराबर हिस्सों में )	<u>८,२००</u>	<u>८,२००</u>
	<u>१४,२००</u>	<u>१४,२००</u>

प्र. ५. देखिए प्रश्न संख्या २१

उ. देखिए प्रश्न संख्या २१ का उत्तर ।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

[ ALLAHABAD UNIVERSITY ]

B. Com. ( Part II ) Examination, 1962

Group E. Advanced Accountancy (Paper VII) : Advanced Accountancy Section A :

प्र. १। भारतीय आयकर विधान के अनुसार कुछ आय पूर्णवाय करनुकूल हैं तथा कुछ बेतल आयकर की दर निकातने के लिये जोड़ी जाती हैं। इनकी संचित व्याख्या कीजिये ।

उ. देखो अध्याय ४, अनुच्छेद १ से १० ।

प्र. २। निम्नलिखित में से किन्हीं चार की व्याख्या कीजिये :—

- (क) कर-दाता ।
- (ख) पंजीयित फर्म ।
- (ग) आकस्मिक आय ।
- (घ) वार्षिक मूल्य ।
- (ङ) विकास-सम्बन्धी छुट
- (च) स्वीकृत व्यय ।
- (छ) अतिरिक्त दर ।

उ. देखो (क) अध्याय १, अनुच्छेद ६ ; (ख) अध्याय १४, अनुच्छेद ४ ; (ग) अध्याय १, अनुच्छेद १२ ; (घ) अध्याय ७ अनुच्छेद २ ; (ङ) अध्याय ८, अक ७ (५) ; (च) अध्याय ८, अनुच्छेद ३ ; (छ) अध्याय १ अनुच्छेद ३ ।

प्र. ३। श्री जगत प्रकाश, जो एक वैतनिक कर्मचारी विवाहित व्यक्ति हैं तथा जिनके दो बच्चे हैं, उनकी ३१ मार्च, १९६२ के अन्त होनेवाले वर्ष की आप का निम्नलिखित विवरण है :—

	रु०
(क) वेतन	१२,०००
(ख) महगाई का भत्ता	१,२००
(ग) स्वीकृत प्रॉविडेन्ट फण्ड खाते पर जमा ब्याज १२ प्रतिशत की दर से	२,१००
(घ) स्वामी का प्रॉविडेन्ट फण्ड का चन्दा	७५०
(इ) कर मुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज	१,०००

इनका अपना एक मकान है जिसका वार्षिक मूल्य २,४०० रु० है और जिसमें वह स्वयं रहते हैं। इन्होंने ३,००० रु० जीवन-बीमा प्रीमियम अपने जीवन-बीमा पर दिया तथा ७५० रु० स्वीकृत प्रॉविडेन्ट फण्ड में दिया।

इनकी कर योग्य आय तथा कर-मुक्त आय मालूम वरें।

उ. श्री जगत प्रकाश की कर-योग्य आय तथा कर-मुक्त आय की कर-निर्धारण वर्ष १९६२-६३ के लिए संगणना :

	रु.	रु.
(१) वेतन :—वर्ष भर का वेतन	१२,००	
महगाई का भत्ता	१,२००	
स्वीकृत प्रॉविडेन्ट फण्ड खाते पर जमा ब्याज ६% से अधिक की दर से	१,०५०	
[ स्वामी का प्रॉविडेन्ट फण्ड का चन्दा कर-मुक्त है क्योंकि वह वेतन के १०% से अधिक नहीं है ]—		१४,२५०
	<hr/>	<hr/>
(२) कर मुक्त प्रतिभूतियों का ब्याज		१,८००
(३) गृह-सम्पत्ति की आय :—वार्षिक मूल्य वाद, वैधानिक कटौती	२,४००	१,२००
घटा हुआ वार्षिक मूल्य	१,२००	
वाद, $\frac{1}{2}$ मरम्मत खर्च	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	२००	१,०००
कुल आय	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	१६,२५०	

**कर-मुक्त आय :**

(i) कर-मुक्त प्रतिमूलियों का व्याज	₹ १,०००
(ii) स्वयं का प्रॉविडेन्ट फण्ड में चन्दा	७५०
	<u>३,०००</u>
(iii) लीवन-चीमा प्रीमियम	<u>—</u>
	<u>₹ ४,७५०</u>

श्री जगत प्रकाश ₹ १,५००) [ ₹ ६,२५०-₹ ४,७५० ] कर-योग्य आय पर ₹ ६,२५०) पर लागू वौसत आयकर की दर से कर देंगे।

**राजस्थान विश्वविद्यालय [ University of Rajasthan ]**

B. Com. (FINAL) Examination, 1962,  
Advanced Accountancy.

**I Paper—Income-tax & Cost Accounting**  
**Section A.**

- प्र० १. (अ) समझाइये कि आयकर के लिए किसी करदाता के निवास-स्थान के प्रश्न को कैसे हल किया जायगा।  
 (ब) एक पलि जो मारठ में निवासी है, कि निम्न आय है :—  
 (i) कानपुर में उसे ₹ २,०००) बेतन मिलता है।  
 (ii) अपने पति की विना कर लगी हुई विदेशी आय से उसे ₹ ३,०००)  
     की रकम प्राप्त हुई। उसका पति अनिवासी है।  
 (iii) उसकी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका (U.S.A.) की कृषि-आय ₹ १०,०००) दूर है। कृषि व्यापार का नियन्त्रण मारठ से होता है दिन्हु यह रकम मारठ में नहीं लाई गई है।

पक्की की कर-योग्य आय निकालिए।

उ० (ब) देखी अध्याय ३, अनुच्छेद २ से ३।

(व) पलि की कर-योग्य आय की संगणना :—

	₹०
(i) कानपुर में ग्रास बेतन	₹ २,०००
(ii) पति द्वारा भेजी गई विदेशी रकम कर-मुक्त है	—
(iii) विदेशी कृषि आय	<u>₹ १०,०००</u>
	<u>₹ १२,०००</u>

प्र० २ (अ) 'वेतन' शब्द में जो आय की मद्दें सम्मिलित होती हैं उनका वर्णन कीजिए।

(ब) धारा २२-२६ [ पुरानी धारा ६ ] के अन्तर्गत कौन जायदाद की आय क्या कर-मुक्त होती है।

उ० (अ) देखो, अध्याय ५, अनुच्छेद १ से ४।

(ब) देखो, अध्याय ७, अनुच्छेद १ तथा २।

प्र० ३ निम्नलिखित पर सहित टिप्पणियाँ लिखिए :—

(अ) गत वर्ष।

(ब) कर का अग्रिम सुगतान।

उ० देखो (अ) अध्याय १, अनुच्छेद ८।

(ब) अध्याय २०, अनुच्छेद ४ तथा ५।

प्र० ४ श्री थेच० के० मेहता एक कॉलेज के प्रिन्सिपल हैं। उनका वेतन द००) प्रति मास है तथा महगाई का भत्ता १५% है। उसने स्वीकृत प्रॉविडेंट फङ्ड में ८% चंदा दिया तथा उसके मालिक ने १२%। प्रॉविडेंट फङ्ड खाते में ६% की दर से जमा किया ब्याज ६००) हुआ। उसे एक किराया-मुक्त मकान मिला हुआ है जिसका वार्षिक मूल्य ६००) है। उसे वर्मा से जहाँ वह पहले नौकरी करता था, २००) प्रति मास पेंशन मिलती है। उसे ४,०००) पुस्तकों की रायलटी तथा ३,०००) विभिन्न विश्वविद्यालयों में परीक्षक होने का पारितोषक मिला। उसने १५,०००) की पॉलिसी पर १,०००) जीवन वीमा श्रीमियम कर दिया है। पुस्तकों तथा मैगेजिन को खरीदने के लिए उसने ६००) खर्च किए।

कर-निर्धारण १६६२-६३ के लिए उसकी कुल आय की संगणना कीजिए।

उ० (१) वेतन :—

र०

र०

वार्षिक वेतन द००) प्रति मास की दर से ६,६००

महगाई भत्ता—वेतन का १५% १,४४०

मालिक का चंदा—१०% से अधिक १६२

प्रॉविडेंट फङ्ड में ६% से अधिक ब्याज २००

किराया-मुक्त मकान का मूल्य ६००

वर्मा से प्राप्त पेशन २,२००

२,२००

२,२००

१४,७३२

बाद—उच्चतम कटौती ( पुस्तकों आदि के लिए ) ५०० १४,२३२

(२) अन्य साधनोंसे आय :—

पुस्तकों की रॉयलटी	४,०००
परीक्षक होने से आय	<u>३,०००</u>
कुल आय	<u>७,०००</u>

प्र० ५० श्री रामचन्द्र जैन का ३१ दिसम्बर १९६१ नो समाप्त हुए वर्ष का लाम हानि खाता इस प्रकार है :—

रु०	रु०
वेतन	७,२६०
घर-खर्च	८,४१२
अपने जीवनपर बीमा प्रीमियम	६,३६
पिसाई	४,३३२
षमांदा	५६०
साधारण खर्च	२,६२०
छपाई तथा कागज खर्च	६१८
किराया तथा कर	१,४६६
झबर त्रृण सचिति	२,८७६
शुद्ध लाभ	<u>२८,६७२</u>
	<u>५८,०८२</u>

निम्न वारों को ध्यान में रखते हुए आप श्री जैन की कुल आय की संगणना कीजिए :—

- (अ) आगकर अफसर ३,५६१) पिसाई के बारे में मंजूर करता है।
- (ब) साधारण खर्चों में ४१२ निजी खर्चों के सम्मिलित हैं।
- (स) बेची गई मरीनरी की शेष कीमत ( Scrap value ) वही खाते में दिखलाई गई रकम से ६१८) वर्धिक गी।

उ० श्री जैन की कर-निधारण वर्ष १९६२-६३ के लिए कुल आय की संगणना

लाग्य हानि छाते के बनुसार शुद्ध लाभ २८,६७२

वाद :	(अ) जायदाद का लाभ ( नीचे देखी )	७,६००
	(ब) बीमा पॉलिसी की रकम—(वह कर-मुक्त है) २,०००	
	(स) पोस्ट बॉफिस सेविंग बैंक खाते का व्याज	<u>४६</u>
		<u>६,६४६</u>
	"	<u>१६,०२६</u>

(१) साधारण खर्च में सम्मिलित निजी खर्च	४१२
(२) शेष कीमत की अतिरिक्त रकम	६१४
(३) घर खर्च	८,४१२
(४) वीमा प्रीमिसम	६३६
(५) अतिरिक्त घिसाई ( ३,३३२-३,५६१ )	७७१
(६) धर्मादा	५६०
(७) डूबत शूण सचिति	<u>२,८७६</u>
व्यापारिक आय	<u>१४,५८१</u>
पूँजीगत लाभ : जायदाद के बेचने से लाभ	<u>३३,६०७</u>
कुल लाभ	<u>४१,५०७</u>

### आगरा विश्वविद्यालय (Agra University)

B. Com. ( Part II ) Examination 1962

Group IV (a) Advanced Accountancy & Auditing  
First Paper.—Accountancy ( Section A )

प्र० १. निम्नलिखित पदों की व्याख्या कीजिए :—

(अ) प्रारम्भिक घिसाई ; (ब) लाभांश ; (स) अतिरिक्त भत्ता ; (द) कर-मुक्त आय ।

उ० २ देखिए (अ) अध्याय ८, अनुच्छेद ७ (४) ; (ब) अध्याय १०, अनुच्छेद ४ ; (स) अध्याय ८, अनुच्छेद ७ (३) ; (द) अध्याय १, अनुच्छेद १४ ।

प्र० २ करदाताओं के निवास-स्थान के हिसाब से उन्हे कितनी श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं ? प्रत्येक का सचित्र बोन्ड कीजिए ।

उ० ३ देखिए अध्याय ३, अनुच्छेद १ से ३ ।

प्र० ३ अन्तर बतलाइये—

(अ) स्वीकृत प्रोविडेन्ट फण्ड तथा अस्वीकृत प्रॉविडेन्ट फण्ड ;  
(ब) रजिस्टर्ड फर्म तथा अनरजिस्टर्ड फर्म ।

उ० (अ) देखिए अध्याय ५, अनुच्छेद ८ तथा ६ ।

(ब) देखिए अध्याय १४, अनुच्छेद ४ तथा ५ ।

प्र० ४ गोपाल एक सरकारी दफ्तर में ५००) मासिक वेतन पर नौकरी करता है। उसके पास ८०,०००) ३३% सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं तथा वह एक बड़े मकान का मालिक है जिसका स्थानीय मूल्यांकन १,६००) है। उसने उस मकान के  $\frac{1}{3}$  हिस्ते को ६०) महिने से किराये पर दिया है। बाकी मकान में वह स्वयं रहता है। अपनी बहन के शादी के लिए उसने मकान को रहने रख दिया है। रहन का ब्याज ८००) साल आता है। स्थानीय कर ३००) है। गत वर्ष ३१ मार्च १९६२ को समाप्त होनेवाले वर्ष के लिए उसकी जायदाद से आय तथा कुल आय निकालिए।

	६०	६०
उ० जायदाद से आय :—किराया दिया हुआ मकान ( $\frac{1}{3}$ हिस्सा)		
६०) महिने की दर से कुल किराया	७२०	
बाद, $\frac{1}{3}$ स्थानीय कर = ( $\frac{1}{3} \times ८०० \times \frac{३}{५}$ ) =	५०	
वापिक मूल्य .	<u>६७०</u>	
स्वयं का रहने का मकान ( $\frac{1}{3}$ हिस्सा)		
उपरोक्त रीति से स्थानीय मूल्य	१,३४०	
बाद, $\frac{1}{3}$ वैधानिक भत्ता	<u>६७०</u>	<u>६७०</u>
गूरे मकान का वापिक मूल्य .....	१३४०	
बाद, $\frac{1}{3}$ मरम्मत खर्च	२२३	
रहन का ब्याज	<u>६००</u>	<u>८२३</u>
जायदाद से आय ..	<u>५१७</u>	
वर्ष भर का वेतन ५००) प्रतिमास की दर से	६,०००	
सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज—३३% दर से ८०,०००) पर	२,८००	
कुल आय ..	<u>८,३१७</u>	

पुराने अधिनियम १९२२ तथा नये अधिनियम १९६१ की  
मुख्य-मुख्य धाराओं की तुलना

( COMPARISON OF THE IMPORTANT  
SECTIONS OF THE OLD ACT OF 1922  
& THE NEW ACT OF 1961 )

पुराने अधिनियम की धाराएँ	विषय	नए अधिनियम की धाराएँ
१	प्रारम्भिक	१
२	परिमापाएँ	२ तथा ३
३	आयकर का भार	४
४	अधिनियम का लागू होना	५, ७ तथा ६
४ (३)	पूर्णतया कर-मुक्त व्याय	१० से १३
४ ए तथा ४ वी	करदाताओं का निवास स्थान	६
५	आयकर अधिकारी	११६ से १३८
५ ए	आयकर अपीलेट द्रिब्युनल	२५२
६	व्याय के शीर्षक	१४
७	वेतन	१५ से १७
८	प्रतिभूतियों का ब्याज	१८ से २१
९	गृहसम्पत्ति ( जायदाद ) से व्याय	२२ से २७
१०	व्यापार, पेशे आदि के लाभ	२८ से ४४
१२	अन्य साधनों से व्याय	५६ से ५८
१२ एए	विशेषाधिकार शुल्क अथवा प्रतिलिप्याधिकार	१८०
१२ वी	पूँजीगत लाभ	४५ से ५५
१३	हिसाब-पद्धति	१४५
१४	साधारण कर-मुक्तियाँ	८१ से ८३
१५	जीवन-बीमा प्रीमियम पर छूट	८७
१५ वी	पुण्यार्थ कामों के लिए दान	८८ तथा १०१
१५ सी	नए औद्योगिक उद्यम अथवा होटल इत्यादि	८४, ८५ तथा १०१

१७ (१)	बनिवासी की आय पर कर संगणना	११३
१८	लद्दाख स्थान पर कर कटौती	१६२ से २०५
१९ ए	बर का अग्रिम भुगतान	२०६ से २१६
२२	आय का नक्शा इत्यादि	१३६, १४० तथा १४२
२३	कर-निधारण	१४३ तथा १४४
२३ ए	कम्यनियों के अव्याप्त लाभों पर अतिरिक्त अधिकर	१०४ से १०८
२४ बी	अस्थायी कर-निधारण	१४१
२४	हानियों का प्रतिसादन एवं अग्रेन्यन	७० से ७८
२४ ए	मारत छोड़कर जानेवालों का कर-निधारण	१७४
२४ बी	वैदानिक प्रतिनिधि	१५८
२५	व्यापार के विषट्टन पर कर-निधारण	१७६-७
२५ ए	हिन्दू विवरक एवं विवाह के पश्चात् कर-निधारण	१७१
२६	फर्म के संगठन में परिवर्तन	१८४ से १८६
२६ ए	फर्म को पंजीयित कराने की विधि	१८४ से १८६
२७	कर-निधारण का दुबारा खोलना	१४६
२८	दण्ड	२७० से २७५
२९	माँग की सूचना	१५६
३०	अपील योग्य वादेश	२४६
३१	अपिलेट ब्रिसिस्टॉट कमिशनर द्वारा मुनबाई तथा फैसला	२५० तथा २५१
३३	अपिलेट ट्रिब्युनल में अपील	२५३ से २५५
३३ ए	कमिशनर द्वारा पुनरीक्षण	२६४
३३ बी	,, „ „ (राजस्व के हित में)	२६३
३४	पुनः कर-निधारण	१४७ से १५३
३५	भूलसुधार	१५४ तथा १५५
३७	आयकर अधिकारियों के सम्मन इत्यादि सम्बन्धी अधिकार	१३१ से १३६
४० से ४३	संरक्षक, न्यासी तथा अभिकर्त्ता का कर दायित्व	१६० से १६६
४४	बन्द हुए फर्म या अन्यजन मण्डल का दायित्व	१८८

४५.	कर देने की तिथि इत्यादि	३२०
४६.	कर वसूली के प्रकार तथा समय सीमा	२२१ से २३२
४६ ए	कर-शोधन प्रमाण-पत्र	२३०
४८	कर वापसी	२३७ से २४५,
४८ ए	"	६०
४९ से ५४	अपराध तथा अभियोजन	२७६ से २८०
५५, ५६ तथा ५८	अधिकर वथवा अतिरिक्त कर	६५ से ६६
६१	अधिकृत प्रतिनिधि	२८८
६३	सूचनाओं की तामील	२८२ से २८४
६६	हाईकोर्ट को निर्देश	२५६ से २६०
६६ ए	सुप्रीमकोर्ट में अपील	२६१ से २६२
६७	सिविल न्यायालयों में मुकदमें के विरुद्ध एकावट	२६३

---

**परिशिष्ट 'घ'**  
**अनुक्रमणिका**  
**(INDEX)**

Accounting, method of	हिसाब-किताब पद्धति	१७६
Additional Assessment	अतिरिक्त कर-निर्धारण	१७७
Advance payment of tax	कर का अग्रिम भुगतान	१८२
Agricultural Income	कृषि आय	१७
Allowances & Deductions (Business)	मत्ते रथा छूट ( व्यापार )	७६
Annual Value	वार्षिक मूल्य	६८
Appeals	अपील	२२
Appellate Tribunal	अपील न्यायाधिकरण	२४
Assessee	कर-दाता	१६
Assessment year	कर-निर्धारण वर्ष	१३
Assessment Procedure	कर-निर्धारण पद्धति	१७१
Association of Persons	जन-मण्डल	१४५
Authorised Representative	प्रमाणिक प्रतिनिधि	१६
Bad debts	द्वृष्टरक्तग	८०
Balancing Charge & allowance	सन्तुलनीय भार एवं छूट	८
Best Judgement Assessment	उत्तम निर्णयानुसार चर-निर्धारण	१७५
Bond Washing	फर्जी क्रय-विक्रय	१६६
Business	व्यापार	७८
Capital Gains	पूँजीगत लाभ	६८
Carry forward of Losses	हानि को आगे ले जाना	११६
Central Board of Revenue	केन्द्रीय राजन्य बोर्ड	२२
Company in Liquidation	परिसमाप्ति में कम्पनी	१५४
Corporation Tax	निगम कर	११
Deduction of tax at Source	उद्योगम स्थान पर कर कटौती	१८६
Depreciation Allowance	धिराई भत्ता	८८
Development Rebate	विकास छूट	८०
Discontinuance of business	व्यापार का बन्द होना	१६८
Earned Income	बर्जित आय	२०७
Executors	निधारक	१६१
Exempted Income	कर सुल्त आय	१४
Extra Shift Allowance	बिहिरिक पारी छूट	८०
Finance Act	वित्त अधिनियम	१०
Grossing up of Dividends	लाभांश को सकल बनाना	१०६

Hindu Undivided Family	अविभक्त हिन्दू परिवार	१२६
Income Escaping Assessment	कर-निर्धारण से चचित आय	१७७
Income-tax Authorities	आयकर पदाधिकारी	२२
Individual	व्यक्ति	११८
Initial Depreciation	प्रारम्भिक घिसाई	८८
Insurance premium	जीवन बीमा प्रीमियम का चन्दा	४६
Interest on Securities	प्रतिशुतियों का चन्दा	६५
Liability of directors of private Co. in liquidation	परिसमापन में निजी कम्पनी के संचालकों का उत्तरदायित्व	१५५
Non-resident	अनिवासी	१५८
Notice of Demand	माँग की सूचना	१८१
Notices u/s-139, 142 & 143	धाराएँ १३९, १४२ तथा १४३ के अंतर्गत सूचनाएँ	१७१
Other Sources of Income	अन्य साधनों से आय	१०४
Partition of Joint Family	समुक्त परिवार का वैटवारा	१२६
Partnership firms	भागिता सार्थ	१३०
Previous Year	गत वर्ष	१३
Provident Funds	प्रॉविडेन्ट फण्ड	६०
Provisional Assessment	अरथात् या सामयिक कर-निर्धारण	१७४
Rectification of mistake	भूल सुधार	१८१
Refund	कर वापसी	
Registered firm	पंजीयित सार्थ	१३०
Registration of firm	सार्थ का पंजीयन	१३१
Residence of Assessee	कर दाताओं का निवास-स्थान	२६
Return of Income	आय-पत्रक या नक्शा	१७१
Revision	पुनर्निरीक्षण	१८८
Salaries	घेतन	५२
Set-off and carry-forward of Losses	हानियों का प्रतिसादन तथा अत्रेनेयन	११६
Super-tax	अतिकर या अतिरिक्त कर	२०६
Tax clearance certificate	कर-सुगतान प्रमाण पत्र	१६६
Total Income	कुल आय	१३
Total World Income	कुल विश्व आय	१३
Unabsorbed Depreciation	अशोधित घिसाई	६२
Units of Assessment	कर-निर्धारण के विभाग	११
Unregistered Firm	बंपंजीयित सार्थ	१३१
Vacancy Allowance	रिक्त स्थान भत्ता	७१
Written-down Value	लिखित मूल्य	६१